दशम माला, खंड 38, अंक 1

मंगलवार, 14 फ़रवरी, 1995
25 माघ 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 14 फरवरी, 1995 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम सं॰	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
58	4	योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
230	21	विश्व प्रसद्धि	विश्व प्रसिद्ध
252	नौवे से 6	दिहरी-आन-सौन	डेहरी-आन-सौन
253	10	दिहरी आन सौन	डेहरी आन सौन

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 14 फरवरी, 1995/25 माघ, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	1-3	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	4-20	22—58
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1-106 और 108-163	59—219
टाडा का दुरूपयोग तथा उसे निरस्त करने की मांग के बारे में		233—238
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		238—247
विधेयकों पर अनुमति-सभा पटल पर रखा गया		247
कृषि संबंधी समिति		
तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		248
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश-**प्रस्तुत**		248
सीमा शुल्क टैरिफ, (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित		248—249
सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त		249
विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—**प्रस्तुत**		249
नियम 377 के अधीन मामले		249—253
(एक) चंडीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की आवश्यकता		
श्री पवन कुमार बंसल		249
(दो) चुनाव सुधार किए जाने की आवश्यकता		
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही		250
(तीन) मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता		
श्री पी.पी. कालियापेरूमल		250
(चार) आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से एच.आई.वी. बीमारी के खतरे को रोकने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता		
श्री के.जी. शिवप्पा		251
(पांच) उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता		
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक		251
(छः) उत्तरांचल/उत्तराखंड का एक अलग राज्य गठित करने की आवश्यकता		
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी		252

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) न्यू जलपाईगुड़ी और सियालदाह के बीच एक और मेल रेलगाड़ी प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुव्रत मुखर्जी	252
(आठ) बिहार के रोहतास जिले में डेहरी-ऑन-सोन में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	252—253
जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	
श्री एस.बी. चव्हाण	253—256
श्री जसवन्त सिंह	256—262
श्री नवल किशोर राय	262—264
श्री सुधीर सावन्त	264—268
श्री सैयद मसूदल हुसैन	268—271
श्री इन्द्रजीत गुप्त	271—277
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	277—280
श्री सैयद शहाबुद्दीन	281—286
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	286—287
श्री इन्द्र जीत	287—289
श्री पी.सी. थामस	289—290
श्री चित्त बसु	290—292
श्री अन्ना जोशी	292—293
श्री पीयूष तीरकी	293—294
श्री मणि शंकर अय्यर	294—296
श्री गोविन्द चन्द मुंडा	296—297
राज्य सभा से संदेश	280—281
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित—सभा पटल पर रखा गया	281
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक	
राज्यसभा द्वारा किये गये संशोधन	305—306
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस.बी. चव्हाण	306
खंड 3 और 1	306—307
सहमति के लिए प्रस्ताव	
श्री एस.बी. चव्हाण	307
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
आन्ध्र प्रदेश में पासरलपुड़ी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कूंए में आग लगना	
कैप्टन सतीश कुमार शर्मा	307—309

विषय	कालम
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प	
तथा	
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक	
प्रो. रासा सिंह रावत	309
श्री के.पी. सिंह देव	309—311
श्री रूपचन्द पाल	311—312

लोक सभा

मंगलवार, 14 फरवरी, 1995 / 25 माघ, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : पाइंट आफ इंफार्मेशन। जो पेपर्स सभा पटल पर रखे जाते हैं उनकी कॉपी हमें नहीं मिलती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में स्थिति स्पष्ट करूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी

+

*1. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दिल्ली और देश के अन्य भागों में उचित मूल्य की दुकानों से घटिया चीनी का वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि लगभग बीस उचित दर दुकानों के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई चीनी कीड़े-युक्त पाई गई। उन्होंने सूचित किया है कि कीड़े-युक्त चीनी का स्टॉक उपभोक्ताओं में वितरित नहीं किया गया है और भारतीय खाद्य निगम से चीनी के ऐसे स्टॉक को बदलने का अनुरोध किया गया है। किसी अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई भी अन्य विशिष्ट शिकायत नहीं बताई गई है।

(ग) और (घ). इस मामले की जांच के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का एक दल गठित किया गया है। दल ने पाया कि मायापुरी स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चीनी की कुछ बोरियों की सिलाई पर मरे हुए कीड़े थे। आयातित चीनी की बोरियों के भीतर, जिन्हें यादृच्छिक आधार पर चुना गया था, कीड़े नहीं पाए गए। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि हालांकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अन्य खाद्यान्नों के साथ रखी हुई चीनी की बोरियों की सतह पर छुट-पुट मामलों में परस्पर कीड़ा-ग्रस्त होने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, तथापि चीनी की बोरियों के भीतर इस प्रकार एक बोरी से दूसरी बोरी में कीटग्रस्तता नहीं हो सकती क्योंकि आयातित चीनी की विशेष पैकिंग पोलीथीन लाइनर्स और दोहरी सिलाई से होती है।

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो माननीय बूटा सिंह को उनके मंत्री बनने पर और खासकर नागरिक आपूर्ति मंत्री बनने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो शक्कर कांड में घोटाले हुए हैं उससे अपने को बचाकर वे अपनी उज्ज्वल छवि बनायें और देश में आदर्श स्थापित करें।

माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि दिल्ली में 20 राशन की दुकानों पर कीड़े युक्त शक्कर पाई गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने एक दल गठित करके उसकी जांच की और उस पर रोक लगाई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे खाद्य मंत्री ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और गोदामों में छापे मारकर इस पर रोक लगाई, वरना कीड़े युक्त शक्कर दिल्ली में बिकती रहती। इन्होंने सिर्फ दिल्ली के बारे में ही कहा है कि केवल 20 दुकानों पर कीड़े युक्त शक्कर पाई गई। मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक जिले हैं जहां खराब शक्कर का वितरण हो रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए क्या आपने राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार किया है या कोई दिशा-निर्देश दिया है?

श्री बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य की शुभ-कामनाओं के लिए आभारी हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स ने मुझे चीनी खाने के लिए मना किया है। इसलिए मैं चीनी के बारे में बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात कहूंगा। भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली की सरकार के माननीय मंत्री, दोनों के द्वारा यह काम किया गया। दोनों की टीम ने विजिट किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गोदामों में जो चीनी पड़ी है वह बिलकुल सुरक्षित है। दिल्ली में सिर्फ 20 दुकानों पर यह शिकायत पाई गई और उस पर कार्रवाई की जा चुकी है। जो खराब चीनी है, उसे भारतीय खाद्य निगम वापस ले लेगा और नई चीनी देगा। अन्य किसी राज्य से हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जब प्राप्त होगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री फूलचन्द वर्मा : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का दल गठित किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीनी के बोरों पर मरे हुए कीड़े पाये गये, वे चीनी के अंदर नहीं थे। वे अन्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के थे, जो

चीनी के बोरों पर आ गये। इसका मतलब यह है कि मंत्री जी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि जनता को सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। जो खराब राशन है वह देश की जनता को न मिले, इसके लिए सरकार कोई योजना बनाने जा रही है, जिससे देशवासियों को अच्छा चावल, गेंहू और शक्कर मिले सके?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो स्पेशलिस्ट्स टीम भेजी गयी थी, वह केवल चीनी के लिये भेजी गयी थी। यह सही है कि जिस स्टोर में चीनी रखी हुई थी, उसमें कीटाणु पाये गये। उसी जगह पर अन्य खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं रखे हुये थे और यह संभावना हो सकती है कि शायद दूसरे खाद्यान्नों में चीटे थे जो चीनी के बोरों में आ गये और जब चीनी के बैग्ज खोले गये तो यह अनिवार्य था कि उसको साफ किया जाता और उसको झाड़ पोछ लेना चाहिये था। इसीलिये एफ.सी.आई. द्वारा न केवल दिल्ली प्रशासन अपितु सभी प्रान्तों से यह कहा गया है कि जब भी राशन का अलाटमेंट होता है तो सबसे पहले साफ करके वितरण किया जाना चाहिये। अब संभावना यह रहती है कि शायद दूसरे खाद्यान्नों में ऊपर ये कीटाणु लगे हुये थे जो बाद में चीनी में मिल गये और जब बोरे खोले गये तो उसमें मिले हुए पाये गये, ऐसी रिपोर्ट दी है। इस बारे में जैसा माननीय सदस्य और अन्य सांसदों ने कहा है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी खाद्यान्न वितरण प्रणाली में दिया जायेगा, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उसमें कोई ढ़िलाई न आये जिससे उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो तो इसके लिये हम पूरा प्रबंध करेंगे।

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है, इसकी क्या प्रामाणिकता है कि जिस विभाग की ओर से या जिस विभाग द्वारा संचालित वितरण और स्टाक व्यवस्था में गड़बड़ियां पायी गयी हैं, उस विभाग से ही जांच करायी गयी? मैं यह जानना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. द्वारा चीनी की व्यवस्था की जाती है, उसी में कीटाणु पाये पाये गये और उसी एजेंसी द्वारा ही जांच कराई जाये लेकिन क्या मंत्री महोदय किसी निष्पक्ष गैर-विभागीय जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराना चाहेंगे ताकि लोगों में यह भ्रम न रहे कि जांच निष्पक्ष हुई है और उस जांच की प्रामाणिकता पर मुहर लग सके?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली प्रशासन के पास इस तरह की शिकायत पहुंची तो एफ.सी.आई. के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट्स की एक टीम वहां पर भेजी गयी और उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सप्लाई मंत्री भी गये। इसके पश्चात आगे चलकर कोई और ज्यादा इसकी जरूरत नहीं समझी गयी। यदि भविष्य में ऐसी कोई जरूरत समझी जायेगी कि किसी मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है तो वह की जायेगी जिसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि एफ.सी.आई. का क्वालिटी कंट्रोल इंडपेंडेंट है और उनकी जांच को मान लिया गया है और दिल्ली सरकार ने स्वयं अपने सप्लाई मंत्री को भेजकर देख लिया है तो यह जांच तकरीबन ठीक है।

[अनुवाद]

श्री.पी.जी. नारायणन : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को पारिवारिक राशन कार्डों के पुराने आंकड़ों के आधार पर चीनी का वितरण किया जाता है।

यह स्वीकार किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी की कमी है। जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पारिवारिक राशन कार्डों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। क्या सरकार आगे आकर वर्तमान स्थिति के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की मात्रा में वृद्धि करेगी?

श्री बूटा सिंह : महोदय, पहले ही चीनी की संतोषजनक मात्रा निधारित की गई है। फिर भी यदि किसी राज्य विशेष अथवा व्यक्तियों के विशेष वर्ग से ऐसी मांग की जायेगी तो उसकी समीक्षा की जायेगी।

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, हर जगह कमी महसूस की गई है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण इलाकों में अत्यंत प्रमुख त्यौहारों जैसे-होली, दीवाली, क्रिसमिस, ईद आदि पर उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल पाती है। काफी तंगी उठानी पड़ती है और यदि कहीं-कहीं मिलती भी है तो इतनी अल्प मात्रा में मिलती है कि जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वितरण व्यवस्था में जो यह भारी गड़बड़ी हो रही है, जितनी एक मात्रा सुनिश्चित की गई है उतनी मात्रा भी यदि चीनी नहीं मिल पाती है तो इसके लिए कोई सुधार की व्यवस्था करेंगे और एफ.सी.आई. के जो गोदाम हैं, इन गोदामों में प्रायः चीनी लेते समय कम तोली जाती है या अन्य ऐसी अनेक गड़बड़ियां की जाती हैं। क्या मंत्री महोदय के दिमाग में उसको ठीक करने के लिए कोई योजना है?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट्स हर साल तैयार की जाती है, उसके मुताबिक पी.डी.एस. एक ऐसा सिस्टम है जो हर साल बढ़ता जा रहा है। उसके जो माप-तौल रखे गए हैं, जितनी कम से कम मात्रा में चीनी प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिए, उसके आधार पर उतनी ही चीनी उन राज्यों को दी जाती है और खासकर त्यौहारों के लिए मैं मान्यवर सदस्य से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका अच्छी तरह से प्रबंध हो सके, इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है और त्यौहार से दो तीन महीने पहले ही उतनी मात्रा में उनको चीनी भेज दी जाती है। यदि जरूरत पड़े तो अधिक चीनी भी दी जाती है।

जैसा मैंने पहले कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वितरण प्रणाली में चाहे चावल, चीनी या गेहूं दिया जाता है उसकी

क्वालिटी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाएगा, इसका हम हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : एफ.सी.आई गोदामों के बारे में?

श्री बूटा सिंह : एफ.सी.आई. गोदामों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रेगुलर रिपोर्ट हम लेते रहते हैं। जहां जरूरत पड़ती है तो इंस्पेक्शन भी करते हैं।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

+

*2. **श्री हाराधन राय :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1994 और जनवरी 1995 के दौरान प्रत्येक जोन में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं और रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन रेल दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए और रेलवे को जोनवार कुल कितनी हानि हुई;

(घ) इन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) सरकार ने इन दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) क्षेत्रीय रेलों पर दिसंबर, 94 और जनवरी, 95 के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं और गाड़ी के पटरी से उतरने के मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	दिसंबर 94 और जनवरी 95	
	कुल दुर्घटनाएं (पटरी से उतरने के मामलों सहित)	पटरी से उतरने के मामले
1	2	3
मध्य	13	11
पूर्व	3	2
उत्तर	10	8
पूर्वोत्तर	9	6
पूर्वोत्तर सीमा	4	4
दक्षिण	10	4
दक्षिण मध्य	6	3
दक्षिण पूर्व	13	13
पश्चिम	7	5
जोड़	75	56

(ख) दिसंबर, 94 और जनवरी, 95 की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. रेल कर्मचारियों की गलती	37
2. रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	14
3. उपस्कर की खराबी	10
4. तोड़-फोड़	2
5. मिश्रित कारण	3
6. आकस्मिक कारण	2
7. जांच के अधीन	7
जोड़	75

(ग) दिसंबर, 94 और जनवरी, 95 के दौरान इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा रेल संपत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :

रेलवे	दिसंबर 94-जनवरी 95		दिसंबर 94-जनवरी 95		दिसंबर94-जनवरी 95
	गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए यात्रियों की संख्या		अन्य (मुख्यतः समपारों पर)		गाड़ी दुर्घटनाओं में हुई रेल संपत्ति को क्षति (लाख रुपए में)
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	
मध्य	–	–	8	10	119.54
पूर्व	–	–	–	–	1.58
उत्तर	–	–	2	–	104.28
पूर्वोत्तर	5	119	3	2	20.35
पूर्वोत्तर सीमा	–	–	–	–	0.60
दक्षिण	7	21	5	5	132.78
दक्षिण मध्य	2	18	4	–	10.00
दक्षिण पूर्व	–	–	–	–	212.34
पश्चिम	–	1	2	9	84.13
	14	159	24	26	685.60

(घ) अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और दावाकर्त्ताओं द्वारा दुर्घटना संबंधी दावे दायर करने और रेल दावा अधिकरण द्वारा उनके संबंध में डिग्री देने पर उनका भुगतान किया जाएगा।

बहरहाल, घायलों और मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह के रूप में 2,32,250/-रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(ङ) दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किये गये संरक्षात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(एक) 10 वर्ष से कम की सक्रिय सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग की गई है और जिनमें कमी पाई गई है, उन्हें पाठ्यक्रमेतर गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

(दो) 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की भी विशेष स्क्रीनिंग की गई है और जिनके काम में कमी आई पाई गई है उन्हें संरक्षा से संबंधित पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

(तीन) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने अथवा ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों को साथ लेकर चलने वाले यात्रियों पर रोक लगाने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई ग्रुप तैनात किये गये हैं।

(चार) फील्ड संस्थापनाओं और कार्यकलापों की मौके पर जांच और निरीक्षण करने के लिए दो उच्च स्तरीय संरक्षा दलों को तैनात किया गया है, जो अपना काम कर रहे हैं।

(पांच) गाड़ियों की गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले कर्मचारियों को कड़ा दंड दिया जाता है जिसमें "बर्खास्तगी" और "सेवा से हटाया जाना" शामिल है।

(छः) रेलों के महाप्रबंधकों के लिए भिड़न्त को समाप्त करना एक मिशन के रूप में माना गया है।

(सात) पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 60,000 कर्मचारियों ने संरक्षा शिविरों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

(आठ) सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर पुराने रेलपथ के नवीकरण का काम पूरा किया जा रहा है।

(नौ) बिना चौकीदार वाले 500 समपारों पर 25 करोड़ रुपये की लागत से चौकीदारों की व्यवस्था की जा रही है।

(दस) राजधानी और शताब्दी मार्गों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई जा रही है।

(ग्यारह) चल स्टाक की सवारी एवं माल डिब्बा की दृष्टि से जांच को सुदृढ़ एवं युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सिगनलिंग फेल्योर होता है और हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपया सिगनलिंग सिस्टम पर खर्च करती है। लेकिन फिर भी ऐक्सीडेण्ट्स बंद नहीं होते हैं। जो आंकड़े दिये गए हैं, उसमें बताया है कि कुल 75 दुर्घटनाएं हुई हैं और डीरेलमेट के 56 केस हुए हैं। जो रुपया खर्च किया गया है उसका सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है यह मेरा 'क' प्रश्न है।

दूसरी बात यह है कि जो लेवल क्रोसिंग हैं यह अभी तक पूरी तरह मैन नहीं की गई हैं। उससे भी काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अनमैन्ड लेवल क्रासिंग्ज को कब तक मैन किया जाएगा यह मेरा 'ख' प्रश्न है।

तीसरी बात यह है कि रेलवे वाले जो ट्रैक रेनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं वह कब तक पूरा हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, जहां तक रेल दुर्घटनाओं का संबंध है, आज भी इनका सबसे बड़ा कारण मानव विफलता है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दुर्घटनाओं में अत्यधिक कमी आई है। यदि आप आंकड़े देखें तो दुर्घटनाओं की संख्या केवल 75 है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है : मध्य रेलवे -13, पूर्वी-3, उत्तरी-18, पूर्वोत्तर-9, पूर्वोत्तर फ्रंटीयर-4, दक्षिणी-10, दक्षिण मध्य-6 दक्षिण पूर्व-13, पश्चिमी-7 दुर्घनाएं। यह यातायात के घनत्व पर आधारित है। यदि आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि मानव विफलता के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या केवल 37 है। इनकी संख्या कम हुई है। उपकरण की विफलता जैसे सिगनलिंग और वह सब जिनके बारे में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या मुश्किल से 10 है। यदि आप आंकड़े देखें तो पाएंगे कि दुर्घटनाओं में अत्यधिक कमी है। विशेषरूप से जिन फाटकों पर रेलवे कर्मचारी तैनात नहीं हैं यदि आप देश का आकार और रेलवे नेटवर्क को देखें तो यह अधिक विशाल है। लेवल क्रोसिंग दुर्घटनाओं तथा विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनमोल जीवन समाप्त हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए जैसा कि सभी सदस्यों को इसकी जानकारी है पिछले बजट में हमने इस प्रयोजनार्थ लगभग 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सामान्यतः प्रत्येक लेवल क्रोसिंग पर यातायात का प्रतिवर्ष आंकलन किया जाता है और लेवल क्रोसिंग का उन्नयन किया जाता है। लेवल क्रोसिंग के उन्नयन के आधार पर हमने निर्णय किया कि यदि जहां रेलवे कर्मचारी लगाए जाने की आवश्यकता है वहां हम इन्हें लगाएंगे और यदि इस बारे में और अधिक किया जाना है हम यह करेंगे।

जैसा कि रेलवे ने पिछले बजट में निर्णय लिया है हम इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। हमने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है। पंचायती राज प्रणाली के शुरू होने से हम इस संबंध

में पंचायतों से भी चर्चा करना चाहते हैं ताकि हम उनका भी सहयोग ले सकें। और यह सुनिश्चित कर सकें कि हम इसको किस तरह व्यवस्थित करते हैं और लेवल क्रोसिंग दुर्घटनाओं को कम करते हैं।

लेवल क्रोसिंग दुर्घटनाओं के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेल की पटरी गांवों के बीच से होकर गुजरती है और रेलवे इसमें एक पार्टी बनती है। परंतु दुर्घटनाएं मुख्यतः सड़क का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की लापरवाही से होती है। अतः दुर्घटनाएं होने का यह कारक है।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : मेरा दूसरा प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय के लिए यह शर्म की बात है कि जिन 14 लागों की मौत हुई है उनके आश्रितों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। आप यह पैसा उनको कब तक दे देंगे इसकी कोई स्वीकृति नहीं है। उनके आश्रितों को सरकार के द्वारा डैथ सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन वे अनपढ़ होने के कारण क्लैम कैसे करेंगे? क्या आपके मंत्रालय से उनका क्लैम तैयार करने के लिए कोई आफिसर गया था या इसके लिए कोई कदम उठाए?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि लेवल क्रोसिंग पर कितनी दुर्घटनाएं हुई? इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। मेरा यह पूछना है कि सरकार मृतकों के आश्रितों को कब तक भुगतान कर देगी और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके अलावा उनके आश्रितों को कंपनसेटरी ग्राउण्ड पर नौकरी देने का सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है या नहीं, यह भी बताया जाए।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, दावों के संबंध में मैं यह कहूंगा कि यहां दावा न्यायाधिकरण तथा अर्द्ध-न्यायिक निकाय मौजूद हैं जहां दावा न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश भी होता है।

अब दावा न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब मुआवजा देने में कोई विलंब नहीं होता है। विलंब केवल उन व्यक्तियों की ओर से होता है जो पीड़ित होते हैं अथवा उनके निकट संबंधियों अथवा आश्रितों की ओर से होता है क्योंकि उन्हें यह सिद्ध करना होता है कि वे ही असली उत्तराधिकारी हैं। यदि वे यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उनकी ओर से विलंब होता है। यह रेलवे का दोष नहीं है। जब वह एक बार न्यायपालिका अथवा दावा न्यायाधिकरण के सामने सिद्ध करके उसे संतुष्ट कर देते हैं तो कोई विलंब नहीं होता है

इन सभी मामलों में हम बहुत शीघ्र मुआवजा देते रहे हैं। दावा न्यायाधिकरण में कोई मामला लंबित नहीं है और यहां मामले बहुत जल्दी निपटाये जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : बॉम्बे खड़गपुर मार्ग पर जो रेल दुर्घटना हुई उस पर जो रिपोर्ट मिली, उस संबंध में कोई कदम उठाएं?

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : जी, नहीं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से ऐसा लगता है कि अधिकांश रेल दुर्घटनाएं रेल के पटरी से उतर जाने के कारण हुई हैं। कुल 75 दुर्घटनाओं में से रेल के पटरी से उतरने से 56 दुर्घटनाएं हुई है जैसाकि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। इस संबंध में किए गए उपायों में पुरानी पटरियों का बड़े पैमाने में नवीनीकरण करना शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में कहा गया है कि सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर पुरानी पटरियों के नवीकरण का कार्य किया जा रहा है। रेलवे द्वारा यह एक उपाय किया गया है। मैं दिसम्बर, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान किए गए उपायों के ब्यौरे के बारे में जानना चाहूंगा। जहां तक पुरानी पटरियों के नवीकरण का संबंध हैं, विशेषरूप से मध्य तथा पश्चिमी रेलवे जहां अधिकांश दुर्घटनाएं रेल के पटरियों पर से उतरने के कारण हुई हैं, वास्तविक तथा वित्तीय रूप में क्या उपाय किए गए हैं?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, जहां तक रेलगाड़ियों का पटरी से उतरने का संबंध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह हमारी चिंता का विषय है, किसी गंभीर दुर्घटना अथवा इससे उत्पन्न किसी बात के कारण नहीं वरन् इससे समय-निष्ठा पर असर पड़ता है। यातायात के सुचारू आवागमन पर प्रभाव पड़ता है। जिससे समय-निष्ठा नहीं रहती है और इससे रेलवे की छवि खराब होती है।

अन्य बातों के अलावा रेलों की संरचना गाड़ियों के पटरियों से उतरने का एक कारण है। हम अनेक कदम उठा रहे हैं जिनमें रेल पटरियों की मशीनें भी शामिल हैं। अब हम एक अन्य नवीनतम उपकरण लगाने वाले हैं जो एक्स-रे ले सकता है। यदि हम उस उपकरण को राजधानी अथवा शताब्दी अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी इंजनों पर लगाते हैं तो यह पूरी पटरी की लम्बाई और चौड़ाई का एक्स-रे ले सकता है और यह एक ऐसा ग्राफ दिखाएगा कि पटरी कहां कमजोर है ताकि रेलवे इसे सही करने हेतु शीघ्र उपाय कर सके।

मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि रेलवे को अपनी छवि के बारे में अत्यधिक चिंता है। हम धनराशि को बरबाद नहीं करना चाहते हैं और मानव जीवन अथवा यात्रियों को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। रेलवे की छवि काफी हद तक सुरक्षा तथा समय-निष्ठा पर निर्भर करती है। हम इस बारे में काफी सजग हैं। यदि आप पिछले बजट और पूर्व बजट को देखेंगे, तो पाएंगे कि रेलवे ने सुरक्षा पहलू को प्रमुखता देने में अत्यधिक प्रयास किए थे और काफी निवेश किया गया था।

माननीय सदस्य, श्री शरद दिघे जी के विशेष प्रश्न का जिक्र करते हुए जहां तक पश्चिमी रेलवे का संबंध है, जैसा कि वे देख सकते हैं, यह संख्या केवल पांच है जोकि नाममात्र है, जबकि मध्य रेलवे में यह संख्या मुश्किल से 11 है। यदि आप मध्य रेलवे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को देखेंगें तो यह एक बहुत गंभीर बात नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी मंशा इसको और कम करने की होगी।

उर्वरकों का आयात

*3. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1992-93, 1993-94, और 1994-95 (दिसम्बर, 1994 तक) के दौरान आयात किए गए तथा देश में उत्पादित उर्वरकों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उर्वरकों का वर्ष-वार मूल्य कितना था;

(ग) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को इन उर्वरकों की सप्लाई हेतु वर्ष-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों की मांग और पूर्ति में अंतर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1992-93 से आयातित उर्वरकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(आंकड़े लाख टन में)

आयातित उर्वरक	1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर 94 तक)
यूरिया	18.57	28.40	20.64
डीएपी*	15.57	15.69	8.25
एमओपी*	17.61	14.28	15.45
एसओपी	0.05	–	–
एनपीके	1.30	–	–

* अनियंत्रण के पश्चात लागू तथा असरणिबद्ध आयात के आंकड़े लगभग मात्र हैं।

पोटाश का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं है क्योंकि देश में इस पोषक का कोई ज्ञात और वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं है।

नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश के परिवर्ती संयोजनों के साथ 18 किस्म के उर्वरकों का देश में उत्पादन किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान उत्पादित उर्वरकों की मात्राएं पोषकों के रूप में नीचे दी गई हैं :—

(मात्रा पोषकों के रूप में लाख टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	योग (एन+पी)
1992-93	74.30	23.06	97.36
1993-94	72.31	18.15	90.46
1994-95 (दिसम्बर तक)	58.26	17.83	76.09

(ख) फीडस्टाक, प्रौद्योगिकी, पुरानेपन तथा संयंत्र की स्थिति जैसे अनेक कारणों की वजह से स्वदेशी उर्वरकों की उत्पादन लागत संयंत्र-दर-संयंत्र तथा उत्पाद-दर-उत्पाद बदलती रहती है। उत्पादन लागतों और बाजार से प्राप्त मूल्य के बीच का अन्तर बाजार शक्तियों, लागू विनियमकारी ढांचे और राज सहायता नीतियों की वजह से है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी खाते में आयातित यूरिया के लागत और भाड़ा मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	सरकारी खाते में आयातित उर्वरकों का लागत और भाड़ा मूल्य (रु. करोड़)
1992-93	2216.00
1993-94	1300.18
1994-95 (दिसम्बर तक)	1180.47

(ग) सम्बद्ध वर्षों के दौरान कृषिगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए गये स्वदेशी और आयातित रासायनिक उर्वरकों पर दी गई राज सहायता निम्नानुसार है :—

वर्ष	नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता (रु. करोड़ों में)	नियंत्रित उर्वरकों पर विशेष रियायत (रु. करोड़ में)
1992-93	5796.11	339.73
1993-94	4398.97	517.33
1994-95 (दिसम्बर तक)	2944.72	145.00

(घ) फीडस्टाक और कच्चे मालों की उपलब्धतों में बाधाओं को दूर करने के लिए उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। संदर्भित अवधि के दौरान पोषकों के रूप में उर्वरकों की स्थापित क्षमता 113.53 लाख टन से बढ़कर 118.14 लाख टन हो गयी है। संपूर्ण क्षमता उपयोगिता को नाइट्रोजनी उर्वरकों के संबंध में 88 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक तथा फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स के संबंध में 82 प्रतिशत से 84.3 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गई है। इन स्रोतों से उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तर को आयातों के जरिये पूरा किया जाता है। उर्वरक कंपनियों को भी दूसरे देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक फीडस्टाक और कच्चे मालों से सम्पन्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे हुए वक्तव्य को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। वह मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है।

फर्टिलाईजर का प्रश्न खाद्यान्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अन्न का उत्पादन 188 मिलियन टन पर आकर टिक गया है, ऐसा लगता है। इसमें फर्टिलाईजर सम्बन्धी नीति कहां तक दोषी है, मैं फर्टिलाईजर उद्योग के बारे में कुछ पूछना चाहता था लेकिन मुझे कल से टेलीफोन आ रहे हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं लोक सभा में उठाना चाहता हूं वह यूरिया की उपलब्धि के बारे में है, यूरिया के बढ़ते दामों के बारे में है।

क्या यह सच है कि यूरिया उचित दर पर उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है? क्या उसके वितरण में दोष है? दोष के लिए किसको दंडित किया जा रहा है? यह व्यवस्था कैसे सुधारी जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, यूरिया की मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फास्फेट और पोटाश से कंट्रोल हटा दिया गया है और कीमतों में वृद्धि हुई है। अब नतीजा यह है कि केवल यूरिया का उपयोग हो रहा है जो कि जमीन के लिए ठीक नहीं है। मैं तो चूंकि उपभोक्ता हूं इसलिए उपभोक्ता का दृष्टिकोण रख रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि किसान को यूरिया उचित दर पर क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है और सरकार इसके बारे में क्या कदम उठा रही है? इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उपभोक्ता हैं, मैं तो खुद किसान हूं और इस संबंध में मैं बराबर ख्याल रखता हूं कि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे उपभोक्ताओं को सही चीज नहीं मिले और किसान को भी बहुत घाटा पहुंचाया जाए। यह सब सोच-समझ कर ही कदम उठाया जाता है। इसलिए जैसे ही...**(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा : मंत्री महोदय, 117 रुपए की यूरिया की एक बोरी मध्य प्रदेश में 300 रुपए में बिक रही है। **(व्यवधान)**

श्री राम लखन सिंह यादव : पहले आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरे जवाब से पहले ही लोग इतने क्यों उठ गए। अभी मैं माननीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस प्रकार से नहीं पूछिए। अगर कोई प्रश्न महत्व का है, तो उसको सुनकर और सोचकर पूछिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : किसानों में अत्यधिक आक्रोश है। ये सभा को गुमराह कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : चूंकि दोनों हाउस की एक जाइंट सिलैक्ट कमेटी बनी थी, उसने 1992 में ही फैसला कर दिया कि यूरिया को छोड़कर बाकी जो पोटाश और फास्फेट खाद है, उन पर से कंट्रोल हटा दिया जाए। इसलिए उन पर से कंट्रोल हटा दिया गया और अब केवल यूरिया पर कंट्रोल रह गया है। इसलिए मानी हुई बात है कि पहले की अपेक्षा इस बार यूरिया की ज्यादा डिमांड हुई। फास्फेट और पोटाश पर से कंट्रोल हटा दिया गया उसके चलते उसके दाम पर भी कुछ असर पड़ा, लेकिन इसके साथ-साथ जहां तक संभव है, उसका मेलकर के, सब चीज को ठीक करके, जो दाम तय हुआ था और जिस पर हम सबसिडी देते हैं उसको मिलाकर के जो यूरिया का दाम बढ़ा है, वह ज्यादा नहीं बढा है। **(व्यवधान)** आप सुनते नहीं हैं। आप पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह आबंटन और आपूर्ति घटने और बढ़ने का सिलसिला तीन पार्ट में होता है। पहला-एग्रीकल्चर विभाग में स्टेट गवर्नमेंट से जो डिमांड आती है, सब मिलकर तय करते हैं कि किस तरह की खाद कितनी और कहां से उपलब्ध हो सकती है उसके अनुसार जो मेरे पास डिमांड आती है, उसको उत्पादन के अनुसार सप्लाई करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में खाद जाए और यह काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यह अच्छा तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर प्रदेश में जो अधिकार स्टेट गवर्नमैंट का दिया हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग कौन करता है, कितना उचित दाम तय हुआ है और वह उससे ज्यादा लेता है, इसी एक्ट के अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी अधिकार है कि वे सब पर कार्यवाही करे। जब-जब अखबारों में आया है या माननीय सदस्यों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है तो हमारे विभाग की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट, वहां के चीफ मिनिस्टर या, वहां के चीफ सैक्रेटरी को लिख दिया गया है। उनको कटिंग देकर कहा गया है कि जहां-जहां इस तरह के केस हैं वहां उनकी प्रोपर जांच कराकर उस पर कानूनी कार्यवाही करें। यह आपका अधिकार है, यह हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता है। मैं कुछ प्रदेशों को जानता हूं जहां लोग कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग है, जो लोग व्यापार में इस तरह की गलती करते हैं, वहां उन पर एक भी केस नहीं किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि आप सभी चीजों को मेरे ऊपर लाद दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी उत्तर सुना। मंत्री जी अपनी जिम्मेवारी को टाल रहे हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव : हम अपनी जिम्मेवारी को समझा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी अपनी कुछ जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय को दे रहे हैं तथा कुछ राज्यों को दे रहे हैं जैसे केन्द्र का उससे कोई संबंध ही नहीं है। आखिर फर्टिलाइजर का उत्पादन, फर्टिलाइजर का वितरण, फर्टिलाइजर का आयात, इन सब में केन्द्र का दखल है। मंत्री महोदय ने कहा कि जो कीमतें बढ़ी हैं, वे ज्यादा नहीं बढ़ी हैं तो मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं। यह दूसरा सवाल

नहीं है। यह पहले सवाल का पूरक है। आप ऐसी कितनी कीमतें बढ़ायेंगे जो कि मंत्री महोदय के दिमाग में ज्यादा बढ गयी हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव : माननीय सदस्य तो बहुत सारे शब्दों का बढ़िया अर्थ निकाल लेते हैं। यह जो सवाल है उससे एग्रीकल्चर विभाग या स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागता है और न ही मैं भागता हूं। जिस तरह का काम है या गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया बनी हुई है, जो कानून है, जो पद्धति है, उसके अनुसार ही मैंने कहा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर विभाग से मिलकर तय करते हैं कि किस प्रदेश में कितनी खाद की या यूरिया की जरूरत है। जब यह तय हो जाता है तो एग्रीकल्चर विभाग से मेरे पास आ जाता है कि इस प्रदेश में इतनी यूरिया की असल खपत है। रबी में कितनी है और खरीफ में कितनी है। उसी के अनुसार...**(व्यवधान)** सभी जगहों को मिलाकर मैं दे देता हूं। मैं आपको यह बता दूं कि इतनी कठिनाई रहते हुए, यह जानते हुए कि हमारी अनेक फैक्ट्रियों की क्या हालत है, ओल्ड टैक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी हमने इस साल 10 परसेंट उत्पादन अधिक बढ़ाने का टारगेट बनाया है। अभी तक हमने 8 परसेंट तक बढ़ाया है। कुछ फैक्ट्रियों में कई तरह की कठिनाईयां हैं जिसके चलते हुए वह पूर्ण 10 परसेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमने इस साल 9 परसेंट तक प्रोडेक्शन बढ़ाया है। किसानों की जो आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार हम इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह से जो गेप होता है वह सब भरकर, जहां जितनी आवश्यकता है, उसे देते हैं। हम किसानों को खाद की कमी नहीं होने देते हैं और न ही होने देंगे ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी मेरा सवाल कहां है ...**(व्यवधान)** मेरा दूसरा सवाल कहां है। वह तो स्पष्टीकरण था कि कितना होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राय का प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह जवाब के लिए नहीं था। वह तो मंत्री महोदय को गलत पेश करने के लिए था। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि देश में फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये गये। मंत्री महोदय उनका उल्लेख कर रहे थे मगर वे कदम पर्याप्त नहीं हैं। अनेक कारखाने बंद पड़े हैं, अनेक घाटे में चल रहे हैं। पब्लिक सैक्टर में दो कारखाने एच एफ सी व एफ सी आई तो प्रारम्भ से ही घाटे में चल रहे हैं। कभी कहा जाता है कि उनका डिजाइन खराब है। कभी कहा जाता है कि इक्यूपमैंट दोषपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा आदमी भर लिये गये हैं। आरसीएफ तथा पीपीसी घाटे में है। फर्टिलाइजर के डी कंट्रोल होने से इस कारखाने को और भी ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। पीडीआईएल जो कभी मुनाफे में था, वह भी घाटे में चल रहा है।

उन कारखानों के घाटे में चलते हुए इम्पोर्ट, जिसके बारे में मेरा मुख्य सवाल था, को कैसे कम करेंगे? माना कि हमारे देश में भंडार के रूप में पोटाश उपलब्ध नहीं है लेकिन ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे फर्टिलाईजर और गुणवत्ता वाला हो और हम इस दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। आपने कदम क्यों नहीं उठाए?

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी तक जितने हमारे साधन हैं, उनके अनुसार हमने समुचित कदम उठाए हैं। मैंने कहा कि हमारी जो फैक्ट्रियां पुरानी टैक्नॉलॉजी की हैं, जिनमें बहुत सी खराबियां हैं, लोग भी ज्यादा हैं, उन फैक्ट्रियों से भी हमने इस साल 8 प्रतिशत तक प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसके अलावा अभी हमने 109 करोड़ रुपया दिया है ताकि कम से कम आगे के 6 महीने तक हम उन फैक्ट्रियों को चालू रख सकें जिनपर पहले से लगभग 69 करोड़ रुपये खर्च पड़ता था, लोगों को बैठे-बैठे पैसा देना पड़ता था। लगभग 40 करोड़ अधिक रुपये खर्च करके हमने एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. को फिर से चालू किया है। इनमे लगभग पांच फैक्ट्रियां आती हैं। इसी हालत में 90 हजार टन प्रति माह हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और 5 महीने में हम लगभग साढे चार लाख टन बढ़ा हुआ उत्पादन देंगे।

दूसरी तरफ जो लोग निजी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वे भी कुछ महीनों, सालों में प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा गैस आदि की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि दूसरे देशों में वहां की सरकार के साथ मिलकर, जहां गैस अधिक है, रॉ मैटिरियल अधिक मिलता है, हम अपनी फैक्ट्री कायम कर सकें। उसका पूरा प्रोडक्शन हमारे देश में आएगा और उनका शेयर उनको दे देंगे। इस तरह से ओमान, ईरान आदि तीन देशों से लिखा-पढ़ी हो गई है, 2-3 देशों से और चल रही है।

फर्टिलाईजर की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। हर किसान फल, धान आदि सब में खाद डालना चाहता है। यदि हम देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक हमने सौ गुना खाद का प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसके साथ-साथ हम बाहर से भी खाद लाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम कोई उपाय नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का है कि हम अपने ही देश में अधिक से अधिक खाद पैदा करें ताकि बाहर के देशों से कम मंगानी पड़े।

श्री उमराव सिंह : मंत्री जी ने कहा कि बाहर से डी.ए.पी. मंगाने का जो भाव होता है वही भाव रॉ मैटिरियल का होता है। जब यहां रॉ मैटिरियल आता है तो कारखानों में उसकी कीमत बढ़ जाती है और सारी सबसिडी कारखानेदारों को दी जाती है, किसानों को नहीं दी जाती। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब में यूरिया और दूसरे फर्टिलाईजर की जो ऐक्यूट शॉर्टेज है, उसे मंत्री जी कैसे पूरा करेंगे?

श्री राम लखन सिंह यादव : हमने आपसे पहले कहा कि जहां तक यूरिया का प्रश्न है, उसको तो हम सबसे अधिक अपने देश में पैदा करते हैं। बाकी का हमारे देश में रॉ मैटीरियल नहीं है इसलिए उस सबको हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। उसको हम फारेन कन्ट्रीज से मंगाते हैं, उसका भाव इस पर डिपैण्ड करता है कि इण्टरनेशनल मार्केट में उसका दाम क्या है। उसका दाम इण्टरनेशनल

मार्केट में घटता-बढ़ता रहता है लेकिन उसके बावजूद भी यहां यूरिया पर हम खुद अपने विभाग में सब्सिडी देते हैं दूसरे डिकन्ट्रोल्ड खाद जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर विभाग से आज भी 1000 रुपये प्रति टन सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए जहां-जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, वह हर तरह से सब्सिडी देकर, किसानों का ख्याल रखते हैं। खाद के प्रोडक्शन में कितना खर्च हुआ और फिर किसानों को कितने में देते हैं, उन दोनों का डिफरैंस सब्सिडी देकर हम पूरा करते हैं और किसानों को खाद कम दाम में देते हैं। किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, वह हमारा प्रयत्न है, वह जारी है और जारी रहेगा।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जो इम्पोर्टेड खाद है, उसमें और रा मैटीरियल के भाव में कितना फर्क है? इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्रीमती लवली आनंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बिहार में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मैं आज बिहार से सम्बन्धित मामला उठाऊंगी, क्योंकि यह मेरे मान-सम्मान का प्रश्न है। वहां दो घटनाएं हुई हैं। वहां अभियुक्त को मारा गया...

अध्यक्ष महोदय : आप इसे क्वश्चन आवर के बाद उठायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में उठायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं , ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, इनकी पूरी पार्टी ने बिहार में अव्यवस्था फैला रखी है। कम से कम इन्हें सदन में अव्यवस्था न फैलाने दें। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह यहां भी अव्यवस्था फैला रही हैं।

11.46 म.पू.

(इस समय श्रीमती लवली आनंद आईं और सभा पटल के निकट बैठ गईं) (व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह अत्यधिक उत्तेजनशील है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप जरा मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, उन्होंने एक आई.ए.एस. अधिकारी श्री कृष्णैया की हत्या की है जो एक गरीब परिवार तथा कमजोर वर्ग के थे। मैं भी आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं उन्होंने क्रूरता से उसकी हत्या की है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्हें उसके परिवार की कोई चिंता नहीं है...**(व्यवधान)** उन्हें यह निर्णय लेने का क्या अधिकार है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मुझे उनसे बात करने दें। महोदया क्या आप मेरी बात सुनेंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आपने जो कहा है, वह इस प्रकार रिकार्ड में नहीं जाता है। आप अपनी बात अगर अच्छी तरह से कहेंगी तो वह बात रिकार्ड में जायेगी और उसके ऊपर कुछ काम और कार्यवाही करना जरूरी हुआ तो वह भी किया जायेगा। आप नई मेम्बर हैं। मैं क्वश्चन आवर के बाद आपको यह मामला उठाने दूंगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिये। आपको जो दुख, दर्द और चिंता है, उस पर सदन में ठीक तरीके से विचार करना जरूरी है तो वह हम जरूर करेंगे। आप इस प्रकार से मत कीजिये। इसकी वजह से आप ही गलत कठघरे में आ जाती हैं। आप अपनी जगह पर बैठिये । मैं आपको एलाऊ करूंगा।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कीजिये। इसका कोई उपयोग नहीं होगा। मैं आपको बाद में बोलने दूंगा। हमसे जो मदद हो सकती है, वह हम करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे।....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तरीके से बोलेंगी तो आपको आश्वासन मिलेगा। अगर नहीं बोलेंगी तो आश्वासन भी नहीं मिलेगा, उल्टी कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार से संसद में नई शुरूआत मत कीजिये। आप अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मैं नहीं देता हूं, सरकार को देना होता है। बहुत सारी चीजें हम आपको बाद में समझा देंगे, आप अभी जाकर अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप अपने पार्लियामेंट्री कैरियर की शुरूआत ऐसे मत करिए।

11.51.म.प.

(इस समय श्रीमती लवली आनन्द अपने स्थान पर वापस चली गई)

अध्यक्ष महोदय : हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।

[अनुवाद]

मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो निजी डीलर्स और प्राइवेट डीलर एन.एफ.एल. द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे किसानों को एक्यलायट करते हैं। खाद की कमी के साथ-साथ उनको घटिया किस्म के इन्सैक्टिसाइड्स और पैस्टिसाइड्स ज्यादा से ज्यादा दे देते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, ये जो प्राइवेट डीलर्स नियुक्त किए जाते हैं, उनके स्थान पर मार्केटिंग सोसायटीज को खाद के वितरण का उत्तरदायित्व देने का विचार करेंगे?

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक बहुत तरह के सुझाव मिले हैं। कुछ कहते हैं कि सिर्फ को-आपरेटिव्ज के जरिए हो, कुछ कहते हैं कि रजिस्टर्ड लोगों की जो सोसायटीज हैं, उनके जरिए हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट ट्रेड के जरिए इसको किया जाए। इन सबको मिला-जुलाकर कंपनी ने जो तय किया है, उसके आधार पर डीलर्स बनते हैं। इसके नियम-कानून बने हुए हैं। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि कहीं इस तरह की कमी है, कहीं पर किसी तरह की खराबी है या इस तरह का कोई चार्ज हो, तो मैं राज्य सरकार और संबंधित कंपनी को लिख दूंगा। हम जो समझते हैं, हमारा कर्तव्य है, उसका मैं पालन करूंगा, ताकि माननीय सदस्य समझें कि हमारे स्तर से जो संभव हो सकता है, वह किया जा रहा है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यूरिया से उत्तरोत्तर अभाव के लिए कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है? विगत 6 माह में राज्य में कितना यूरिया आबंटित किया गया है? यूरिया का आबंटन कंपनियों द्वारा विक्रेताओं को किस आधार पर किया गया है और पिछले 6 माह में बिहार में कितने नए डीलरों को सरकार ने नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही है?

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जितने प्रश्न उठाए गए हैं, उन सबका उत्तर मेरे पास नहीं है कि कौन-कौन डीलर हैं, कहां-कहां हैं और कैसे-कैसे किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बिहार प्रदेश को जितना देना चाहिए था, पहले जितना मिलता था, उससे ज्यादा दिया है। जहां से आप और हम आते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सवाल पूछा था और उसका जवाब यह दिया गया था कि मैं स्वप्नलोक में विचरता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था और आज मेरी उस बात में सच्चाई नजर आ रही है। आज यूरिया मंहगा हो गया है और यूरिया का प्रोडक्शन घट गया है, जबकि यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ा है और जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा रहा है। खाद का अभाव पैदा किया जा रहा है। मैंने उस समय सवाल पूछा था, आज फिर पूछना चाहता हूं, क्या यह योजनानुसार खाद का अभाव पैदा किया जा रहा है? सरकार इस अभाव को दूर करने के लिए विदेशों के गोबर आयात कर रही है। जब मैंने यह बात पिछली बार कही थी, तो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि आप गलतब्यानी कर रहे हैं। मगर तीन दिन के बाद अखबारों में इस बारे में आया कि हिन्दुस्तान की सरकार गोबर आयात कर रही है। इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विदेशों से इस प्रकार की सांठ-गांठ हो रही है, विदेशी आयात बढ़ाने के लिए, क्या विदेशों से फर्टिलाइजर ज्यादा मंगाने के लिए हिन्दुस्तान के कारखानों की जो क्षमता है उसको कम किया जा रहा है? क्या पुराने कारखाने रोके जा रहे हैं, खराब किए जा रहे हैं उनकी रिपेयर नहीं की जा रही है और जो नये कारखाने हैं उनको कच्चा माल नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे मुझे विदेशी षडयंत्र की बू आ रही है। क्या यह सच है कि विदेशी आयात करने के लिए स्वदेशी कारखानों को चौपट किया जा रहा है और गोबर आयात करने का भी एक षडयंत्र रचा जा रहा है?

श्री राम लखन सिंह यादव : गोबर का आयात किया जा रहा है, यह बिल्कुल असत्य है। बाकी सब प्रश्नों का जवाब मैं पहले दे चुका हूं।...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि असत्य है। मगर आज से 2-3 महीने पहले अखबारों में गोबर आयात के विवरण छपे थे कि कितना-कितना किस-किस देश से आ रहा है क्या सरकार ने उसका कंट्राडिक्शन किया।...**(व्यवधान)** सरकार ने उसका खंडन क्यों नहीं किया।...**(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : यह गलत बात है। यह बेबुनियाद बात करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इस बात को समझें कि सभा पटल पर दिए गए वक्तव्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री छोटे सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, यद्यपि माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु फिर भी यह एक सच है अन्य देशों की तुलना में उर्वरकों की प्रति हैक्टयर खपत अत्यधिक कम है। उपरोक्त तथ्य को देखते हुए कि सिंचाई क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से नहीं हो रहा है। इसका एक ही समाधान यह होगा कि उर्वरकों की बढ़ी हुई खपत के माध्यम से अधिक उत्पादन करना।

अतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करेगी और जी.वी.के. राव समिति की उस रिपोर्ट को महत्व देगी जिसमें सुझाव दिया गया था कि उर्वरकों के मूल्य तीन वर्षों में एक बार सात प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाए जाने चाहिए अन्यथा इसका उर्वरकों की खपत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? पिछले तीन वर्षों में ऐसा हुआ है।

अतः, क्या सरकार आगे आएगी और स्पष्ट रूप से इस सभा को आश्वस्त करेगी कि वह जी.वी.के. राव समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की अवज्ञा करेगी और पोटाश तथा फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों को कम करेगी।

श्री राम लखन सिंह यादव : मान्यवर, एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न का उपभाग जोड़ दिया जाता है, इसमें दिक्कत होती है। मैंने पहले कहा कि हमारे यहां किसानों की डिमांड हर रोज, हर साल बढ़ रही है। उनमें खाद ज्यादा से ज्यादा लगाने की मनोवृत्ति बढ़ रही है। यह भी सही है कि और देशों की अपेक्षा हमारे यहां पहले किसान इतना जानते नहीं थे और अब जानने लगे हैं। तो ठीक है उनकी जो डिमांड बढ़ रही है उस रेशियो में हम अपना उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। उसका हमने आंकड़ा भी दिया है, लेकिन जितना हमको अपने देश में चाहिए उस दृष्टिकोण से हमारी कमी है उस कमी को हम इम्पोर्ट करके पूरा करते हैं और साथ-साथ प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव जहां तक हो सके, पूरा करें।...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : दाम कम कर रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है और आप ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, दाम जो तय हुआ है वह 2 वर्षों से चल रहा था और उसके साथ हमने इस साल बढ़ाया है। हमने जो वृद्धि की वह कृषि पर , कृषि विभाग ने जो अन्न की खरीद का दाम बढ़ा दिया है उस रेश्यों में कम है और तीन साल से यूरिया का दाम कुल मिलाकर साढ़े आठ परसैंट से अधिक दाम नहीं बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**

श्री छोटे सिंह यादव : महोदय, वार्षिक आबंटन के वक्त मेनुफेक्चरिंग कंपनियां राज्य सरकार को आश्वासन देती हैं कि हम फलां वर्ष में इतनी खाद आपके स्टेट को सप्लाई करेंगे। माननीय मंत्री जी के निर्देशों पर या अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश को जिन कंपनियों ने आश्वासन दिया था उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि क्या यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि जिन कंपनियों ने वार्षिक आश्वासन पूरे नहीं किये उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और अगर की जाएगी तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की आवश्यकतानुसार उसकी क्वांटिटी बढ़ाने पर विचार करेगी?

12.00 मध्यान्ह

श्री राम लखन सिंह यादव : भारत सरकार से जहां-जहां हमको आवंटित करना था वह तो हमने किया ही है लेकिन जहां-जहां डिमांड पहले कुछ कम आई, बाद में वहां के मुख्यमंत्री या अन्य सूत्रों ने जो हमसे मांगा, वो भी हमने दिया है। हमने यह भी कहा है कि जो डिमांड आई हैं वो भी हमने एक-दो दिन पहले पूरी की हैं और जहां-जहां भी आवश्यकता है उसको भी देंगे। हमने पिछले साल और इस साल कितना दे दिया है और जो अभी देने वाले हैं उसकी एक प्रति मैं सदन के पटल पर रख दूंगा जिससे लोग उसको देखें और कहें कि कहां-कहां कमी रह गयी है।

श्री छोटे सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कृषि भूमि

*4. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचपचर्षीय योजना के अंत में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पाने के लिए कृषि भूमि के विस्तार और विकास की भी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाद-रहित अतिरिक्त भूमि विवरण और विकास हेतु पड़ी है;

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस भूमि का उचित वितरण करने के लिए कहा है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति में एक प्रणाली संबंधी दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रमुख फसलों के बारे में अभिवृद्धि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से विद्यमान कृष्य भूमि से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों में सभी ऋणभारों से मुक्त उपलब्ध भूमि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के वितरण से संबंधित मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है जिनमें राजस्व/मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भी शामिल हैं। इनमें राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अधिकतम सीमा से अधिक उपलब्ध भूमि के शीघ्रता से वितरण के लिए प्रशासनिक तथा विधिक दोनों प्रकार के उपाय करें।

(ङ) और (च). जी, हां। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को लागू करने के लिए 1972 में आयोतित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

सभी ऋणभारों से मुक्त वितरण हेतु उपलब्ध क्षेत्र

(सितम्बर, 1994 की स्थितिनुसार)

क्षेत्र एकड़ में

क्र.सं.	राज्य	वितरण हेतु उपलब्ध निवल क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6886
2.	असम	38040
3.	बिहार	4515
4.	गुजरात	19114
5.	हरियाणा	4483
6.	हिमाचल प्रदेश	4183
7.	जम्मू और कश्मीर	5575
8.	कर्नाटक	शून्य
9.	केरल	2382
10.	मध्य प्रदेश	959
11.	महाराष्ट्र	631
12.	मणिपुर	3
13.	उड़ीसा	696
14.	पंजाब	89
15.	राजस्थान	7896
16.	तमिलनाडु	796
17.	त्रिपुरा	-
18.	उत्तर प्रदेश	947
19.	पश्चिम बंगाल	-
संघ शासित क्षेत्र		
20.	दादर और नगर हवेली	343
21.	दिल्ली	63
22.	पाण्डिचेरी	81
	अखिल भारत	97632

विवरण-II

23 जुलाई, 1972 को हुई कृषि जोतों के लिए अधिकतम सीमा पर हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर बनाए गए दिशा-निर्देश

1. अधिकतम सीमा का स्तर

(I) सुनिश्चित सिंचाई तथा वर्ष में कम से कम दो फसलें पैदा करने की क्षमता रखने वाले राज्य में सबसे श्रेष्ठ कोटि की भूमि पर, मृदा की उर्वरता और जल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10 से 18 एकड़ के क्षेत्र पर अधिकतम सीमा होनी चाहिए।

निजी स्रोतों से सींचे जाने वाली भूमि तथा वर्ष में कम से कम दो फसलें देने की क्षमता रखने वाली इस प्रकार की 1.25 एकड़ भूमि को ऐसी । एकड़ भूमि के समान मानने की अनुमति दी जानी चाहिए जो सार्वजनिक स्रोतों द्वारा सींची जाती हो और जिसमें वर्ष में दो फसलें उगाए जाने की क्षमता हो। इस प्रकार की निजी स्रोतों द्वारा सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा, तथापि, 18 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

"निजी स्रोतों से सिंचाई" शब्दों का अर्थ है, बारहमासी जल स्रोत से डीजल तथा/अथवा बिजली की शक्ति से परिचालित ट्यूबवैल अथवा लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई करना।

15 अगस्त, 1972 के अनुवर्ती निजी सिंचाई योजना के समाप्त होने के फलस्वरूप अधिकतम सीमा कानून के उद्देश्य से नीचे दिए गए खण्ड (2) तथा (3) में संदर्भित श्रेणियों में आने वाली भूमि का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाएगा।

(II) उस भूमि के मामले में जहां वर्ष में केवल एक फसल के लिए ही सिंचाई सुनिश्चित है, वहां अधिकतम सीमा 27 एकड़ से अधिक नहीं होगी।

(III) अन्य सभी प्रकार की भूमि के लिए अधिकतम सीमा 54 एकड़ से अधिक नहीं होगी। उन क्षेत्रों में जहां सिंकिंग नलकूपों की संभाव्यता है, उन शुष्क क्षेत्रों में अधिकतम सीमा राज्य सरकार के निर्णयानुसार 54 एकड़ से कम रखी जा सकती है।

(IV) विशेष मामलों जैसे मरूस्थलीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में श्रेणी (III) के लिए अधिकतम सीमा में छूट दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को विशेष मामलों में अधिकतम सीमा कानून का प्रतिपादन करने से पहले कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श करना चाहिए।

(V) उन मामलों में जहां मालिक के पास विभिन्न प्रकार की भूमि वाली जोतें हों, अच्छी श्रेणी की भूमि को न्यूनतम श्रेणी की भूमि में बदलने के पश्चात कुल जोतें 54 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. अधिकतम सीमा के अनुप्रयोग का एकक

(I) अधिकतम सीमा के अनुप्रयोग का एकक एक पांच सदस्यों का परिवार होगा जिसमें "परिवार" शब्द से तात्पर्य है-पति, पत्नी तथा नाबालिक बच्चे। जहां परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक होगी, प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की अनुमति इस प्रकार दी जाएगी कि एक परिवार को स्वीकार्य कुल क्षेत्र पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए अधिकतम सीमा के दुगने से अधिक न हो। अधिकतम सीमा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा रखे कुल क्षेत्र पर लागू होगा।

(II) जहां पति और पत्नी दोनों के पास अपने स्वयं के नाम पर भूमि है, वहां उनका उच्चतम सीमा के लिए आवेदन से पहले प्रत्येक द्वारा रखी भूमि के मूल्य के अनुपात में अधिकतम सीमा के अंदर सम्पत्ति में अधिकार होगा।

(III) अधितम सीमा के लिए आवेदन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैयक्तिक कानूनों की अलग-अलग पद्धतियों द्वारा नियंत्रित वयस्क बच्चों में कोई मतभेद न हो।

3. अनुदर्शी प्रभाव

संशोधित अधिकतम सीमा के कानून को दिनांक 24 जनवरी, 1971 से अनुदर्शी शुरूआत की जानी चाहिए। अधिकतम सीमा के कानून में यह स्पष्ट करते हुए विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि उस तारीख के बाद भूमि में किए गए किसी भी अंतरण के वास्तविक स्वरूप को सिद्ध करने की जिम्मेवारी अंतरणकर्त्ता पर होगी।

4. छूट

(I) चाय, कॉफी, रबड़, इलायची और कोको के रोपण में छूट जारी रहेगी।

(II) भूदान यज्ञ समिति, सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय या राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा रखी भूमि पर छूट जारी रहेगी। इसी प्रकार, औद्योगिक या व्यापारिक संस्थानों द्वारा गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु रखी भूमि को अधिकतम सीमा के कानून से छूट दी जाएगी।

(III) पंजीकृत सहकारी कृषि समितियों के मामले में छूट इस शर्त पर स्वीकृत की जाएगी कि सदस्य के अधिकतम सीमा वाले क्षेत्र का परिकलन करते समय सहकारी समिति में अन्य भूमि सहित उसके अंश को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(IV) कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि कालेजों, कृषि विद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा रखी भूमि को अधिकतम सीमा के कानून से छूट दी जानी चाहिए।

(V) राज्य सरकारें अपने विवेक से सार्वजनिक प्रवृत्ति के विद्यमान धार्मिक, चैरिटेबल और शैक्षणिक न्यासों को छूट दे सकते हैं। संस्थानों या न्यायों को काश्तकारी कानून के प्रचालन से छूट नहीं दी जाएगी और भूमि के सभी कृषकों को सभी मध्यस्थ लाभों को छोड़कर न्यासों या संस्थानों के सीधे सम्पर्क में लाया जाना चाहिए।

निजी ट्रस्टों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

(VI) सार्वजनिक किस्म की विद्यमान गौशालाओं और विद्यमान अस्तबलों के मामले में राज्य सरकारें कृषि मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकती हैं।

(VII) गन्ना फार्मों के मामले में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए गन्ना मिलों को 100 एकड़ से अनधिक क्षेत्र रखने की अनुमति दी जाए।

(VIII) विद्यमान फलोद्यानों की अधिकतम सीमा के प्रयोजन हेतु उन्हें वीरानी भूमि माना जाए और कोई अतिरिक्त भूमि रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसी कि पहले सिफारिश की गई है। नारियल और सुपारी के बाग, केले के उद्यान, अमरूद के बाग और अंगूर के यार्डों को फलोद्यान नहीं माना जाएगा। सरकार में निहित अतिरेक फलोद्यान भूमि का जब वितरण किया जाता है तो अधिन्यासी को फलोद्यान को उसी तरह बनाए रखना चाहिए।

(IX) अन्य सभी विद्यमान छूट, जिनमें वीरता पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि संबंधी छूट भी शामिल है, वापिस ले ली जानी चाहिए।

5. प्रतिपूर्ति

(I) अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के लागू किए जाने से संबंधित अतिरेक भूमि के लिए देय प्रतिपूर्ति को परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से काफी कम निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि यह नए आबोंटियों, जो कि मुख्यतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, की भुगतान क्षमता के भीतर हो।

(II) प्रतिपूर्ति को ग्रेडों/स्लैबों में और तरजीह के तौर पर भूमि के लिए देय भू-राजस्व के गुणकों में निर्धारित किया जाना चाहिए।

(III) प्रतिपूर्ति की योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर कोई वित्तीय भार न पड़े।

6. अतिरेक भूमि का वितरण

अतिरेक भूमि का वितरण करते समय, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7. नए कानून के बनाए जाने के लिए लक्ष्य

संशोधित अधिकतम सीमा संबंधी कानून 31 दिसम्बर, 1972 तक बना लिए जाने चाहिए।

8. संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

सभी संशोधित कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

9. कार्यान्वयन

कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर होगी। वे समुचित स्तरों पर गैर-सरकारी निकायों की स्थापना करेंगे और अधिकतम सीमा संबंधी कानून के संचालन के लिए सक्षम सरकारी संगठन बनाएंगे। किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित विशेष परिस्थितियों के कारण दिशानिर्देशों में कोई प्रासंगिक परिवर्तन किया जाना जरूरी हो तो उसके बारे में केन्द्र सरकार से सहमति प्राप्त करनी होगी।

[अनुवाद]

समुद्री संसाधन

*5. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मात्स्यिकी के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए राज्य-वार कितनी सहायता दी गई?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण समय-समय पर किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों का अभिनिर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है :-

समुद्री मत्स्य संसाधन

(1) तट-रेखा की लंबाई	8129	किलोमीटर
(2) कान्टीनेंटल शेल्फ	5.04	लाख वर्ग कि.मी.
(3) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जैड)	20.20	-वही-
(4) अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता	39	लाख मी. टन
(क) 50 मीटर गहरे तक के क्षेत्र से	22.1	लाख मी. टन
(ख) 50 मीटर गहरे से अधिक के क्षेत्र से	16.9	लाख मी. टन

अंतर्देशीय मत्स्य संसाधन

(1) नदियां और नहरें	1.73	लाख किलोमीटर
(2) जलाशय	20.90	लाख हैक्टेयर
(3) टैंक और तालाब	22.54	लाख हैक्टेयर
(4) बील्स, आक्स-बो झीलें, पानी वाले परित्यक्ता क्षेत्र, इत्यादि	13.00	लाख हैक्टेयर
(5) खारे पानी वाले क्षेत्र	12.35	लाख हैक्टेयर
(6) अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता	45	लाख मी. टन

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने मत्स्यन क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मत्स्य नीति प्रतिपादित करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। इस विशेषज्ञ दल में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों राज्य सरकारों, निजी संस्थाओं और व्यक्ति-विशेषों, जो भारत में मत्स्यन क्षेत्र के विभिन्न क्रियाकलापों से निकट तौर पर जुड़े हैं, को सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है।

(ङ) समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दी गई राज्य-वार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-II पर है।

विवरण–I

1993 में राज्य अंतर्देशीय तथा समुद्री मत्स्य संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अंतर्देशीय					समुद्री	
		नदी और नहरों की लंबाई (कि.मी.)	जलाशयों का क्षेत्र (लाख है.)	टैंकों व तालाबों के तहत क्षेत्र (ला. है.)	बील्स, आक्सबों झीलें व परित्यक्त पानी के क्षेत्र (लाख है.)	खारा पानी (लाख है.)	कीन्टी–नेंटल शेल्फ (हजार वर्ग कि.मी.)	तटरेखा की लंबाई कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	—	0.64	31	974
2.	अरुणाचल प्रदेश	2000	—	0.01	0.03	—	—	—
3.	आसाम	4820	0.55	0.21	1.10	—	—	—
4.	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	—	—	—
5.	गोवा	250	0.03	0.03	—	—	10	104
6.	गुजरात	3865	2.43	0.71	—	0.95	164	1600
7.	हरियाणा	5000	—	0.10	0.10	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	3000	0.04	0.01	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	27781	0.07	0.17	0.06	—	—	—
10.	कर्नाटक	9000	2.11	3.52	—	0.08	25	300
11.	केरल	3092	0.30	0.03	×	2.43	40	590
12.	मध्य प्रदेश	20661	2.91	1.17	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	3200	2.79	0.32	—	0.10	112	720
14.	मणिपुर	3360	0.01	0.05	0.40	—	—	—
15.	मेघालय	5600	0.08	0.02	—	—	—	—
16.	मिजोरम	1748	—	0.02	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	1600	0.17	0.50	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	4500	2.56	0.64	1.80	4.33	24	480
19.	पंजाब	15270	—	0.07	—	—	—	—
20.	राजस्थान	उ. न.	1.20	1.80	—	—	—	—
21.	सिक्किम	900	—	—	0.03	—	—	—
22.	तमिलनाडु	7420	0.53	2.24	5.24	0.56	41	1000
23.	त्रिपुरा	1200	0.05	0.12	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	31200	1.50	1.62	1.33	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	2526	0.17	2.76	0.42	2.10	17	157
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	115	0.01	0.30	—	1.15	35	2000
27.	चण्डीगढ़	2	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	दादर व नगर हवेली	54	0.05	—	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	12	—	—	—	—	—	27
30.	दिल्ली	150	0.04	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	4	132
32.	पांडिचेरी	247	—	—	0.01	0.01	1	42
	कुल :	173287	20.90	22.54	13.00	12.35	504	8129

— : शून्य या नगण्य

× : खारे पानी के क्षेत्र में शामिल

उ.न. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य/संघ शासित सरकारें।

विवरण–II

अंतर्देशीय व समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए 1991–92 से 1993–94 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	80.51	238.54	76.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	8.00	13.00
3.	असम	10.41	20.35	84.45
4.	बिहार	42.05	49.00	72.75
5.	गोआ	54.03	4.70	7.45
6.	गुजरात	199.56	244.30	397.97
7.	हरियाणा	31.50	45.75	104.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.10	12.10	7.11
9.	जम्मू और कश्मीर	2.15	12.00	27.00
10.	कर्नाटक	49.03	93.37	188.31
11.	केरल	591.49	578.02	1040.38
12.	मध्य प्रदेश	92.83	65.46	202.56
13.	महाराष्ट्र	237.36	23.20	241.95
14.	मणिपुर	5.29	34.00	7.00
15.	मेघालय	—	1.00	1.00
16.	मिजोरम	1.00	29.50	8.00
17.	नागालैण्ड	1.00	27.00	2.00
18.	उड़ीसा	961.07	1664.33	1376.08
19.	पंजाब	32.00	61.00	27.00
20.	राजस्थान	1.00	33.43	38.09
21.	सिक्किम	—	2.00	1.00
22.	तमिलनाडु	142.54	502.15	1189.54
23.	त्रिपुरा	10.03	14.18	24.73
24.	उत्तर प्रदेश	139.09	178.37	235.37
25.	पश्चिम बंगाल	235.27	219.00	250.21
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.15	4.08	6.08
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन और दीव	10.28	4.70	8.38
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	2.59	0.53	0.80
32.	पांडिचेरी	57.36	49.87	54.65

पर्यटक रेलगाड़ियों का गैर–सरकारीकरण

*6. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटक रेलगाड़ियां चलाने हेतु गैर–सरकारी कंपनियों को ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये ठेके किन–किन मार्गों के लिए दिए गए हैं?

रेल-मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). 1997-98 तक पांच मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग के राष्ट्रीय पर्यटन सहयोग कार्यक्रम हेतु परिवहन अवसंरचनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए मई, 1994 में रेल मंत्रालय द्वारा लोकप्रिय पर्यटक सर्किटों पर पैलेस-ऑन-व्हील्स किस्म की पर्यटन गाड़ी सेवाओं के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन हेतु विश्वव्यापी बोलियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त की गई 23 बोलियों की जांच करने के बाद निम्नलिखित पार्टियों को चार सर्किटों पर 5 पर्यटन गाड़ियों के लिए ठेके प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है :-

सर्किट	पार्टी का नाम
(1) दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी (खजुराहो)-वाराणसी-लखनऊ- दिल्ली	(1) मैसर्स स्टर्लिंग होली-डे रिसोर्ट्स इंडिया प्रा. लि., मद्रास
(2) बम्बई-औरंगाबाद (अजंता/एलौरा)-नांदेड-सिकन्दराबाद-हैदराबाद-पुणे-बंबई	(2) मैसर्स एस.एस. पाटिल, सिकन्दराबाद
(3) गोवा (मडगांव)-मंगलौर-मैसूर (बेलूर/हेलविड)-होसपेट (हम्पी)-बेंगलूर-गोवा (मडगांव)	(3) मैसर्स ईस्ट वैस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक्स लि., नई दिल्ली।
(4) बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडईकनाल रोड़-कन्याकुमारी-तिरुवनन्तपुरम-कोचीन-मेटुपालेयम (उद्कमण्डलम)-बैंगलूरू	(4) मैसर्स स्टर्लिंग होली-डे रिसोर्ट्स इंडिया प्रा. लि., मद्रास और (5) मैसर्स एल.एस. पाटिल, सिकन्दराबाद

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री

*7. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी कंपनियों का गुमराह करने वाले पैकेटों में बंद उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरंक्षण देने हेतु संशोधित नियमों में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियमों की शीघ्र पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) प्रस्तावित संशोधनों में जनसाधारण के विचारों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). उपभोक्ताओं को भ्रामक पैकेटों में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध सरंक्षण देने से संबंधित प्रावधान अनेक कानूनों में मौजूद हैं। कुछ कानूनों की सूची नीचे दी गई है :-

(1) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977,

(2) उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986,

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969,

(4) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश,

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954।

(ग) और (घ). जहां तक बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 तथा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, का संबंध है आवश्यकता पड़ने पर इनकी पुनरीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। मंत्रालय किसी भी उपबंध में कोई संशोधन करने से पहले जनता की राय को ध्यान में रखता है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सूचित किया है कि वे भी उनके द्वारा प्रशासित कानूनों के उपबंधों में संशोधन करने से पहले जनता की राय को ध्यान में रखते हैं।

[अनुवाद]

वानिकी के लिए विदेशों से धनराशि

*8. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वानिकी परियोजनाओं के लिए किन्हीं एजेंसियों से धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन-वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है और परियोजनावार कितना क्षेत्र शामिल किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। विश्व बैंक, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा); आवरसीज इकोनॉमिक कोआपरेशन फंड (आई ई सी एफ), जापान ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ डी ए), यू. के., जर्मन संघीय गणराज्य तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय देश में वानिकी परियोजनाओं को निधियां प्रदान कर रहे हैं।

(ख) 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान देश में वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में 479.78 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) परियोजना-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों (अप्रैल 1991 से मार्च 1994 तक) के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त वनरोपण के कार्यान्वयन की प्रगति।

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	सहायता देने वाली एजेंसी	परियोजना अवधि	अप्रैल, 1991 से मार्च, 1994 तक प्रगति	
				व्यय (करोड़ रुपयों में)	भौतिक उपलब्धि (अंतर्गत लाया गया क्षेत्र हैक्टेयर में)
1.	सामाजिक वानिकी परियोजना, बिहार	सीडा	1985-86 से 1991-92	6.59	7741
2.	सामाजिक वानिकी परियोजना, कर्नाटक	विश्व बैंक ओडिए	1983-84 से 1991-92	15.18	8655
3.	सामाजिक वानिकी परियोजना, केरल	विश्व बैंक	1984-85 से 1992-93	22.86	9144
4.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना, (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात)	विश्व बैंक/यू.एस.ए. आई.डी.	1985-86 से 1992-93	243.15	406878
5.	वानिकी विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	1992-93 से 1996-97	27.93	105680
6.	वानिकी सेक्टर परियोजना, महाराष्ट्र	विश्व बैंक	1992-93 से 1997-98	26.85	27465
7.	सामाजिक वानिकी परियोजना, तमिलनाडु	सीडा	1988-89 से 1992-93	68.52	50751
8.	सामाजिक वानिकी परियोजना, उड़ीसा	सीडा	1988-89 से 1992-93	71.07	42605
9.	डूंगरपुर समेकित परतीभूमि विकास परियोजना, राजस्थान	सीडा	1992-93 से 1996-97	2.07	504
10.	अरावली पहाड़ियों पर वनरोपण, हरियाणा	ईईसी	1990-91 से 1997-98	32.41	17850
11.	इंदिरा गांधी, नहर राजस्थान के साथ वनरोपण	ओईसीएफ (जापान)	1990-91 से 1994-95	28.25	18746
12.	अरावली पहाड़ियों में वनरोपण, राजस्थान	ओईसीएफ (जापान)	1992-93 से 1996-97	42.80	40340
13.	पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरण परियोजना, कर्नाटक	ओडीए (यू.के.)	1992-93 से 1996-97	14.81	7722
14.	चैंगर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लिए वानिकी और पारि-विकास परियोजना	एफआरजी	1994-95 से 1998-99	1.10	395
				603.59	744476

वनों में लगी आग पर काबू पाने के आधुनिक तरीके

*9. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में लगी आग पर काबू पाने के आधुनिक तरीके नामक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह योजना कब से चलायी गयी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध किये गये प्रमुख उपकरणों/सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत क्या कार्य किया गया है और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां" एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के उद्देश्य हैं—वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से दावानल की रोकथाम, उसका पता लगाना और उसे बुझाना है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को हाथ के औजार, अग्निरोधी वस्त्र, आग बुझाने के उपकरण, बेतार सेट प्राप्त करने, फायर लाइनों के सृजन, निगरानी टावरों के निर्माण और प्रचार प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) यह स्कीम 1992-93 से 11 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में चल रही है।

(ग) और (घ). विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	वे मदें जिनके लिए जनवरी, 95 तक सहायता दी गई	जनवरी 95 तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	हाथ के औजार, फायर लाईन, अग्निरोधी कपड़े, अग्नि सूचक, बेतार सेट, अनुसंधान और विकास, प्रचार और निगरानी टावर।	7.62
2.	बिहार	-वही-	6.06
3.	गुजरात	-वही-	16.40
4.	हिमाचल प्रदेश	-वही-	34.72
5.	कर्नाटक	-वही-	21.00
6.	केरल	-वही-	13.00
7.	मध्य प्रदेश	-वही-	80.80
8.	महाराष्ट्र	-वही-	21.10
9.	उड़ीसा	-वही-	11.00
10.	तमिलनाडु	-वही-	13.00
11.	उत्तर प्रदेश	-वही-	8.00

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	मंजूर राशि (लाख रुपये में)			खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)		
		92-93	93-94	94-95	92-93	93-94	94-95
1.	आंध्र प्रदेश	6.00	1.62	—	—	—	वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही सूचना प्राप्त होगी।
2.	बिहार	6.07	—	—	—	—	-वही-
3.	गुजरात	5.00	8.00	3.40	5.00	3.95	-वही-
4.	हिमाचल प्रदेश	8.00	19.72	7.00	8.00	11.73	-वही-
5.	कर्नाटक	8.00	13.00	—	8.00	6.56	-वही-
6.	केरल	5.00	8.00	—	—	5.23	-वही-
7.	मध्य प्रदेश	8.21	48.44	24.15	—	—	-वही-
8.	उड़ीसा	7.00	4.00	—	—	—	-वही-
9.	तमिलनाडु	5.00	8.00	—	—	—	-वही-
10.	महाराष्ट्र	8.00	13.10	—	—	—	-वही-
11.	उत्तर प्रदेश	8.00	—	—	—	—	-वही-

पशुधन क्षेत्र

*10. **श्री के. प्रधानी :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जलवायु के अनुरूप विभिन्न कृषि क्षेत्रों में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्मों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) पशुधन क्षेत्र के विकास हेतु सरकार के मूलभूत उद्देश्य, दृष्टिकोण और नीति क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक राज्य-वार क्या सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में इस समय सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं।

उत्तरी क्षेत्र	1. अंदेश नगर
	2. सूरतगढ़
पश्चिमी क्षेत्र	1. धामरोड
दक्षिणी क्षेत्र	1. हैस्सरघट्टा
	2. अलामाधी
पूर्वी क्षेत्र	1. सिमिलीगुड़ा
	2. चिपलीमा

(ख) पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उद्देश्य, दृष्टिकोण तथा नीति संबंधी ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) राज्यवार स्थिति विवरण-II पर दी गई है।

(घ) और (ङ). जी, हां। एक विभागीय समिति द्वारा 1988 में इनकी समीक्षा की गई थी।

विवरण-I

पशुधन विकास हेतु उद्देश्य, दृष्टिकोण तथा नीति

1. वर्ण संकरण के प्रयोजनों के लिए हिमिति वीर्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान की कार्यकुशलता एवं प्रभाविकता सुधारने हेतु इसके लिए बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना।
2. बेहतर गुणवत्ता वाले मादा गौपशुओं और सांडों का एक बीज-भण्डार सृजित करना जो उच्च उत्पादकता वाले गौपशुओं और भैंसों का एक राष्ट्रीय दुधारू यूथ तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय जर्मप्लाज्म पूल बन सकेगा। इस प्रयोजन के लिये भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग अधिक बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
3. चुनिन्दा प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण पशुधन नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा दूध एवं भारवाही दोनों प्रयोजनों के लिए कम उत्पादक गैर-प्रजातीय पशुओं का वर्ण-संस्करण। महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों का संरक्षण किया जाएगा।
4. देश में डेयरी सहकारियों के "आनन्द" स्वरूप का अनुकरण करके ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों तथा नगरीय उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करना और दुग्ध खरीद तथा विपणन में क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलनों के बुरे प्रभावों को कम करना।
5. उन्नत चारा बीजों का प्रयोग आरंभ करके तथा चारा उत्पादन के लिए ऊसर भूमि के अधिक उपयोग द्वारा चरागाह भूमि की उत्पादकता में सुधार।
6. उचित संपूरकों की व्यवस्था तथा सूखे चारे के संरक्षण के जरिए सांद्रण, गांठों तथा गोलियों आदि द्वारा फसल के अवशेषों के इस्तेमाल को अनुकूलतम बनाना।
7. गांव की चराई भूमि पर आवश्यकता से अधिक चराई को कम करने तथा सीमांत भूमि को अनावरण से बचाने के लिए खुरली पर चराई को बढ़ावा देना।
8. पुशपालन अर्थात भेड़, मुर्गी तथा सुअर पालन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी प्रयासों को तेज करना ताकि मूल उत्पादक बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके और उचित लागत पर अपेक्षित निवेशों का प्रावधान करना जिसके फलस्वरूप गरीब ग्रामीणों की आय का स्तर ऊंचा उठ सके।
9. अधिक प्रभावी आहार का विकास करना और उसे बढ़ावा देना तथा आहार उद्योग को सुदृढ़ बनाना।
10. पशुधन के संरक्षण के लिए पशु प्लेग उन्मूलन तथा खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए पर्याप्त पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना।
11. ऊन, मांस तथा अण्डों जैसे पशुधन उत्पादों के लिए विपणन अवसरंचना को मजबूत बनाना और इन उत्पादों के लिए निर्यातोन्मुखी कार्यक्रम आयोजित करना।
12. बूचड़खानों तथा आहार पिसाई यूनिटों के विशेष आधुनिकीकरण पर विशेष बल देतु हुए इस क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधाओं का सुधार।
13. पशु पालन क्षेत्र में कार्यकलापों के नियोजन और कार्यान्वयन में सभी विभागों/एजेंसियों के बीच ताल-मेल और उनका एकीकरण।
14. पशुधन और पशुधन उत्पादों के संबंध में डाटा बेस (आंकड़ों के आधार) का सुधार।
15. पशुधन उत्पाद की उत्पादकता-बढ़ाने तथा विपणन के विकास के लिए प्रौद्योगिकीय खोजों का उपयोग।

विवरण–II

क. सांडों का फार्म–वार/राज्यवार ब्यौरा (1992–93)

	राज्य	फार्म	सांडों के उत्पादन की संख्या 1992–93	1993–94
1.	उत्तर प्रदेश	अन्देशनगर	81	70
2.	राजस्थान	सूरतगढ़	17	19
3.	गुजरात	धामरोड	36	46
4.	कर्नाटक	हैस्सरघट्टा	28	28
5.	तमिलनाडु	अलामाधी	46	39
6.	उड़ीसा	सिमिलीगुडा	83	100
7.	उड़ीसा	चिपलीमा	53	55

ख. विभिन्न राज्यों को सांडों की आपूर्ति

	राज्य	प्रजनन हेतु उपलब्ध कराए गए सजातीय सांडों की संख्या 1992–93	1993–94
1.	आंध्र प्रदेश	5	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	10
3.	गुजरात	1	6
4.	हरियाणा	2	—
5.	हिमाचल प्रदेश	10	—
6.	कर्नाटक	16	9
7.	केरल	—	1
8.	महाराष्ट्र	37	35
9.	मध्य प्रदेश	—	3
10.	मिजोरम	—	10
11.	उड़ीसा	35	1
12.	पंजाब	12	—
13.	राजस्थान	15	3
14.	तमिलनाडु	33	46
15.	त्रिपुरा	4	6
16.	उत्तर प्रदेश	65	60
17.	पश्चिम बंगाल	—	2

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

*11. **श्री मोहन रावले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) औषध निर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में दी गई शर्तों का अनुपालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) बाजार में नियंत्रण मुक्त औषधियों की उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख). जी, हां। औषध नीति, 1986 में संशोधनों के अनुसार, जिसकी घोषणा सितम्बर, 1994 में की गई थी, औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 को 6 जनवरी, 1995 को अधिसूचित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताओं में नीति में निरूपित मानदंड पर आधारित कीमत नियंत्रित औषधों और सूत्रयोगों की एकल सूची, मानक आकार के सूत्रयोगों के जिसका आम विपणन होता है, के लिए अधिकतम कीमत का निर्धारण और सभी निर्माताओं के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य बनाना, लाभ के उच्चतर दर 4 प्रतिशत से मूल अवस्था से उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नई औषध का मूल अवस्था से उत्पादन के लिए, जिसका अन्यत्र उत्पादन नहीं किया जाता है और यदि औषध स्वदेशी आर एण्ड डी से विकसित की जाती है तो उसको कीमत नियंत्रण से छूट देना, उच्च शिक्षा के लिए डी पी ई ए निधियों का उपयोग और भेषज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान शामिल हैं। डीपीसीओ, 1995 में कीमत नियंत्रण तंत्र के कार्यकरण के लिए सुस्पष्ट प्रक्रिया है, जो कि उपभोक्ताओं और निर्माताओं के हित में है।

(ग) और (घ). औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है। डीपीसीओ, 1995 के किसी उपबंध का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है। भेषज उद्योग संघ को अपने सभी सदस्यों को उन दवाइयों की कीमतों के संबंध में नियंत्रण और स्व–अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी है, जो कीमत नियंत्रण से बाहर हो गयी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनकी कीमतों में अनुचित वृद्धि न हो ताकि सरकार को इन दवाइयों की कीमतों को कीमत नियंत्रण के अधीन लाने के लिए बाध्य न होना पड़े।

उपभोक्ता न्यायालय

*12 **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री तारा सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1995 के "स्टेट्समेन" में "कन्जूमर कोर्ट्स इन डोल्ड्रम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उपभोक्ता न्यायालयों के लिए कोई राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्रों/राज्य सरकारों को यह राशि किस तरह से वितरित की जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की कभी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना आयोग द्वारा संवितरण हेतु सिद्धांततः इकसठ करोड़ रुपए की राशि के लिए सहमति दी गई है। तथापि, अभी तक कोई राशि मंजूर नहीं की गई है। इस मंत्रालय ने योजना आयोग को एक स्कीम भेजी है, जिसमें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राशि संवितरित किए जाने के तरीके का सुझाव दिया गया है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 24 जनवरी, 1994 को राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें लंबित पड़े मामलों की राज्यवार स्थिति की समीक्षा की गई थी तथा अतिरिक्त आधार ढांचा, कर्मचारी, निधि, आदि मुहैया कराने के लिए सिफारिशें की गई थीं। सरकार भी उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है। लंबित पड़े मामलों की संख्या में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं : प्रायः स्थगन होना और विशेषकर जिला मंचों में, नियमित उपस्थिति न होना।

[हिन्दी]

आदिवासियों को रोजगार

*13. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). ग्रामीण विकास मंत्रालय आरंभ द्वारा की गई विभिन्न स्कीमें, नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई) लक्षित शहरी गरीब समूहों तथा कमजोर वर्गों के लाभग्राहियों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति के विशेष लक्षित समूहों के लिए रोजगार सृजन करती है।

[अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड

*14. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड को अर्थक्षम बनाया गया है अथवा इसका पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने 1994-95 के दौरान नारियल विकास बोर्ड को कितनी राशि आबंटित की है;

(घ) इस अवधि के दौरान बोर्ड के कार्य निष्पादन का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के निर्धारण के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). नारियल विकास बोर्ड में इस समय लगभग पूरे सदस्य हैं तथा उसका एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष भी है, जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है।

(ग) 1994-95 के बजट अनुमानों के तहत नारियल विकास बोर्ड को 2032 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नारियल विकास बोर्ड द्वारा 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में "भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास" नामक आठवीं योजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। 1994-95 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत प्रगति के बारे में प्राप्त जानकारी निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

क्रम	योजना का नाम	1994-95 के लिए लक्ष्य		वर्ष के दौरान उपलब्धियां	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण :				
	(क) डी.एस.पी. फार्म की स्थापना	280 हैक्टे.	71.15	220 हैक्टेयर	38.349
	(ख) डी.एस.पी. फार्मों से सम्बद्ध नर्सरी	3.0 लाख पौध	43.30	1.21 लाख बोई गई	7.038
	(ग) टी.xडी. योजना	4.5 लाख पौध	42.187	1.5 लाख गरी बोई गई	9.677*
	(घ) क्षेत्रीय नारियल नर्सरी	दो नर्सरियों की स्थापना तथा रखरखाव	4.275	एक नर्सरी नागालैंड में शुरू की गई	0.713
	(ङ) बीज अधिप्राप्ति एकक	5.0 लाख बीज दाने	2.94	12.352 लाख	1.083
2.	क्षेत्र का विस्तार				
	(क) नया रोपण	3690 हैक्टे.	110.70	3834 हैक्टेयर	106.275
	(ख) दूसरे वर्ष रखरखाव	10391 हैक्टे.	142.311	1141 हैक्टेयर	12.422
	(ग) तीसरे वर्ष रखरखाव	8987 हैक्टे.	137.159	138 हैक्टेयर	1.086
3.	उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए नारियल को जोतों में समेकित कृषि	33750 हैक्टे.	936.778	-	372.026*
4.	पत्ता खाने वाली सूंडी का समेकित नियंत्रण	7 मिलियन परजीवी	11.211	परजीवियों का पालन किया जा रहा है।	3.823
5.	नारियल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र	नारियल प्रसंस्करण के लिए प्रायोगिक प्लांट स्थापित करना। औद्योगिक इकाइयों, सहकारी समितियों, शिल्कारों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करना।	129.45	प्रायोगिक प्लांट स्थापित करने के लिए स्थान का आबंटन, केरल सरकार के विचाराधीन है। खोपरा बनाने के लिए एक सहकारी समिति को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। खोपरा सुखाने वाले उन्नत यंत्रों के लिए 23 किसानों को सहायता दी गई। "नारियल के दूध को स्प्रे द्वारा सुखाने के संबंध में अनुसंधान परियोजना" पूरी हो गई है।	11.656
6.	विस्तार एवं प्रचार	पत्रिकाओं, पुस्तकों पुस्तिकाओं का प्रकाशन, प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी आदि।	73.10	इन कार्यकलापों को करने के अतिरिक्त नारियल विकास बोर्ड ने 15 कड़ियों में नारियल पर एक धारावाहिक बनाने में दूरदर्शन को सहायता प्रदान की है। 14 प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में हिस्सा लिया। बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में शीघ्र ही आकाशवाणी कोझीकोड़ द्वारा एक शृंखला प्रसारित की जाएगी।	22.38

1	2	3	4	5	6
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	सर्वेक्षण करना, परियोजना का मूल्यांकन, नारियल पर डाटाबेस का रख-रखाव और मुख्यालयों से जुड़ा परामर्शदायी सैल।	9.72	उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। रोगों से संबंधित सूचकांक पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और डाटाबेस तैयार करने का काम भी चल रहा है।	1.864
	कुल (योजना)		1714.281		588.392
	प्रशासन		317.340		130.587
	कुल योग :		2031.621		718.979

* राज्य सरकारों को दी गई राशि/पूर्ण उपलब्धियों की सूचना के बाद में भेजेंगे।
डी.एस.पी.—प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म।

जापान से सहायता

***15. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश में वानिकी परियोजनाएं चलाने हेतु सहायता प्रदान करने में रूचि दिखाई है;

(ख) क्या जापान सरकार भोपाल की ऊपरी और निचली झीलों हेतु पर्यावरण संरक्षण परियोजना और कलकत्ता हेतु औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए सहायता प्रदान करने पर भी सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में प्रदत्त/प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जापान सरकार, ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड (ओईसीएफ) के माध्यम से राजस्थान में दो वानिकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। राजस्थान में दूसरी वानिकी विकास परियोजना के लिए हाल ही में ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड के साथ बातचीत की गई है। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड का एक तथ्यान्वेशी मिशन वानिकी परियोजनाओं की जांच कर रहा है।

(ख) भोपाल की ऊपरी और निचली झीलों के संरक्षण और पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के प्रबंधन से संबंधित परियोजना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड के साथ भी बातचीत की गई है।

(ग) और (घ). परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. इन्दिरा गांधी (राजस्थान) के किनारों पर वनरोपण और चरागाह विकास

यह परियोजना 1991 से 107.50 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। इसे राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेटिव फंड परियोजना पर हुए खर्च का 85 प्रतिशत प्रदान कर रहा है। सितम्बर, 1994 तक ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड (ओईसीएफ) द्वारा 1053 मिलियन येन की प्रतिपूर्ति की गई है।

2. अरावली पहाड़ियों, राजस्थान के लिए वनरोपण परियोजना :

इस परियोजना का कार्यान्वयन राजस्थान में दस जिलों की अरावली पहाड़ियों में 166.90 करोड़ रुपए की कुल लागत से 1992-93 में शुरू किया गया था। सितम्बर, 1994 तक ओईसीएफ ने परियोजना पर हुए व्यय के प्रति 1361 मिलियन येन की प्रतिपूर्ति की है। ओईसीएफ सहायता कुल व्यय का 85 प्रतिशत है।

3. वानिकी विकास परियोजना, राजस्थान

इस परियोजना पर ओईसीएफ के साथ जनवरी, 1995 में बातचीत की गई। कुल परियोजना लागत 139 करोड़ रुपए है। ओईसीएफ के साथ करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही परियोजना का कार्यान्वयन शुरू होगा।

4. भोपाल (मध्य प्रदेश) की ऊपरी और निचली झीलों का संरक्षण और प्रबंधन

5 वर्षों की अवधि के लिए इस परियोजना की कुल लागत 247 करोड़ रुपए है जिसके लिए ओईसीएफ 7055 मिलियन येन प्रदान करेगा। इस परियोजना के बार में जनवरी, 1995 में ओईसीएफ के साथ बातचीत हुई है। ओईसीएफ के साथ करार पर हस्ताक्षर होने के बाद ही कार्यान्वयन शुरू किया जायेगा।

5. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रदूषण संबंधी परियोजना

कुल परियोजना लागत 45.39 करोड़ रुपए है जो 1525 मिलियन येन के बराबर है। इस परियोजना को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। इस परियोजना के संबंध में जनवरी, 1995 में ओईसीएफ के साथ बातचीत की है तथा ओईसीएफ के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कार्यान्वयन शुरू होगा।

6. ओईसीएफ सहायता के लिए प्रस्तुत वानिकी परियोजना

गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए वानिकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए ओईसीएफ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ओईसीएफ तथ्यान्वेषी दल द्वारा इनकी जांच की जा रही है। प्रत्येक परियोजना की कुल लागत इस प्रकार है :—

(i) समेकित वानिकी विकास परियोजना, गुजरात—682 करोड़ रुपए।

(ii) वनों का सरंक्षण और विकास, तमिलनाडु—300 करोड़ रुपए।

(iii) पूर्वी मैदानों के लिए वानिकी और पर्यावरण परियोजना, कर्नाटक—264 करोड़ रुपए।

वन्यजीवों से प्राप्त उत्पाद

*16. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विभिन्न स्थानों पर जानवरों की खालों और वन्यजीवों से प्राप्त अन्य उत्पादों के भारी मात्रा में जब्त किये जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनका मूल्य कितना है;

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पशुओं विशेषतः लुप्त प्रायः प्रजातियों की हत्याओं और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में तैनात पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीवन परिरक्षण क्षेत्रीय उप-निदेशकों ने स्थानीय प्रवर्तन प्राधिकारियों के सहयोग से समय-समय पर वन्यजीवन और वन्यजीव उत्पादों के अवैध प्रेषणों को पकड़ा है। गत तीन वर्षों में पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने भी ऐसे ही पारेषण पकड़े हैं। पकड़ी गई वस्तुओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन वस्तुओं के व्यापार पर पाबंदी है।

(ग) इन मामलों में अपराधियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

(घ) विवरण II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	पकड़ी गई वस्तुएं	वस्तुओं की संख्या			
		1992-93	1993-94	1994-95	(खण्ड)
1	2	3	4	5	
1.	सर्प-खालें/वस्तुएं	3385	7477	21	
2.	लोमड़ी की खालें/वस्तुएं	2	1	539	
3.	तेंदुए की खालें/वस्तुएं	1	43	9	(कटपीस)
4.	तेंदुआ बिलाव की खालें	—	2	—	
5.	कच्छी खाल/वस्तुएं	10	13	1	
6.	मगर की खालें/वस्तुएं	13	—	—	
7.	गंध-बिलाव की खाल		5	145	
8.	हिरन की खाल की वस्तुएं	1	7	6	
9.	मिंग/मार्टेन की खाल (कि.ग्रा.) में	553	—	—	
10.	खरगोश की खाल/वस्तुएं	92	—	—	

1	2	3	4	5	
11.	सामान्य/लाल लोमड़ी (कि.ग्रा. में)	2	—	416	
12.	भूरे भेड़िए की खाल	—	90	—	
13.	बाघ की खाल		9	3	(कटपीस)
14.	बंगाल बीफ स्कीन/वस्तुएं		—	—	
15.	जंगली बिलाव की खाल		5	942	
16.	ऊदबिलाव की खाल/वस्तुएं		129	—	
17.	मत्स्य बिलाव की खाल		3	7	
18.	मरूस्थली बिलाव की खाल		2	212	
19.	मेघ-श्याम तेंदुए की खाल		3	—	
20.	मरूस्थली लोमड़ी की खाल		—	796	
21.	घरेलू बिल्ली की खाल		—	2	
22.	साकिन की खाल		—	1	
23.	सिकनदरी हरा तोता			105	
24.	पहाड़ी मैना		—	15	
25.	मुनिया		—	1000	
26.	काले सिर वाली मुनिया			120	

विवरण-II

संकटापन्न वन्यजीव जन्तुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

1. अनुसूचित वन्य जीवजन्तुओं के शिकार करने पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शिकार-रोधी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
3. बाघ, हाथी और गैंडे तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।
4. जब कभी वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्य जीवजन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है तो वे छापे मारते हैं।
5. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
6. जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है।
7. प्रायः देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोका जा सके।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*17. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर को देखते हुए आने वाले पांच वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ग) खाद्यान्नों की अनुमानित मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार, 1997 एवं 2007 के लिए खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता क्रमशः लगभग 208 मिलियन मीटरी टन और 283 मिलियन मीटरी टन होगी।

(ग) खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों में से प्रत्येक के मामले में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.पी) कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

*18. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आज तक कहां-कहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) 1995 की शेष अवधि के दौरान स्थानवार कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) 1993-94 की अवधि के दौरान आज तक ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) उनमें से कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी; और

(च) देश में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान 54 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के स्थान विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1995 की शेष अवधि के दौरान 31 कृषि विज्ञान केंद्रों के स्थापित किए जाने की संभावना है। वर्ष 1995 के दौरान स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थान-वार सूची विवरण-II में दी गई है।

(ग) 1993-95 की अवधि में आज तक राज्य सरकारों से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) विभिन्न संगठनों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त एक सौ बारह अनुरोध/प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रस्तावों के भा.कृ.अ.प. के मानदंडों के अनुरूप होने पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपयुक्त अनुरोधों/प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है।

(च) देश में नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान

राज्य का नाम	क्र. सं.	जिले का नाम	मेजबान संस्थान
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1.	ऊना	हि.प्र.कृ. विश्व विद्यालय, पालमपुर
	2.	मंडी	हि.प्र.कृ.वि. विद्यालय, पालमपुर
	3.	कांगड़ा	संगठनात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा- प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
जम्मू और कश्मीर	4.	लेह	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
	5.	कथुआ	शिवा ग्राम-उद्योग मंडल, कालीबाड़ी, कथुआ
हरियाणा	6.	पानीपत	सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
पश्चिम बंगाल	7.	वर्दमान	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
	8.	वीरभूम	विश्व भारती शांतिनिकेतन, जिला-बोलपुर
बिहार	9.	भोजपुर	सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी, पटना
	10.	जमुई	श्रम भारती खादी ग्राम, जमई
	11.	मधुबनी	एस.के. चौधरी शिक्षा न्यास (ट्रस्ट), नई दिल्ली
	12.	धनबाद	एच.एफ.सी. सिंद्री, धनबाद
असम	13.	गोलाघाट	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
	14.	सचर	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
मिजोरम	15.	लंगुलेई	मिजोरम सरकार
उत्तर प्रदेश	16.	पिथौरागढ़	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
	17.	मुजफ्फरनगर	स्वामी कल्याण देव न्यास (ट्रस्ट), मुजफ्फरनगर

1	2	3	4
महाराष्ट्र	18.	नासिक	यशवन्त राव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, नासिक
	19.	परभणी	जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, परभणी
	20.	कोल्हापुर	डी.वाई.पाटिल एजुकेशन सोसायटी, बंबई।
	21.	बुलदाना	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव
	22.	नागपुर	सी.सी.आर.आई., नागपुर
	23.	नान्देद	जवाहर लाल नेहरू शिक्षा विज्ञान, एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नान्देद
	24.	सोलापुर	शबरी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर
	25	अकोला	सुविडे फांउन्डेशन रिसोड, अकोला
गुजरात	26.	भारूच	भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे।
	27.	बड़ोदरा	मंगल भारती, बड़ोदरा
	28.	सूरत	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर।
राजस्थान	29.	राजस्मन्द	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
	30.	बरान	-वही-
	31.	दौसा	-वही-
मध्य प्रदेश	32.	सेवनी	जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
	33.	टीकमगढ़	-वही-
	34.	खंडवा	-वही-
	35.	राजगढ़	-वही-
	36.	गुना	-वही-
	37.	सरगुजा	-वही-
उड़ीसा	38.	धेनकेनाल	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक
	39.	अंगुल	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक
	40.	केन्द्रपाड़ा	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
कर्नाटक	41.	मैसूर	जे.एस.एस. महाविद्या पीठ, रामानुज रोड, मैसूर
	42.	कोलार	कर्नाटक कल्याण सोसायटी, चिकबल्लापुर
	43.	बेल्लारी	यू.ए.एस.धारवाड़
	44.	बेलगाम	बेलगाम समेकित ग्रामीण विकास सोसायटी, नेगानुर
	45.	रायचूर	यू.ए.एस. धारवाड़
केरल	46.	पठानामथिट्टा	ईसाई ग्रामीण विकास एजेंसी थरूविल्ला
	47.	कोल्लम (किवलोन)	के.ए.यू. मन्नुथी
	48.	इडुक्की	बापूजी सेवक समाज, कोमेइली
तमिलनाडु	49.	धर्मपुरी	तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, थुप्पागन्नापल्ली
	50.	सालम	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
	51.	नेल्लई कट्टाबोमेन	रत्नावेल सुब्रामनिअन शैक्षणिक न्यास, दिन्दिगुला अन्ना जिला
	52.	मदुरई	विकास और संचारण न्यास केन्द्र, कामचीपुरम, थेनी
	53.	कामराजार	मायेर ट्रस्ट, मदुरई
पांडिचेरी	54.	कारेकल	पांडिचेरी सरकार, पांडिचेरी।

विवरण-II

वर्ष 1995 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान

राज्य का नाम	क्र. सं.	स्थान
1	2	3
पंजाब	1.	संगरूर
	2.	फरीदकोट
	3.	जालंधर
हरियाणा	4.	अम्बाला
	5.	रोहतक

1	2	3
पश्चिमी बंगाल	6.	नदिया
बिहार	7.	पश्चिमी चम्पारण
	8.	पालमउ
असम	9.	शिवसागर
अरुणाचल प्रदेश	10.	लोहित
मेघालय	11.	चिरापूंजी
नागालैंड	12.	मोकोक चुंग
त्रिपुरा	13.	उत्तरी त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	14.	मुरादाबाद
	15.	देवरिआ
	16.	फर्रूखाबाद
	17.	आजमगढ़
	18.	मैनपुरी
आंध्र प्रदेश	19.	खम्माम
	20.	पश्चिमी गोदावरी
	21.	अदिलाबाद
	22.	विशाखापत्तनम*
महाराष्ट्र	23.	रायगढ़
	24.	अमरावती*
मध्य प्रदेश	25.	शिवपुरी
	26.	बेतुल*
केरल	27.	कोट्टायम
तमिलनाडु	28.	थंजावुर*
गुजरात	29.	साबरकंठा*
	30.	जूनागढ़*
दिल्ली	31.	दिल्ली*

* इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना 78 अनुमोदित कृ.वि. केन्द्रों में से छोड़ दिए गए मामलों में से की जाएगी।

प्रशासनिक मंजूरी सीधे ही जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय योजना

*19. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन कम रहा है; और

(घ) उन क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) से संबंधित आवश्यक कार्य चल रहा है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न मध्यावधि मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात ही सामने आएंगे।

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण

*20. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संयंत्रों में प्रदूषण की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1995 के दौरान उर्वरक संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखान सिंह यादव) : (क) से (घ). उर्वरक संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर निगरानी तथा उन पर जाने वाली कोई कार्रवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व है। तथापि, सरकार समय-समय पर प्रमुख नाइट्रोजनी और फास्फेटिक उर्वरक एककों से निःस्त्रावों/निस्सरणों के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर रही है।

इस समय, चालू 11 प्रमुख उर्वरक एकक निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इन 11 एककों में से, तीन-तीन एकक फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एचएफसी) से संबंधित हैं जिन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा रुग्ण कंपनियां घोषित किया गया है। भारी वित्तीय समस्या के कारण एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी पूर्ण रूपेण अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित नहीं कर सकी हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पूर्ण रूपेण स्थापना सहित इन 6 एककों के पुनरूद्धार के लिए कोई कार्रवाई बी.आई.एफ.आर. जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। अन्य 5 एककों ने संकेत दिया है कि वे 1995 के अंत तक निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों का पालन कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1. **श्री चितेन्द्र नाथ दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सिलीगुड़ी जंक्शन और अलीपुर द्वार जंक्शन के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

डी.एम.यू. रेक

2. **डा. असीम बाला :**
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
डा. सुधीर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में डी.एम.यू के कितने रेक उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या पूर्व रेलवे के सियालदाह-गेडे-राणाघाट, आसनसोल-झाका, अंडाल और सैंतिया तथा अन्य सेक्शनों पर ऐसे रेकों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पूर्व रेलवे के विभिन्न खण्डों पर 17 डी एम यू पुश-पुल रेक चल रहे हैं।

(ख) और (ग). इस प्रकार के और रेक चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहार्यता, स्टाक की उपलब्धता और यातायात के औचित्य पर निर्भर करता है।

विद्युत लोको शेड

3. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेल मंडलों में इस समय कितने विद्युत लोको शेड चल रहे हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक लोको शेड में कितने विद्युत इंजनों की मरम्मत की गई?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). इस समय विभिन्न रेलों पर 20 बिजली रेल इंजन शेड तथा 2 बिजली कार शेड काम कर हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :

	रेल	शेड स्थल	रेल इंजनों की संख्या
1.	मध्य	झांसी	111
		इटारसी	114
		अजनी	109
		भुसावल	115
		कल्याण	125
2.	पूर्व	मुगलसराय	147
		गोमो	86
		आसनसोल	129
		सियालदाह	12
3.	उत्तर	गाजियाबाद	128
		कानपुर	129
4.	दक्षिण	अरकोणम	129
		ताम्बरम* (मी.ला.)	20
5.	दक्षिण मध्य	लालगुड़ा	69
		विजयवाड़ा	122
6.	दक्षिण-पूर्व	टाटानगर	148
		बोंडागुड़ा	95
		भिलाई	141
		वाल्टेयर	97
7.	पश्चिम	तुगलकाबाद	114
		बड़ोदरा	120
		वलसाड़	52

* विद्युत कार शेड जहां बिजली रेल इंजनों का अनुरक्षण किया जाता है।

आद्रा-मिदनापुर सेक्शन का विद्युतीकरण

4. **श्री सुबोन्दु खान :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा-मिदनापुर सेक्शन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव योजना आयोग के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). योजना आयोग ने दक्षिण-पूर्वी रेलवे के आद्रा-मिदनापुर सेक्शन के विद्युतीकरण का सिद्धान्ततः अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

राजीव पर्यावरण योजना

5. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पचास जिलों में चलाई गई राजीव पर्यावरण योजना के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1994 तक इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितना खर्च हुआ; और

(ग) पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारें राजीव पर्यावरण परियोजना के अंतर्गत चयनित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजनाएं तैयार कर रही हैं।

(ख) और (ग). इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक पृथक से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। राजीव पर्यावरण परियोजना में, पर्यावरण और वन मंत्रालय की चल रही समस्त स्कीमों, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की पर्यावरण से संबंधित स्कीमों तथा कार्यक्रमों का समन्वित एवं गहन तरीके से कार्यान्वयन करने पर बल दिया गया है ताकि पांच वर्षों की समयावधि के भीतर इनके प्रत्यक्ष और व्यापक नतीजे सामने आ सकें।

[हिन्दी]

कृषि विकास योजना

6. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने कृषि विकास की कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना-उत्तर प्रदेश विविध कृषि समर्थन परियोजना के अन्तर्वेशन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना के तहत विभिन्न घटकों के अध्ययन करने में उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सक्रिय है। परियोजना की तैयारी अब भी प्रारम्भिक स्तर पर ही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नीदरलैण्ड सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने हेतु कृषि में महिलाओं के प्रशिक्षण एवं विस्तार का एक परियोजना प्रस्ताव भी भेजा है। यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वापस भेज दिया गया है।

गुजरात सरकार ने 1992 में विश्व बैंक कृषि विकास परियोजना के तहत समावेश करेन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था क्योंकि विश्व बैंक प्रक्रियाधीन कुछ ही परियोजनाओं को लेना चाहता था। तदनुसार गुजरात सरकार को सूचित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश की पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

7. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) निकट भविष्य में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौर क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार एवं विदेशी सहायता से पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं का उनकी वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों सहित ब्यौरा संलग्न एक विवरण में दिया गया है।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत किस्म की हैं।

विवरण

क्र.स.	स्कीम का नाम	विस्तृत उद्देश्य	निधिकरण की सीमा	स्थिति	वर्ष 92-93, 93-94, 94-95 के दौरान उपलब्धियां	
					वित्तीय	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों का विकास करना	100%	चल रही	191.22	12 राष्ट्रीय पार्क शामिल किए गए हैं
2.	राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों के आसपास पारिविकास	राष्ट्रीय पार्कों के नजदीक रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चल रही	16.61	1 राष्ट्रीय पार्क शामिल किया गया
3.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घावधि तक जीवन रक्षक को सुनिश्चित करने के लिए	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चल रही	40.88	1 क्षेत्र शामिल किया गया
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चल रही	240.00	2 बाघ रिजर्वों को शामिल किया गया
5.	टाइगर रिजर्वों के आसपार पारि-विकास	टाइगर रिजर्वों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	चल रही	31.02	2 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए
6.	वनस्पातिक उद्यानों की सहायता	वानस्पतिक उद्यानों को विकसित करना	100%	चल रही	46.25	वित्तीय आबंटन के रूप में लक्ष्य निर्धारित।
7.	गंगा कार्य योजना	गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों के प्रदूषण का उपशमन	चरण-I 100% चरण-II 50%	चल रही	5230.30	6 श्रेणी-1 के नगरों को शामिल किया गया
8.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वनों की आग का नियंत्रण करना	100%	चल रही	80.00	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य निर्धारित किए गए
9.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करना	100%	चल रही	3.92	14 पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया गया।
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद पैदा करना	100%	चल रही	9.00	उपलब्ध नहीं
11.	बीज विकास योजना	अच्छे वनों के लिए अवसंरचना का विकास	100%	चल रही	18.65	वित्तीय बंटन के लक्ष्य निर्धारित किए गए
12.	सहायता अनुदान स्कीम	वनीकरण एवं परती भूमि विकास से संबंधित जुड़े कार्य करना	100%	चल रही	84.37	9 परियोजनाएं मंजूर की गई।
13.	मंसूरी पहाड़ियों की बंद की गई खदानों पर वनीकरण	वनीकरण	100%	चल रही	69.99	720.40 है. क्षेत्र लिया गया।
14.	जालौन जिला एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना	परती भूमि विकास	100%	चल रही	29.00	800.0 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया

1	2	3	4	5	6	7
15.	तराई क्षेत्र में प्रजनित पौध ऊतक संवर्धन का क्षेत्र मूल्यांकन	वनीकरण	100%	चल रही	3.19	उपलब्ध नहीं
16.	एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण एवं पारिविकास को प्रोत्साहन	100%	चल रही	1031.29	9562 है. क्षेत्र शामिल
17.	क्षेत्रोन्मुख जलाने की लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम	अभिनिर्धारित किए गए जलाने की लकडी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी एवं चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना	50%	चल रही	504.28	6819 है. क्षेत्र शामिल किया गया
18.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता	राज्य पर्यावरण विभागों एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाना	100%	चल रही	71.75	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य निर्धारित किए गए।
विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमें						
19.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाना	क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 166.66 लाख की सहायता प्रदान की गई थी।			
20.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण की परियोजनाएं सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों स्थापना करना	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के रूप में 24.00 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई।			
21.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	वनीकरण	यह परियोजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी। यह परियोजना मार्च, 1993 में समाप्त हो चुकी थी। कुल व्यय 286.95 करोड़ हुआ। वर्ष 1992-93 के दौरान 45.66 करोड़ रु. राज्य को दिए गए।			इसमें 3.34 लाख हे. क्षेत्र को शामिल किया गया।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

8. **श्री अनिल बसु :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सेबड़ाफुली से तारकेश्वर और राणाघाट से कृष्णनगर तक रेल लाइनों के दोहरीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बाघों का अवैध रूप से बाहर भेजा जाना

9. **श्री राम कापसे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में देश में बाघों की कुल कितनी संख्या थी;

(ख) क्या सरकार को देश से दूसरे देशों, विशेषतः ताईवान को बाघों के अवैध रूप से भेजे जाने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बाघों की सुरक्षा और उन्हें देश से अवैध रूप से बाहर भेजने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1989 और 1993 के दौरान की गई अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या क्रमशः 4334 और 3750 थी।

(ख) और (ग). यह सही है कि बाघ की हड्डियों और उसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध व्यापार संबंधी मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष अनेक भारतीय बाघों का अवैध शिकार किया जाता है। बाघों के इस प्रकार से शिकार करने और उनकी तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं :—

(1) मंत्रालय में एक बाघ संकट सेल स्थापित किया गया है।

(2) राज्य सरकारों को बाघ रिजर्वों के आस-पास सतर्कता मजबूत करने और गस्त तेज करने की सलाह दी गई है।

(3) बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशेष प्रहारक बल गठित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मिनी ब्रांच स्टोर

10. **श्री राघनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने कुछ सप्लायरों को अपनी वस्तुओं की सप्लाई क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों के स्थान पर सीधे मिनी ब्रांच स्टोरों को करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सप्लायरों के नाम क्या हैं और 1994 के दौरान तथा जनवरी, 1995 में मिनी ब्रांच स्टोरों को किन-किन वस्तुओं की सीधे सप्लाई की गयी;

(घ) क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों को सप्लाई करने वाले सप्लायरों के उन प्रतियोगियों के नाम क्या हैं जो ब्रांच स्टोरों को सीधे सप्लाई करते हैं;

(ङ) ब्रांचों तथा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों को सीधे सप्लाई किये जा रहे ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा सुपर बाजार द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है; और

(च) इस पद्धति को तुरन्त रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों पर काबू पाने की दृष्टि से, जिसके कारण तेजी से बिकने वाली वस्तुओं के मामले में देरी हो जाती है तथा वे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, सीधा आपूर्ति शुरू की गई है।

(ग) और (घ). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सीधी आपूर्ति में उन मदों को लिया जाता है, जिनका बिक्री हेतु रखे जाने से पहले प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा चुका है। सीधी आपूर्ति के बारे में, जैसा कि अन्य मामलों में भी होता है, उपयुक्त भण्डारण तथा लेखा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लघु शाखाओं को सीधे आपूर्ति किए जाने हेतु आपूर्तिकर्ताओं तथा वस्तुओं की सूची तथा क्षेत्रीय वितरण केंद्रों में आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धा आपूर्तिकर्ताओं के नाम

क्र.सं.	उनआपूर्तिकर्ताओं के नाम जो लघु शाखाओं को सीधी आपूर्ति करते हैं	मदें	क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों को आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं के नाम
1	2	3	4
1.	मैसर्स कोलगेट पामोलिव	टूथ पेस्ट, साबुन आदि	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर्स, मैसर्स बलसारा हाइजीनिक प्रोडक्ट्स आदि।
2.	मैसर्स एस.पी. इंटरप्राइजेज	धूप, अगरबत्ती	-
3.	मैसर्स एस.कुमार डिट. प्रा.लि.	धूप, पाउडर	मैसर्स हिंदुस्तान लीवर
4.	मैसर्स गोपाल सोप फैक्ट्री	वाशिंग पाउडर आदि	मैसर्स प्रोक्टर एंड गैम्बल
5.	मैसर्स अम्बे लेबोरेट्रीज	फिनाइल	मैसर्स जी.एम.एच.आर. 555 पी.पी. आदि मैसर्स बंगाल कैम्मीकल्स
6.	मैसर्स स्वर्ण इंटरप्राइजेज	वही	

1	2	3	4
7.	मैसर्स डायमण्ड लेबोरेट्रीज	फिनाइल	
8.	मैसर्स एम.के. इंडस्ट्रीज	श्वेत दुर्गंध हर	–
9.	मैसर्स डायमण्ड लेबोरेट्रीज	–वही–	–
10.	मैसर्स मैट्रोपाल इंडिया प्रा.लि.	–वही–	–
11.	मैसर्स इलीजेन्ट परफ्यूमरी वर्क्स	धूप अगरबत्ती	–
12.	मैसर्स ए.बी.एम. कैमीकल्स	विश्वास क्लीनिंग पाउडर	–
13.	मैसर्स एल्मिको इंडिया प्रा.लि.	–वही–	–
14.	मैसर्स विनि मार्केटिंग	टूथ ब्रश	मैसर्स के.एस. एजेन्सीज
15.	मैसर्स यूनिक इंटरप्राइजेज	–वही–	मैसर्स जे.एल. मोरीसन आदि
16.	मैसर्स पान फूड्स लि.	जैम/टमाटो कैचप	मैसर्स नैफेड
17.	मैसर्स किसान प्रोडक्ट्स	–वही–	मैसर्स नैरले इंडिया लि. आदि
18.	मैसर्स मक्कर ब्रदर्श	वरमासिलीज	–
19.	मैसर्स आर.एन. चड्ढा	–वही–	–
20.	मैसर्स पाल्कोज क्वालिटी कन्फैक्सनर्स	बिस्कुट्स	
21.	मैसर्स क्वालिटी बेकर्स	–वही–	ब्रिटानिया
22.	मैसर्स जे.आर. फूड्स प्रोडक्ट्स	–वही–	क्रीमिको आदि
23.	मैसर्स पालजी एंड कं.	–वही–	
24.	मैसर्स पालजी फूड्स प्रा.लि.	–वही–	
25.	मैसर्स मेजिक फूड्स	कस्टर्ड पाउडर/बेकिंग पाउडर कार्न-फ्लोर एंड जेली आदि	मैसर्स कोन प्रोडक्टस मैसर्स विकफील्ड्स
26.	मैसर्स होमाकोल सेल्स कार्पो.	लिक्विड सोप	–

आंध्र प्रदेश को सहायता

11. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई किसी फसल उत्पादन नीति और आकस्मिक योजना को प्रस्तुत किया है और इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि 1994-95 में वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

12. **श्री पी.सी. थामस :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और इसके अन्य डिवीजनों के विस्तार संबंधी योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उर्वरकों को दी जाने वाली राजसहायता समाप्त किए जाने के कारण फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का कार्यकरण प्रभावित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). फैक्ट द्वारा कोचीन में 618.43 करोड़ रुपए की लागत से 900 टन प्रतिदिन अमोनिया के एक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है जो सितम्बर, 1996 के अंत तक यांत्रिक रूप से पूर्ण हो जाएगा। फैक्ट ने किसी अन्य विस्तार योजना का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ङ) से (च). यद्यपि कंपनी को अगस्त, 1992 में फास्फेटिक उर्वरकों के अनियंत्रण के तत्काल बाद अल्प काल में ही अपने फास्फेटिक उत्पादों के विपणन में कठिनाई का सामना करना पड़ा, अब स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अपनी तरफ से सरकार केवल स्वदेशी उत्पादों को ही अनियंत्रित फास्फेटिक उर्वरकों पर विशेष रियायत दे रही है ताकि उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सके।

अजीमगंज-अंडाल लोकल रेलगाड़ी बंद करना

13. **डा. राम चन्द्र डोम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अजीमगंज-अंडाल लोकल रेलगाड़ी बंद किये जाने के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी को पुनः चलाने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). इस खंड के डीजलीकरण के परिणामस्वरूप अंडाल-अजीमगंज पैसेंजर का पुनर्गठन किया गया है ताकि इसे अंडाल और सैंथिया के बीच डी एम यू पुश पुल के रूप में तथा सैंथिया-रामपुरहाट के बीच मेल देने वाली सेवाओं रामपुर हाट अजीमगंज के बीच पैसेंजर गाड़ी चलाई जा सके।

उपनगरीय रेल सेवाएं

14. **श्री तरित वरण तोपदार :**
श्री अमल दत्त :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यस्ततम समय में यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता, सियालदह और खड़गपुर डिवीजनों में चल रही उपनगरीय गाड़ियां पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेहतर उपनगरीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). व्यस्त अवधि के दौरान यात्रा की मांग अधिक होती है, तथापि कुल मिलाकर कलकत्ता क्षेत्र में उपनगरीय सेवाएं पर्याप्त हैं, अतिरिक्त सेवाएं चलाने के साथ-साथ उपनगरीय सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आसनसोल होकर जाने वाली गाड़ियां

15. **डा. सुधीर राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से पुरी तक जाने वाली पुरी एक्सप्रेस अथवा पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में से किसी एक गाड़ी को आसनसोल होकर चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों तथा मौजूदा मार्ग पर इसके अति लोकप्रिय होने के कारण।

141 स्टेशनों का विद्युतीकरण

16. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 1994-95 के दौरान 141 स्टेशनों के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कुल कितने स्टेशनों का विद्युतीकरण किया जाएगा तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 1995-96 में और अधिक स्टेशनों के विद्युतीकरण करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युतीकृत/विद्युतीकरण किए जा रहे रेलवे स्टेशनों की राज्यवार स्थिति और उस पर खर्च की गई राशि अथवा खर्च की जाने वाली राशि इस प्रकार है :

राज्य का नाम	जितने स्टेशनों के लिए योजना बनाई गई है	वे स्टेशन जहां 1994-95 में विद्युतीकृत कार्य पहले ही पूरा हो गया है।	वे स्टेशन जहां कार्य प्रगति पर है और जिसके 1994-95 में पूरा हो जाने की आशा है।	वे शेष स्टेशन जहां कार्य प्रगति पर है और जिसके 1995-96 में पूरा होने की आशा है।	1994-95 में खर्च की गई/ की जाने वाली राशि (रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	8	8	–	–	7,28,000
बिहार	32	7	18	7	34,53,843
दिल्ली	3	–	3	–	11,50,000
गुजरात	3	2	1	–	1,83,000
कर्नाटक	4	1	1	2	1,30,000
मध्य प्रदेश	8	4	2	2	2,25,000
महाराष्ट्र	11	10	–	1	9,88,369
उड़ीसा	9	–	2	7	1,00,000
राजस्थान	15	3	7	5	38,20,001
उत्तर प्रदेश	28	5	13	10	55,93,000
पश्चिम बंगाल	20	–	20	–	10,13,000
जोड़	141	40	67	34	1,73,84,213

संशोधित योजना परिव्यय

17. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए राज्य-वार संशोधित योजना परिव्यय कितना-कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्यों के योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1994 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि दी गई तथा प्रत्येक राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) 1994-95 के दौरान राज्य-वार औसत जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति संशोधित परिव्यय कितना था?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). वर्ष 1994-95 के लिए नौ राज्यों से प्राप्त हुए समायोजन प्रस्तावों में से तीन राज्यों के संशोधित योजना परिव्ययों को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया है :—

क्र. सं.	राज्य	संशोधित परिव्यय (1994-95) (करोड़ रुपये)	प्रतिव्यक्ति संशोधित परिव्यय (1994-95)
1.	गुजरात	2240.00	511
2.	केरल	1260.00	413
3.	पश्चिम बंगाल	1483.31	206

वर्ष 1994-95 में 31.12.1994 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को किए गए कुल योजना हस्तांतरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों के व्यय आंकड़े वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

वर्ष 1994-95 में 31 दिसम्बर, 1994 तक राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के कुल योजना हस्तांतरण, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, एचएडीपी/बीएडीपी/डब्ल्यू जीडीपी के लिए सहायता तथा योजना राजस्व घाटा अनुदान

	राज्य	(करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	954.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	232.25
3.	असम	725.08
4.	बिहार	1029.90
5.	गोवा	39.09
6.	गुजरात	260.25
7.	हरियाणा	164.81
8.	हिमाचल प्रदेश	227.15
9.	जम्मू व कश्मीर	1120.86
10.	कर्नाटक	388.61
11.	केरल	407.54
12.	मध्य प्रदेश	672.03
13.	महाराष्ट्र	564.64
14.	मणिपुर	160.33
15.	मेघालय	149.65
16.	मिजोरम	141.94
17.	नागालैंड	152.18
18.	उड़ीसा	517.15
19.	पंजाब	619.16
20.	राजस्थान	618.10
21.	सिक्किम	104.03
22.	तमिलनाडु	820.89
23.	त्रिपुरा	194.47
24.	उत्तर प्रदेश	2152.68
25.	पश्चिम बंगाल	664.08
	जोड़	13081.82

फार्म के उत्पादों के लिए गुणवत्ता का चिन्ह

18. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फार्म के उत्पादों के लिए गुणवत्ता चिन्ह की योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या आल इंडिया फेडरेशन आफ आर्गेनिक फार्मिंग ने इस संबंध में कोई प्रमाणीकरण कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रमाणीकरण कार्यक्रम और प्राधिकृत गुणवत्ता चिन्ह के लिए जिम्मेवार मुख्य एजेंसी संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फार्म उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण कार्यक्रम और गुणवत्ता चिन्ह कब तक लागू कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ). आर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को सरल बनाने के विचार से सरकार ने स्थायी एवं अधिकृत समिति गठित की है ताकि निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेंसियों के प्राधिकरण हेतु नीतियां तथा कार्यप्रणालियां तैयार की जा सकें। समिति, विभिन्न उम्मीदवारों के प्रत्येक पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात मंजूरी प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

मदर डेयरी का दूध

19. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री वृजभूषण शरण सिंह :
श्री राजेश कुमार :
श्री गोपी नाथ गजपति :
श्री पंकज चौधरी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री. सत्यदेव सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री तेजनारायण सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी द्वारा बेचे जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतें हाल में बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर गैर-सरकारी दुग्ध विक्रेताओं और जनता की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मदर डेयरी के दूध की कीमतों में कितनी बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई; और

(ङ) उचित कीमत पर दूध उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, हां। मदर डेयरी ने दिनांक 1.2.1995 से दूध के उपभोक्ता मूल्य में इस प्रकार संशोधन किया है :—

	प्रति लीटर रुपये
पूर्ण मलाई युक्त दूध	12.50 रुपये
टोण्ड दूध	8.50 रुपये
टोण्ड दूध (पोलीपैक में)	9.50 रुपये

राज्य डेयरी परिसंघों को अधिक मूल्य अदा करने के कारण मदर डेयरी को अधिप्राप्त मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी। व्यावहारिकता को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता मूल्यों में बढ़ोत्तरी की गई थी।

(ग) जनता ने कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) मदर डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक डेयरी है जिसे दूध के विक्रय मूल्य तय करने का पूर्ण अधिकार है।

विवरण

सन 1992-93 से कीमतों में परिवर्तन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

डबल टोण्ड दूध	**प्रति लीटर रुपये**
20.5.92 से 30.9.92	7.00
टोण्ड दूध	
1.10.92 से 31.12.92	8.00
1.1.93 से 30.6.93	7.50
1.7.93 से 8.11.93	8.00
9.11.93 से 13.5.94	7.00
14.5.94 से 5.12.94	8.00
6.12.94 से 31.1.95	7.50
मानकीकृत दूध	
(पोलीपैक में)	
20.5.92 से 30.9.92	10.00
संपूर्ण मलाई युक्त दूध	
(पोलोपैक में)	
11.9.92 से 30.9.92	11.00
1.10.92 से 30.6.93	10.00
1.7.93 से 8.11.93	10.50
9.11.93 से 13.5.94	9.50
14.5.94 से 17.9.94	10.50
18.9.94 से 5.12.94	11.50
6.12.94 से 31.11.95	11.00

नई रेलगाडियां

20. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री काशीराम राणा :
श्री बलराज पासी :
श्री सुखेन्दु खान :
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान और दिसम्बर, 1994 तक कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई गयीं, उनके गंतव्य स्थल क्या है; और

(ख) और अधिक नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए सरकार के पास इस समय लम्बित पड़े अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुएं

21. **श्री येल्लैया नंदी :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री पी.सी. थामस :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मंहगी दरों पर चावल की बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं की कीमतें कितनी बार बढ़ी हैं;

(ग) क्या कोई राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, द्वारा निर्धारित मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्यों पर गेहूं और चावल का वितरण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यों को इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(च) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और साथ ही खुदरा/थोक बिक्री की दुकानों में बेचे जा रहे चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को घटाने

हेतु पूरे देश भर के लिए एक समान मूल्य नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) सरकार द्वारा समय पर अच्छे किस्म का चावल सस्ती दरों पर प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल का अन्तिम खुदरा मूल्य इस प्रकार है :

कॉमन चावल : 5.73 रु. प्रति कि.ग्रा.

फाइन चावल : 6.57 रु. प्रति कि.ग्रा. और

सुपर फाईन चावल : 6.90 रु. प्रति कि.ग्रा.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि 09.2.95 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में चावल का खुले बाजार में खुदरा मूल्य लगभग 8.50 रु. प्रति किग्रा था।

(ख) 1.1.1992 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नवत हैं :—

(रु. प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	गेहूं	चावल		
		कॉमन	फाइन	सुपर फाईन
28.12.1991	280	377	437	458
11.1.1993	330	437	497	518
1.2.1994	402	537	617	648

संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में वितरण हेतु खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपरिलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50/- रु. प्रति क्विंटल कम होते हैं।

(ग) से (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्यों में चावल और गेहूं केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से कम मूल्यों पर वितरित किए जा रहे हैं, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

राज्य	उचित दर की दुकानों में अन्तिम खुदरा मूल्य				टिप्पणी
	गेहूं	चावल			
		कॉमन	फाईन	सुपर फॉइन	
1	2	3	4	5	6
आंध्रप्रदेश	–	–	3.50	–	केवल अधिसूचित निर्धन परिवारों के लिए
कर्नाटक	3.45	5.10	5.35	5.45	वही
महाराष्ट्र	3.00	4.40	5.20	5.50	केवल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले खंडों के लिए
तमिलनाडु	–	3.50	4.75	4.75	सभी उपभोक्ताओं के लिए

खाद्यान्नों के अन्तिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को, केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, कोई भी विशिष्ट वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित वस्तुएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी की जाती है।

(छ) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की अधिप्राप्ति और निर्गम के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों और उनके नामित थोक विक्रेताओं को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल स्वीकार करने से पहले भण्डार का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। राज्य सरकारों को कदाचारों में लिप्त बेईमान तत्वों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन उपाय करने की सलाह दी गई है।

विचाराधीन मामले

22. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष और राज्य आयोग-वार और विभिन्न जिला फोरम में कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इन मामलों की संख्या कम करने और शिकायतों का छः माह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक फोरम में इस समय कितनी रिक्तियां लंबित हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह मंत्रालय ऐसी सूचना त्रैमासिक आधार पर संकलित करता है। केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संकलित किया गया है और संलग्न है।

(ख) कई राज्य सरकारें अंशकालिक जिला मंचों को पूर्णकालिक जिला मंचों में परिवर्तित कर रही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कार्य के भार को देखते हुए एक जिले में अतिरिक्त जिला मंच गठित करने का भी प्रावधान है। लेकिन अतिरिक्त जिला मंच गठित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ग) यह सूचना मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

राज्य आयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की संख्या			अपीलों की संख्या			जिला मंच			निम्न तिथि को समाप्त अवधि
	शुरूआत के बाद से दायर	शुरूआत के बाद से निपटाए गए	लम्बित मामले	शुरूआत के बाद से दायर	शुरूआत के बाद से निपटाए गए	लम्बित मामले	शुरूआत के बाद से दायर	शुरूआत के बाद से निपटाए गए	लम्बित मामले	
आंध्र प्रदेश	1119	333	786	3493	2826	667	64186	51442	12744	31.12.94
अरुणाचल प्रदेश	5	–	5	5	–	5	60	56	4	31.12.94
असम	353	128	225	164	73	91	2201	929	1272	30.9.94
बिहार	707	406	301	1293	554	739	18593	10370	8223	30.9.94
गोवा	104	84	20	214	175	39	1173	791	382	30.9.94
गुजरात	1500	866	634	1177	842	335	29896	15751	14145	31.4.94
हरियाणा	276	254	22	2489	1622	867	31553	22645	8908	30.9.94
हिमाचल प्रदेश	350	88	262	740	82	658	5195	4058	1137	30.9.94
जम्मू-कश्मीर	41	9	32	10	–	10	2470	446	2024	31.12.93
कर्नाटक	975	783	192	1587	717	870	14411	5067	9344	31.3.94
केरल	1245	811	434	2593	1306	1287	50011	36326	13685	30.9.94
मध्य प्रदेश	402	271	131	1491	1153	338	26598	14810	11788	30.9.94
महाराष्ट्र	2060	1107	953	3591	1506	2085	42340	29048	13292	30.9.94
मणिपुर	3	1	2	16	4	12	499	481	18	30.9.94
मेघालय	4	3	1	1	1	–	4	2	2	30.6.94
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	129	110	19	30.6.94
नागालैंड	4	–	4	–	–	–	13	6	7	30.9.94
उड़ीसा	1270	759	511	1099	331	768	10907	6948	3959	30.9.94
पंजाब	382	262	120	410	403	7	10855	6996	3859	30.9.94
राजस्थान	3623	787	2836	3571	1453	2118	55800	42511	13289	30.9.94
सिक्किम	1	1	–	–	–	–	43	15	28	31.12.94
तमिलनाडु	1567	1283	284	2408	1827	581	26089	16241	9848	30.9.94
त्रिपुरा	41	38	3	56	36	20	538	390	148	30.9.94
उत्तर प्रदेश	1534	691	843	8034	2369	5665	86249	49742	36507	30.9.94
पश्चिम बंगाल	2214	400	1814	650	354	296	16503	3491	13012	30.9.94
अंडमान व निकोबार	9	5	4	8	4	4	87	77	10	31.12.94
चंडीगढ़	531	263	268	277	180	97	5640	2806	2834	30.9.94
दादर व नगर हवेली	–	–	7	–	–	–	19	9	10	30.9.94
दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	32	16	16	30.9.94
दिल्ली	2296	1406	890	1838	1237	601	26099	17283	8816	31.12.94
लक्षद्वीप	–	–	–	1	1	–	18	15	3	31.12.94
पांडिचेरी	45	39	6	177	163	14	778	656	122	30.9.94
योग	22661	11078	11583	37393	19219	18174	528989	339534	189455	

1.2.1995 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आयोग में, 1911 अपीलें (पुनरीक्षण याचिकाओं सहित) और 440 शिकायतें लंबित पड़ी थीं।

मात्स्यिकी विकास निगम की रिपोर्ट

23. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी विकास निगम ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, विभिन्न बांधों के निर्माण, प्रदूषित जल तथा मत्स्यन संबंधी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि किस मात्स्यिकी विकास निगम के बारे में बात कही गई है। इस मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय राज्य फार्म

24. **डा. साक्षीजी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय राज्य फार्म के अंतर्गत कुल कितनी भूमि है;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के लिए बीजों के उत्पादन हेतु कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) 1993-94 के दौरान इन फार्मों में कितने बीजों का उत्पादन हुआ है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय राज्य फार्मों के अन्तर्गत भूमि का कुल क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है :—

(1) केन्द्रीय राज्य फार्म बहराईच -3828 हैक्टेयर

(2) केन्द्रीय राज्य फार्म रायबरेली -191 हैक्टेयर

(ख) उपरोक्त दो फार्मों में विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन हेतु उपयोग किया जा रहा भूमि क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय राज्य फार्म बहराईच -2716 हैक्टेयर

(2) केन्द्रीय राज्य फार्म रायबरेली -165 हैक्टेयर

(ग) 1993-94 के दौरान इन दो फार्मों में उत्पादित बीजों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(1) केन्द्रीय राज्य फार्म बहराईच -33683 क्विन्टल

(2) केन्द्रीय राज्य फार्म रायबरेली -1325 क्विन्टल

उर्वरकों की खपत

25. **श्री छेदी पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर कितनी खपत हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के समुचित उपयोग हेतु किसानों को कोई विशेष सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) बिहार में उर्वरक पोषकों की प्रति हैक्टेयर अनुमानित खपत 1992-93 के दौरान 56.82 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर और 1993-94 के दौरान 56.69 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है।

(ख) और (ग). बिहार में किसानों को उर्वरक के अनुसूचित उपयोग के लिये विशेष सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बिहार सहित सभी राज्य सरकारों को उर्वरक के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हैं :—

(1) उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग; तथा

(2) कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग के विकास की राष्ट्रीय परियोजना।

[अनुवाद]

वृहत्तर मुम्बई का विकास

26. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृहत्तर मुम्बई नगर के विकास हेतु चालू योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस शहर के विकास के लिये क्या अन्य कदम उठाये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) मेगा शहरों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए आरंभ की गई नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान स्कीम के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में मुम्बई को 16 करोड़ रु. की राशि जारी करने का प्रस्ताव हैं। बाद के वर्षों के लिए आबंटन, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों, शुरू की गई परियोजनाओं के निष्पादन तथा बजटीय आबंटनों पर निर्भर करेगा।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने वृहत्तर मुम्बई में शहरी अवसंरचना से सम्बन्धित विकास कार्यों को शामिल करते हुए मेगा शहर स्कीम के तहत एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इन निधियों का लाभकारी लागत वसूली तथा गैर लाभकारी मिश्रित परियोजनाएं आरंभ करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

मैंगनीज का उत्खनन

27. **श्री के.जी. शिवप्पा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीसगोड वन क्षेत्र में मैंगनीज के उत्खनन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है;

(ख) क्या अंधाधुंध खनन से उत्तर-कन्नड़ा क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ गया है;

(ग) क्या इस अंधाधुंध खनन के विरूद्ध कोई जोरदार प्रदर्शन किया गया था;

(घ) क्या पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में इस खनन को रोकने की अपील की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार ने उत्तर कन्नड जिले के बीसगोड वन में मैंगनीज उत्खनन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। तथापि, मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अभी औपचारिक अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ). इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इन मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का पहले ही निर्णय ले लिया गया है।

[हिन्दी]

हतीसा भगवंतपुर में रेलवे हाल्ट

28. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथरस सिटी तथा मुरसन रेलवे स्टेशनों के बीच हतीसा भगवंतपुर में रेलवे हाल्ट बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक बन जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शताब्दी एक्सप्रेस का हाल्ट

29. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को बरेली जंक्शन पर रोकने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). 2003/2004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता बरेली नहीं चलती है।

फल और सब्जियों के मूल्य

30. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मदर डेयरी के बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों के मूल्यों में समानता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों में इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह परिवर्तन मुख्यतः खुले बाजार, जहां पर मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होते हैं, के संबंध में कम मूल्य/अधिक मूल्य से संबंधित कठिनाई से बचने के लिए है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

दानापुर रेल मंडल

31. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर रेल मंडल के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों/हाल्टों की स्थापना करने तथा उपरिपुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). जी, हां दानापुर मंडल पर हाल्ट खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विगत में आरा और कुल्हड़िया स्टेशन के बीच जमीरा पर हाल्ट खोलने के लिए प्राप्त प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा इसे न तो वित्तीय दृष्टि

से और न ही यात्री सुविधा के आधार पर औचित्यपूर्ण पाया गया था। इसे बिहिया और कौड़िया स्टेशनों के बीच कुंवारदह गांव की गुमटी सं. 51 पर हाल्ट खोलने के दूसरे प्रस्ताव की जांच की जा रही है। लक्खीसराय पर एक उपरि पैदल पुल के निर्माण कार्य को वर्ष 1995-96 के अंतिम निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण

32. **श्री बलराज पासी :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री महेश कनोडिया :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रदूषण का स्तर कितना है;

(ख) क्या कुछ औद्योगिक एककों, वाहन तथा वनों की अन्धाधुन्ध और अवैध कटाई प्रदूषण के मुख्य कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई व्यापक नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई "ग्लोबल पाल्यूशन एंड हैल्थ" नामक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 54 शहरों में निलम्बित धूलकणों के स्तरों के मामले में दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई का स्थान क्रमशः चौथा, छठा और तेरहवां है। जहां तक सल्फरडाइ आक्साइड का सवाल है, 41 शहरों में से ये शहर क्रमशः 27वें, 18वें और 37वें स्थान पर हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक नीतियां बनाई हैं। इनमें प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण तथा राष्ट्रीय संरक्षण योजना और पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीति विवरण शामिल है। प्रदूषण उपशमन संबंधी नीति विवरण में विकास आयोजना के पर्यावरणीय एवं आर्थिक पहलुओं की परिकल्पना की गई, प्रदूषण उपशमन के निवारक पहलुओं तथा औद्योगिक प्रदूषको को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेशों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय संरक्षण योजना और पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीति विवरण में भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; ध्वनि प्रदूषण सहित वातावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा प्रोत्साहक एवं विनियामक उपायों का एक साथ प्रयोग करके औद्योगिक विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रव्वा तेल एवं गैस क्षेत्र के प्रभाव का आकलन

33. **श्री जी.एम.सी. बालयोगी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया की संयुक्त उद्यम कंपनी ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान से आंध्र प्रदेश में पसारलापुड़ी तेल कुएं में हुए विस्फोट को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्थापित किए जाने वाले रव्वा तेल एवं गैस क्षेत्र के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जाने वाले अध्ययन में परियोजना क्षेत्र की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति का आकलन भी शामिल है ताकि प्रस्तावित विकास के कारण पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का पता लगाया जा सके और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु उपाय सुझाए जा सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या अभी तक इस संबंध कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। परियोजना के प्रस्तावकों ने रव्वा तेल एवं गैस क्षेत्रों के चरण-2 के विकास के संबंध में एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 'नीरी' से अनुरोध किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रस्तावित विकास से संबंधित अध्ययन अभी आरंभ नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरिया की कमी

34. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में किसानों को इस रबी फसल के लिए पर्याप्त "यूरिया" प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इसे काले बाजार से खरीदना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारी कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). देश में यूरिया की उपलब्धता, जिस पर मूल्य और संचलन नियंत्रण है, कुछ राज्यों में अस्थायी और स्थानीकृत कमी को छोड़कर अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन चालू रबी मौसम के लिए आबंटनों में यथाप्रदर्शित राज्यों की मूल्यांकित मांग के संदर्भ में पर्याप्त रही है। ये कमियां रबी 1994-95 के लिए निम्न अथशेष भण्डारों, अनुकूल मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित मांग पद्धति में परिवर्तन, कुछ एककों में उत्पाद में कटौती, नौवाहनों के आगमन में यदा-कदा परिवर्तन तथा संचलन समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई।

यद्यपि राज्यों के अन्दर यूरिया का संतुलित वितरण संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, फिर भी चालू रबी मौसम के दौरान यदा-कदा अनुभव की गयी स्थानीय कमियां वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्तियां भेजकर शीघ्र पूरी की गयी।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत उर्वरकों में काला बाजारी तथा अन्य अनुचित व्यापार क्रियाकलापों के संबंध में प्रवर्तन का अधिकार राज्य सरकारों में निहित है।

क्षेत्र में यूरिया की सुधरी हुई समग्र उपलब्धता गत रबी मौसम की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 1.10.94 से 31.1.95 तक की अवधि के दौरान बिक्री में 5% वृद्धि का समर्थन कर सकी है।

(ग) चालू रबी मौसम के दौरान यूरिया की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) "शटडाउन" को आस्थगित करके तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.) के 3 बंद रूग्ण एककों में उत्पादन के पुनरूद्धार द्वारा यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम बनाया गया है।

(2) आयातित यूरिया के आगमन की रफ्तार को तेज किया गया है और पत्तनों पर इनके संचालन में तेजी लाई गई है।

(3) संयंत्रों/पत्तनों से यूरिया के प्रेषण में तेजी लाई गई है।

(4) राज्य सरकारों से परामर्श करके यूरिया के प्रेषण का मासिक कार्यक्रम बनाया गया है और आपूर्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्यों की चालू मांग के अनुसार उपलब्ध माल का समय पर तथा एक समान वितरण हो सके।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

35. श्री जीवन शर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में सुपर बाजार के घरेलू जूते और फर्नीचर विभागों में माह-वार कौन-कौन नये सप्लाईकर्ता शामिल किए गए;

(ख) नयी मदें शामिल करने के क्या कारण हैं विशेषस्य से, जब सुपर बाजार की माल सूची में पहले से ही स्थापित और प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की वस्तुएं शामिल हैं;

(ग) क्या कुछ माह पूर्व "लायड" ब्रांड नाम की स्टील अल्मारी सुपर बाजार की माल सूची में शामिल की गई है;

(घ) क्या यह अल्मारी घटिया स्तर की पाई गई है; और

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नई मदों की बिक्री शुरू करना एक सामान्य व्यापारिक व्यवहार है और इसकी अनुमति, उपभोक्ताओं की मांग हेतु विभिन्न प्रकार की मदों की उपलब्धता और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सुपर बाजार के गुणवत्ता नियंत्रण स्कंध द्वारा जांच/निरीक्षण किए जाते हैं और इसी प्रकार की एक जांच के दौरान यह पाया गया है कि मैसर्स "लॉयड" द्वारा सप्लाई की गई अल्मारी सप्लाई के लिए अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। उक्त सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी गई तथा उनक सप्लाई की गई वस्तुओं पर लागत मूल्य पर 5 प्रतिशत का दण्ड लगाया गया है।

विवरण

फरवरी, 1994 से जनवरी, 1995 के बीच शामिल किए गए आपूर्तिकर्ताओं की सूची

क्र.स.	आपूर्तिकर्ता का नाम	को शामिल किया गया	विभाग का नाम
1	2	3	4
1.	मैसर्स जाइफर शू फैक्टरी	28.2.94	जूता विभाग
2.	मै. चर्मकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड	2.2.94	-वही-

1	2	3	4
3.	मै. लॉयड सेफ कंपनी	21.4.94	फर्नीचर विभाग
4.	मै. भार्गव एण्ड भार्गव	7.12.94	–वही–
5.	मै वाईटल डिस्प्ले सिस्टम कंपनी	9.11.94	–वही–
6.	मै. शिवम एजेंसी	23.3.94	घरेलू विभाग
7.	मै. फेडरल एजेन्सी	23.3.94	–वही–
8.	मै. बी. के. इंटरप्राइजेज	23.3.94	–वही–
9.	मै. मानसरोवर इण्डस्ट्रीज	23.3.94	–वही–
10.	मै. सुमति टफलॉक कोटिंग्स	15.4.94	–वही–
11.	मै. एमीक्लज	1.6.94	–वही–
12.	मै. स्वीट होम एप्लायेन्सेज प्रा. लि.	1.6.94	–वही–
13.	मै. ओरिएण्ट जनरल इण्डस्ट्रीज लि.	1.6.94	–वही–
14.	मै. के.एस. एजेन्सीज	15.6.94	–वही–
15.	मै. प्लाजा केबल इलेक्ट्रीक प्रा.लि.	17.8.94	–वही–
16.	मै. प्रक्सटॅन केबल्स इण्डिया	31.8.94	–वही–
17.	मै. सिंगर इण्डिया लि.	21.9.94	–वही–
18.	मै. सहगल सन्स मार्केटिंग प्रा.लि.	21.9.94	–वही–
19.	मै. देवी दयाल एल्युमिनियम इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.	21.9.94	–वही–
20.	मै. सुविधा एप्लायेन्सेज	28.9.94	–वही–
21.	मैं दिल्ली प्लास्टिक इम्पोरियम	30.11.94	–वही–
22.	मै. कृष्णा ट्रैडिंग कंपनी	30.11.94	–वही–
23.	मै. होल्फीन इलेक्ट्रीक	7.12.94	–वही–
24.	मै. अभिनव इंटरप्राइजेज	28.9.94	–वही–

दाहोद कर्मशाला

36. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "प्राइवेट वैगन बिल्डर एंड रिहैबिलिटेशन" द्वारा सप्लाई किये गये नये माल डिब्बे की लागत क्या है और दाहोद कर्मशाला में माल डिब्बों की मरम्मत करने संबंधी लागत क्या है;

(ख) यदि माल डिब्बों की मरम्मत करना उनके व्यापार की तुलना में अधिक किफायती है तो दाहोद कर्मशाला के कारोबार को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) दाहोद कारखाने में बाक्स (वालब्रेक) किस्म के माल डिब्बे की मरम्मत लागत लगभग 2.50 लाख रुपये है। पिछले दस वर्षों से इस प्रकार के माल डिब्बे का निजी माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा निर्माण/आपूर्ति नहीं की गई है।

(ख) लागत में तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि पुराने माल डिब्बों की मरम्मत रेल कारखानों में ही की जा रही है न कि ट्रेड द्वारा। नए बॉक्स माल डिब्बों की खरीद भी ट्रेड से नहीं की जा रही है। मरम्मत संबंधी निष्पादन कार्य मरम्मत के लिए प्राप्त होने वाले पुराने डिब्बों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक एकर्कों को राजसहायता

37. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसायन और उर्वरक एकर्कों को अधिक राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में रसायन और उर्वरक एकर्कों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). नियंत्रित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता पृथक-पृथक एकर्कों के प्रतिधारण मूल्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य के बीच का अंतर होता है। इस समय केवल यूरिया, जो स्ट्रेट नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, प्रतिधारण मूल्य एवं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आता है। इस समय इस संबंध में किसी परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उर्वरक एकर्कों को नियंत्रित उर्वरकों के संबंध में दी गयी आर्थिक सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	आर्थिक सहायता की राशि (रु. करोड़ में)
1991–92	76.29
1992–93	65.34
1993–94	106.73

तेंदुओं की मौत

38. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री अंकुशराव टोपे :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चिड़ियाघर में दो तेंदुओं की मौत के साथ ही तेंदुओं की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में कैप्टिव ब्रीडिंग परियोजना समाप्त हो गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन तेंदुओं की मौत के कारणों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि चिड़ियाघर में पशुओं विशेषतौर पर आयातित पशुओं की देखभाल करने के लिए पशु विशेषज्ञता तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि दिनांक 14.11.1993 को एक चीते की मृत्यु तीव्र ब्रोंको निमोनिया और पुरानी इंटर्स्टीटियल नैफराइटिस के कारण हुई जबकि दूसरा चीता दिनांक 26.3.94 को सेनाइल पलमोनरी एम्फी सेवा के कारण हुई।

(ङ) चिड़ियाघर में पशु चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पशुओं के उपचार में विशेषज्ञता अभी उपयुक्त रूप से विकसित की जानी है। तथापि, पशु चिकित्सक पुशओं की चिकित्सा अपनी बुनियादी शैक्षिक जानकारी तथा अपने अनुभव के आधार पर करते हैं।

(च) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान प्रशु चिकित्सकों के लिए वन्य पशुओं के प्रबंधन के पशु चिकित्सा पहलुओं पर 9 माह का एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठा रहा है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

39. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली-मेरठ रेल लाइन के दोहरीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). दिल्ली और मुरादनगर के बीच बहु/दोहरी लाइनें मौजूद हैं। आगामी वर्षों में मुरादनगर और मेरठ शहर के बीच दोहरीकरण का कार्य शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में दूध की सप्लाई

40. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रतिदिन अनुमानतः कितने दूध की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) वर्तमान में इसकी कुल आवश्यकता में कितनी दूध की सप्लाई दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के और केन्द्र खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) दिल्ली में दूध की कुल अनुमानित आवश्यकता 25 लाख लीटर प्रतिदिन है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) तथा मदर डेयरी इस समय दिल्ली में लगभग 10.35 लाख लीटर दूध प्रति दिन की आपूर्ति कर रहे हैं।

(ग) और (घ). जहां तक दिल्ली दुग्ध योजना का सम्बंध है, नए बूथ खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक मदर डेयरी का प्रश्न है, विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली में मदर डेयरी के नए दुग्ध बूथ खोलने के ब्यौरे

मदर डेयरी दिल्ली ने विक्रय की संभाव्यता तथा संचालन की व्यवहार्यता के आधार पर 400 थोक दुग्ध विक्रय केन्द्र चालू किए हैं। इसके अतिरिक्त मदर डेयरी ने 1995-96 के दौरान 100 से अधिक थोक दुग्ध विक्रय बूथों के लिए स्थानों का पता लगाया है तथा इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है। इसके लिए निम्नलिखित स्थान नियत किए गए हैं :—

क्र. सं.	स्थानीय प्राधिकारी	सुझाए गए क्षेत्रों की कुल संख्या	स्थान
1.	डी.डी.ए	26	चितरंजन पार्क, रोहिणी, अलखनन्दा, चिल्ला, सईदुलाजाब, पुल प्रहलादपुर, पीतमपुरा, लाडो सराई, जाफराबाद, झिलमिल कालोनी, पश्चिम विहार, मंडावली, फाजलपुर हाऊसिंग सोसायटी, प्रियदर्शिनी विहार, झिलमिल कालोनी फेस-2
2.	एम.सी.डी.	66	शास्त्री नगर, त्रिनगर, ओखला, संगम विहार, खानपुर, मस्जिद मोठ, इन्दीरा पार्क (पालम कालोनी) सुभाष नगर, पंखा रोड, बदरपुर, समयपुर बादली, कान्तीनगर, चन्दर नगर, नन्द नगरी, नांगलोई गांव , ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, शालीमार बाग, गोविन्दपुरी, निरंकारी कालोनी, लोनी रोड, बदरपुर एक्सटेंशन।
3.	एम.सी.डी. (स्लम्स)	12	दक्षिणपुरी, सुल्तानपुरी, तिलक विहार, दालतपुर, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी, बुद्ध नगर (नारायणा)

[हिन्दी]

सुपर बाजार

41. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सही है** कि नवम्बर, 1994 में सुपर बाजार की शाखाओं में बेचे गए "टाटा" नमक के एक किलो के पैकेट कम वजन के पाए गए थे;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की शिकायत पर साउथ एवेन्यू शाखा/अन्य शाखाओं द्वारा ये पैकेट वापस कर दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे कोई पैकेट वापिस नहीं किए गए, क्योंकि शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

42. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बिल्हौर और कानपुर स्टेशनों पर प्रदान की गई मूलभूत यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कानपुर और बिल्हौर दोनों ही रेलवे स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाली यातायात की मात्रा के अनुरूप सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में औद्योगिक प्रदूषण

43. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). जी, हां। हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या क्रमशः 145, 173 और 199 थी। इनमें से अधिकांश शिकायतें अशोधित अथवा आंशिक-शोधित औद्योगिक बहिस्राव छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण से संबंधित थी। सोडा ऐश, सीमेंट और रासायनिक उद्योगों से धूलकणों के उत्सर्जन द्वारा वायु प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन शिकायतों के संबंध में जांच पड़ताल की है और जांच-पड़ताल रिपोर्टों के आधार पर उसने संबंधित विनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ न्यायालयों में 352 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में विभिन्न औद्योगिक एस्टेटों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कार्रवाही की है ताकि छोटी औद्योगिक इकाइयां अपने औद्योगिक बहिस्राव को छोड़े जाने से पूर्व शोधित कर सकें। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से धन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि अधिकतर बड़े और मझौले उद्योगों ने पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है और ये सुविधाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

भूकम्प पीड़ित

44. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के लातूर तथा उस्मानाबाद के कुल भूकम्प पीड़ितों में से अब तक कितने प्रतिशत लोगों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) क्या उनके पुनर्वास पर किए खर्च का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को पुनर्वास हेतु दी गई धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महाराष्ट्र भूकम्प पनुर्वास परियोजना के तहत पुनः अवस्थित 52 गांवों की स्थायी पुनर्वास के लंबित मामले के संबंध में, 25000 प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवास दिये जा चुके हैं। परियोजना के तहत लगभग 6,000 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 11,000 अन्य मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना के तहत लगभग 6,000 मकानों के निर्माण पर अब तक 36.00 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते।

आयातित यूरिया पर राजसहायता

45. **श्री अंकुशराव टोपे :**
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में आयातित यूरिया पर राजसहायता के भुगतान में कमी पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित राशि कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). आयात की अनुमानित मात्रा और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर चालू वर्ष के दौरान यूरिया के आयात के लिए राज सहायता के भुगतान के लिए 1166 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

प्रावधान की पर्याप्तता की सतत् पुनरीक्षा की जाती है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता संसद के समक्ष रखी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

46. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में नई समरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद ने 21.3.93 को आयोजित अपनी बैठक में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशें देने के वास्ते राज्य सरकारों के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। मंत्रियों की समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की थी :-

1. भारत जैसे विशाल तथा विविधता वाले देश में कड़ाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक समान पद्धति को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।
2. जब तक तुलनात्मक रूप से समृद्ध वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की हकदारी से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक अधिक गरीब परिवारों को अधिक खाद्यान्न मुहैया नहीं कराए जा सकते हैं।
3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तुलनात्मक रूप से समृद्ध श्रेणियों को बाहर करने के सिद्धांत को लागू करें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को समाज के जरूरतमंद तथा पात्र तबकों तक सीमति किया जा सके।

उर्वरक राजसहायता बहाल करना

47. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने 1992 के स्तर पर उर्वरक राजसहायता बहाल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). केवल कर्नाटक ने, इस आधार पर कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण उनकी खपत कम हो गई है, अनियंत्रित उर्वरकों पर 1992 के स्तर पर उर्वरक राजसहायता बहाल करने की मांग की है।

(ग) चूंकि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर फास्फेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों को अनियंत्रित किया गया था, इसलिए उन्हें 1992 के स्तर पर वापस लाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

नदी प्रदूषण

48. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ नदियों का जल प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नदी जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए सरकार के पास एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता नेटवर्क है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी आंकड़ों के परिणामों के आधार पर 13 अत्यधिक प्रदूषित एवं 26 मध्यम प्रदूषित नदी क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है।

सरकार ने गंगा एवं यमुना के प्रदूषित भागों की सफाई के लिए 1985 में गंगा कार्य योजना तथा 1993 में यमुना कार्य योजना शुरू की थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो प्रतिपादन के अंतिम चरणों में है, के एक भाग के रूप में देश की अन्य प्रमुख नदियों की सफाई के लिए भी स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

पत्रकारों के लिए रियायतें

49. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं दिये जाने संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सुविधाएं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) इस समय राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों से मान्यता प्राप्त और संबद्ध राजधानी की 25 कि.मी. की परिधि के भीतर रहने वाले प्रेस संवाददाताओं को सदाशयी प्रेस कार्य हेतु प्रतिमाह 2500 कि.मी. तक की यात्रा के लिए पहले दर्जे में 25 प्रतिशत तथा दूसरे दर्जे/शयनयान दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत पर रेल यात्रा कूपन जारी किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा रियायतों के क्षेत्र को वित्तीय तंगियों के कारण नहीं बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

आरक्षण में अनियमितताएं

50. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री सूरज मंडल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से दलाल रेलवे आरक्षण अधिकारियों से पहले ही बड़े पैमाने पर आरक्षण टिकट प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान जोन-वार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या वर्तमान रेलवे नियम ऐसी अनियमितताओं को रोकने तथा दलालों को सजा देने के लिए अप्रर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). अगस्त, 94 से जनवरी, 95 के दौरान ऐसे कुल 1416 मामले पकड़े गए थे। रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	पकड़े गए मामलों की संख्या
मध्य	10
पूर्व	368
उत्तर	16
पूर्वोत्तर	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	कोई नहीं
दक्षिण	239
दक्षिण मध्य	104
दक्षिण पूर्व	116
पश्चिम	563

(ग) और (घ). ऐसे मामलों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधानों को रेल अधिनियम, 1989 में और कड़ा बनाया गया था। दलालों की गतिविधियों की जांच करने के लिए वाणिज्यिक और सतर्कता कर्मचारियों द्वारा स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में अचानक जांच की जाती है।

रिक्त स्थान

51. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई जोनल रेलवे तथा उत्पादन एककों में महाप्रबंधक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पांच क्षेत्रीय रेलों यथा उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों तथा तीन उत्पादन इकाइयों यथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और पहिया एवं धुरा संयंत्र में महाप्रबंधकों के पद स्थानीय व्यवस्था द्वारा भरे जा रहे हैं।

(ग) और (घ). इन पदों पर नियुक्ति करने संबंधी प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ पहले ही भेज दिए गए हैं।

नई रेल लाइनें

52. **श्री अनिल बसु :**
डा. सुधीर राय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बर्धमान से तारकेश्वर तक बरास्ता आराम बाग नई रेल लाइन के निर्माण और इसके विष्णुपुर तक विस्तार और बंदेल और बर्धमान और चन्द्रपुर से शक्तिगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या बर्धमान और पुरूलिया के बीच अब तक सीधी रेल लाइन नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इन्हें रेल लाइन से कब तक जोड़ दिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बर्धमान आसन सोल के रास्ते पुरूलिया सेज जुड़ा हुआ है।

(ङ) और (च). परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण आसनसोल के रास्ते बर्धमान और पुरूलिया के बीच सीधी गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विषैले अपशिष्ट

53. **श्री श्रीकान्त जेना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन और अन्य देश अपने विषैले अपशिष्टों का निर्यात करके भारत को कूड़ादान बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है और इन दोनों देशों द्वारा भारत को वार्षिक आधार

पर निर्यात किए जाने वाले विषैले अपशिष्टों का स्वरूप और मात्रा कितनी है;

(ग) क्या इन विषैले अपशिष्टों से पर्यावरण और पेड़-पौधों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) देश में विषैले अपशिष्टों को डालने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 1989 अधिसूचित किया है। जिसमें खतरनाक अपशिष्टों की उत्पत्ति, एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन उपचार निपटान तथा इनके आयात को विनियमित करने का प्रावधान है। नियम 11 के अनुसार किसी अन्य देश से भारत में खतरनाक अपशिष्टों को जमा करने और निपटान करने के लिए आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि, प्रत्येक मामले की जांच गुण-दोष-आधार पर जांच करने के बाद संसाधित करने या कच्चे माल के रूप में पुनर्प्रयोग करने के लिए इस प्रकार के अपशिष्टों को आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के खतरनाक अपशिष्टों का आयात इन नियमों के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

वार्षिक योजना

54. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों की वार्षिक योजनाओं को 31 जनवरी, 1995 तक स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) किन-किन राज्यों की वार्षिक योजनाओं की समीक्षा की जा रही है;

(ग) क्या वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में सभी राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). वर्ष 1995-96 के लिए निम्नलिखित राज्यों के वार्षिक योजना आकारों को अंतिम रूप दे दिया गया है :-

(1) केरल, (2) हरियाणा, (3) मिजोरम, (4) पश्चिम बंगाल, (5) असम, (6) मेघालय, (7) नागालैंड, (8) त्रिपुरा, (9) पंजाब, (10) हिमाचल प्रदेश, (11) राजस्थान, (12) तमिलनाडु, (13) मध्य प्रदेश, (14) गोवा, (15) सिक्किम, (16) कर्नाटक

इन 16 राज्यों में से केरल, हरियाणा, मिजोरम नागालैण्ड, पंजाब, तथा राजस्थान के लिए व्यापक क्षेत्रकीय परिव्ययों के निर्धारण हेतु सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श समाप्त हो गया है। अन्य राज्यों के लिए सरकारी स्तर के परामर्शों को सूचीबद्ध कर लिया गया है और इस संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही इन पर निर्णय ले लिया जाएगा।

चुनावों तथा राज्यों के निजी संसाधनों के उचित मूल्यांकन आदि का अभाव जैसे विभिन्न कारणों से बकाया नौ राज्यों के लिए 1995-96 के वार्षिक योजना आकारों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उर्वरकों के धारण तथा बिक्री मूल्य

55. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के धारण तथा बिक्री मूल्यों में अंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतर में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). नियंत्रित उर्वरकों के प्रतिधारण मूल्य (अर्थात उत्पादन लागत जमा सरकार द्वारा अलग-अलग एककों के लिए अनुमानित शुद्ध मूल्य पर लाभ) और सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सरकार द्वारा राज सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है। जबकि अलग-अलग संयंत्रों के मामले में इस अंतर में कमी के उदाहरण है, संपूर्ण रूप से यह अंतर बढ़ी हुई उत्पादन लागत तथा किसानों को बिक्री मूल्य में इस बढ़ोत्तरियों का पूर्णतः गैर-समायोजन के कारण बढ़ोत्तरी पर है।

बढ़ रहे राजसहायता बिल को नियंत्रित करने के लिए 25.8.1992 से सभी फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरक नियंत्रण मुक्त कर दिए गए थे। इसके अलावा, 10.6.1994 से यूरिया के मूल्य में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई और साथ ही निम्न विश्लेषण नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण उठा लिया गया।

[हिन्दी]

20 सूत्री कार्यक्रम

56. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ख). योजना आयोग 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से निधियां आबंटित नहीं करता। राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं में सेक्टरवार शीर्षों के तहत 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए प्रावधान करती हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 20-सूत्री कार्यक्रम की चुनिंदा मदों के तहत केवल वास्तविक निष्पादन की जांच करता है। अतः वित्तीय निष्पादन से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

फेरोक नदी पुल

57. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेरोक नदी पर रेल पुल निर्माण संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) इस कार्य को समय पर पूरा करने में विलम्ब के कारण इसकी लागत में कितनी वृद्धि हो गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). जी, हां। परन्तु नदी की बीच धारा में तल की असामान्य स्थिति के कारण पाया सं. 1, 2, 3, तथा 4 पर निर्माण कार्य मूल निर्माण विधि के अनुसार नहीं हो सका। तटबंधों तथा पाया सं. 5 और 6 पर कार्य परा हो चुका है।

निर्माण विधि में संशोधन के कारण अब ठेकेदार से संशोधित वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) संशोधित संविदा दे दिए जाने के बाद शेष कार्य को पूरा करने के लिए लगभग दो पूरे कार्य सीजन की आवश्यकता होगी।

(ङ) विलंब मुख्यतः तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो सकती है। वृद्धि की मात्रा संविदा के संशोधित मूल्य पर निर्भर करती है।

मत्स्य पालन के लिए कृतिक बल

58. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मत्स्य पालन के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं और इस बल के विचारार्थ विषय क्या-क्या हैं; और

(ग) इस कृतिक बल का दर्जा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने राज्यों के लिए झींगा पालन पर पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति गठित की है।

(ख) और (ग). इस समिति में इस विभाग में मात्स्यकी कार्य के प्रभारी अपर-सचिव की अध्यक्षता में दस सदस्य शामिल हैं। ये सदस्य कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय खारा जल कृषि संस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें, निजी संस्थान और केन्द्रीय मात्स्यकी के लिए तटवर्ती इन्जीनियरिंग संस्थान, से है।

इस समिति के विचारार्थ विषयों में देश में झींगा पालन के वर्तमान स्तर की समीक्षा तथा इसका सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव और ऐसे उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार करना सम्मिलित है जिनमें जलकृषि का पर्यावरण पर या पर्यावरण पर जलकृषि कुप्रभाव को, यदि कोई हो तो, कम करने के लिए झींगा जलकृषि परियोजनाओं में शामिल किए जाने वाले पर्यावरणीय मानिटरिंग और पर्यावरणीय प्रबंध में अपनाए जाने वाले उपाय दिए गये हों।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

59. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कई विकास परियोजनाएं संसाधनों की कमी के कारण स्थगित कर दी गयी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब शुरू किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है :-

नई लाइन

हावड़ा-आमता

आमान-परिवर्तन

लालकुंआ-काशीपुर

रामदडी-भिलड़ी

मेहसाणा-पाटन

(ख) और (ग). योजना आयोग से इन योजना शीर्ष के अंतर्गत और अधिक धनराशि लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) कार्य को संसाधनों के उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में पैदल उपरि-पुल का निर्माण

60. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेल्लीचेरी रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरि-पुल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या इस स्टेशन पर राजस्व प्राप्ति के अनुरूप यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार तेल्लीचेरी स्टेशन पर कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने का है; और

(छ) यह प्रणाली कब तक शुरू की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). तेल्लीचेरी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जो उस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा पर निर्भर करती है। तेल्लीचेरी रेलवे स्टेशन पर दो ऊंची सतह वाले प्लेटफार्मों 262 वर्ग मी. के प्रतीक्षालय, प्लेटफार्मों पर 2352 वर्ग मी. के सायबान, 9 नल, बैठने के पर्याप्त प्रबंध, 6 शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। हाल ही में, 1.84 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षालय में सुधार का काम किया गया है और अधिक विकास के रूप में 8.54 लाख रुपये की लागत से प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर सायबान की व्यवस्था करने तथा प्रकाश व्यवस्था के सुधार लाने संबंधी कार्य भी शुरू किए गए हैं। तेल्लीचेरी रेलवे स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप ये सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(च) और (छ). तेल्लीचेरी स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया गया है तथा इसे 1995-96 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ड्रिप सिंचाई संबंधी अनुसंधान

61. **श्री राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) नारियल पर ड्रीप सिंचाई से संबंधित अनुसंधान में इन केन्द्रों में प्रगति जारी है (क) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, (ख) जल संसाधन एवं विकास प्रबंध केन्द्र, कालीकट, (ग) केरल कृषि विश्वविद्यालय, (घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (ङ) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय।

नारियल पर किए परीक्षणों से पता चला है कि (I) केरल की स्थितियों में प्रति पेड़/दिन 30 लिटर जल से ड्रीप सिंचाई करना नारियल के लिए पर्याप्त है, (II) अवरोध की समस्या से बचने के लिए एक एम.एम. का माइक्रोट्यूब पर्याप्त है क्योंकि डिस्चार्ज रेट अधिक होता है, (III) लेटराइट मिट्टियों में ड्रीप सिंचाई के लिए प्रति घंटा 2 लिटर की दर से छिड़काव के लिए चार एमीटर्स पर्याप्त पाए गए हैं।

[हिन्दी]

जौनपुर रेलवे स्टेशन

62. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर रेलवे स्टेशन तथा उसके आसपास के स्थल को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या योजनाएं बनायी गयी हैं और कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) सौन्दर्यीकरण का कार्य कब से शुरू किया जायेगा और इसे कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। चूंकि जौनपुर और जौनपुर सिटी दोनों ही स्टेशनों का अनुरक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक से किया जा रहा है, इसलिए इन स्टेशनों को और अधिक सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

63. श्री एन.जे. राठवा : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पिछले कई महीनों से ठप पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक ढंग से चलाये जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के असफल होने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार, गुजरात में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में, जिसमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले ब्लॉक शामिल हैं, विशेष रूप से राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन कर रही है। गुजरात सरकार को इन क्षेत्रों में वितरण के लिए अतिरिक्त आबंटन नियत तथा आबंटित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें गुजरात शामिल है, के साथ ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की गई है और राज्य सरकार से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के उठाने पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

खान-पान यानों हेतु खाद्य वस्तुयें

64. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **रेल मंत्री** खान पान यानों हेतु वस्तुओं के बारे में 9 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों से जुड़े खान-पान यानों हेतु बिस्कुटों सहित खाद्य वस्तुओं की खरीद हेतु उत्तर रेलवे द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान खरीदी गई इस खाद्य सामग्री का मात्रा-वार, मद-वार ब्रांड-वार, स्रोत-वार, दर-वार और प्रक्रिया-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मदों की अग्रणी निर्माताओं/उनके द्वारा सुझाए गए अधिकृत वितरकों अथवा केन्द्रीय भण्डार से खरीद नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनमें किसी प्रकार की संभावित अनियमितता को रोकने हेतु बिस्कुटों सहित इन मदों की केन्द्रीय भंडार और अग्रणी निर्माताओं से खरीद करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) भोजन तैयार करने के लिए कच्चे माल की खरीद मानक/सरकारी स्रोतों जैसे सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा इसी प्रकार की अन्य इकाइयों से की जाती है। बिस्कुटों की खरीद दर संविदा के आधार पर सीधे अनुमोदित फर्मों/निर्माताओं या उनके प्राधिकृत वितरकों से की जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

जनवरी '94 से दिसम्बर '94 तक नई दिल्ली से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों में भोजन और नाश्ते के लिए आधार रसोईघर, नई दिल्ली खरीदे गए प्रमुख खाद्य पदार्थों का ब्यौरा

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	ब्रांड	स्रोत	प्रक्रिया	मात्रा	औसत दर रु.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्रेड	प्रीमियम	प्राधिकृत वितरक	दर संविदा	48799 अदद	8.00 प्रति
2.	बिस्कुट	ग्लूकोज	-वही-	-वही-	1470 सीवी	208.00 प्रति सीवी
3.	लाल मिर्च	"	केन्द्रीय भंडार सुपर बाजार, श्रमिक उद्योग	आपूर्ति वाले दिन प्रचलित दर	1450 कि.ग्रा.	35.00 प्रति कि.ग्रा.
4.	हल्दी	"	-वही-	-वही-	1160 "	30.00 "
5.	इलायची बड़ी	"	-वही-	-वही-	484 "	80.00 "
6.	गर्म मसाले	"	-वही-	-वही-	362 "	600.00 "

1	2	3	4	5	6	7
7.	खस-खस	ग्लूकोज	केन्द्रीय भंडार सुपर बाजार, श्रमिक उद्योग	आपूर्ति वाले दिन प्रचलित दर	374 कि.ग्रा.	70.00 प्रति कि.ग्रा.
8.	बेसन	"	-वही-	-वही-	535 "	19.00 "
9.	आटा	"	-वही-	-वही-	78675 "	6.00 "
10.	चावल	"	-वही-	-वही-	35250 "	22.00 "
11.	दालें	"	-वही-	-वही-	10060 "	19.00 "
12.	वनस्पति घी	पनघट नं. 1	डीसीएम एचवीओसी	समय-समय पर निर्धारित थोक दर	2726 टिन	515.00 " प्रति टिन 15 कि.ग्रा.
13.	अंडे	"	अनुमोदित निविदा-	खुली निविदा दाता	3,30,300 अदद	115.00 प्रति 100
14.	चिकन	"	-वही-	-वही-	61555 "	43.00 प्रत्येक
15.	मछली	"	-वही-	-वही-	20660 कि.ग्रा.	60.00 प्रति कि.ग्रा.
16.	फ्रूटी	फ्रूटी	निर्माता	प्रोपराइटरी आधार	11725 केस	120 प्रति केस 27 का
17.	प्रशीतित	सफल मटर	प्राधिकृत	-वही- वितरक	13580 कि.ग्रा.	29.00 कि.ग्रा.

लौंग का मूल्य

65. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लौंग का औसत मूल्य कितना रहा;

(ख) क्या देश में गत तीन वर्षों से लौंग के मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान लौंग के उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ चुनी हुई मंडियों में लौंग का वार्षिक औसत थोक मूल्य नीचे दिया गया है :-

(रुपये प्रति कि.ग्रा.)

वर्ष	नगरकाइल	बम्बई	कोट्टायम्
1991-92	255	225	257
1992-93	230	157	233
1993-94	201	113	165

(ख) जी, हां।

(ग) देश को प्रमुख मंडियों में लौंग के मूल्य में गिरावट मुख्यतः मंडियों में उस जिंस को बढ़ी हुई आपूर्ति के कारण आई।

(घ) और (ङ). लौंग की उत्पादन लागत के अनुमान सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

रेलगाड़ियों का पुनः चलाया जाना

66. डा. राम चन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनजंघा एक्सप्रेस और सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और इस मार्ग पर कोई अन्य गाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गाड़ियों के पुनः कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). इलाहाबाद में अर्द्ध कुम्भ मेले के दौरान यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए, चल-स्टाक हेतु 5657/5658 कंचनजंगा एक्सप्रेस एवं 3133/3134 सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) कंचन जंगा एक्सप्रेस को 11.2.95 से पुनः चला दिया गया है और सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस को 16.2.95 से पुनः चलाया जा रहा है।

मोटा अनाज विकास निदेशालय

67. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **कृषि मंत्री** 15 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटा अनाज विकास निदेशालय को मद्रास से जयपुर स्थानांतरित करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) इस निदेशालय को कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरकों पर राजसहायता

68. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति हेतु कुल कितनी राजसहायता मंजूर की गई है;

(ख) विभिन्न उत्पादों पर राजसहायता की दर कितनी-कितनी है;

(ग) क्या निर्माताओं को राजसहायता दी गई है और उसे थोक/खुदरा मूल्यों में शामिल किया गया है; और

(घ) छोटे और सीमांत किसानों ने अनुमानतः कितनी-कितनी उर्वरक राजसहायता का उपयोग किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95 के दौरान, किसानों को नियंत्रण रहित उर्वरकों पर रियायत देने की योजना के अधीन अब तक 250 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

रियायत की दर एम.ओ.पी. और स्वदेशी डी.ए.पी. पर 1000/-रुपये प्रति मी. टन, एस.एस.पी. पर 340/-रुपये प्रति मी. टन, स्वदेशी योगों पर 435-999 रु. प्रति मीटरी टन (पी. एण्ड के. के अंश के अनुसार)

(ग) और (घ). किसानों को की गई उर्वरकों की बिक्री की रिपोर्ट का राज्य सरकार द्वारा सत्यापन करने के बाद निर्माताओं को उपर्युक्त दरों पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना में छोटे सीमांत किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसान शामिल हैं।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

69. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने के औसत उत्पादन का आकलन किया है और 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गन्ने का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान गन्ने के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान परिस्थितियों में अनुमानतः कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(च) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और 1994-95 के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) देश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अब तक कोई भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गन्ने पर एक केन्द्रीय सरकार क्षेत्र की योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अधीन नव विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों, कृषि कार्यकर्ताओं जिसमें महिला भी शामिल हैं, को प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन अच्छी क्यालिटी के बीजों के उत्पादन, उन्नत उपस्करों के वितरण आदि पर जोर देने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान गन्ने का औसत उत्पादन 236.36 मिलियन मी. टन था।

वर्ष-वार वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा है :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी. टन)
1991-92	253.99
1992-93	228.03
1993-94	227.06

(घ) और (ङ). वर्ष 1994-95 के लिए गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 250 मिलियन मी. टन निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले उत्पादन 245.61 मिलियन होने का अनुमान है।

(च) भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विकास हेतु धनराशि

70. **श्री हाराधन राय :**
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इन राज्यों ने अब तक वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि की मांग की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग विकास के विभिन्न क्षेत्रकों हेतु राज्यों के साथ परामर्श से उनकी वार्षिक योजनाओं हेतु क्षेत्रीय आवंटनों को अंतिम रूप देता है। चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रक हेतु अनुमोदित परिव्ययों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निधियों के उपयोग संबंधी वास्तविक सूचना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही एकत्र की जाती है।

(ग) वार्षिक योजना 1994-95 के लिए समायोजन प्रस्ताव भेजते समय राज्यों ने राज्य योजना के अंतर्गत कृषि तथा इससे संबद्ध क्षेत्र में अतिरिक्त परिव्ययों की मांग नहीं की है।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत परिव्यय

(लाभ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6470
2.	अरुणाचल प्रदेश	4293
3.	असम	13933
4.	बिहार	15802
5.	गोवा	1134
6.	गुजरात	13331
7.	हरियाणा	7514
8.	हिमाचल प्रदेश	10011
9.	जम्मू और कश्मीर	9446
10.	कर्नाटक	22758
11.	केरल	19225
12.	मध्य प्रदेश	18505
13.	महाराष्ट्र	37287
14.	मणिपुर	2451
15.	मेघालय	4199
16.	मिजोरम	2402
17.	नागालैंड	2110
18.	उड़ीसा	15012
19.	पंजाब	8955
20.	राजस्थान	24555
21.	सिक्किम	1292
22.	तमिलनाडु	24360
23.	त्रिपुरा	3226
24.	उत्तर प्रदेश	36768
25.	पश्चिम बंगाल	9600
	कुल-राज्य	314639

[हिन्दी]

दूध का उपभोक्ता मूल्य

71. **श्री जगजीत सिंह बरार :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी इसके उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दूध का राष्ट्रीय स्तर पर औसत उपभोक्ता मूल्य क्या है;

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान दूध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा 1994-95 के लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने 9 जून, 1992 से दूध तथा दूध उत्पादों के आर्डर लागू होने के पश्चात निजी क्षेत्र को लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). दूध का उपभोक्ता मूल्य उत्पादन लागत संग्रहण, प्रशीतन, प्रसंस्करण आदि कारकों पर निर्भर करता है। दूध का मूल्य प्रचुर मौसम (नवम्बर से फरवरी) में न्यूनतम तथा कमी के मौसम (मई से अगस्त) में अधिकतम होता है। देश में सहकारी समितियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बेचे गए दूध का औसत मूल्य 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 6.4, 7.5 तथा 8.0 प्रति लीटर था।

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अपनाई जा रही नीतियां इस प्रकार हैं :—

1. अपने ही घरेलू क्षेत्रों में चुनिंदा प्रजनन तथा अन्य चयनित क्षेत्रों में उन्नयन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के गोपशु नस्लों का आनुवंशिक सुधार।
2. गैर प्रजातीय गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ वर्ण-संकरण।
3. चयनित प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण भैंस नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में गैर-प्रजातीय भैंसों का उन्नयन।
4. आहार तथा चारा संसाधनों का विकास।
5. उत्पादन कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन।
6. आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन, तथा
7. गैर-आपरेशन, पहाड़ों तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास। 1994-95 के लिए दुग्ध उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य 63.5 मिलियन टन है।

(घ) जी, नहीं। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन आदेश 1992 यूनिटों के पंजीकरण से संबंधित हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनारक्षित गाड़ियां

72. **श्री प्रेमचन्द राम :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक व्यस्त मार्गों पर पूर्णतः अनारक्षित गाड़ियों चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों का ब्यौरा क्या है और ये गाड़ियां कब तक चलाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पूर्णतः अनारक्षित गाड़ियां चलाने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है तथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे को सुदृढ़ बनाना

73. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों तथा इसकी वित्तीय स्थिति को सुनियोजित और सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). विगत की भांति, 1994-95 में भी रेलवे पर अतिरिक्त आंतरिक संसाधन जुटाने के साथ-साथ आमदनी में वृद्धि करने तथा संचालन व्यय कम करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है। कार्य योजना में शामिल प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) ऊर्जा संरक्षण,

(ii) परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग,

(iii) अनावश्यक गतिविधियों तथा निम्नलिखित अपव्ययों को समाप्त करना:—

(क) भाप इंजनों, भाप क्रेनों तथा भाप शेडों को शीघ्र नाकारा करना,

(ख) अनावश्यक यार्डों आदि को बंद करना,

(ग) अधिक मूल्य वाली मदों की खपत पर कड़ा नियंत्रण,

(iv) सभी ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन गतिविधियों की लागत पर नियंत्रण लागत में कटौती तथा लागत में किफायत करना,

(v) बेहतर सूची नियंत्रण,

(ग) उपर्युक्त कार्य योजना का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, इस योजना के कार्यान्वयन से, चालू वर्ष में साधारण संचालन व्ययों के संशोधित अनुमानों में लगभग 250 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। ऐसा बजटोपरांत कारकों यथा डीजल तथा बिजली की दरों में वृद्धि को आत्मसात् कर लेने के बाद हुआ।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

74. **श्री सुधीर गिरि :**
डा. मुमताज अंसारी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान देश में प्रत्येक उर्वरक का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) छोटे किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों हेतु राज्यों द्वारा कुल कितनी मांग की गई;

(घ) 1994 में राज्यों द्वारा की गई मांग और उनको की गई पूर्ति के बीच कितना अंतर रहा;

(ङ) इसके क्या कारण थे; और

(च) सरकार द्वारा राज्यों को कितनी राजसहायता दिए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान देश में सभी उर्वरकों का उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न राज्यों में नियंत्रित उर्वरकों का सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फसल-मौसमवार उर्वरक आपूर्ति योजनाएं बनाई जाती हैं। तथापि विभिन्न श्रेणी के किसानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का विषय है। नियंत्रित उर्वरकों की संपूर्ण उपलब्धता की राज्य सरकारों, उर्वरक निर्माताओं, पूल संचालन अभिकरणों और रेलवे के साथ समन्वय करके नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सरकार भी नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर नजर रखती है।

छोटे किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग को छोटी बोरियों में विशेष रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिया है।

(ग) से (ङ). गत तीन वर्षों में सभी उर्वरक पोषकों (एन+पी+के) के खपत उत्पादन और आयात के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

(लाख टन)

	खपत	उत्पादन	आयात
1992-93	121.55	98.63	29.86
1993-94	123.66	90.47	31.66
1994-95 (अनुमानित)	143.87	100.89	24.29 (दिसम्बर 94 तक)

देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए स्वदेशी कच्चे माल मुख्यतः नाइट्रोजन के लिए उपलब्ध है। फास्फेट के मामले में घरेलू कच्चे माल की बाधाओं से उत्पादन में आत्म-निर्भरता की गुंजाइश नहीं है। पोटाश का पूर्णरुपेण आयात किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश का ज्ञात और दोहन योग्य कोई भण्डार नहीं है। इन सीमाओं को देखते हुए स्वदेशी उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(च) नियंत्रित उर्वरकों के मामले में राजसहायता सीधे निर्माताओं को दी जा रही है राज्यों के माध्यम से नहीं। जहां तक कि नियंत्रण मुक्त उर्वरकों पर विशेष रियायत भी इस समय राज्यों के माध्यम से ही दी जा रही है।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में प्रत्येक उर्वरक का उत्पादन

(000 मी.टन)

उत्पाद का नाम	उत्पादन 1991-92			उत्पादन 1992-93			उत्पादन 1993-94		
	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यूरिया	12830.7	5902.1	0.0	13122.9	8036.5	0.0	13148.3	6048.2	0.0
ए/एस	547.0	114.9	0.0	561.8	118.0	0.0	621.9	130.6	0.0
सीएएन	447.2	111.8	0.0	545.1	136.3	0.0	666.2	166.6	0.0
ए/सी	112.6	28.1	0.0	122.3	30.6	0.0	130.7	32.7	0.0
डीएपी	2865.3	515.8	1318.0	2595.4	467.2	1193.9	1950.6	351.1	897.3
20:20	654.5	130.9	130.9	859.6	171.9	171.9	882.9	176.8	176.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एसएसपी	3009.0	0.0	481.4	2250.7	0.0	360.1	1900.0	0.0	304.0
15:15:15	336.1	50.4	50.4	351.5	52.7	52.7	303.1	45.5	45.5
एएनपी (20.7:20.7)	278.8	57.3	57.3	290.1	60.1	80.1	267.2	55.3	55.3
17:17:17	695.0	118.2	118.2	690.4	117.4	117.4	483.7	54.4	82.2
10:26:26	335.5	33.6	87.2	281.3	28.1	73.1	251.0	25.1	65.3
12:32:16	323.2	38.8	103.4	275.1	33.0	88.0	193.2	23.2	61.8
14:35:14	18.8	2.6	6.8	29.7	4.2	10.4	10.6	1.5	3.7
19:19:19	175.6	33.4	33.4	122.9	23.4	23.4	129.4	24.6	24.6
28:28	382.2	107.0	107.0	342.9	96.0	96.0	284.2	79.8	79.8
16:20	103.2	16.5	20.6	104.7	16.8	20.9	87.8	14.0	17.6
23:23	140.3	32.3	32.3	186.4	38.3	38.3	10.2	2.3	2.3
14:28:14	55.0	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग :	23308.0	7301.3	2562.2	22712.8	7430.3	2306.2	21321.0	7231.2	1815.7

उप-नगरीय रेल

75. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में उपनगरीय रेल सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पुश-पुल डी एम यू सेवाएं पहले ही बेंगलूरू सिटी-तुमकुर-अरसीकेरे, बेंगलूरू सिटी-मैसूर, बेंगलूरू सिटी-कृष्णराजपुरम, बेंगलूरू सिटी-येलहंका और बेंगलूरू सिटी-बेंगलूरू स्थित व्हाइट फील्ड के बीच पहले ही चल रही हैं।

आंध्र प्रदेश में वनों का विकास

76. श्री येल्लैया नंदी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आंध्र प्रदेश में, विशेषतः पूर्वी घाटों में वन भूमि का काफी बड़े पैमाने पर अवक्षय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में वनों के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). भारतीय सर्वेक्षण की 1991 और 1993 की वन रिपोर्टों की स्थिति की तुलना से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, विशेषकर पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजय नगरम में पोडू की खेती के कारण वास्तविक वन आवरण में 34 वर्ग कि.मी. की कमी आयी है।

(ग) आंध्र प्रदेश के वन आवरण का विकास करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं/ उठाने का विचार है, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य में वितरित पौध संख्या और वनीकृत क्षेत्रफल :—

क्र.सं.	वर्ष	वनीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वितरित पौध (लाखों में)
1.	1991-92	59690	1775.91
2.	1992-93	47453	1102.63
3.	1993-94	34530	917.19

(ii) आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एकीकृत वानिकी विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(iii) राज्य में वनों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

77. **डा. साक्षीची :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

78. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक पुनर्नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1994 तक जोन-वार तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार चालू और पूरक रजिस्टरों में दर्ज नैमित्तिक श्रमिकों को आगे कार्य उपलब्ध होने पर उनकी बारी आने पर वरिष्ठता के अनुसार पुनर्नियोजित किया जाता है। पुनर्नियोजन के लिए प्रतीक्षारत नैमित्तिक श्रमिकों को नियोजन के मामले में वरीयता दी जाती है।

[अनुवाद]

शताब्दी एक्सप्रेस

79. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खण्डूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और देहरादून के बीच चल रही शताब्दी एक्सप्रेस के समय के संबंध में देहरादून के जन प्रतिनिधियों की कोई राय ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने डिब्बे हैं और क्या सरकार ने इसमें सामान्य द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए व्यवस्था की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). प्रारंभिक/गंतव्य और मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर पथ/प्लेटफार्मों की उपलब्धता तथा अन्य परिचालनिक व्यवहार्यताओं को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों के समय के बारे में विनिश्चय किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न लोगों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा जनता के अन्य प्रतिनिधियों से नई दिल्ली और देहरादून के बीच शताब्दी जैसी गाड़ी चलाने की मांग प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ).यह गाड़ी एक पहला दर्जा वातानुकूल कुर्सीयान (एग्जीक्यूटिव दर्जा), सात वातानुकूल कुर्सीयान और दो पॉवर यान के साथ चलती है। शताब्दी किस्म की गाड़ियां पूरी तरह आरक्षित वातानुकूल गाड़ियां हैं और उनमें दूसरा दर्जा नहीं होता है।

रोजगार

80. **श्री के. प्रधानी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रोजगार के अनुमानतः कितने अवसर पैदा करने का विचार है; और

(ख) चालू योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में रोजगार पैदा करने में अब तक वास्तविक उपलब्धि क्या रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). आठवीं योजना में अर्थव्यवस्था के 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि के अनुरूप योजना अवधि में लगभग 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई है। योजना के प्रथम दो वर्षों में जब अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक संवृद्धि लगभग 3.9 प्रतिशत रही है, लगभग 12 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने का अनुमान है। इस संबंध में राज्यवार अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

खतरनाक रसायन उद्योग

81. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :** क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में खतरनाक रसायन उद्योगों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उद्योगों के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). खतरनाक रासायनिक उद्योगों के प्रसार पर नियंत्रण रखने के अनुक्रम में, 21 रसायनों/रसायनों के समूह को उन उद्योगों की सूची में रखा गया है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग अनिवार्य हैं। सरकार खतरनाक रसायनों के निर्माण की अनुमति विभिन्न मुद्दों, जैसे सुरक्षा, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल इत्यादि पर संतुष्ट होने के पश्चात् ही देती है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य में 18 रसायनिक उद्योग खतरनाक रसायनों के निर्माण में लगे हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से दो नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस दिये गये हैं।

आमान परिवर्तन

82. **श्री के.जी. शिवप्पा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अरासिकीरी-हासन-मंगलौर खण्डों पर आमान परिवर्तन कार्य की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 235 किलो मीटर लम्बी मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 219.63 करोड़ रुपये है।

(ग) आगामी वर्षों में बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

गुलाब का उत्पादन

83. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिशन फ्लोरा इंडिया लिमिटेड को देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुलाब के उत्पादन हेतु मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी की इकाइयां कहां-कहां पर लगाई जाएंगी; और

(ग) ये इकाइयां कब तक लगा दी जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) मिशन फ्लोरा इंडिया लि. कम्पनी के लिए स्वीकृत इकाई की स्थापना करनाल (हरियाणा) में की जा रही है।

(ग) इसके द्वारा 1995 के अंत तक उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चर्चगेट-विरार लेडीस स्पेशल

84. **श्री मोहन रावले :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल संरक्षा आयुक्त ने पश्चिम रेलवे की 635 डाउन चर्चगेट-विरार लेडीस स्पेशल रेलगाड़ी की 13 अक्तूबर, 1993 की हुई असामान्य दुर्घटना की जांच करते हुए पश्चिम रेल संबंधी कतिपय स्थानीय बातों के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, हां। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र द्वारा की गई सिफारिशों में शामिल हैं :—

(i) महिला विशेष गाड़ियों में महिला कांस्टेबल तैनात करना।

(ii) असामाजिक तत्वों द्वारा सभी बिजली फिटिंगों की उठाईगीरी रोकने के लिये उन पर रोधक जालों की व्यवस्था करना।

(iii) सवारी डिब्बों की छतों में छिद्रों को ठीक करना।

(iv) महिला विशेष गाड़ियों में फेरी वालों का प्रवेश रोकना।

(v) सवारी डिब्बे में तीव्र आपात प्रकाश की व्यवस्था करना।

(vi) खतरे की जंजीर के उपकरणों में सुधार करना।

(vii) अग्नि शमन उपाय करने के कार्य को पूरा करना।

(viii) दुर्घटना स्थलों पर रेल कर्मचारियों के साथ हाथापाई न करने के संबंध में जनता के मन में रेल कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए प्रेस तथा अन्य माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार करना, और

(ix) महिला विशेष गाड़ियों आदि को बरकरार रखने की वांछनीयता के लिए सर्वेक्षण करना।

(ग) इन सिफारिशों पर रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) राजकीय रेल पुलिस प्राधिकारियों द्वारा महिला सवारी डिब्बों में महिला कांस्टेबल तैनात कर दिए गए हैं;

(ii) सभी बिजली फिटिंगों पर रोधक जालियों की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है;

(iii) नियमित उपाय के रूप में प्रत्येक मानसून के शुरू होने से पहले छतों के छिद्रों की मरम्मत की जाती है। आवधिक ओवरहालिंग के समय सभी रेकों की अन्य छोटी-मोटी मरम्मत और सुधार कार्य भी किये जाते हैं;

(iv) पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर महिला सवारी डिब्बों में फेरीवालों तथा कालेज के छात्रों के प्रवेश की जांच की जाती है;

(v) सवारी डिब्बों में बेहतर प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु इनकैंडसेंट लैम्पों के स्थान पर फ्लोर सेंट ट्यूब लाइट की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है;

(vi) खतरे की जंजीर के उपकरणों के कार्य संचालन में सुधार लाने हेतु सभी ई.एम.यू. रेकों में गाइड क्लिपों की व्यवस्था करने का कार्य पूरा किया गया है;

(vii) सभी रेकों में अग्नि शमन उपायों की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया है सिवाय उन 3 रेकों के, जिनमें पुनः तार लगाने के कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा;

(viii) जनता के मन में रेल कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने तथा रेल कर्मचारियों के साथ हाथापाई न करने के अनुरोध के संबंध में प्रेस तथा मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार शुरू किया गया है और ऐसे प्रचार नियमित अंतरालों पर किए जाएंगे।

(iv) महिला विशेष गाड़ियां लोकप्रिय पाई गई हैं। पश्चिम रेलवे दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए उपनगरीय सेवाओं तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि की है।

चावल और गेहूं का उत्पादन

85. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में कोई आंकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इन जिन्सों का निर्यात करने की स्थिति में है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन जिन्सों के कुल कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वह किस सीमा तक पूरा हुआ;

(घ) देश में अतिरिक्त खाद्यान्नों का भंडारण करने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में काम के बदले अनाज की योजना को फिर से शुरू करने का भी विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991-92 और 1993-94 के दौरान चावल और गेहूं का लक्ष्य और उत्पादन इस प्रकार है :—

(मिलियन मी. टन)

वर्ष	चावल		गेहूं	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1991-92	76.50	74.68	56.50	55.69
1992-93	77.25	72.86	57.00	57.21
1993-94	78.50	78.97	58.50	59.13

(घ) अनाजों के अधिशेष स्टाक के कारण अपेक्षित अतिरिक्त भंडारण क्षमता हासिल करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निम्नलिखित प्रबंध किया है :—

(1) राज्यों और इसके अभिकरणों के पास उपलब्ध सारी रिक्त भंडारण क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(2) सभी वेयर हाऊसिंग निगमों (केन्द्रीय और राज्य) से अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकताओं के लिए संपर्क किया गया है।

(3) चालू गोदामों के निर्माण में तेजी लाई जा रही है।

(4) वर्तमान गोदाम परिसरों में उपलब्ध भूमि तथा इसके अधिकार में भूमि जहां अभी गोदाम का निर्माण किया जाना है, की सीमा तक भारतीय खाद्य निगम की अपनी सी.ए.पी. क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(5) वृहत् सी.ए.पी. परिसरों के निर्माणार्थ परित्यक्त वायुयान पहियों को किराए पर लेने के लिए राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा रक्षा प्राधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।

(6) खुले भंडारण तथा बंद गोदामों हेतु कुर्सी क्षेत्र का सृजन करने के लिए निजी पार्टियों को उत्साहित करना।

(ङ) से (छ). जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अधीन मजदूरी का एक भाग खाद्यान्नों, जो अधिक से अधिक दो किलोग्राम प्रति मानव दिवस है, में दिया जाता है तथा मजदूरी का 50 प्रतिशत नकद में दिया जाता है। लेकिन खाद्यान्नों में मजदूरी का भुगतान वैकल्पिक है, यह खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों पर निर्भर करता है, ताकि कामगारों को उन मूल्यों पर, जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, खाद्यान्न प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के लिए 12 लाख मी.टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एकक

86. श्री गोपी नाथ मुण्डपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक तथा अन्य एककों का पता लगाने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रदूषण फैलाने वाले एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 अभिनिर्धारित श्रेणियों के बड़े और मझौले सेक्टरों में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिनिर्धारित इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	173
2.	असम	15
3.	बिहार	62
4.	गोवा	06
5.	गुजरात	177
6.	हरियाणा	43
7.	हिमाचल प्रदेश	09
8.	जम्मू व कश्मीर	08
9.	कर्नाटक	85
10.	केरल	28
11.	मध्य प्रदेश	78
12.	महाराष्ट्र	335
13.	मेघालय	01
14.	उड़ीसा	23
15.	पंजाब	45
16.	राजस्थान	49
17.	सिक्किम	01
18.	तमिलनाडु	119
19.	केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	01
20.	दिल्ली	05
21.	केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी	06
22.	उत्तर प्रदेश	224
23.	पश्चिम बंगाल	58

(ग) इन इकाइयों को पहले ही निर्देश दिया गया है कि निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए समय-बद्ध आधार उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां स्थापित करें।

[हिन्दी]

बीजों का विकास

87. श्री राम कृपाल यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के लिए विकसित किए गए बीजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे बीजों के विकास पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के बीजों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) बहु शाखीय अनुसंधान के जरिए किस्में विकसित की जाती हैं। इस प्रकार केवल किस्मों के विकास के लिए अलग से निधि नहीं दी जाती।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के बीजों का ब्यौरा

1.	चावल	:	हीरा, सी.एस.टी.-7-1, हरियाणा बासमती-1, वी एल धान-221, आई आर 64, सी आर 1002, लुनीश्री, पी एन आर 381, अजय, नरेन्द्र धान 359, पूसा 44-33
2.	गेहूं		एम ए सी एस-2496, मालविय गेहूं-318, पी डी डब्लू-215, संगम, एच एस-295, डब्लू एच-592, एच एस-277, एच पी डब्लू-42, एच पी-1633, डी डब्लू आर-162, के-88 पी बी डब्लू-299, डी एल 784-3, जी डब्लू-173, जी डब्लू-190, डी डब्लू आर-195, यू पी-2338, डी एल 803-2, एच आई-8381, डब्लू एच-896, एच पी-1731, डी टी-46
3.	मक्का		त्रिशूलता, डेक्कन-107, डेक्कन-109, माहीकंचन, मेघा, के एच-598
4.	ज्वार	:	पी के वी-400 (एस पी वी-860), पालयूर, सी जे-38, सी एस वी-15, (एस पी वी-946), एस एस वी-84, सी ओ एच-4(एस पी एच-506), सी एस एच 14, सी एस एच 13 आर, के-10, सी एस वी 14 आर
5.	जौ		अल्फा-93, एच बी एल-113
6.	मोटे अनाज		आई सी एम पी 8203, एम पी 155, पूसा सफेद, मल्लिकार्जुन, मुक्ता, आर सी बी-169, एच एच बी-67, वी बी एच-4, आई सी एम वी-155 मी, एकनाथ, एम एल ई एच 104, राज-171, एम एच 322 (पूसा 322), आई सी एम वी-221
7.	छोटे मोटे अनाज		
	(i) फिंगर मिलेट		वी एल 124, वी एल 149, ए 404
	(ii) कोदो मिलेट		जी पी यू के-3
	(iii) फाक्सटेल मिलेट		एल 5224 (नागार्जुन), एल 1387 (सागर भावना)
	(iv) बर्नयार्ड मिलेट		के ई 12, (चन्दन), वी एल 21, वी एल 29
8.	चना		जे जी 74, आर एस जी 44, ई जी 372, सदाबहार, आई सी सी वी-10, उदय (के पी जी-59)
9.	अरहर	:	जवाहर अरहर 4, आई सी पी एल 87119, पूसा-9, पारस (एच 82-1)
10.	मूंगबीन	:	आर एम जी-62, बी एम-4, एम यू एम-2, एम एच 88-111
11.	उड़दबीन	:	टी पी यू-4, एल बी जी-402,
12.	फील्ड पी		जवाहर मटर-5, जे पी-885, के एफ पी-103
13.	मसूर	:	जे एल-1, सपना, पन्त मसूर-4, शिवालिक (लेन्स-4076)
14.	राजमा	:	मालविय राजमाश-137, एच पी आर-35
15.	गन्ना	:	को 86032, को 87025, को 87044, को 87263, को 87268
16.	कपास	:	एस वी पी आर 1, एल के 861, एल 391, एल आर के 516, आर एस टी 9, सी आई सी आर एच एच आई, मेक 4, एन एच एच 390, सी ए एच एच 468, टी एम 1312, जे के एच वाई जैड, सी आई सी आर एच एच 2
17.	तम्बाकू	:	1. **एफ सी वी तम्बाकू :** गौतमी, वर्जिना 1158, तम्बाकू नाटू स्पेशल
			2. **चबाने वाला तम्बाकू :** मीनाक्षी, वैशाली स्पेशल

वृक्षों की कटाई

88. श्री बलराज पासी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने और इसका उल्लंघन करने पर सख्त सजा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वृक्षों की अवैध/अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ). वृक्षों की कटाई को भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राज्य सरकार के कानूनों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है, जिनमें अवैध कटाई के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। दोषियों पर संबंधित कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाता है। राज्य सरकारें भी गश्त तेज करके तथा वन संरक्षण समितियों में लोगों को शामिल करके उपयुक्त एहतियाती कदम उठाती है।

छितौनी-बगहा पुल

89. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत गंडक नदी पर छितौनी-बगहा रेलवे पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या उक्त लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य भी इसी अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा कितनी राशि का अंशदान किया गया है; और

(घ) इनके द्वारा अपनी अंशदान की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 31.12.96 तक बशर्ते कि अन्य सह-भागीदारों यथा जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार द्वारा अपने हिस्से की धनराशि की व्यवस्था कर दी जाए।

(ख) लाइन का निर्माण बड़ी लाइन के रूप में किया जा रहा है। वाल्मीकिनगर से नरकटियागंज तथा खड्डा से गोरखपुर तक जोड़ने वाली मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने अब तक क्रमशः 29.63 करोड़ रुपए में से 7.10 करोड़ रुपये, 32.12 करोड़ रुपए में से 10.50 करोड़ रुपए और 26.20 करोड़ रुपए में से 12.97 करोड़ रुपए की धनराशि दी है।

(घ) अन्य सह-भागीदारों के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनके द्वारा देय राशि का भुगतान करने के लिए उच्च स्तर पर निरन्तर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है परन्तु उनसे यह धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। उनके द्वारा अपने हिस्से की पूरी धनराशि का भुगतान *31.3.96 तक किया जाना अपेक्षित है।*

[अनुवाद]

नवजीवन एक्सप्रेस

90. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नवजीवन एक्सप्रेस को गुजरात में हापा (जामनगर) तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

छोटे किसानों को सहायता

91. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और सीमान्त किसानों को दी जा रही सहायता को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले को दिल्ली में 1994 के दौरान आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). वर्ष 1994 के दौरान कृषि पर मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन, 5 मार्च, 1993 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछेक राज्यों ने छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने की योजना को जारी रखने के मुद्दे की मांग की है और तदनुसार इस योजना को आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि अपूर्ण कार्य पूरे हो सकें।

संगम एक्सप्रेस को आगे तक चलाना

92. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की मांग को देखते हुए सरकार का विचार संगम एक्सप्रेस को वाराणसी तक चलाने का है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी का एक वातानुकूलित सवारी डिब्बा जोड़ने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक लागू किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). संगम एक्सप्रेस में पहले से ही एक वातानुकूलित 2 टियर सवारी डिब्बा दैनिक आधार पर चलाया जाता है।

[अनुवाद]

सामाजिक सांख्यिकी

93. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकी विभाग ने सामाजिक सांख्यिकी के आंकलन और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में नए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनका क्या परिणाम रहा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). सामाजिक महत्व के अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न सूचकों पर समय श्रृंखला आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिए, "भारत के लिए चयनित सामाजार्थिक सूचक" शीर्षक नाम से एक नियमित प्रकाशन को 1987 से जारी किया जा रहा है। हाल ही का प्रकाशन 1992 से संबंधित है। प्रकाशन में शामिल किए गए सूचकों की संख्या 1987 में 46 से बढ़कर 1992 में 74 हो गई है।

लिंग विशेष सांख्यिकी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सांख्यिकी के क्षेत्र में सांख्यिकी विभाग ने एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक व सामाजिक आयोग (एस्कैप) के सहयोग से ऐसे सांख्यिकी के विकास पर एक परियोजना आरंभ की गई है जिसे कार्यान्वित करने के लिए लिंग विषयों पर सांख्यिकी के सुधार हेतु विभिन्न लिंग विषयों पर आंकड़ा प्रयोक्ता तथा उत्पादकों के बीच आपसी तालमेल सुनिश्चित करने हेतु 28-29 अप्रैल, 1994 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला ने विशेषकर भारत से संबंधित मुख्य लिंग विषयों और सांख्यिकी सूचकों जिसमें समय श्रृंखला आंकड़ा एकत्रित किया जाना अपेक्षित हो, का पता लगाया।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी विभाग के तहत अपने सामाजार्थिक सर्वेक्षणों में रोजगार-बेरोजगारी, शिक्षा, आवास दशा आदि पर नियमित रूप से आंकड़ा एकत्रित कर रहा है। महत्व के नए क्षेत्रों उदाहरणार्थ, लिंग विषयों, कमजोर वर्गों की समस्याओं, वृद्धों, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य आदि पर सूचना एकत्र करने के लिए भी पहल की गई है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

94. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के स्थान पर एक कानून के प्रारूप को अन्तिम रूप देने हेतु देश भर में विचार-विमर्श शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा;

(ग) क्या इस कानून को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के विचारों पर ध्यान दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई गैर-सरकारी संगठनों ने प्रस्तावित वन विधेयक का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों ने क्या शंकाएं व्यक्त की हैं; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (छ). भारतीय वन अधिनियम, 1927 के स्थान पर एक कानून के प्रारूप को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। प्रारूप को अंतिम रूप देते समय उनके विचारों को ध्यान में रखा जायेगा। गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी परामर्श शुरू किया गया है जिनके विचारों को ध्यान में रखा जायेगा। कुछ उपबंधों के बारे में कुछ गैर सरकारी संगठनों का मतभेद है और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि बानिकी में स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसमें समुचित प्रावधान किए जाने चाहिए।

लखनऊ और कानपुर के बीच रात्रि गाड़ी सेवा

95. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लखनऊ और कानपुर के बीच रात्रि रेलगाड़ी सेवा न होने के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर (8 बजकर 55 मिनट पर लखनऊ से 5063 अप के बाद) ऐसी रेलगाड़ी शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) सरकार को ऐसी किन्हीं कठिनाइयों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि 2055 बजे के बाद नियमित रूप से लखनऊ और कानपुर के बीच बहुत अधिक दैनिक यात्री यातायात नहीं होता है।

(ख) यातायात की कमी के कारण न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगियों के कारण व्यावहारिक।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में दुग्ध क्रांति

96. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(के) गुजरात में दुग्ध क्रांति, पशुपालन और मछलीपालन के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजनावार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन योजनाओं के संबंध में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और वास्तव में कितने प्राप्त किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). गुजरात में क्रियान्वित की जा रही दुग्ध क्रांति, पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का ब्यौरा, 1992-93 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जारी की गई निधियों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, दूध, अण्डा तथा ऊन उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां और 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में ताजा जल में मत्स्य पालन की विकास की योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र इस प्रकार है :—

		1992-93		1993-94		1994-95	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	दूध (मिलियन मी. टन)	3.45	3.80	3.55	3.55	3.80	3.65
2.	अण्डा (मिलियन)	3.50	4.73	3.60	3.60	5.00	3.70
3.	ऊन (000 कि.ग्रा.)	2.30	1.67	1.86	1.900	1.89	1.90
4.	मछली पालन के अंतर्गत लाया गया जल क्षेत्र (एच ए)	*	3899	*	3125	*	5761

* = निर्धारित न किए गए लक्ष्य।

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जारी की गई निधियों सहित गुजरात में क्रियान्वित की जा रही दुग्ध क्रांति, पशुपालन तथा मछली पालन संबंधी विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार	—	1.20	—
2.	आहार एवं चारा विकास की सहायता	—	—	14.75
3.	राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना	34.84	14.25	43.00
4.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	14.27	164.36	—
5.	बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार के लिए राज्यों को सहायता	—	26.28	22.75
6.	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	22.13	20.00	14.35
7.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	2.00	188.00	—

1	2	3	4	5
8.	राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम	22.50	15.00	—
9.	भारवाही पशुओं का विकास	6.60	8.65	—
10.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	—	2.51	—
11.	छोटे बंदरगाहों पर मछली पकड़ना	30.56	109.63	—
12.	ताजा जल मत्स्य पालन का विकास	15.00	17.00	—
13.	एकीकृत खारा जल मछली फार्म का विकास	11.50	36.16	—
14.	समुद्र तटीय मात्स्यिकी का विकास	173.60	233.00	101.00
15.	मछली पालकों का कल्याण	1.38	—	—

[अनुवाद]

नया रेल मार्ग

97. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच वर्तमान रेलमार्ग के स्थान पर नया रेलमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

जाली टिकट

98. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान तथा दिसम्बर, 1994 तक प्रत्येक जोन, विशेषरूप से दिल्ली-सहारनपुर सेक्शन में जाली टिकटों के विक्रय के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इसमें लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कार्य योजना

99. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता लाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं जिनसे 2000 ईस्वी तक परिवहन व्यय की लागत में 15 प्रतिशत की कमी के निगमित योजना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी कार्य योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 1994-95 के दौरान संचालन अनुपात में वृद्धि की संभावना है;

(च) इसमें गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है; और

(छ) भविष्य में संचालन अनुपात में वृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). परिचालन की लागत को कम करने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। इनमें परिसंपत्तियों का उपयोग, परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता में सुधार, दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन शक्ति उत्पादकता और ऊर्जा की बचत में सुधार करना शामिल है और इस प्रकार प्रणाली के परिचालन अनुपात में सुधार हो रहा है। चूंकि समवेत योजना 1985-2000 तक 15 वर्षों की अवधि के लिए है इसीलिए प्रयास जारी है और उपलब्धि सुधार परिचालन अनुपात में देखी जा सकती है।

(ङ) से (छ). बजटीय परिचालन अनुपात 1993-94 में 82.9 प्रतिशत की तुलना में 1994-95 में 85.4 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया है। इस संबंध में वर्ष के दौरान एक योजना शुरू की गई है। आशा है कि उपयुक्त उपायों से परिचालन अनुपात में सुधार होगा।

रेलवे के परिव्यय

100. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा हाल ही में योजना आयोग के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना पर मध्यावधि समीक्षा पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा रेलवे की आठवीं पंचवर्षीय योजना के मूल योजना अनुमान में भारी कटौती कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अनुमानित मूल योजना और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्व कमाने वाले क्षेत्रों में कमी होने के बावजूद पहले ढाई वर्षों के दौरान रेलवे का वित्तीय कार्य-निष्पादन संतोषप्रद रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें रेलवे को राजस्व उत्पादन में कमियां हुईं; और

(च) सरकार द्वारा आठवीं योजना अवधि के राजस्व उत्पादन लक्ष्यों को बनाए रखने के क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा प्राप्त होने वाले यातायात और प्रक्षेपणों पर केन्द्रित थी। अधिक प्रगति लाने के लिए तैयार की गई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से योजना आयोग ने किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). जी, हां। तथापि, 1992 के दौरान देश के अनेक भागों में अव्यवस्था और 1993-94 में महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होने के कारण रेलों का निष्पादन विशेषकर माल यातायात से प्राप्त राजस्व प्रभावित हुआ। इस संबंध में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए रेलों के निष्पादन और लक्ष्य की तुलना नीचे दी गई है :—

माल यातायात से आय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	कमी/बेशी
1992-93	11100	10903	(—) 197
1993-94	12830	12557	(—) 273

उपर्युक्त के अलावा, मालभाड़े के बकाया में मुख्यतः राज्य बिजली बोर्डों और बिजली घरों द्वारा रेलों को देय राशि का समय पर भुगतान न करने के कारण भी वृद्धि हो रही है।

(च) आय में वृद्धि करके और संचालन व्यय पर नियंत्रण रखकर, रेलों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 1992-93 और 1993-94 में एक कार्य योजना शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, रेलों के लिए 1992-93 में संचालन व्यय पर नियंत्रण रख पाना और उसमें 1993-94 में लगभग 200 करोड़ रुपए की कटौती कर पाना संभव हुआ। चालू वर्ष में संचालन व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं। अधिकाधिक माल-यातायात की दुलाई के लिए उपयुक्त विपणन नीतियां अपनाई गई हैं। प्रमुख ग्राहकों से बकाया की वसूली करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

हल्दिया पैट्रो-केमिकल्स परियोजना

101. श्री चित्त बसु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया पैट्रो-केमिकल्स परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निवेश तथा ऋण के संभावित ढांचों की अंतिम रूप से पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब से चालू होने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचित किया गया है, परियोजना की अनुमानित लागत 3600 करोड़ रुपए है जिसे ऋण-इक्विटी अनुपात 2:1 के माध्यम से वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय संस्थानों से 950 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में लेने का प्रस्ताव है। शेष ऋण संघटक बैंकों और सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।

(घ) परियोजना से संबंधित कार्य जारी है। परियोजना 1998 के पूर्वार्द्ध तक पूरी की जानी है।

आवश्यक औषधियों के मूल्य

102. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम विलास पासवान :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1994 में नई औषध नीति की घोषणा के पश्चात् औषधियों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या मूल्य नियंत्रित औषधियों की संख्या मूल्य नियंत्रित की जाने वाली औषधियों की संख्या से कम है;

(घ) क्या सभी प्रकार की जीवन-रक्षक औषधियों को मूल्य नियंत्रित की जाने वाली औषधियों की सूची से अलग रखा गया है अथवा रखे जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका उपभोक्ताओं विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) आवश्यक औषधियों को उचित मूल्यों पर आम लोगों का उपलब्ध कराने तथा इन औषधियों के तेजी से बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). औषध नीति, 1986 में संशोधन, जिसे सितंबर, 1994 में घोषित किया गया था, के परिणामस्वरूप 6 जनवरी, 1995 को अभी हाल में औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ) अधिसूचित किया गया है और इसके जारी होने के बाद लगभग 1 महीने की अल्प अवधि में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ). डी.पी.सी.ओ., 1995 में शामिल मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत औषधों का चयन औषध नीति में संशोधनों में निरूपित मापदण्डों के अनुसार है और यह अनुमान लगाया गया है कि बाजार में औषधों का लगभग 50 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं।

(च) उचित मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डी.पी.सी.ओ. जारी किया गया है। डी. पी.सी.ओ., 1995 के उपबन्धों का कोई उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दण्डनीय है।

बुक किए गए माल की चोरी

103. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच चलने वाली गाड़ी 2723 और 2724 ए.पी. एक्सप्रेस में बुक किए जाने वाले माल की चोरी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) 1994 में तथा अब तक जोनवार ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं तथा इन घटनाओं में कितने मूल्य के बुक किए गए मालों की चोरी हुई है;

(ङ) इन घटनाओं में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) ऐसी चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). वर्ष 1995 (जनवरी तक) के दौरान मध्य रेलवे पर सिकन्दराबाद से नई दिल्ली तक गाड़ी सं. 2723 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर. से चोरी होने के एक मामले की सूचना मिली थी, जिसमें 4 अपराधियों की गिरफ्तारी सहित चोरी गई 15,000/- रुपए की पूरी संपत्ति बरामद कर ली गई थी तथा रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई थी।

इसके अलावा, वर्ष 1994 के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिकन्दराबाद से नई दिल्ली तक गाड़ी सं. 2723 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर./सामान यान से 24,450/-रु. मूल्य के बुक किए गए सामान में कमी के कुल 14 मामलों की सूचना मिली थी। इसी प्रकार, 1994 में सिकन्दराबाद में नई दिल्ली से सिकन्दराबाद तक गाड़ी सं. 2724 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर./सामान यान से कमी के 6 मामलों की सूचना मिली थी। प्रेषितियों ने अभी तक मूल्य की घोषणा नहीं की है।

वर्ष 1995 (जनवरी तक) के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिकन्दराबाद से नई दिल्ली तक गाड़ी सं. 2723 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर. से बुक किए गए सामान में कमी के 11 मामलों की सूचना मिली है। प्रेषितियों ने अभी तक मूल्य की घोषणा नहीं की है। तथापि, वर्ष 1995 (जनवरी तक) के दौरान सिकन्दराबाद में नई दिल्ली से सिकन्दराबाद तक गाड़ी सं. 2724 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर. से ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

इन सभी मामलों में यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या सूचित की गई कमी आपराधिक गतिविधियों के कारण है या कम लदान, गलत प्रेषण के कारण अथवा गलत घोषणा के कारण।

(च) ऐसे मामलों की रोकथाम करने के लिए गाड़ी सं. 2723 और 2724 ए.पी. एक्सप्रेस के एस.एल.आर. के मार्गरक्षण हेतु रेल सुरक्षा बल के कर्मी तैनात किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों की रोकथाम करने हेतु रा.रे.पु., रेलों के वाणिज्यिक विभाग और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

दूरसंवेदी तकनीक

104. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और दूरसंवेदी तकनीक की

सहायता से कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है और इनसे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त तकनीक की सहायता से अभी तक कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और इस संबंध में सरकार की भावी विस्तृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). मृदा संसाधनों के स्तर के मूल्यांकन के लिए दूरसंवेदी तकनीकें महत्वपूर्ण साधन हैं। ये तकनीकें सीधे कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा सकती। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजना ब्यूरो ने व्यापक रूप से मृदाओं के नक्शे तैयार करने, मृदा अपघटन के मूल्यांकन तथा मृदा के नक्शों के विकास के लिए इस तकनीक का उपयोग किया है। दूरसंवेदी सूचना तथा भूमि की सही स्थिति के आधार पर देश के मृदा संसाधन के मानचित्र बनाये जा रहे हैं। यह सूचना उपयुक्त उत्पादन नीतियों तथा प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों के विकास के लिए उपयोग में लायी जायेगी।

(ग) दूरसंवेदी तकनीकें भूमि, जल, वन, खनिजों, मृदाओं, महासागरों आदि से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों पर सर्वाधिक नवीनतम तथा क्रमबद्ध सूचना प्रदान करेंगी। जिला, राज्य तथा देश के स्तर पर इन संसाधनों के मानचित्र से संसाधन प्रबन्धकों, निर्णय करने वालों तथा योजना बनाने वालों को कारगर तथा सशक्त साधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस वैज्ञानिक सूचना के आधार पर विकसित उत्पादन नीतियों पर सम्पूर्ण उत्पादकता निर्भर करेगी। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चीनी की कमी

105. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में उचित दर की दुकानों को चीनी की भी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 माह के दौरान चीनी का अपना कोटा नहीं ले सके; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उचित दर की दुकानों को आगामी महीनों में चीनी का पूरा कोटा सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1994 तथा जनवरी, 1995 के दौरान कई उचित दर दुकानों पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा सकी है। इसी अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) दिल्ली में उचित दर दुकानों को चीनी की अपर्याप्त आपूर्ति, दिल्ली में उचित दर दुकानदारों द्वारा आयातित चीनी को स्वीकार करने में अनिच्छा प्रकट किए जाने और भारतीय खाद्य निगम तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बीच तालमेल की समस्याएं होने के कारण हुई बताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने लेवी चीनी के वितरण को मार्च, 1995 से भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। दिसंबर, 1994 तथा जनवरी, 1995 के लिए चीनी के कोटे को उठाने के लिए वैधता की अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से बढ़ा दी गई है।

संसाधन जुटाना

106. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचवर्षीय योजनावधि के पहले तीन वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा संसाधन जुटाने हेतु किए गए अपर्याप्त प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में संसाधन जुटाने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितना वास्तविक संसाधन जुटाया गया;

(घ) संसाधन जुटाने के मामले में केन्द्रीय सरकार का कितना हिस्सा है; और

(ङ) संसाधन जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ). अनुमोदित योजना परिव्यय राज्यों के अपने स्वयं के संसाधनों की वचनबद्धताओं और सम्भावित केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। राज्य के संसाधनों/योजना परिव्यय की प्रति वर्ष वार्षिक योजना विचार विमर्शों के दौरान विभिन्न स्तरों पर (उपाध्यक्ष और मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के स्तर सहित) समीक्षा की जाती है। दिए गए आश्वासन के विपरीत संसाधन जुटाने में कमी के मामलों में राज्यों को संसाधनों को जुटाने, राज्य स्तर के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने और योजना व्यय में कमी से बचने के लिए गैर-योजना राजस्व व्यय में किफायत करने, लघु बचतों के संग्रहण में सुधार लाने आदि की समय-समय पर सलाह दी गई है। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित योजना परिव्ययों, राज्य के संसाधनों और केन्द्रीय सहायता के राज्य वार ब्यौरे राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधनों के वास्तविक/पूर्व वास्तविक/नवीनतम अनुमान और उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ योजना व्यय संलग्न विवरण-I से III में दिये गए हैं।

विवरण–I

अनुमोदित परिव्यय, राज्य के अपने संसाधन और केन्द्रीय सहायता : 1992–93

(करोड़ रु. चाल कीमतों पर)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना			पूर्व वास्तविक		
		अनुमोदित परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता	योजना परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता
1		2	3	4	5	6	7
क. विशिष्ट श्रेणी							
1.	अरुणाचल प्रदेश	245.00	0.00 (-32.80)	245.00 (258.85)	237.90	4.21	280.11
2.	असम	960.00	0.00 (-650.55)	960.00	649.15	-462.01	1007.28
3.	हिमाचल प्रदेश	486.00	90.00 (-266.78)	396.00	489.50	-117.66	378.32
4.	जम्मू व कश्मीर	820.00	0.00 (-704.38)	820.00	620.00	-920.58	867.03
5.	मणिपुर	210.00	2.04 (-62.91)	207.96	156.82	-113.10	207.13
6.	मेघालय	241.00	23.47 (-54.79)	217.53	198.78	-50.00	195.70
7.	मिजोरम	160.00	1.81 (-42.86)	158.19	165.18	-33.08	167.93
8.	नागालैंड	185.00	0.00 (-117.91)	185.00	110.19	-187.65	206.45
9.	सिक्किम	110.00	1.10 (-41.36)	108.90	102.53	-20.09	108.87
10.	त्रिपुरा	282.00	19.36 (-168.73)	262.64	220.00	-156.88	244.28
	जोड़ (क)	3699.00	137.78 (-2203.07)	3561.22	2950.05	-2116.84	3663.10
ख. गैर–विशिष्ट श्रेणी							
11.	आंध्र प्रदेश	1660.00	305.17	1354.83	2401.41	718.45	1682.96
12.	बिहार	2202.73	574.25	1628.48	1201.04*	-251.64*	1452.69*
13.	गोआ	152.50	81.77	70.73	162.11	94.68	67.43
14.	गुजरात	1875.00	1124.79	750.21	2382.49	1541.63	840.86
15.	हरियाणा	830.00	427.61	402.39	751.30	351.04	400.26
16.	कर्नाटक	1915.00	1056.65	858.35	2187.50	1373.64	813.86
17.	केरल	913.00	85.68	827.32	782.69	-37.18	819.87

1		2	3	4	5	6	7
18.	मध्य प्रदेश	2400.00	1181.12	1218.88	1979.15	662.49	1316.66
19.	महाराष्ट्र	3160.00	2025.58	1134.42	4584.34	3470.26	1114.08
20.	उड़ीसा	1405.00	240.56	1164.44	909.16	24.11	885.05
21.	पंजाब	1500.00	-619.19	2119.19	1018.45	96.53	922.12
22.	राजस्थान	1400.00	369.01	1030.99	1460.36	430.65	1029.71
23.	तमिलनाडु	1751.00	295.60	1455.40	1935.14	597.18	1337.96
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	12.42	3840.58	3054.80	-253.99	3308.79
25.	पश्चिम बंगाल	1542.64	-145.81	1688.45	994.75	-143.96	1138.71
	जोड़ (ख)	26559.87	7015.21	19544.66	25804.69	8673.89	17131.01
	कुल जोड़ (क+ख)	30258.87	7152.99	23105.88	28754.74	6557.05	20794.11

परेंथिसिस आंकड़े जोड़ से संबंधित हैं।

*पूर्व वास्तविक।

विवरण-II

अनुमोदित परिव्यय, राज्य के अपने संसाधन और केन्द्रीय सहायता : 1993-94

(करोड़ रु. चाल कीमतों पर)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना			पूर्व वास्तविक		
		अनुमोदित परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता	योजना परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता
1		2	3	4	5	6	7
क. विशिष्ट श्रेणी							
1.	अरुणाचल प्रदेश	290.00	1.25 (-24.36)	28.75	263.91	3.99	279.51
2.	असम	1027.00	-118.07	1145.07	856.44	-561.38	1166.43
3.	हिमाचल प्रदेश	560.00	96.00 (-239.60)	464.00	560.00	-272.80	417.14
4.	जम्मू व कश्मीर	880.00	0.00 (-683.38)	880.00	684.00	-1067.44	1110.80
5.	मणिपुर	230.00	3.40 (-75.88)	226.76	177.36	-81.84	267.30
6.	मेघालय	281.00	14.00 (-55.10)	267.00	196.47	-111.68	245.86
7.	मिजोरम	185.00	2.50 (-22.56)	182.50	183.89	-60.94	212.91
8.	नागालैंड	203.50	1.38 (-173.47)	202.12	168.41	-193.02	289.18

1		2	3	4	5	6	7
9.	सिक्किम	120.00	1.21 (-48.84)	118.79	100.12	-33.72	118.32
10.	त्रिपुरा	310.00	21.68 (-164.29)	288.32	218.00	-78.30	250.01
	जोड़ : क	4086.50	23.35 (-1605.55)	4063.31	3408.60	-2457.13	4357.46
ख. गैर-विशिष्ट श्रेणी							
11.	आंध्र प्रदेश	1851.00	234.58	1616.42	2905.97	763.36	2142.61
12.	बिहार	2300.00	498.40	1801.60	750.00*	-758.59*	1783.57*
13.	गोवा	170.00	107.35	62.65	152.32	96.44	55.88
14.	गुजरात	2137.00	1358.13	778.87	1609.26	703.77	905.49
15.	हरियाणा	920.00	395.80	524.20	782.74	411.31	371.43
16.	कर्नाटक	3025.00	2139.10	885.90	2766.87	1610.36	1156.51
17.	केरल	1000.00	46.63	953.37	1037.56	156.69	880.87
18.	मध्य प्रदेश	2400.00	1106.53	1293.47	2296.15	751.23	1544.92
19.	महाराष्ट्र	3804.00	2587.76	1216.24	4106.23	2641.14	1465.09
20.	उड़ीसा	1450.00	236.86	1213.14	987.55	43.20	944.35
21.	पंजाब	1250.00	-146.68	1396.68	1007.70	-310.64	1318.34
22.	राजस्थान	1700.00	571.90	1128.10	1664.10	464.02	1230.08
23.	तमिलनाडु	2101.00	545.02	1555.98	2558.13	946.89	1611.24
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	-192.95	4242.95	2674.23	-474.33	3148.56
25.	पश्चिम बंगाल	1550.00	-96.71	1646.71	1008.67	-228.42	1238.09
	जोड़ (ख)	29708.00	9391.72	20316.28	26338.48	6816.43	19797.03
	कुल जोड़ (क+ख)	33794.50	9415.07	24379.59	29747.08	4359.30	24154.49

परेंथिसिस आंकड़े जोड़ से संबंधित हैं।

*पूर्व वास्तविक।

विवरण-III

अनुमोदित परिव्यय, राज्य के अपने संसाधन और केन्द्रीय सहायता : 1994-95

(करोड़ रु. चालू कीमतों पर)

क्र.स.	राज्य	वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान		
		अनुमोदित परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता	योजना परिव्यय	राज्य के स्वयं के संसाधन	केन्द्रीय सहायता
1		2	3	4	5	6	7
क. विशिष्ट श्रेणी							
1.	अरुणाचल प्रदेश	335.00	3.00	332.00	333.48	-1.19	334.67
2.	असम	1051.00	-154.88	1205.88	539.00	-654.18	1193.18

	1	2	3	4	5	6	7
3.	हिमाचल प्रदेश	650.00	211.84	438.16	-127.96	-546.44	418.48
4.	जम्मू व कश्मीर	950.00	0.00 **	950.00	240.33	-1408.67	1649.00
5.	मणिपुर	240.00	-30.00	270.00	194.95	-52.95	247.90
6.	मेघालय	281.00	-27.09	308.09	169.32	-64.80	234.12
7.	मिजोरम	207.66	-18.08	225.74	129.02	-81.72	210.74
8.	नागालैंड	220.00	-32.50	252.50	63.16	-196.59	259.75
9.	सिक्किम	135.00	-16.00	151.00	94.98	-52.79	147.77
10.	त्रिपुरा	310.00	-31.03	341.03	213.17	-64.86	278.03
	जोड	4379.66	-94.74 **	4474.40	1849.45	-3124.19	4973.64
ख. गैर विशिष्ट श्रेणी							
11.	आंध्र प्रदेश	2130.00	-60.59	2190.59	2010.37	-272.34	2282.71
12.	बिहार	2400.00	331.95	2068.05	2400.00*	331.95*	2068.05*
13.	गोवा	182.00	104.36	77.64	163.48	82.48	81.00
14.	गुजरात	2240.00	1363.78	876.22	1475.00	596.56	878.44
15.	हरियाणा	1025.00	371.71	653.29	855.55	302.26	553.29
16.	कर्नाटक	3275.00	2094.95	1180.05	3138.73	1951.80	1186.93
17.	केरल	1260.00	224.41	1045.59	1576.43	180.84	1095.59
18.	मध्य प्रदेश	2750.00	1154.92	1595.08	1523.21	22.75	1500.46
19.	महाराष्ट्र	4400.00	2872.56	1527.00	5239.95	3352.51	1887.44
20.	उड़ीसा	1951.00	639.57	1311.43	1169.56	-39.48	1209.04
21.	पंजाब	1450.00	308.00	1142.00	1031.12	-162.49	1193.61
22.	राजस्थान	2450.00	1008.54	1441.46	2345.11	903.65	1441.46
23.	तमिलनाडु	2750.00	738.70	2011.30	2683.97	672.67	2.22.30
24.	उत्तर प्रदेश	4562.00	-114.07	4676.07	2988.70	-1792.04	4780.74
25.	प. बंगाल	1706.00	-44.20	1750.20	1367.99	-179.82	1547.81
	जोड़ ख	34531.00	10984.59	2346.41	29969.17	5951.30	23717.87
	कुल जोड़ (क+ख)	38910.66	10889.85	28020.81	31818.62	2827.11	28691.51

परेंथिसिस आंकड़े जोड़ से संबंधित है।

* वार्षिक योजना के अनुमान

* जम्मू व कश्मीर के (-) 656.70 करोड़ रु. छोड़कर जिसे योजना संसाधनों में शामिल नहीं किया गया था।

टिप्पणी : केंद्रीय सहायता तथा राज्यों के निजी संसाधन हमेशा योजना व्यय से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि कुछ राज्य योजना संसाधनों में कमी के मामले में घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से अंतराल को पूरा करते हैं।

आंध्र प्रदेश में अंतरनगरीय रेल गाड़ियां

108. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान गुन्टूर को अंतरनगरीय रेल गाड़ियों के द्वारा आंध्र प्रदेश के अन्य नगरों और शहरों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में मछली पत्तन

109. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केरल में किन-किन मछली पत्तनों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन प्रत्येक मछली पत्तनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए केरल सरकार से कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण की प्रगति के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाता है तथा एक केन्द्रीय मानीटरिंग समिति द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है।

राज्य सरकार ने परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कर लेने में अपनी गहन रूचि दिखाई है।

विवरण

वर्ष	मंजूर किये गये मत्स्यन बन्दरगाह का नाम	मंजूर की गई कुल लागत (रु. लाख में)	भारत सरकार का 50% अंश (रु. लाख में)	निर्मुक्त की गई धनराशि (रु. लाख में)	पूर्ण किये गये कार्य का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1991-92	1. मोपला की खाड़ी	564.00	282.00	65.00	(1) वे-ब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है। (2) जलरोध तक संपर्क सड़क बन गई है। (3) कुल 550 मी. में से 350 मी. की लम्बाई तक पुलिन-रोध (ग्रोइन) का काम कर लिया गया है।
	2. चोम्बाल	556.00	278.00	90.00	(1) भूमि अधिप्राप्ति का कार्य कर लिया गया है। (2) वे ब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है। (3) सम्पर्क सड़क का 60% काम पूरा कर लिया गया है। (4) उत्तर की तरफ के अहाते की दीवाल का काम पूरा कर लिया गया है।
1992-93	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
1993-94	1. थंगसारी चरण-II	569.50	284.75	25.00	(1) कुल 1685 मी. में से 940 मी. तक का मुख्य जलरोध का काम पूरा कर लिया गया है। (2) कुल 550 मी. की लम्बाई में से 130 मी. तक का पवन विमुख(लीवाई) जलरोध का काम पूरा कर लिया गया है। (3) डार्मिटरों का काम पूरा कर लिया गया है। (4) निरीक्षण भवन का काम पूरा कर लिया गया है। (5) भवनों के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है।
1994-95	1. कायमकुलम	624.60	312.30	–	कार्य की शुरूआत करने के लिए आरम्भिक व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम

110. श्री एन.जे. राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे अनुरोध मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). पर्यावरण और वन मंत्रालय ऐसी अनेक स्कीमों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिनका उद्देश्य दीर्घकालीन पारिस्थितिकी विकास करना है। कुछ ऐसी भी स्कीमें हैं जो अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और वे भी इसी तरह दीर्घकालीन पारिस्थितिकी विकास से जुड़ी हैं। तथापि गुजरात सरकार अथवा अन्य राज्यों से "पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम" शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त उन स्कीमों, जो दीर्घकालीन पारिस्थितिकी विकास में योगदान दे रही हैं, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1	2
	पर्यावरण और वन मंत्रालय
(क)	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
	1. एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजनाएं।
	2. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाएं।
	3. औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज।
	4. स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता।
(ख)	वानिकी तथा वन्य जीव खण्ड
	5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास।
	6. प्रोजेक्ट ऐलीफैंट।
	7. जैविक दबाव से वनों की सुरक्षा हेतु आधारभूत ढांचे का विकास।
	8. अवक्रमित वनों के सुधार में अनुसूचित जन-जातियों तथा निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना।
	9. दावानल नियंत्रण के आधुनिक तरीके।

1	2
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
10. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं।	
11. सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम।	
12. स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता।	
कृषि मंत्रालय	
13. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	

[अनुवाद]

पटसन का उत्पादन

111. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के मौसम के दौरान पटसन का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1994 के मौसम के दौरान अनुमानतः कितने एकड़ क्षेत्र में पटसन की खेती की गई;

(ग) 1994 में पिछले मौसम की तुलना में पटसन के उत्पादन तथा इसकी खेती के क्षेत्र में अनुमानतः कितनी वृद्धि अथवा कमी आई;

(घ) 1994 के मौसम के दौरान समर्थन मूल्य की तुलना में अच्छे किस्म के पटसन का औसत बाजार मूल्य कितना था; और

(ङ) 1994 के मौसम के अन्त में देश में किसानों के पास पटसन का अनुमानतः कितना भण्डार था?

कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1994-95 मौसम के दौरान जूट का अनुमानित उत्पादन प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की 74.1 लाख गांठे हैं।

(ख) 1994-95 मौसम में जूट के तहत् आने वाला क्षेत्र अनुमानित तौर से 681 हजार हेक्टेयर है।

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1993-94 की तुलना में 1994-95 में उत्पादन और क्षेत्र में होने वाली अनुमानित वृद्धि/कमी निम्नवत है :-

	1993-94	1994-95*	वृद्धि/कमी (%में)
क्षेत्र (हजार है. में)	697	681	(-) 2.3
उत्पादन (प्रत्येक 180 कि. ग्रा. की लाख गांठ)	73.8	74.1	(+) 0.4

* अनन्तिम

(घ) 1993-94 के दौरान मानक स्तर की गुणवत्ता वाले जूट का औसत थोक बाजार मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) किसानों द्वारा रखे जाने वाले भण्डार के अनुमान को एकत्रित नहीं किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान कच्चे जूट का थोक मूल्य

राज्य/केन्द्र/किस्म		रुपया प्रति क्विण्टल	
		न्यूनतम समर्थन मूल्य	वार्षिक औसत
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू-5	466.00	710.41
कलकत्ता	टी डी-5	491.00	745.83
असम	टी डी-5	450.00	658.75
नौगांव			
उड़ीसा			
केंदूपटना	डब्ल्यू-5	451.00	740.00
दानपुर	डब्ल्यू-5	451.00	693.33
बिहार			
पूर्णिया	टी डी-5	476.00	693.33

[हिन्दी]

उर्वरकों की कमी

112. श्री फूलचंद वर्मा :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष में उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक हजार की आबादी वाले गांवों में किसानों को उर्वरक सुलभ कराने हेतु सरकारी एजेंसियां खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). देश में यूरिया की उपलब्धता, जिस पर मूल्य और संचलन नियंत्रण है, कुछ राज्यों में अस्थायी और स्थानीकृत कमी को छोड़कर अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन चालू रबी मौसम के लिए

आबंटनों में यथाप्रदर्शित राज्यों की मूल्यांकित मांग के संदर्भ में पर्याप्त रही है। ये कमियां रबी 1994-95 के लिए निम्न अथशेष भण्डारों, अनुकूल परिस्थितियों द्वारा प्रभावित मांग पद्धति में परिवर्तन, कुछ एककों में उत्पादन में कटौती, नौवाहनों के आगमन में यदा-कदा परिवर्तन तथा संचलन समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई।

यद्यपि राज्यों के अन्दर यूरिया का संतुलित वितरण संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, फिर भी चालू रबी मौसम के दौरान यदा-कदा अनुभव की गयी स्थानीय कमियां वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्तियां भेजकर शीघ्र पूरी की गयी। क्षेत्र में यूरिया की सुधरी हुई समग्र उपलब्धता गत रबी मौसम की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 1.10.94 से 31.1.95 तक की अवधि के दौरान बिक्री में 5% वृद्धि का समर्थन कर सकी है।

(ग) और (घ). उर्वरकों के वितरण के लिए गांवों में केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की नीति उर्वरकों के खुदरा वितरण के लिए तंत्र को विस्तृत करना है जिसमें राज्य सरकार की एजेंसियां, सहकारी संस्थाएं और निजी व्यापार शामिल है। खुदरा उर्वरक निकासियों की संख्या 1984-85 में 1.56 लाख से बढ़कर 1992-93 में 2.48 लाख टन हो गयी है।

कृषि अनुसंधान

113. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से देश में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत अनुसंधान और विश्लेषण संबंधी कार्य पर खर्च किए जाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) इस समय कृषि क्षेत्र के दासकल घरेलू उत्पाद का कुल कितना प्रतिशत कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों पर खर्च किया जा रहा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां। कृषि समिति (कृषि और शिक्षा विभाग) (सितम्बर, 1993) ने सिफारिश की है कि कृषि अनुसंधान के लिए व्यय कुल कृषि कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रतिशत क्रमिक स्तर (ग्रेडिडलेवल) का लक्ष्य होना चाहिए, यदि देश के अनुसंधान में कोई सार्थक उपलब्धि प्राप्त की जानी है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने योजना आयोग से हुई अपनी बातचीत में इस मुद्दे पर बल दिया है।

(ङ) प्रलेखित न्यूनतम आंकड़ों (1992-93) के आधार पर भा.कृ.अ.प./कृ.अ. शिक्षा विभाग द्वारा कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार-शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय 0.186% है। इसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और उनके द्वारा चलाई जा रही दूसरी अनुसंधान यूनिटों पर किया जाने वाला खर्च शामिल नहीं है। चूंकि कृषि राज्यों से संबंधित विषय है इसलिए इस तरह के व्यय काफी महत्वपूर्ण हैं।

[अनुवाद]

पाम आयल का आवंटन

114. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को वर्षवार और राज्यवार पाम आयल की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(ख) क्या सरकार के पास राज्यों को पाम आयल का कोटा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित पामोलीन का (राज्यवार) किया गया आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) से (घ). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित पामोलीन तेल का आवंटन उनसे प्राप्त मांग और केंद्रीय पूल में स्टॉक की उपलभ्यता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का राज्यवार आवंटन और उठाई गई मात्रा

(मात्रा मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95	
		आ.	उ.	आ.	उ.	आ.*	उ.**
1.	आंध्र प्रदेश	10094	9037	7000	4600	33500	28789
2.	अरुणाचल प्रदेश	253	79	150	10	150	17
3.	असम	400	50	200	30	900	390
4.	बिहार	1500	230	364	50	–	–
5.	गोवा	1520	819	1050	758	2500	1946
6.	गुजरात	6150	4999	6000	4500	21800	17804
7.	हरियाणा	700	546	400	22	500	58
8.	हिमाचल प्रदेश	1400	1786	800	667	700	621
9.	जम्मू व कश्मीर	1100	285	500	–	–	451
10.	कर्नाटक	9000	7611	2700	893	8500	8369
11.	केरल	9800	8851	9077	4994	6000	4899
12.	मध्य प्रदेश	2200	–	–	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	6500	6815	2600	2445	12500	6034
14.	मणिपुर	761	466	200	200	1000	-
15.	मेघालय	600	214	200	53	1400	224
16.	मिजोरम	700	679	200	120	1100	192
17.	नागालैंड	600	841	652	416	3600	2011
18.	उड़ीसा	1000	2499	1000	–	8800	4335
19.	पंजाब	700	95	–	–	–	-
20.	राजस्थान	700	81	1400	130	–	-
21.	सिक्किम	685	285	300	250	600	300
22.	तमिलनाडु	7863	5999	1500	149	12000	10495
23.	त्रिपुरा	250	–	200	–	150	30
24.	उत्तर प्रदेश	1500	–	1200	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	2000	573	2167	1586	10500	6484
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	600	404	100	100	230	50
27.	चंडीगढ़	100	12	100	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	150	150	100	90	490	290
29.	दिल्ली	3229	3525	4000	1218	1795	1881
30.	दमन व दीव	250	251	250	168	795	475
31.	लक्षद्वीप	250	255	275	237	150	130
32.	पांडिचेरी	1200	1337	225	208	4524	3529
	योग	73855	58474	44910	23894	134184	99804

* 9.2.1995 तक के आंकड़े

** जनवरी, 1995 तक के आंकड़े आ.-आवंटन उ.-उठाई गई मात्रा

सुपर बाजार द्वारा दरों में संशोधन

115. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार दरों में संशोधन की स्वीकृति मिलने पर संशोधित दरों पर स्टाक प्राप्त किये बिना ही पहले से उपलब्ध स्टाक के मदों की दरों में वृद्धि करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनकी दरों में गत एक वर्ष में इस तरह वृद्धि हुई है; और

(ग) सुपर बाजार स्थापित करने संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दरों में संशोधन करना एक सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है और ऐसे संशोधन अधिप्राप्ति की लागत, करों/उत्पाद शुल्क में हुए संशोधन और स्थानीय बाजार के रुख जैसे पहलुओं के आधार पर किए जाते हैं। गत एक वर्ष के दौरान जिन वस्तुओं की दरों में इस प्रकार संशोधन किया गया है उनके बारे में मांगी गई विस्तृत जानकारी एकत्र करने में लगने वाले भारी श्रम एवं जनशक्ति की तुलना में प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) सुपर बाजार के व्यापारिक कार्यों का निर्णय, नियंत्रण तथा अनुवीक्षण भण्डार की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है जो प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलभ्यता सुनिश्चित करती है। सरकार भी समय-समय पर सुपर बाजार के कार्यकरण की समीक्षा करती है और इसके कार्य में और सुधार लाने हेतु उपायों का सुझाव देती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक केन्द्र

116. **डा. साक्षीजी : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और सेवा केंद्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक की जाएगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के अधीन एक संगठन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी के केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जिसका मुख्यालय मद्रास में है। ऐसा ही एक केन्द्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लखनऊ स्थित वर्तमान केन्द्र को प्लास्टिक और इसके सहायक उद्योगों की उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है, अतः अभी उत्तर प्रदेश में सीपेट का कोई अतिरिक्त केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल फाटकों का बदलना

117. **श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई में रेल फाटकों के स्थान पर उपरिपुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). व्यस्त समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुल से बदलने की प्रणाली यह है कि राज्य सरकारें प्राथमिकताओं के आधार पर इनके निर्माण कार्यों का प्रस्ताव करें। इसके बाद रेलें मामलों की जांच करती हैं और उन प्रस्तावों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करती है, जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों।

बम्बई में रेलों के उपनगरीय खंड पर समपारों के बदले में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है; जिनकी योजना आदि तैयार की जा रही हैं;

1. निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा

क्रम सं. निर्माण कार्य का ब्यौरा

1. **कल्याण अम्बरनाथ खंड**

   कि.मी. 60/1 पर समपार सं. 41 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

2. **कांदिवली-बोरीविली खंड**

   कि.मी. 33/7-बी पर समपार सं. 32 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

3. **विले पार्ले**

   कि.मी. 18/15-16 पर समपार सं. 22 के बदले ऊपरी सड़क और पैदल पुल का निर्माण।

II. रेलों के निर्माण कार्यक्रम 1995-96 में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा

क्रम सं. निर्माण कार्यों का ब्यौरा

1. **सांताक्रुज-चिले पार्ले खंड**

   कि.मी. 19/4-5 पर समपार सं. 21 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

2. **बोरीवली**

   कि.मी. 34/7-8 पर समपार सं. 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

3. **कांदिवली-मलाड खंड**

   कि.मी. 30/2-3 पर समपार सं. 31 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

III. राज्य सरकारों से प्राप्त उन प्रस्तावों का ब्यौरा जो कि योजनाधीन हैं।

क्रम सं. निर्माण कार्यों का ब्यौरा

1. **घाटकोपर-विक्रोली खंड**

   कि.मी.22/12-13 पर समपार सं. 14 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

2. **भांडुप-मुलुंड खंड**

   कि.मी. 27/10-11 पर समपार सं. 17 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

3. **चूनाभट्टी-कुर्ला खंड**

   कि.मी. 13/12-13 पर समपार सं. 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

4. **सेवड़ी-वडाला खंड**

   कि.मी. 7/3-4 पर समपार सं. 7 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण।

ओ.एन.जी.सी. के तेल कूएं में विस्फोट

118. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री वी.एम.सी. वाल्यागी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
डा. खुशीराम डूंगरोमल चेस्वाणी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पसारलौदी स्थित तेल कुंए में हुए विस्फोट के कारण पर्यावरण को हुई क्षति का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आग वाले स्थल पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी शुरू कर दी है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) ब्लो आउट-साइट के 500 मीटर के घेरे के भीतर शोर का स्तर 50 डीबीए से 115 डीबीए तक है।

(2) हाइड्रोकार्बन की रेंज 1.0 से 8.0 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है।

(3) नाइट्रोजन के आक्साइडों की रेंज 10.0 से 225.0 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है।

(4) सल्फर के आक्साइडों की रेंज 8.0 से 20.0 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है।

(5) धूल कणों की रेंज 65.0 से 116.0 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है।

(6) कार्बन मोनो-आक्साइड की मात्रा 700 से 7000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा गया है :—

(1) कार्बन मोनो आक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की निरन्तर स्थल पर निगरानी करना तथा उस क्षेत्र में पर्यावरण और मानव आबादी की किसी संभाव्य क्षति को रोकने के लिए उपयुक्त ऐहतियाती उपाय करना।

(2) एक बार आग नियंत्रित होने पर पर्यावरण पर किसी प्रतिकूल संभाव्य प्रभाव को रोकने के लिए अभी से उपयुक्त उपाय करना।

(3) जल प्रदूषण निवारण हेतु आवश्यक उपाय करना और आसपास के क्षेत्रों में नियमित जल गुणवत्ता निगरानी।

(घ) जैसा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सूचित किया है न तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कोई कार्मिक और न ही कोई ग्रामीण व्यक्ति हताहत हुआ है। आग के तत्काल पश्चात् ऐहतियात उपाय के रूप में जिला प्राधिकारियों ने उन लोगों को उक्त क्षेत्र से हटा दिया है जो उस स्थान को छोड़ना चाहते थे। इनमें बोडासकुरू, पेरूरू, गोपायलंका, देवरलंगा, मभोडियोहा, कोडारोपडु और वेन्ट्रीकोना गांव शामिल हैं।

[हिन्दी]

भूमि कटाव

119. श्री राम कृपाल यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि कटाव अत्यधिक हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितना भूमि कटाव हुआ है;

(ग) भूमि कटाव से भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रभावित हुआ है; और

(घ) भूमि कटाव को रोकने के लिये सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों और इन प्रयासों से प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा बहुत-सी केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनायें शुरू की गई हैं। विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से मृदा अपरदन पर नियन्त्रण करने संबंधी परियोजनायें भी शुरू की गई हैं। उपर्युक्त के अलावा, राज्य सरकारें अपने नियमित राज्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न मृदा संरक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। उपरोक्त (ख) तथा (ग) में संदर्भित विवरण में राज्यवार उपलब्धियां दर्शायी गई हैं।

विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र *	मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत	1993-94 के अंत तक उपचारित क्षेत्र (प्राक्कलित)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	276.82	115.02	41.55	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.58	24.44	29.24	0.37
3.	असम	78.52	22.17	28.23	3.51
4.	बिहार	173.88	42.60	24.50	16.51
5.	गुजरात	195.98	99.46	50.75	30.35
6.	हरियाणा	44.22	15.91	35.98	7.86
7.	हिमाचल प्रदेश	55.67	19.14	34.38	4.38
8.	जम्मू और कश्मीर	222.24	8.83	3.73	3.62
9.	कर्नाटक	191.77	109.89	57.30	40.16
10.	केरल	38.87	17.57	45.20	5.68
11.	मध्य प्रदेश	442.84	196.10	44.28	58.10
12.	महाराष्ट्र	307.76	191.81	62.32	111.13
13.	मणिपुर	22.36	3.74	16.73	1.36
14.	मेघालय	22.49	8.37	37.22	1.39
15.	मिजोरम	21.09	4.21	19.96	8.80
16.	नागालैंड	16.53	4.05	24.50	1.24
17.	उड़ीसा	155.78	45.78	29.39	12.51
18.	पंजाब	50.36	10.07	20.00	10.10
19.	राजस्थान	342.21	199.02	58.16	25.45

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	7.30	3.03	41.51	2.43
21.	तमिलनाडु	130.07	36.40	29.98	19.32
22.	त्रिपुरा	10.48	1.67	15.94	1.79
23.	उत्तर प्रदेश	294.41	71.10	24.75	44.28
24.	पश्चिम बंगाल	87.85	10.33	11.75	5.57
25.	गोवा	3.70	2.00	54.05	0.19
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.29	2.59	31.24	0.07
27.	चंडीगढ़	0.11	0.01	9.09	0.02
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.49	0.12	24.49	1.25
29.	दिल्ली	1.48	0.74	50.00	एन
30.	दमन व दीव	0.11	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	0.03	–	–	0.03
32.	पांडिचेरी	0.49	0.03	6.12	0.12
	योग	3287.78	1266.20	38.51	425.36

एन - नगण्य, 1000 हैक्टेयर से कम

* - जल अपरदन शामिल है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

120. डा. राम चन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई से दिसम्बर, 1994 के दौरान कुछ पैसेंजर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान की परियोजनाएं

121. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खानों के नए पट्टे देने और पुराने पट्टों का नवीकरण करने हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं वन और पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित अन्य विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृति देने में अत्यधिक विलम्ब से चलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राजस्थान में खानों के नए पट्टे देने और पुराने पट्टों का नवीनीकरण करने से संबंधित जो परियोजनाएं तथा अन्य विकास परियोजनाएं वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं उनके नाम तथा उनके लम्बित रहने की अवधि और उनके कारणों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जब भी कोई प्रस्ताव पूरे ब्यौरे के साथ प्राप्त होता है। उस पर अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.स.	परियोजना का नाम	जब से लम्बित पड़ी है	लंबित होने के कारण
1	2	3	4
क.	**वन स्वीकृति हेतु परियोजनाएं**		
1.	अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के केन्द्र में स्थित गुडा और ग्रामों के पुनर्वास के लिए वन भूमि का अंतरण।	अगस्त, 1994	कार्यवाही की जा रही है।
2.	बूंदी जिले में गेटवे होटल और आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग।	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
3.	बांसवाड़ा जिले में महा परियोजना के अंतर्गत मुदासूद माइनर के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग।	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
ख.	**पर्यावरण की स्वीकृति हेतु परियोजनाएं**		
	खनन		
4.	आरएसएमएमएल की जामरोत्रा एकीकृत परियोजना	फरवरी, 1994	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया है। वानिकी पहलुओं पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
5.	एच.जेड.एल. की बाल्डा टंगस्टन फ्लोराइट परियोजना	फरवरी, 1994	समिति द्वारा विचार किया गया है। संशोधित ई.एम.पी. मांगी गई है।
6.	आर एस एम एम एल की सानु चूना पत्थर खान	जुलाई, 1994	समिति द्वारा विचार किया गया है। स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
7.	मैसर्स चन्द्रकांत जैन की सौपस्टोन माइन	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
8.	मैसर्स बिनानी जिंक लि. की चूना पत्थर खान	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
9.	श्री ए. शर्मा का संगमरमर खान का प्रस्ताव	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
10.	श्री आर.के. शर्मा का संगमरमर खान का प्रस्ताव	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
ग.	**अन्य क्षेत्र**		
11.	धौलपुर ताप-विद्युत केन्द्र (2x350 मेगावाट)	जनवरी, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
12.	बिसलपुर सिंचाई परियोजना, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार	जनवरी, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
13.	भरतपुर तेल डिपो	मार्च, 1994	कार्यवाही की जा रही है।
14.	मैसर्स डी.एल.एफ.सीमेंट लि. का पाली स्थित 1.4 एम.टी.पी.ए. पी.ए. का सीमेंट संयंत्र	सितम्बर, 1994	कार्यवाही की जा रही है।
15.	मैसर्स ए.सी.ई. लैबोरेटरीज लि. का अलवर में फार्मेस्यूटीकल संयंत्र	नवम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	मैसर्स ए.सी.ई. लेबोरेटरीज़ लि. की अलवर में फार्मुलेशन यूनिट	नवम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

भारत ईरान के बीच समझौता

122. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने मल्टी-मॉडल तथा कन्टेनर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे भारत कितना लाभान्वित होगा;

(ग) उक्त समझौते के तहत भारत ईरान में किन-किन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करेगा;

(घ) क्या इंडियन रेलवेज कन्सट्रक्शन कंपनी आगामी दो महीनों में 200 किलोमीटर लम्बी पूर्व-पश्चिम रेल पटरी का निर्माण करने हेतु अपनी निविदा देगा; और

(ङ) रेल लाइन इत्यादि के निर्माण हेतु भारत ईरान को कितनी सहायता देगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए दोनों सरकारों के पत्तनों और नौवहन, रेलों, सड़क परिवहन के विशेषज्ञों, बहु-रूपात्मक परिवहन तथा सीमा-शुल्क विभागों के जिम्मेवार प्राधिकारियों को शामिल करके एक उप-दल का गठन किया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम यथा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (इरकान) और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेज लि. (राइट्स) वाणिज्यिक आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

कोयला वैगनों के लिए पुनः जांच सुविधा

123. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से लदे हुए वैगनों के वजन, जिसके लिए रसीद जारी की जाती है, की पुनः जांच किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कोयला लदानों से ऐच्छिक स्थान तक कोयले को पहुंचाये जाने तक के लिए इंश्योरेन्स व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) इस संबंध में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर पुनः जांच/पुनः तौल करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और ऐसे अनुरोधों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से विचार किया जाता है। तथापि, कोयले की बुकिंग सामान्यतः "मालिक की जोखिम" पर की जाती है जिसके लिए यह सुविधा सामान्यतः अनुमेय नहीं होती। 20% अतिरिक्त मालभाड़े का भुगतान करके रेलवे की जोखिम पर की गई बुकिंग के मामले में, इस सुविधा की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि यह परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो, इसकी अनुमति के वैध कारण हों और रेलों की देय सभी अन्य प्रभारों सहित पुनः तौल के प्रभारों का भुगतान कर दिया गया हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि कोयले की ढुलाई खुले माल डिब्बों में और मालिक की जोखिम पर की जाती है इसलिए बीमा करने के बारे में विचार नहीं किया गया है। ऐसी व्यवस्था से कोयले की लागत में वृद्धि होगी जिसका आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एकलाक्षी-बालूरघाट रेल लाइन

124. श्री जितेन्द्र नाथ दास :
श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलाक्षी-बालूरघाट रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) मिट्टी तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य पुनः शुरू हो जाने पर पांच ठेके दिए जा चुके हैं। एक ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और शेष कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं। उन्हें कार्य प्रारम्भ करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में आपूर्तिकर्ता

125. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने मदों की पूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 के दौरान कितने नए आपूर्तिकर्ता नियुक्त किए गए और उनके नाम तथा पूर्ति की गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से पुनः आदेश नहीं दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी आपूर्तिकर्ताओं को नियमित आदेश सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इन आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्यवाई की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). खपत तथा मांग में पैटर्न के आधार पर आपूर्ति के आदेश दिए जाते हैं, जिसकी नियमित रूप से अनुवीक्षा की जाती है।

(च) आपूर्तिकर्ता अपनी मदों के प्रस्तुत किए जाने के बाद, दोबारा आदेशों के लिए दबाव डालते रहते हैं और जहां भी आवश्क होता है, उपलब्धता, खपत तथा मांग को देखते हुए दोबारा आपूर्ति के लिए कहा जाता है। किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई तकलीफ बताए जाने/शिकायत किए जाने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1.4.94 से 31.1.95 के दौरान शामिल की गई नई पार्टियां

क्र.सं	आपूर्तिकर्ता का नाम	वस्तु का नाम
1	2	3
1.	मै. सुमति टैफलॉक कोटिंग	अल्यूमीनियम के बर्तन
2.	मै. एमक्लेज	नवीनों सैल और टार्च
3.	मै.स्वीट होम एप्लायेंसेज प्रो. लि.	अकाई ब्रांड एल पी जी एप्लायेंसेज
4.	मै.ओरियन्टल जन. इंडस्ट्रीज	ओरियेंट पंखा
5.	मै.प्लाजा केबल्स इलैक्ट्रिक(प्रा.)लि.	प्लाजा केबल्स
6.	मै. के.एस. एजेन्सीज	सीमा बल्ब और ट्यूब
7.	मै. फ्रैक्सटन कैबल्स (इंडिया)	फ्रैक्सटन कैबल्स
8.	मै. केपिटल क्राकरी हाउस	भारत क्राकरी
9.	मै. सिंगर इंडिया लि.	सिलाई की मशीन और बिजली के उपकरण
10.	मै. सहगल सन्स मार्केट (प्रा.) लि.	निर्लेप ब्रांड नॉन-स्टिक
11.	मै. देवी दयाल एलूमिनियम इंडिया (प्रा.) लि.	कुकर और एलूमिनियम के बर्तन
12.	मै. सुविधा एंपलायंसेज	ब्लू मैक्स ब्रांड एल.पी. जी. उपकरण
13.	मै. दिल्ली प्लास्टिक एम्पोरियम	प्रिंस प्लास्टिक उत्पाद
14.	मै. कृष्णा ट्रेडिंग कं.	ड्यूरा सेल अलकेलाइन बैट्रीज
15.	मै. डॉल्फिन्स इलैक्ट्रिकल	डॉल्फिन पंखे
16.	मै. गोदरेज फूड्स लि.	जैपिन, मैंगो, ऑरेंज जूस
17.	मै. आर.बी.सेल्स प्रा. लि.	मिडलैण्ड, मैंगो जूस आदि
18.	मै. रसना एन्टरप्राइजेज लि.	मृदु पेय
19.	मै. पाम इटेबल्स लि.	साग्गा स्वीट्स नूडल्स आदि
20.	मै. फन स्नैक्स प्रा. लि.	फन फिलिप्स
21.	मै. गोयल ऑयल मिल्स	लजीज ब्रांड ऑयल
22.	मै. क्रीमिका फूड प्रॉडक्ट्स	बिस्कुट आदि
23.	मै. दिल्ली फूड्स इंडिया लि.	रिचा शुद्ध घी
24.	मै. दी असम कं. प्रा. लि.	असम गोल्ड चाय
25.	मै. मॉडर्न डेयरी लि.	श्वेता शुद्ध घी
26.	मै. ए.के. एन्टरप्राइजज	कृष्णा ब्रांड पापड़
27.	मै. लखन पाल फूड्स लि.	वफा जेम्स आदि
28.	मै. जैनको फुड्स प्रा. लि.	टिकंल चिप्स
29.	मै. सचदेव एण्ड सन्स राइस मिल्स लि.	परी चावल
30.	मै. श्री महालक्ष्मी फ्लॉर मिल्स लि.	दलिया
31.	मै. सिम्भावली शुगर मिल्स	ट्रस्ट शुगर
32.	मै. आर डी ओवरसीज	हेलीकॉपटर चावल
33.	मै. टिप्स एंड टो कॉस्मेटिक इंडिया	टेलकॉम पाउडर
34.	मै. अखी टिशूज प्रा. लि.	टायलट रोल्स आदि
35.	मै. डायमण्ड लेबोरेटरीज इंडिया	डायमण्ड फिनाइल
36.	मै. बसंल कॉस्मो केयर लि. 7	टूथ ब्रश, टूथ पाउडर
37.	मै. आर.डी.एम ट्रेडरस प्रा. लि.	आर्य हर्बल शैम्पू
38.	मै. सोनिक इलेक्टोथेम लि.	इलैक्ट्रिक मच्छर मशीन
39.	मै. एस एस एन्टरप्राइजज	आल आउट मच्छर मशीन
40.	मै. सरजीमेड	चीरफाड़ करने की वस्तूएं
41.	मै. ला. मेलब्रास प्रा.लि. 7	औषधियां
42.	मै. बेलसन्स	औषधियां
43.	मै. एसक्लेपियस फार्मास्यूटिकलस प्रा.लि.	औषधियां
44.	मै. रूची नेटवर्क	सुईयां
45.	मै. आर पी डी एन्टरप्राइजज	शीशे के बर्तन
46.	मै. भारती टैक्सटाइल	पट्टियां/जाली
47.	मै. मैकनील एग्रो फार्मास्यूटिकल	औषधियां

1	2	3
48.	मै. मदन ब्रदर्स	औषधियां
49.	मै. इंदस फर्मा प्रा. लि.	सुईयां
50.	मै. के.वी. सेल्स	तोलिये, चादर
51.	मै. जुनेजा एजेन्सी	कम्बल, शाल तथा लेहिंग
52.	मै. चन्दू प्रकाश एंड कं.	मफतलाल फैब्रिक्स
	मै. चावला टेक्सटाइल्स	
	मै. संदीप ट्रेडर्स	
53.	मै. रेन बो कार्पेटस	ऊनी कार्पेट
54.	मै. पानीपत पहलवान हैडलूम कोऑपरेटिव	टेपस्ट्री बेड कवर, चादर
55.	मै. पानीपत प्रेम हैंडलूम कोआपरेटिव	वही
56.	मै. शैली एन्टरप्राइजज	तोलिये शानलायन डस्टर आदि
57.	मै. मुक्ता हैंडलूम	तोलिया, बेड कवर, चादर
58.	मै. लिलोयड सेफ वर्क	स्टील फर्नीचर
59.	मै. ग्लास "एन" ग्लेमर	टेबल लेम्प
60.	मै. वितल डिसप्ले सिस्टम कं.	डाटा साइन
61.	मै. भार्गव एंड भार्गव	डिसप्ले बोर्ड प्लांट एंड फ्लावर
62.	मै. अल्टीमेटिक टेली सिस्टम प्रा.लि.	इराबेक्स सिस्टम
63.	मै. सी.एस. इन्फोटेक (इंडिया) प्रा.लि.	कम्प्यूटर पैरीफेरल्स
64.	मै. सन स्टार काम्यूनिकेशन सिस्टम लि.	कम्प्यूटर एंड कम्प्यूटर
65.	मै. बिप्स सिस्टम प्रा. लि.	कम्प्यूटर पैरीफैरियल्स
66.	मै. सिंगल इंडिया लि.	आटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाईजर अपस तथा बिजली के उपकरण
67.	मै. एस के मेहता एंड कं.	फोटोफोन ओडियो विजुयल प्रोडक्शन
68.	मै. महेश ट्रेडिंग कंपनी	एबरजेन्ट टूलस प्रयाग फिटिंगस तथा विविध धातु की वस्तुएं
69.	मै. आर.एम. एन्टरप्राइजिज	पेंट्स
70.	मै. पब्लिक मिल्स स्टोर	विविध धातु की वस्तुएं
71.	मै. आल इंडिया सोसाइटी फॉर बेलफेयर आफ ब्लुमेन	पेटीकोट रंगीन तथा सफेद
72.	मै. रोनिका एजेंसीज	शिशुओं के वस्त्र
73.	मै. बीरबल ड्रेसज प्रा. लि.	तैयार वस्त्र
74.	मै. इंडियन इक्वीपमेंट ट्रेडर्स	तैयार वस्त्र
75.	मै. कैथल रबरस एंड जनरल मिल्स इंडिया	सेन्सटर ब्रांड कम्प्यूटर
76.	मै. श्री चक्रधर इण्टरनेशनल	केलकुलेटर
77.	मै. ग्राफिक्स इंडिया	लेमिनेटिंग मशीन इत्यादि
78.	मै. थेम्स टेक्नोलोजीज लि.	फलापी एमकेट
79.	मै. ऐ.के. सेठी एंड कंपनी	टोनरस एंड डेवलपरस
80.	मै. शिवम एजेन्सी	आरचीरस ग्रीटिंग कार्ड
81.	मै. चारमकला ओद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि.	जूते/चप्पल
82.	साइफर शूज	जूते/चप्पल
83.	मित्तल एन्टरप्राइजिज	कपड़े धोने का साबुन
84.	अभिनव एन्टरप्राइजेज	फिलिप्स ट्यूब लाइट चोक्स आदि।

[हिन्दी]

दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सहायता

126. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अथवा विदेशी एजेंसियों से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) किन-किन स्थानों पर इस तरह की दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। प्रादेशिक सहकारी डेयरी परिसंघ (पी.सी.डी.एफ) लखनऊ ने चोक गंजारिया, लखनऊ में 30 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना के लिए अगस्त, 1993 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) को एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) प्रस्तावित परियोजना की लागत 45.44 करोड़ रुपये थी। यह परियोजना घी, मक्खन, दुग्ध चूर्ण डेयरी वाइटनर तथा पनीर के उत्पादन के लिए प्रस्तावित थी।

(ग) और (घ). सरकार ने कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी पक्षी

127. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भरतपुर और देश के अन्य पक्षी अभयारण्यों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पक्षियों के सुरक्षा संबंधी मामले को, जिन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ते समय मार दिया जाता है, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भरतपुर और देश के अन्य पक्षी अभयारण्यों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में सामान्य कमी आने के बारे में कोई खबर नहीं है। तथापि, यह सही है कि गत दो वर्षों के दौरान केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में साइबेरियायी सारस नहीं आए हैं।

(ख) साइबेरिया में उनके प्रजनन क्षेत्रों में गड़बड़ तथा उनका शिकार किए जाने और इसी प्रकार रेंज देशों एवं उनके पड़ाव क्षेत्रों में नमभूमियों के कम हो जाने के कारण हाल के वर्षों में साइबेरियायी सारसां के पश्चिमी झुण्ड की संख्या में कमी आयी है।

(ग) और (घ). साइबेरियायी सारसों की संख्या में कमी वाले कारकों को दूर करने के लिए सभी नौ रेंज देशों के बीच आपसी समझबूझ बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सारस फाउण्डेशन, जापान की वन्य पक्षी सोसायटी तथा वन्यजीव जन्तु प्रवासी प्रजाति संरक्षण कन्वेंशन, बोन के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त समझौता ज्ञापन में साइबेरियायी सारसों की कड़ी सुरक्षा, उनके नमभूमि वासस्थलों की शिनाख्त और संरक्षण, संरक्षण उपायों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तथा प्रत्येक रेंज देश के लिए तैयार कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित वैज्ञानिक, तकनीकी और कानूनी जानकारी के आदान-प्रदान की परिकल्पना की गई है। इस समझौता-ज्ञापन में पाकिस्तान, रूसी परिसंघ जापान की वन्य पक्षी सोसायटी तथा यू.एन.ई.पी./सी.एम.एस.-सचिवालय ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने भी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

[अनुवाद]

तटीय विनियमन क्षेत्र

128. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा यह तटीय विनियमन क्षत्रों के संबंध में नियुक्त की गई समिति ने अक्तूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) इन दिशानिदेशों में तटीय विनियमन क्षेत्रों में होटलों और रेस्टोरेंटों के निर्माण और स्थापना हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त दिशा निदेशों का उल्लंघन करके गोवा की राज्य सरकार को तटीय विनियमन क्षेत्रों में कुछ होटलों के निर्माण और स्थापना की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपर्युक्त दिशा-निदेशों का उल्लंघन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति ने तटीय विनियमन अंचल (सी आर जेड) मानकों के उल्लंघन के कुछ मामलों की सूचना दी है तथा इस मामले को गोवा सरकार के साथ उठाया गया है ताकि इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) इन मानकों का ब्यौरा इस मंत्रालय के का.आ.सं. 114(ई), दिनांक 19.12.91 तथा का.आ.सं. 595 (ई), दिनांक 16.8.94 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गोवा राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(च) इन मानकों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी किया गया है। इन नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र

129. श्री चित्त बसु : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया उर्वरक संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) के स्वामित्व वाली हल्दिया उर्वरक परियोजना आरम्भण के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी। अक्तूबर, 1986 में आरम्भण क्रियाकलाप लंबित कर दिए गए क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं था कि परियोजना का ठीक ढंग से आरम्भण किया जा सकेगा तथा उसे लाभप्रद रूप से प्रचालित किया जा सकेगा। इस समय एक कंपनी के रूप में एच एफ सी इसकी हल्दिया परियोजना सहित, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) को विनिर्दिष्ट है। इस परियोजना के भविष्य के संबंध में कोई निर्णय बी आई एफ आर, जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

पटना और गया के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण

130. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना और गया के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह काम कब तक शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्य को शुरू करने का निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

131. श्री पी.सी. थामस :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में दिल्ली से अन्य शहरों के लिए प्रस्तावित सभी नई राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चला दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1995-96 के दौरान ऐसी कितनी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को कितन मार्गों पर चलाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)। इसके अतिरिक्त, हज़रत निजामुद्दीन/नई दिल्ली और जम्मू तवी के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस भी चलाई गई है तथा हज़रत निजामुद्दीन-मद्रास राजधानी एक्सप्रेस का तिरूवनंतपुरम से/तक चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है

नई राजधानी एक्सप्रेस चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मत्स्य पालन

132. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मत्स्य पालन के विकास हेतु लोगों को तकनीकी और इसके साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो मत्स्य पालन को विकसित करने के इच्छुक छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार मत्स्य पालन के विकास के लिए मत्स्य पालकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान करती है।

(ख) मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजे जल में मत्स्य पालन के विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 414 मत्स्य पालन विकास एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की गई

है जिसमें देश के सभी समृद्ध जिले शामिल हैं। नये तालाबों का निर्माण करने, तालाबों और टैंकों का पुनरूद्धार करने, बहते जल में मत्स्य पालन, पहले वर्ष के आदान, ऐरेटरों, समेकित मत्स्य पालन, मत्स्य डिम्ब हैचरियों, मत्स्य आहार मिलों आदि के लिए मत्स्य पालकों को सब्सीडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एफ.एफ.डी.ए. योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आंध्र प्रदेश	22.00	22.00	22.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	8.00	13.00
3.	असम	9.00	12.00	82.00
4.	बिहार	36.00	39.00	59.00
5.	गोवा	–	–	–
6.	गुजरात	14.00	15.00	17.00
7.	हरियाणा	31.50	21.00	36.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00	2.00	7.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2.00	2.00	7.00
10.	कर्नाटक	11.00	11.00	11.00
11.	केरल	14.00	14.00	14.00
12.	मध्य प्रदेश	88.31	34.00	120.00
13.	महाराष्ट्र	–	–	–
14.	मणिपुर	5.19	9.00	7.00
15.	मेघालय	–	1.00	1.00
16.	मिजोरम	1.00	5.00	8.00
17.	नागालैंड	1.00	4.00	2.00
18.	उड़ीसा	17.00	33.00	76.00
19.	पंजाब	32.00	31.00	27.00
20.	राजस्थान	–	16.00	15.00
21.	सिक्किम	–	2.00	1.00
22.	तमिलनाडु	13.00	30.00	13.00
23.	त्रिपुरा	8.00	13.00	16.00
24.	उत्तर प्रदेश	124.00	111.00	161.00
25.	पश्चिम बंगाल	167.00	79.00	140.00
26.	पाण्डिचेरी	1.00	1.00	1.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

133. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्कूली बच्चों के परिवारजनों को चावल के वितरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस योजना का संबंध साक्षरता कार्यक्रम से है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

वन भूमि पर स्वामित्व अधिकार

134. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में वन भूमि का अतिक्रमण करने वालों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) किन क्षेत्रों के लिए ऐसे अधिकार प्रदान किए जाएंगे; और

(ग) ऐसे अधिकारों को प्रदान करने हेतु शर्तें क्या होंगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). केरल के पांच जिलों नामतः इडुकी पथनामथिट्टा, त्रीसूर, इर्नाकुलम तथा कोल्लाम में वन भूमि पर 1.1.1977 से पूर्व के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 28,588.159 हेक्टेयर वन भूमि के अंतरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत औपचारिक प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा 31.1.1995 को अनुमोदित किया गया है। केरल राज्य सरकार के औपचारिक प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत अवैध कब्जाधारियों के हक में नियमित किए जाने वाले क्षेत्र का सत्यापन और सीमांकन, दुगुनी अक्रमित वन भूमि पर चरणबद्ध तरीके से क्षतिपूरक वनरोपण तथा अवैध कब्जाधारियों के हक में सौंपी गई वन भूमि की सूची देते हुए मंत्रालय को मासिक रिपोर्टें भेजना भी शामिल है।

[हिन्दी]

रेल पुल

195. श्री एन.वी. राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूमिगत और ऊपरी रेल पुलों के निर्माण हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) प्रत्येक भूमिगत पुल की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ). जी हां, गुजरात में, लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं, नीचे दिए गए हैं :—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	लागत (आकड़े लाख रुपयों में)		प्रगति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	
		रेलवे	राज्य सरकार		रेलवे	राज्य सरकार
1.	भरूच के निकट कि.मी. 327/23-25 पर समपार सं. 179 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	171.84	103.19	पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।	निर्धारित नहीं की गई।	निर्धारित नहीं की गई।
2.	वापी के निकट कि.मी. 172/7-8 पर समपार सं. 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	177.32	372.10	उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। समूची प्रगति 50% है।	30.6.95	30.6.95
3.	संत रोड-पिपलोद खंड पर कि.मी. 491/20-22 पर समपार सं. 20 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	73.46	73.46	रेलवे ने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया है।	पूरा हो गया है।	निधारित नहीं की गई।
4.	रामोती के निकट कि.मी. 406/23-24 पर समपार सं. 243 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	70.40	159.95	रेलवे ने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया है। पहुंच मार्गों पर कार्य पूरा होने वाला है।	पूरा हो गया है।	निर्धारित नहीं की गई।
5.	मियागांव-करजन के बीच कि.मी. 365/5 पर समपार सं. 211 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	71.40	60.99	रेलवे ने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। 56% पूरा हो गया है।	पूरा हो गया है।	निर्धारित नहीं की गई।

निम्नलिखित कार्यों को 1995-96 के रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है :—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	लागत	
		रेलवे	राज्य सरकार
1.	सूरत के निकट कि.मी. 268/8-10 पर समपार सं. 146 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण		(लाख रुपयों में)
		246.00	246.00
2.	साबरमती गांधीग्राम खंड पर कि.मी. 17/2-3 पर समपार सं. 11 के बदले निचले सड़क पुल का निर्माण	65.24	88.53

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को ऋण

136. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित पर्यावरण संबंधी मानकों को पूरा न करने के कारण बंद किए गए औद्योगिक एककों को अनुदान अथवा ऋण देने के लिए कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कितने एककों को दी गई है; और

(ग) इस योजना के शुरू होने के बाद 31 दिसम्बर, 1994 तक कुल कितनी राशि की धनराशि स्वीकृत की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा न करने के कारण बंद की गई औद्योगिक इकाइयों को अनुदान या ऋण देने संबंधी किसी स्कीम को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

137. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की राज्य-वार औसत दर कितनी रही;

(ग) क्या इन राज्यों में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की औसत दर में बड़ा अंतर रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) इन उपायों के फलस्वरूप किस सीमा तक इस अंतर को कम किया जा सकेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) देश में गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य ये हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश, (2) पंजाब, (3) हरियाणा, (4) मध्य प्रदेश (5) बिहार (6) राजस्थान (7) महाराष्ट्र और (8) गुजरात।

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये, फसलोन्मुख उत्पादन कार्यक्रम यथा-समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम-चावल, गेंहू, तथा मोटे अनाज, और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसके अलावा फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिये कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग में वृद्धि करने तथा सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से कम पैदावार देने वाले राज्यों में पैदावार के स्तर में वृद्धि करने तथा इस प्रकार विभिन्न राज्यों की पैदावार-दरों में असमानता को कम करने में मदद मिलेगी।

विवरण

1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान देश में गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

(पैदावार-प्रति हैक्टेयर कि.ग्रा. में)

राज्य	पैदावार		
	1991-92	1992-93	1993-94
बिहार	1811	1747	2100
गुजरात	2214	2225	1905
हरियाणा	3596	3621	3619
मध्य प्रदेश	1449	1428	1570
महाराष्ट्र	997	1174	1402
पंजाब	3803	3770	4011
राजस्थान	2517	2287	1719
उत्तर प्रदेश	2344	2226	2302
सम्पूर्ण भारत	2394	2327	2373

[अनुवाद]

चौहरी रेल लाइन बिछाना

138. **श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंबई में बोरिवली और विरार के बीच अधिक रेल गाड़ियां चलाने की दृष्टि से इस सैक्शन पर चौहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य को आगामी वर्षों में वरीयता के आधार पर शुरू किए जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

पामोलीन का आयात

139. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 तक कुल कितनी मात्रा में पामोलीन का आयात किया गया;

(ख) यह आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ग) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि दिसम्बर, 1994 के दौरान पामोलीन के आयात में देरी के कारण हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पामोलीन की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी संगठन ने या उसके माध्यम से पामोलीन का आयात किया है;

(च) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 में इन देशों ने पामोलीन की ऊंची दरें वसूल की हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान पामोलीन की 1.07 लाख मी. टन मात्रा का आयात किया गया है। इस तेल का आयात मलेशिया/इंडोनेशिया से किया गया है।

(ग) और (घ). पामोलीन की समस्त अनुबंधित मात्रा का आयात जुलाई-अक्तूबर 1994 की अवधि के दौरान किया गया है। आयातित स्टॉक की आवक में कोई देरी नहीं हुई है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पामोलीन का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया है।

(च) और (छ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 के दौरान पामोलीन का कोई आयात नहीं किया गया है।

रेलवे नेटवर्क

140. **श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के रेलवे नेटवर्क के सुधार संबंधी किसी व्यापक कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में यात्री और माल यातायात को शामिल किया जाता है;

(ग) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल की पटरियों और रेलवे फाटकों के सुधार हेतु कोई प्रावधान किए जा रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). वार्षिक योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के भीतर रेल जालतंत्र का लगातार उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यात्री तथा माल परिचालन के क्षेत्र में किए गए उपायों में कुछ उपाय हैं :—सघन मार्गों का विद्युतीकरण और आधुनिक चल स्टॉक अर्थात् 3 टियर वातानुकूल शयनयान, उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों का उपयोग, पैनल चालित सिगनल प्रणाली, आप्टिक फाइबर पर आधारित संचार प्रणाली तथा अधिकतर झली हुई पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों आदि का उपयोग।

(ग) और (घ). रेलपथ में सुधार लाने के लिए, रेलपथ नवीकरण के बकाये को उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। रेलपथ का अनुरक्षण परिष्कृत मशीनों द्वारा किया जा रहा है। सड़क/रेल यातायात को ध्यान में रखते हुए, बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था की जा रही है। समपार फाटकों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समपारों पर पर्याप्त सड़क संकेतों तथा बत्तियों की व्यवस्था की जा रही है।

महिला बिक्री सहायक

141. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार में आज तक शाखावार कुल कितनी महिला सहायक कार्यरत हैं;,

(ख) इस पद के लिए सुपर बाजार प्रबंध मंडल को महिला अभ्यर्थियों से अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ग) उनमें से आज तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है और शेष लंबित आवेदन पत्रों की स्थिति क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध होने के कारण बिक्री सहायक के पद हेतु कोई आवेदन नहीं लिया जा रहा है।

विवरण

10.2.95 की स्थिति के अनुसार महिला बिक्री सहायकों की सूची

क्षेत्रीय बिक्री केन्द्र कनाट प्लेस

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थान
1	2	3
1.	सुश्री राजन मेहिन्द्रा	साइकिल विभाग
2.	श्रीमती गीता कपूर	लेखन सामग्री भंडार कार्यालय
3.	श्रीमती कमला मंगोत्रा	लेखा विभाग

1	2	3
4.	श्रीमती परमजीत कौर	ऋण पर बिक्री विभाग
5.	श्रीमती मन मोहिनी निगम	औषध विभाग
6.	श्रीमती प्रेमवती	–वही–
7.	श्रीमती देविन्दर कौर	–वही–
8.	श्रीमती मीना सक्सेना	लेखा विभाग
9.	सुश्री सुभाष सूरी	औषध विभाग
10.	श्रीमती सरला जैन	जी एंड टी (सी)
11.	श्रीमती आशा किरन शर्मा	किताब व लेखन सामग्री विभाग
12.	श्रीमती विधु भटनागर	लेखा विभाग
13.	श्रीमती वीना सौगारी	सी/स्टोर्स
14.	श्रीमती निशा कपूर	ऋण पर बिक्री विभाग
15.	श्रीमती आशा किल्लन शर्मा	सी/स्टोर्स
16.	श्रीमती तारा शर्मा	आर.एम.जी.
17.	श्रीमती उषा टोपे	सदस्यता
18.	श्रीमती सुमन चोपड़ा	सी/स्टोर्स
19.	श्रीमती रेणु सेनी	–वही–
20.	श्रीमती कान्ता शर्मा	प्रशासन विभाग,
21.	श्रीमती हरविन्दर कौर	साइकिल विभाग
22.	श्रीमती कुसुम सक्सेना	जूता विभाग
23.	श्रीमती सरस्वती सक्सेना	कार्य अध्ययन
24.	श्रीमती प्रकाश शर्मा	किताब व लेखन सामग्री
25.	श्रीमती विमल शर्मा	कार्य अध्ययन
26.	सुश्री एलिजाबेथ माइकल	कपड़ा
27.	श्रीमती राज रानी	केन्द्रीय डाक
28.	श्रीमती उषा महाजन	क्रय
29.	श्रीमती वर्षा खोसला	लेखन सामग्री कार्यालय
30.	श्रीमती संगीता गुप्ता	क्रय
31.	श्रीमती कुसुम लता	वैयक्तिक
32.	श्रीमती स्नेह लता	पी.एन.जी.
33.	श्रीमती सरिता चौधरी	घरेलू
34.	श्रीमती सुधा जैन	जी एंड टी (सी)
35.	श्रीमती मनीता छाबा	लेखा विभाग

1	2	3
36.	श्रीमती बबीता सेनी	सी/स्टोर्स
37.	श्रीमती विमला बजाज	व्यापार पूछताछ
38.	श्रीमती सुमन	लेखन सामग्री कार्यालय
39.	श्रीमती आशा मल्हर	लेखा विभाग
40.	श्रीमती उर्मिला	केन्द्रीय कक्ष
41.	श्रीमती सुमन लता	जी एंड टी (सी)
42.	श्रीमती रीतू शाह	फल एवं सब्जी
43.	श्रीमती शीला जंगला	केन्द्रीय कक्ष
44.	श्रीमती कौशल्या पाल	क्रय
45.	श्रीमती सुदेश चौधरी	खिलौना विभाग
46.	श्रीमती सन्तोष छाबड़ा	वैयक्तिक विभाग

लघु शाखाएं

47.	श्रीमती सतीश बाला घई	त्रिपोलिया
48.	श्रीमती सन्तोष कुमारी	तिमारपुर–I
49.	श्रीमती पूनम लता टंडन	तिमारपुर–II
50.	श्रीमती एस.के. दवार	पार्लियामेंट एनेक्सी
51.	श्रीमती आशा शर्मा	शालीमार बाग डेसू
52.	श्रीमती नीना सेन	विशाखा इन्क्लेव

क्षेत्रीय बिक्री केन्द्र–आई.एन.ए.

53.	श्रीमती शोभा राणा	आई.एन.ए.
54.	श्रीमती कंवल रानी	–वही–
55.	श्रीमती मंजीत कौर	–वही–
56.	सुश्री पसमिन्दर कौर	–वही–
57.	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	–वही–
58.	श्रीमती कुन्ती देवी	–वही–
59.	श्रीमती कुसुम भार्गव	–वही–
60.	श्रीमती सुमन कपिला	–वही–
61.	श्रीमती सुनीता कुमार	–वही–
62.	श्रीमती मोहिन्नी भसीन	–वही–
63.	श्रीमती संगीता दुदेजा	–वही–
64.	श्रीमती पार्वती बिष्ट	–वही–
65.	श्रीमती प्रवीन आनन्द	–वही–

1	2	3
	लघु शाखाएं	
66.	श्रीमती सुमन शर्मा	मोती बाग
67.	श्रीमती अनीता रावत	यशवन्त प्लेस
68.	श्रीमती वीना माला	ए.आई.आई.एम.एस.
69.	श्रीमती लक्ष्मी मिनोचा	मालवीय नगर "जे"
	आर.डी.सी. पटेल नगर	
70.	श्रीमती राज सूद	पटेल नगर
71.	श्रीमती सरोज अवस्थी	–वही–
72.	श्रीमती वीना शर्मा	–वही–
73.	श्रीमती उषा किरण शर्मा	–वही–
74.	श्रीमती निर्मल वर्मा	–वही–
75.	श्रीमती शशि मल्होत्रा	–वही–
76.	श्रीमती निर्मल कौर	–वही–
77.	श्रीमती सुनीता बाली	–वही–
78.	श्रीमती सीमा गुलाटी	–वही–
	लघु शाखाएं	
79.	श्रीमती राम दुलारी	राजौरी गार्डन एल आई जी
80.	श्रीमती मंजू रानी	नारायणा विहार
81.	श्रीमती कृष्णा अरोड़ा	शादीपुर डिपो
82.	श्रीमती सरिता मेहता	पंजाबी बाग
83.	श्रीमती चंचल जुनेजा	उत्तम नगर
84.	श्रीमती धनवन्ती देवी	मायापुरी
	आर.डी.सी. त्रिलोकपुरी	
85.	श्रीमती रक्षा शर्मा	त्रिलोकपुरी
86.	श्रीमती निशी	–वही–
87.	सुश्री मीणा कौशाक	–वही–
	लघु शाखाएं	
88.	सुश्री सुसई वधावन	शिवपुरी
89.	सुश्री सरला आर्य	स्वास्थ्य विहार
	आर.डी.सी. नौएडा	
90.	सुश्री प्रेम लता	नौएडा सेक्टर–22

सावुन और डिटर्जेंट निर्माता

142. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के किन-किन निर्माताओं के कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट, सफाई और धुलाई के पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया सुपर बाजार में बिकती है;

(ख) कौन-कौन से धुलाई के साबुन, डिटर्जेंट, सफाई और धुलाई के पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया इन मदों के पांच शीर्षस्थ निर्माताओं के उत्पाद नहीं है;

(ग) इन मदों को किन दरों पर खरीदा और बेचा जाता है;

(घ) गत 12 महीनों के दौरान उक्त मदों के सप्लायरों को माहवार दिए गए सप्लाई आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कुछ सप्लायरों को नियमित और ठीक ढंग से सप्लाई आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(च) शीर्षस्थ पांच अग्रणी निर्माताओं के उत्पादों की सप्लाई न करने वाली सप्लायरों को नियमित और अधिक मात्रा में सप्लाई के आदेश देने के क्या कारण हैं;

(छ) इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक क़दमों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्रीय भंडार की तुलना में उक्त मदों की कीमतों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने और सफाई के पाउडर और डिटर्जेंट टिकिया के विनिर्माताओं का कोटिक्रम सुनिश्चित करने के लिए कोई मानदंड उपलब्ध नहीं है।

(ग) ब्यौरा विवरण-I के कॉलम 3 और 4 में दिया गया है।

(घ) गत 12 महीनों के दौरान इन मदों के आपूर्ति-कर्ताओं को माहवार दिए गए आपूर्ति आदेशों का ब्यौरा तैयार करने में, जो अत्यधिक परिश्रम और कार्यभार शामिल है, उसकी तुलना में प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ङ) से (छ). उपलब्ध स्टॉक मांग के पैटर्न और खुदरा बिक्री केन्द्रों से प्राप्त हुए मांग-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं। यह एक नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य है, जिसकी सुपर बाजार द्वारा बारीकी से अनुवीक्षा की जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आपूर्तिकर्ता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो और यह प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ज) केन्द्रीय भण्डार ने भी सुचित किया है कि आपूर्ति आदेश, उपभोक्ताओं की मांग, भण्डारों की आवश्यकताओं, स्टॉक की स्थिति आदि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डार द्वारा दी गई सूचना विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

दिल्ली में लघु उद्योग के क्षेत्र में विनिर्मित तथा सुपर बाजार में बिक्री के लिए कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट, सफाई तथा कपड़े धोने के पाउडरों, डिटर्जेंट टिकियाओं के बारे में सूचना का ब्यौरा

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अधिप्राप्ति मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	विक्रय मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)
1	2	3	4
कपड़े धोने का साबुन			
1.	555 वाशिंग सोप	16.12	18.55
2.	बॉबी कपड़े धोने का साबुन	15.75	18.10
3.	फरिश्ता	15.90*	18.30
4.	फरिश्ता यूनिट	17.20	19.80
डिटरजेंट पाउडर			
1.	फरिश्ता	12.00	13.20
2.	555 डिटर्जेन्ट	12.39	14.25
3.	फेना	12.23	14.00
सफाई का पाउडर			
1.	केडेट सफाई पाउडर (फरिश्ता यूनिट)	4.31	5.00
2.	निप (सेंडेरूट केमिकल्स प्रा.लि.)	6.23	7.50
कपड़े धोने का पाउडर			
1.	फरिश्ता	11.40	13.10
2.	555 वाशिंग	11.44	13.15
डिटरजेंट केक (250 ग्राम)			
1.	555 डिटरजेंट केक	3.35	3.85
2.	फरिश्ता डिटरजेंट	3.50	4.00
3.	फेना डिटरजेंट	3.59	4.15

* 8.2.95 तक वसूली लागत 14.90 रु. प्रति किलोग्राम थी।

विवरण–II

कपड़े धोने का साबुन

ब्रांड	मोती स्पेशल "255"	फरिश्ता	
लागत मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	13.58 रु.	14.90 रु.	
केन्द्रीय भंडार में बिक्री मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	15.00 रु.	16.00 रु.	
पूछा गया संशोधित लागत मूल्य (प्रति कि. ग्रा.)	14.54 रु.	17.00 रु.	(बिक्री मूल्य 18.50 रु. प्रति कि.ग्रा. होगा) (एक सप्लाई प्राप्त हो चुकी है)

डिटरजेंट पाउडर

ब्रांड	फेना	फरिश्ता
लागत मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	12.84 रु.	12.00 रु.
केन्द्रीय भंडार में बिक्री मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	13.60 रु.	13.00 रु.

सफाई का पाउडर

ब्रांड	जेट (आई एस आई)	बब्बूल	क्लिक्स (आई एस आई)	केडेट
लागत मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	4.45 रु.	3.90 रु.	4.50 रु.	4.78 रु.
केन्द्रीय भंडार में बिक्री मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	4.85 रु.	4.25 रु.	4.90 रु.	5.20 रु.

कपड़े धोने का पाउडर

ब्रांड	विजय	फरिश्ता	निरमा
लागत मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	10.80 रु.	11.40 रु.	12.75 रु.
बिक्री मूल्य	12.00 रु.	12.30 रु.	14.00 रु.

डिटरजेंट केक

ब्रांड	फरिश्ता	फेना
लागत मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	14.00 रु.	15.04 रु.
केन्द्रीय भंडार में बिक्री मूल्य (प्रति कि.ग्रा.)	15.20 रु.	16.00 रु.

[हिन्दी]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

143. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कुछ और विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

144. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बाजार में प्रवेश करने (मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन) के कारण उसे घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 1991-92 और 1992-93 के दौरान मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन के अंतर्गत तिलहनों/खाद्य तेलों के मामले में घाटा हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन के अंतर्गत होने वाला संचित घाटा, उस पर लगाने वाले ब्याज सहित, 31 मार्च, 1994 तक 273.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

घाटा मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन के आदेशों के कारण हुआ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से तिलहनों और खाद्य तेलों का एक भण्डार जमा करने की अपेक्षा की गयी थी ताकि किसानों के लिए प्रोत्साहक मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें और समान सूची रखी जा सके जिसे उपभोक्ताओं के हित में कमी वाले मौसम में साधारण कीमतों पर जारी किया जा सके। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से आने वाली गिरावट के कारण सामान सूची के मूल्य में कमी आ गयी और इस कारण घाटा उठाना पड़ा।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेलों के मामले में मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अप्रैल, 1989 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था जो 31 अगस्त, 1994 को समाप्त हो गया। मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को हुए घाटे को पूरा करने के लिए उसे 1994-95 के दौरान रियायती सीमा शुल्क की दर पर 1.5 लाख मीटरी टन खाद्य तेल का आयात करने के लिए भारत सरकार ने इसे अनुमति प्रदान की है।

रेलवे विद्युतीकरण योजनायें

145. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन-किन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा;

(ग) क्या विश्व बैंक ने ऋण वितरित करने तथा रेलवे द्वारा अपने पहले के ऋणों के धीमे उपयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने इस संबंध में विश्व बैंक को कोई आश्वासन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

(छ) इस समय, भारतीय रेलों पर रेल विद्युतीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक का कोई ऋण नहीं है।

माल डिब्बे

146. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे के लिए माल-डिब्बों का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयात के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, नहीं। बहरहाल, भारतीय कंटनेर निगम लि., जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, विश्व बैंक ऋण के तहत आवश्यक विश्व व्यापी निविदा के माध्यम से 1500 सपाट माल डिब्बों का प्रापण कर रहा है। भारतीय निर्माता भी इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं।

रेलवे पुलिस हेतु समिति

147. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री सूरज मंडल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल, के कार्यकरण की जांच करने और गाड़ियों के चलने में विलम्ब, रेलवे संपत्ति की चोरी, गाड़ियों में चेन खींचने, यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा आदि जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान ढूंढने हेतु एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन पहलुओं पर नजर रखने के लिए अलग तंत्र पहले से ही मौजूद है। राजकीय रेलवे पुलिस और राजकीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाये रखा जाता है तथा उपयुक्त संरक्षा सुनिश्चित करने व रेल संपत्ति एवं यात्रियों के सामान की चोरी एवं खतरे की जंजीर खीचने आदि जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाते हैं।

दक्षिण मध्य रेलवे में "ओन योर वैगन" योजना

148. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-मध्य रेलवे में "ओन योर वैगन" योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें" योजना में रेल परिवहन अवसंरचना के संपूरण हेतु रेल माल डिब्बों का निजी स्वामित्व शामिल है। विशेष किस्म के माल डिब्बों के मामले में, अभिज्ञेय विशिष्ट यातायात के संचलन के लिए एकमुश्त माल भाड़ा प्रभार लिया जाएगा। अन्य सभी माल डिब्बों के मामले में भारतीय रेलें पट्टा प्रभारों का भुगतान करेंगी और सामान्य माल भाड़ा एकत्र करेंगी।

यह योजना दक्षिण मध्य रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर शुरू की गई है। योजना का कार्यान्वयन, योजना के अंतर्गत निजी पार्टियों द्वारा माल डिब्बों के स्वामित्व पर निर्भर करेगा। अभी तक इस योजना के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे पर किसी निजी पार्टी ने माल डिब्बों का स्वामित्व नहीं लिया है।

उर्वरकों पर रियायत संबंधी योजना

149. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए उर्वरकों पर रियायत संबंधी योजना कार्यान्वित करने के लिए कोई संशोधित मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संशोधित मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संशोधित योजना से किसानों को किस हद तक सहायता मिलेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). जी, हां। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किसानों को नियंत्रण रहित उर्वरकों की बिक्री पर रियायती धनराशि का भुगतान राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से प्राप्त बिक्री के प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे ही निर्माताओं/आयातकर्त्ताओं को किया जाता है।

इस योजना से फास्फेटयुक्त एवं पोटशयुक्त उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि से किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव में कमी लाने का वांछित उद्देश्य पूरा हुआ है। रियायत के फलस्वरूप इन उर्वरकों की खपत में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

मीटर और छोटी लाइन का आमान परिवर्तन

150. **श्री एन.चे. राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात से मीटर गेज/नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटा उदयपुर में आमान परिवर्तन के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, अहमदाबाद-दिल्ली गांधीधाम-भुज, भावनगर-सुरेन्द्रनगर, वांकानेर-नबलाखी-मालियामियाना, अहमदाबाद-विजापुर, अहमदाबाद-हिम्मतनगर, राजुला-सुरेन्द्रनगर, विंडमिल-बेदी पोर्ट, छोटा उदयपुर-प्रतापनगर तथा डभोई-मियागाम खंडों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). राज्य सरकार के साथ हुई चर्चा के बाद यह विनिश्चय किया गया था कि ऐसी छोटी लाइनें, जिन्हें हाल में मानसून के प्रकोप के कारण बंद कर दिया गया था, के आमान परिवर्तन के बारे में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। गुजरात सरकार से एक निश्चित प्रस्ताव की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

बागवानी के लिए सहायता

151. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार ने केरल में क्या योजनाएं बनाई हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट मिली है तथा धनराशि के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार केरल राज्य में केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रयोजित बागवानी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार ने अभी तक 1804.44 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इसके अलावा, इस राज्य में अपनी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नारियल विकास बोर्ड ने भी क्रमशः 9.5 लाख रुपये तथा 25.71 लाख रुपये जारी किये हैं।

(ग) और (घ). केरल सरकार समय-समय पर इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती आ रही है। 1994-95 के दौरान जारी निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी देय नहीं हुआ है।

विवरण

केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केरल में बागवानी के विकास के लिए 94-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक जारी की गयी धनराशि

क्र.सं.	योजना का नाम	1994-95 के दौरान, अभी तक जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)
1.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	1064.00
2.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम	127.35
3.	मशरूम विकास	14.75
4.	पान की बेलों का विकास	2.83
5.	कोको विकास	13.50
6.	समेकित उष्ण कटिबंध, शुष्क क्षेत्रीय तथा समशीतोष्णीय फल विकास	50.00
7.	सब्जियों के बीजों का उत्पादन और वितरण	3.38
8.	सुपारी विकास	36.00
9.	औषधिक एवं सुगन्धित पौधों का विकास	0.00
10.	मूल व कन्द फसलों का संवर्द्धन	0.00
11.	वाणिज्यिक पुष्प संवर्द्धन	0.00
12.	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग का संवर्द्धन	114.38
13.	फसल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास	0.00
14.	राज्य सरकार के माध्यम से चलाया जाने वाला नारियल विकास कार्यक्रम	378.25
	योग	1808.44

तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

152. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कुल कितने तिलहन का उत्पादन हुआ तथा 1994-95 में कितने तिलहन के उत्पादन का अनुमान है;

(ग) तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु और उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या तिलहन अनुसंधान केन्द्र निदेशालय हैदराबाद कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर तथा कर्नाटक राज्य बीज निगम द्वारा संयुक्त रूप से रबी तिलहन पर किसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्यशाला में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). तिलहनों के उत्पादन में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है और यह अपने लक्ष्य को पार करता जा रहा है। 8वीं योजना में तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 23 मिलियन मीटरी टन रखा गया है। 1993-94 में तिलहनों का उत्पादन 21.48 मिलियन मीटरी टन हुआ जबकि लक्ष्य 21 मिलियन मीटरी टन तक का ही था। 1994-95 के लिये तिलहनों के अनुमानित उत्पादन को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है वैसे तिलहन-उत्पादन का लक्ष्य 22 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ग) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शन, छिड़काव व उन्नत उपष्करों जिप्सम एवं पाइराट आदि के वितरण के लिए सहायता दी जाती है।

(घ) तिलहन अनुसंधान निदेशालय ने कृषि विज्ञान विश्व विद्यालय, बंगलौर में रबी-तिलहन कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें कर्नाटक राज्य बीज निगम ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था।

(ङ) कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विचार-विमर्श

(1). कुसुम

1. उपलबंध जेनोटाइप्स से प्राप्त होने वाले तेल का स्तर कम और अवरूद्ध है। बीजों और तेलों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि लाने के लिये कुसुम की संकर किस्मों का विकास करना जरूरी है। अतः संकर कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. कुसुम के रोगों पर किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सुझाव दिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर "एल्टरनेरिया" और "विल्ट" जैसे रोगों के लिए "रोग मैप्स" तैयार किये जाने चाहिये।
3. शोलापुर और जलगांव में बड़े पैमाने पर कुसुम के जर्म प्लाज्मों को माहू रोग से बचाने की जरूरत है, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की विधि तैयार करना जरूरी है। इस अध्ययन में अनुसंधान निदेशक/एम.पी.के.वी., से जरूरी सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

(2). अलसी

1. कीट विज्ञान सत्र के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर सुझाव दिया गया कि अभी तक उपलबध जर्मप्लाज्म का बडफ्लाई से बचाव किया जाना चाहिये। आई/सी प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (लिन सीड) से अनुरोध किया जाता है कि वह ऐसी विधि का विकास करें जिससे नागपुर में उपर्युक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सके। पी.के.वी., अकोला के अनुसंधान निदेशक से इस अध्ययन के लिये आवश्यक क्षेत्रीय सुविधायें मुहैय्या कराने के लिये अनुरोध किया गया है।

(3). सीसम

1. सभी उपलब्ध जर्मप्लाज्म की आवश्यक शरीर-क्रिया विज्ञान के पैरा-मीटरों के अनुसार उनका मूल्यांकन करने के अलावा अधिक उपज तथा अधिक मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिये छानबीन की जानी चाहिये।
2. रबी/गरमी के सीसम से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के पैकेज की प्रतियों की हो रही अधिक मांग को देखते हुए उपलब्ध जानकारियों से रबी/गरमी की सीसम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर एक बुलेटिन का प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है।

(4). सूरजमुखी

1. सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संस्थानों में पर्याप्त संख्या में जर्मप्लाज्मों का रख-रखाव किया जा रहा है। इसके प्रयोगों को सुकर बनाए जाने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया था कि अभी तक उपलब्ध सभी जर्मप्लाज्मों का एक "कैटलाग" तैयार किया जाना चाहिये और उसको सभी अनुसंधानकर्त्ताओं में परिचालित कराया जाना चाहिये।
2. विभिन्न फसल प्रणालियों में रबी/गरमी और वसन्त के मौसमों में सूरजमुखी के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए शस्य वैज्ञानिक दल ने यह महसूस किया है कि सूरजमुखी के उत्पादन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने तथा इसके उत्पादन में सुधार लाने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिये सभी केन्द्रों से एक "स्टेटस रिपोर्ट" तैयार करने और उसे परियोजना समन्वयक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
3. कीटों और रोगों की घटनायें सूरजमुखी के मामले में अहमियत रखती हैं क्योंकि इसकी पैदावार अलग-अलग चक्रों में की जाती है। अतः रबी/गरमी के मौसमों के दौरान सूरजमुखी के मामले में कीट रोग वैज्ञानिक और वैदानिक दृष्टि से अनुसंधान किया जाना चाहिये। अतः यह सुझाव दिया गया कि दल की आगे की बैठकों में सूरजमुखी के मामले में कीट वैज्ञानिक और नैदानिक दृष्टि से एक अलग तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाना चाहिये।

सामान्य सिफारिशें

1. चूंकि भविष्य में हमारे अनुसंधान के लिए संसाधनों के सीमित हो जाने की संभावना है अतः हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करने की नितांत आवश्यकता है ताकि हमारे घरेलू और निर्यात की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।

2. "केल स्टेराइल लाइन्स" में स्थिरता लाकर और इसको शुद्ध बनाकर सूरजमुखी की संकर प्रौद्योगिकी को एक मानक स्तर पर लाया जाना चाहिये। इसी प्रकार कुसुम के मामले में संकर प्रजातियों का विकास करने के लिये "जी.एम.एस. लाइन्स" का प्रयोग किया जाना चाहिये।

3. जैसा कि तेल तिलहनी फसलों का एक मुख्य उत्पाद है, तिलहनों की कीमत इसमें निहित तेल की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये जिससे कि किसानों को अपने तिलहन-खेती का लाभकारी मूल्य मिल सके।

4. पर्यावरण संरक्षण और बेहतर निर्यात की दृष्टि से पादप संरक्षण की वैकल्पिक विधि तैयार की जानी चाहिए जिससे कि कीटनाशियों के प्रयोग में कमी लायी जा सके। वानस्पतिक कीटनाशियों की और कीटनियंत्रण की जीव वैज्ञानिक विधियों की जांच परख की जाती रहनी चाहिये।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रासिंग

153. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के नगरों और कस्बों में रेलवे क्रासिंग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव अनुमोदित के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल और अधःपुल के निर्माण संबंधी क्या मानदंड निर्धारित हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) समपार की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकाय का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन व्यस्त समपारों (जहां एक लाख से अधिक गाड़ी यूनिट हों अर्थात् 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क यातायात यूनिटों से गुणा करने पर प्राप्त आंकड़े) के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जाता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव लागत में हिस्सेदारी की विधिवत् सहमति के साथ प्रायोजित किए जाएं।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों के मूल्य

154. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 के दौरान प्रत्येक किस्म के खाद्य तेल के खुदरा मूल्य क्या थे;

(ख) 1993 और 1994 की इसी अवधि की तुलना में इनके मूल्य क्या थे;

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाद्य तेलों की भंडारण सीमा में वृद्धि ही मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है; और

(ङ) यदि हां, तो मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जनवरी, 1995, जनवरी, 1994 और जनवरी, 1993 के दौरान चुनिंदा केन्द्रों पर मुख्य खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) कुछ खाद्य तेलों के मूल्यों में मौजूदा वृद्धि का कारण उत्पादन में धीमी वृद्धि, मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 5 लाख मी. टन का अनुमानित अंतर, बढ़ती हुई मांग और मौसमजन्य कारकों को ठहराया जा सकता है।

(घ) और (ङ). खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा सितम्बर, 1993 में संशोधित करके कम कर दी गई। खाद्य तिलहनों और तेलों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए सहकारी संगठनों और राज्य संघों को दालें, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण) नियंत्रण आदेश, 1977 से दी गई छूट, मई, 1994 में हटा ली गई। बाद में, जून, 1994 में, 22 निगमों और सहकारी समितियों को एक विनिर्दिष्ट सीमा तक खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा को लागू किए जाने से छूट दे दी गई थी। सरकार ने खाद्य तेलों के मूल्य उचित सीमा के भीतर रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की सहायता से खाद्य तिलहनों के उत्पादन की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना, वनस्पति के उत्पादन में कुछ विनिर्दिष्ट गैर-परम्परागत तेलों के उपयोग पर राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रावधान करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति के लिए रियायती आयात शुल्क पर पामोलीन का आयात करना तथा साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा खुले बाजार में आपूर्ति हेतु अन्य खाद्य वनस्पति तेलों को आयात करना शामिल है। पामोलीन के आयात को भी खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है, ताकि इसकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाई जा सके। मूल्यों की अनुवीक्षा संबंधी अन्तर्मंत्रालयिक समन्वय समिति खाद्य तेलों सहित आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त और समय से कार्रवाई करने की सलाह देती है।

विवरण

माह के अंत में खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य

(रु. प्रति कि.ग्रा)

वस्तु/केन्द्र	जनवरी, 1995	जनवरी, 1994	जनवरी, 1993
वनस्पति			
दिल्ली	42.00	35.00	34.00
बंबई	43.00	38.00	40.00
कलकत्ता	45.00	36.00	35.00
मद्रास	45.00	37.00	37.00
मूंगफली का तेल			
दिल्ली	48.00	40.00	38.00
बंबई	41.00	36.00	34.00
कलकत्ता	56.00	48.00	45.00
मद्रास	42.00	32.00	31.00
सरसों का तेल			
दिल्ली	37.00	32.00	28.00
बंबई	38.00	38.00	34.00
कलकत्ता	39.00	31.00	30.00
मद्रास	45.00	38.00	36.00

(स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग)

"शिर्डी स्पेशल" रेलगाड़ी

155. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से भेलापुर (महाराष्ट्र) तक जाने वाली शिर्डी स्पेशल नामक एक नई तीर्थयात्री एवं पर्यटक रेलगाड़ी का नवम्बर, 1994 के दूसरे सप्ताह में उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नई गाड़ी की विशेष बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य शहरों में भी ऐसी ही रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 11.11.1994 को पर्यटक यातायात के लिए बेलापुर और औरंगाबाद के रास्ते सिकन्दराबाद से सिकन्दराबाद तक एक विशेष साप्ताहिक गाड़ी चलाई गई थी। बहरहाल, 2.12.94 से इस गाड़ी को सिकन्दराबाद और बेलापुर के बीच 7061/7062 साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में पुनः चलाया गया है।

(ख) 7062 एक्सप्रेस सिकन्दराबाद से शुक्रवार को 22.00 बजे चलती है और बेलापुर शनिवार को 13.30 बजे पहुंचती है। वापसी दिशा में, 7061 एक्सप्रेस बेलापुर से शनिवार को 22.00 बजे चलती है और सिकन्दराबाद रविवार को 13.00 बजे पहुंचती है। यह एक्सप्रेस गाड़ी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के समन्वयन से चलाई जा रही है, जो बेलापुर से शिरडी के बीच कनेक्टिंग बसों की व्यवस्था करता है।

(ग) फिलहाल इस प्रकार की गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की कमी

156. श्री चित्त बसु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को 1994-95 के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति में सुधार करने और इस तरह की कमी को कम करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). अनुमानित व्यय के आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रक में योजना व्यय में किसी कमी की संभावना नहीं है। तथापि, वार्षिक योजना विचार-विमर्शों में की गई वचनबद्धताओं की तुलना में कम संसाधन जुटाने के कारण राज्य क्षेत्रक योजना व्यय में कमी का अनुमान है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार राज्य क्षेत्रक में 94-95 के परिव्यय के 33 प्रतिशत के आसपास की कमी का अनुमान है।

(ग) और (घ). राज्यों से संसाधन जुटाने के प्रयासों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है ताकि 1994-95 के दौरान योजना परिव्यय तथा व्यय के बीच प्रत्याशित अंतराल को पाटा जा सके।

माल डिब्बों का आबंटन

157. श्री एस.एम. लालचान वाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों के लिये नये माल डिब्बों के आबंटन हेतु इस समय क्या प्रणाली अपनायी जाती है;

(ख) प्रत्येक जोन की गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये माल डिब्बों का आंबटन किया गया और 1995-96 के दौरान ऐसे कितने माल डिब्बों को आबंटन किया जायेगा;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में रेल माल डिब्बों की कमी है;

(घ) क्या सभी जोनों की पूरी मांग की पूर्ति की गयी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सभी जोनों की मांग की पूर्ति करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न रेलों को नये माल डिब्बों का आबंटन लक्ष्य तथा माल डिब्बों के मौजूदा स्वामित्व के अनुसार माल यातायात की ढुलाई और संचलन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान तथा जनवरी 95 तक क्षेत्रवार माल डिब्बों का आबंटन इस प्रकार है :—

रेलवे	1992-93	1993-94	1994-95 (जनवरी 95 तक)
मध्य	2907.5	717.5	1452.5
पूर्व	898.5	635	3295
उत्तर	315	35	—
पूर्वोत्तर	180	—	—
पूर्वोत्तर सीमा	3535	1353	194
दक्षिण	182	—	—
दक्षिण मध्य	4145	2772.5	2250
दक्षिण पूर्व	19534	7892.5	2250
पश्चिम	500	—	500

1995-96 के लिए आबंटन कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सामान्यतः सभी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। व्यस्त अवधि के दौरान कभी-कभी फुटकर मांग पत्र प्रस्तुत करने और माल डिब्बों की आपूर्ति करने में समय लग जाता है।

(घ) से (च). माल डिब्बों की खरीद जरूरत और धन की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। माल डिब्बों की खरीद की योजना भारतीय रेलों के लिए तैयार की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों की आवश्यकताओं को इस सामान्य पुल से पूरा किया जाता है।

आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर करना

158. डा. मुमताज अन्सारी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां आयकर-दाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर कर दिया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप राजसहायता में प्रतिमाह कितनी बचत होगी;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित परामर्शदात्री परिषद ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस परिषद् की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने आयकर-दाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल और गेहूं प्राप्त करने की सुविधा से बाहर कर दिया है।

(ख) चूंकि इन राज्यों को अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की सुविधा से बाहर किए जाने के आधार पर खाद्यान्नों का आबंटन कम करने का प्रस्ताव नहीं है, अतः इसके फलस्वरूप राज सहायता में किसी प्रकार की बचत होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय नीति से संबंधित सिफारिशें करने के लिए गठित मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(घ) और (ङ). मंत्रियों की समिति ने सिफारिश की थी कि तुलनात्मक रूप से बेहतर वर्गों के उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की सुविधा से बाहर कर दिया जाए, ताकि समाज के जरूरतमंद और पात्र वर्गों को बड़ी और अधिक सार्थक मात्रा की आपूर्ति की जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद, जिसने मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था, की राय यह थी कि इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद के मंच के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

खाद्य तेलों का आयात

159. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों का आयात करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या देश में तिलहनों की कमी के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ग) इस निर्णय से खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में कितनी सहायता मिली है;

(घ) खाद्य तेलों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ङ) जनवरी 1995 तक खाद्य तेलों की कुल कितनी मांग की गई और वास्तव में इनका कितना आयात किया गया और निकट भविष्य में कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जाएगा;

(च) क्या वर्ष 1993-94 में खाद्य तेलों का उत्पादन वर्ष 1992-93 की तुलना में काफी कम हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन में कितना अंतर है और देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। 1994-95 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आर.बी.डी. पामोलीन की 1.07 लाख मी. टन मात्रा का आयात किया गया है। 1995-96 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर बी डी पामोलीन की 1.5 लाख मी. टन मात्रा का आयात करने का निर्णय किया गया है।

(ख) यह अनुमान है कि इस समय देश में खाद्य तेलों की आवश्यकता तथा सकल घरेलू उपलब्धता के बीच लगभग 5-6 लाख मी. टन का अन्तर है।

(ग) खाद्य तेलों के आयात से खुले बाजार में देशीय तेलों की आपूर्ति में वृद्धि हुई है तथा उनकी कीमतों पर संयतकारी प्रभाव पड़ा है।

(घ) और (ङ). वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान, राज्य व्यापार निगम को पामोलीन की 1.58 लाख मी. टन मात्रा के आयात हेतु प्राधिकृत किया गया था जिसके मुकाबले लागत, बीमा तथा भाड़ा सहित 188.94 करोड़ रुपए की कीमत पर 1.07 लाख मी. टन मात्रा का आयात किया गया। 1995-96 के दौरान किए जाने वाले आयात का उल्लेख भाग (क) के उत्तर में किया गया है।

(च) और (छ). 1993-94 के दौरान, सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की संभावित निवल उपलब्धता, 1992-93 की 61.0 लाख मी. टन की तुलना में, 61.7 लाख मी. टन थी।

(ज) खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर भाग (ख) के उत्तर में किए उल्लेख के अनुसार है। 1986 में भारत सरकार ने तिलहन तथा दालों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया था, ताकि तेजी से आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबन्धन प्रौद्योगिकी को काम में लाया जा सके। इस मिशन ने पर्याप्त तिलहनों का उत्पादन करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, जिससे आयात आधा रह गया है और यह देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने मौजूदा प्रयास जारी रखे हुए है।

गहन कृषि

160. श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहन कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) गहन कृषि द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिकी संकट को टालने और दीर्घकालिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). आदानों के अत्यधिक उपयोग की वजह से मृदा तथा जल कुछ सीमा तक प्रदूषित हुआ है। मृदा तथा जल की दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता पर बिना किसी प्रतिकूल असर के सतत कृषि विकास के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) प्रत्येक फार्मजोत तथा पनधारा की समग्र दशाओं के अनुरूप स्व-स्थान तथा अपवाह प्रबंध तथा मृदा एवं जल संरक्षण की बेहतर पद्धतियां अपनाना।

(2) मृदा की उर्वरता शक्ति तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिये मृदा सुधारकों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(3) हरित खाद सहित कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना।

(4) समग्र रूप से फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये प्रत्येक फसल के लिये अलग-अलग अप्रोच अपनाने के स्थान पर "फसल प्रणाली अप्रोच" को बढ़ावा देना।

(5) किस्म प्रतिस्थापना तथा जैविक व अजैविक प्रतिरोध क्षमता वाली स्थान विशिष्ट अधिक पैदावार देने वाली नई किस्मों के प्रवर्धन को बढ़ावा देना।

(6) फसलों में कीट तथा रोगों पर नियंत्रण करने के लिये समेकित कीट प्रबंध अप्रोच अपनाने को बढ़ावा देना।

परसीनीयम हिप्टो फोरस से होने वाली बीमारियां

161. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में "परसीनीयम हिप्टो फोरस" (जिसे स्थानीय तौर पर "कांग्रेस ग्रास" कहा जाता है) के तेजी से फैलने के कारण होने वाले चर्मरोग और "ब्रांकियल अस्थमा" होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस जहरीली घास के प्रसार/वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, परसीनियम हिस्टरोफोरस खर-पतवार जिसे "स्थानीय रूप से कांग्रेस ग्रास" के रूप में जाना जाता है, कानपुर सहित देश के बहुत से भागों में पाई जाती है। इस खर-पतवार से एलर्जी/चर्मरोग होने की सूचना मिली है।

(ख) राज्य सरकारों को परसीनियम खर-पतवार को फैलने से रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई है :—

1. परसीनियम खर-पतवार पर नियन्त्रण करने के लिये निम्नलिखित बातों का समर्थन करते हुये पर्चों का वितरण—
   (i) मानसून की शुरूआत के तत्काल बाद पौधों को उखाड़ना।
   (ii) 15 प्रतिशत साधारण नमक के विलयन का पत्तियों पर छिड़काव, तरूण पादपों पर 2,4-डी का छिड़काव तथा परिपक्व पादपों पर पैराक्वेट का छिड़काव।
   (iii) खर-पतवारों को उगने से रोकने के लिये पैराक्वेट तथा डाईयूरेन/अल्ट्राजाइन का सतह पर समान रूप से छिड़काव।
   (iv) पौधों को उखाड़ते समय स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचने के लिये पूर्वोपाय।
2. बेनामी भूमि में खर-पतवार पर नियन्त्रण करने के लिये सामुदायिक प्रयासों को सक्रिय बनाना।
3. तत्काल नियंत्रण उपाय करने के लिये लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा प्रेस जैसे विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार।

गुजरात की लंबित परियोजनाएं

162. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास अब तक स्वीकृति के लिए गुजरात की कौन-कौन सी पर्यावरण और वन संबंधी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु गुजरात लंबित गुजरात की परियोजनाओं के नाम, उनके लंबित होने का ब्यौरा और लंबित रहने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जब कभी पूर्ण ब्यौरों सहित कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर निर्णय लेने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लंबित है	लंबित होने के कारण
1	2	3	4
क.	**वन संबंधी स्वीकृति की परियोजनाएं**		
1.	भड़ौच जिले मे बलदेवा सिंचाई स्कीम	दिसम्बर, 1994	प्रक्रियाधीन
2.	जामनगर जिले में मैसर्स वाडीलाल कैमिकल्स द्वारा सिक्का में एलपीजी भण्डारण और हैंडलिंग संयंत्र की स्थापना	दिसम्बर, 1994	प्रक्रियाधीन
3.	साबरकांठा जिले में हारनव रिजर्वायर परियोजना चरण-II	अक्तूबर, 1994	प्रक्रियाधीन
4.	भड़ौच जिले में तांबा प्रगालक परियोजना का निर्माण	दिसम्बर, 1994	प्रक्रियाधीन
5.	बडोदरा जिले में एसएसपी वितरण नहर-निर्माण	जनवरी, 1995	प्रक्रियाधीन
6.	भड़ौच जिले में आईपीसीएल हेतु पाइप लाइन बिछाना	जनवरी, 1995	प्रक्रियाधीन
ख.	**पर्यावरण स्वीकृति की परियोजनाएं**		
7.	मंगरोल में लिग्नाइट आधारित विद्युत केन्द्र	जनवरी, 1993	स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की संभावना सहित अतिरिक्त सूचना प्राप्त होनी है।
8.	अक्रीमोटा में लिग्नाइट आधारित विद्युत केन्द्र	जुलाई, 1993	अपेक्षित सूचना आनी है।
9.	जी आई पी सी एल, बड़ौदा में कम्बाइन्ड साइकिल पावर संयंत्र	जुलाई, 1994	अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो अभी प्राप्त होनी है।

1	2	3	4
10.	दौलतपुरा वेयर परियोजना गुजरात विद्युत बोर्ड	फरवरी, 1994	परीक्षण की अंतिम स्थिति
11.	गुजरात में मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो की सीमेंट परियोजना हेतु ग्राम कोवाया राजुला तालुक, अमरेली में कैप्टिव बर्थ	सितम्बर, 1993	ईसी द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं हेतु सीमेंट संयंत्र को स्वीकृति जारी होने के पश्चात् इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
12.	मेंग्रोल फिसिंग हार्बर स्टेज-II का विस्तार	जुलाई, 1994	ईसी ने इस परियोजना पर विचार किया था और स्थल के मुआयने की सिफारिश की थी। स्थल का निरीक्षण अभी किया जाना है।
13.	द्रव हाइड्रो कार्बन तथा अन्य रसायनों की हैंडलिंग के लिए खम्बात की खाड़ी में डहेज में पत्तन टर्मिनल का निर्माण मैसर्स भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि. का प्रस्ताव	अक्तूबर, 1994	जनवरी में स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रक्रियाधीन।
14.	सिक्का में वाडीलाल केमिकल्स लि. द्वारा प्रस्तावित एलपीजी और द्रव पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण सुविधाएं	सितम्बर, 1994	इस प्रस्ताव को नामंजूर करने की सिफारिश गई थी क्योंकि यह परियोजना उच्च ज्वार रेखा और निम्न ज्वार रेखा के बीच में स्थित है। इसका पुनः परीक्षण किया जा रहा है।
15.	लखीगाम में तांबा प्रगालन संयंत्र हेतु इण्डो-गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स कार्पोरेशन लि. द्वारा डहेज पत्तन के समीप कैप्टिव जेट्टी का निर्माण	सितम्बर, 1993	प्रक्रियाधीन
16.	गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जखाऊ पर मत्स्य बंदरगाह का निर्माण	नवम्बर, 1994	प्रक्रियाधीन
17.	काण्डला पत्तन, गुजरात में चौथी तेल जेट्टी का निर्माण	जनवरी, 1995	प्रक्रियाधीन
18.	बीपीसीएल द्वारा वाडीनार में कच्चे तेल का टर्मिनल	जुलाई, 1993	प्रक्रियाधीन
19.	वाडीनार में 9 मिलियन टन तेलशोधक	अक्तूबर, 1993	अतिरिक्त सूचना आनी है।
20.	इण्डो गल्फ फर्टीलाइजर का लखीमपुर तांबा प्रगालक परियोजना	सितम्बर, 1995	प्रक्रियाधीन
21.	मेसर्स गुजरात अंबुज सीमेंट लि. की सोलाज खनन परियोजना	जनवरी, 1995	प्रक्रियाधीन

रेल भाड़े से आय

163. **श्री अंकुशराव टोपे :**
श्री बसुदेब आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौ माह में आज की तारीख तक रेलवे विभाग द्वारा कुल कितने माल की ढुलाई की गई;

(ख) इससे कुल कितनी आय अर्जित हुई;

(ग) रेलवे विभाग द्वारा अधिक माल ढुलाई करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सड़क से माल ढुलाई की मात्रा में कमी लाने और माल तथा यात्री यातायात से अधिक आय अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) रेलवे द्वारा अप्रैल से दिसंबर, 1994 के दौरान ढोया गया कुल राजस्व उपार्जक माल (अनंतिम रूप से) 265.79 मिलियन टन है।

(ख) अप्रैल से दिसंबर, 1994 की अवधि के दौरान माल यातायात से अर्जित कुल राजस्व (अनंतिम रूप से) 9934.62 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ). रेल यातायात तथा उससे अर्जित आमदनी में वृद्धि करने हेतु लिए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ में, बहुरूपात्मक परिवहन पर विशेष ध्यान, मार्ग निर्धारण के लिए नियमों तथा स्टेशन

से स्टेशन तक दर उद्गत करने सहित दर निर्धारण का सरलीकरण, यातायात के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी में कमी माल डिब्बों की आपूर्ति पर नजर रखना, फुटकर यातायात का माल अग्रेषक योजना के माध्यम से संचयन, स्पीड लिंक सेवाओं के माध्यम से संचलन, एसएलआर के खाली स्थान को लीज पर देना तथा रेल, बस, डीजल मल्टीपल यूनिट और मुख्य लाईन की ई एम यू गाड़ियां चलाना शामिल है।

[हिन्दी]

12.00 मध्यान्ह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक संवैधानिक मामला उठाने की अनुमति दी है। यह संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद पर दायित्व है कि वे देखे कि देश का शासन संविधान के अनुसार चले, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। लेकिन अगर किसी प्रदेश में वहां की सरकार संविधान के अनुसार चलने से इंकार कर दे, वहां का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार न चले तो क्या यह सदन मूक दर्शक बना रहे? क्या ऐसी स्थिति में इस सदन की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार चुनी हुई हो और विधानमंडल के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन अगर कोई सरकार विधानमंडल के प्रति जवाबदेह न हो तो? जब सरकार गठित हुई थी तब भले ही बहुमत में थी, बाद में सम्पर्क दल ने समर्थन वापस ले लिया तो अल्पमत में रह गई। अल्पमत की सरकार चले या उसे तत्काल विधान सभा के सामने जाकर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए? अगर कोई चुनी हुई सरकार ऐसा बहुमत सिद्ध करने से इंकार करें, यहां तक कि वहां राज्यपाल के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव पास होना चाहिए वो प्रस्ताव भी पास न हो और वहां की सरकार अपनी शक्ति प्रकट न करे, विरोधी दल अपनी शक्ति दिखाएं लेकिन वहां की सरकार न दिखाए तो राज्यपाल क्या करे?

राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधि है। क्या राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के बारे में केन्द्र को कोई समाचार भेजा है, कोई रिपोर्ट भेजी है? राज्यपाल न भी भेजे, केन्द्र रिपोर्ट मंगा सकता है।

जो सत्ता पक्ष को छोड़कर जा रहे हैं उनके यहां छापे डलवाये जा रहे हैं, उनके यहां अफीम बरामद कराई जा रही है, उन्हें पुलिस के अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है। अगर वो विरोधी दल के हैं तो उन्हें लोभ से, लालच से, भय से, आतंक से अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह से खरीद-फरोख्त का विषय बनाए जाएं और यह सदन बैठा रहे। प्रदेश का मामला है इस डर से हम कुछ कर न सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के और मामलों को लेना नहीं चाहता। किस तरह से वहां अराजकता है, अपहरण एक धंधा बन गया है, किस तरह से नारियों की बेइज्जती हो रही है, किस तरह से अदालत पर हमला हुआ, किस तरह विधानमंडल के अंदर लोग पीटे गये और किस तरह से मुजफ्फर नगर के चौराहे पर उत्तरांचल से आने वाली महिलाओं को बेइज्जत किया गया।

मैं उन सारे मामलों को यहां नहीं उठा रहा हूं। मैं एक संवैधानिक मामला उठा रहा हूं कि अगर किसी प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाये कि वहां का शासन संविधान के अनुसार न चले तो यह सदन क्या करे, आप हमें क्या निर्देश देते हैं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इनके बाद मौका दूंगा।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोध पक्ष, वाजपेयीजी की यह बड़ी सामान्य सोच है। चाहे संसद की बात हो या संसद के बाहर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य किसी प्रदेश की बात हो। जिसको वोट कम पड़ते हैं वह दल सामान्यतः ऐसी बात कहता है कि गितनी में बेइमानी हुई है या नियमों और परम्पराओं को तोड़ा गया है। यह आसान सी बात विरोधी दल के नेता ने कही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त साम्प्रदायिकता और अपराधी तत्वों के खिलाफ समर्थन दिया था। वाजपेयीजी का कहना सही है कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया।

अटल बिहारी वाजपेयी : हम सही बात ही कहते हैं।

श्री रामसागर : कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने के बाद बी.जे.पी. के साथ मिलकर कांग्रेस के वहां के नेता, जिनका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता, बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वयोवृद्ध नेता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस ने उनके बारे में सही समय से सोचा, वे उन लोगों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने और बनाने की बात सोच रहे थे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये। मैं जो कह रहा हूं, वह सुनिये। उन्होंने बहुत ही सोच-समझकर एक मर्यादित दायरे में अपने बात यहां रखी है। उसको आप लंबा करेंगे तो मुश्किल हो जायेगी। उस दायरे के अंदर जो आपको कहना है वह कहें।

श्री रामसागर : मैं लंबा नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने विधान सभा का अधिवेशन इसीलिए बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा के विरोधी दल के नेता..

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही नाजुक मसला है। इसके ऊपर बहुत सोच-समझ कर बोलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही उठकर बोलना शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जायेगी। वे कहते हैं कि वहां कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया है। उस पर आप कहें।

श्री रामसागर : मैं उसी पर आ रहा हूं। जहां तक नियम और परम्पराओं की बात है, वहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर एक सप्ताह चर्चा हुई। पूर्व एजेंडा में निर्धारत समय था 8 फरवरी, उस दिन वहां के विरोधी दल के माननीय नेता के बयान और भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो उन्होंने संशोधन रखा था, उस पर पहले

वहां के अध्यक्षजी ने हां और न पर मतदान कराया। प्रतिपक्ष के नेता ने उठकर मांग कि मैं इस पर डिवीजन चाहते हैं। जब सदन में मतदान हुआ तो उस संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 161 वोट प., इनके लोग भी इनके साथ नहीं थे और विपक्ष में 219 मत पड़े। इसके बाद ही माननीय महोदय ने विधिवत नियम एवं प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज बैठ जायें। मैं आपको फिर से बुला रहा हूं। आप सुनिये तो सही।

श्री रामसागर : माननीय अध्यक्ष जी, जो हाउस की परम्परा है, उसकी प्रक्रिया है...

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जायें। दूसरे हाउस में क्या होता है, उसकी यहां पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस चीज को ध्यान से रखते हुए श्री वाजपेयी जी ने बड़ी समझदारी के साथ अपनी बात यहां पर रखी और आप यदि बिना वजह बात को यहां पर घसीटकर लायेंगे तो मुश्किल होगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने विधान सभा में संवैधानिक संकट का उल्लेख किया है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

श्री रामसागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को नियम और प्रक्रिया के तहत पास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दूसरे हाउस की यहां पर चर्चा की जायेगी तो कांस्टिट्यूशनली और रूल से अलाउड नहीं है। वहां पर तो कांस्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है। आप कहें कि हुआ है या नहीं? आप बिना वजह कोई बात न कहें। आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री रामसागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे नियम, संविधान और प्रक्रिया के तहत ही राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया गया है। मैं इस हाऊस में यह कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों का विधान सभा में कम हुआ और जब जनता में जायेंगे तो और कम होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वहां पर जनता के द्वारा चुनी गयी सरकार है और वह सरकार वहां के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा गरीब किसानों के लिए काम कर रही है इसलिए उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है और जो धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ है, वह सही हुआ है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कतिपय प्रश्न उठाए हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जायें, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं। आप नये सदस्य हैं, ऐसी बात आप क्या समझ नहीं सकती हैं? आप बैठ जायें, मैं आपको चांस दूंगा और यदि ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। आप कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती लवली आनन्द** (वैशाली) : **(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस संसद को नगरपालिका अथवा कुछ इसी तरह का मत बनाइये। अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नये सदस्य हैं, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अच्छी तरह से बोलने दूंगा। आप बैठ जाइए पहले।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

12.16 म.प.

इस समय श्रीमती लवली आनन्द सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गईं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह श्री निर्मल कांति चटर्जी के लिए बहुत शर्म की बात है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्यों महोदय, आप इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं? मैं तो मात्र उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहा था।

12.19 म.प.

[हिन्दी]

इस समय श्रीमती लवली आनंद अपने स्थान पर वापस चली गईं।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम स्त्री-शक्ति का आदर करते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए। मैं रिकार्ड में ले लूंगा। उसके बाद सोमनाथ जी बोलेंगे।

[अनुवाद]

यहां यह थोड़ा-सा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आशा करता हूं कि इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम व्यक्तिगत रूप से विचार कर रहे हैं। पूर्वोदाहरणों पर नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में विगत दिसम्बर महीने में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक जो हमारे पार्टी के केसरिया से घोषित उम्मीदवार थे और हमारे पार्टी के स्तम्भ थे छोटन शुक्ला, उनकी निर्मम हत्या उस दिन होती है। जब शेषन साहब ने चुनावों की घोषणा की थी। उस दिन उसकी हत्या रात 10.00 बजे होती है और एक साजिश के तहत डी.एम. गोपालगंज की हत्या हुई है। उस हत्या में हमें आनंद मोहनजी, जो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, उन सहित अभियुक्त बनाया गया है। उनको बुरी तरह से पीटा गया है, उनकी टांग तोड़ दी गयी, हाथ तोड़ा गया और हमें जब हाजीपुर मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था, उस दरम्यान गाड़ी की रोशनी बंद कर दी गयी, हमें स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था कि "सूट हिम इन एनकाउण्टर" और वहां मुजफ्फरपुर का डी.एम., मुजफ्फरपुर का एस. पी. इशारा कर रहा था और मैं आनंद मोहनजी के साथ उनका हाथ पकड़े हुई थी। हमें अलग करने की साजशि हो रही थी लेकिन हमने सोचा कि मर जायेंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमें मुजफ्फरपुर लाया गया। वहीं 48 घंटे हमें कुर्सी पर बिठाकर रखा गया। न खाने की सुविधा दी गयी, न पीने की सुविधा थी, न महिलाएं थीं। वहां मुझे बन्द रखा गया। न शौचालय की सुविधा थी, न स्नानागार की सुविधा थी, एक बदबुदार, सीलनदार घर में पागल औरत के साथ मुझे रखा गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि पार्लियामेंट एक गरिमामयी पंचायत है, लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि जिस पार्लियामेंट में बड़े-बड़े महानुभाव हैं, अटल जी जैसे नेता हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, चन्द्र शेखर जी हैं, आडवाणी जी हैं, और भी बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि उसके साथ क्या ज्यादती नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि एक कमेटी गठित की जाय और इस बात की छानबीन की जाय कि पुलिस के द्वारा हम पर क्या ज्यादती हुई है।

आप लोग यह जानते हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। हमने इससे पहले आपको लिखकर भी दिया था कि हमें जान की सुरक्षा की जरूरत है। वहां मेरे और अनंद मोहन जी के पीछे बिहार की पुलिस पड़ी हुई है और एक दिन हम किसी षड़यंत्र का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए हमने राजेश पायलटजी को भी लिखकर दिया था, आपको भी दिया था लेकिन कोई सुविधा का प्रावधान नहीं किया गया। हमें जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ और हमें इस तरह से अभियुक्त बनाया गया, इसकी छानबीन करने की जरूरत है। अगर आनंद मोहन जी उस दिन मेरे साथ नहीं होते तो यह पार्लियामेंट कलंकित होता, आज मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के जनता दल के विधायक वहां बलात्कारी हैं, उसकी पुलिस हमारे साथ क्या करती और अभी भी वही स्थिति है। अभी वहां चुनावों का समय है इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए।

मैं यह पूछना चाहती हूं कि मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की दूरी कम से कम 75 किलोमीटर है। 4.15 पर डी.एम., गोपालगंज की हत्या होती है और 4.30 पर हमें हाजीपुर में पकड़ा जाता है तो लालूजी ने ऐसी कौनसी गाड़ी बनाई है जो 15 मिनट में 75 किलोमीटर तय करती है। 15 मिनट में हम कैसे मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आए? इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वे कहते हैं कि हमें सी.बी.आई. जांच का विश्वास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब शेषन साहब का सवाल है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड का सवाल है तो वे कहते हैं कि सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए क्योंकि जो कागज हैं, रील हैं वे सब विदेशी चीजे हैं। लेकिन डी.एम. जी., कृष्णैय्या की हत्या का मामला और छोटन शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सी.बी.आई. से नहीं कराते। मैं कहना चाहती हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि बिहार में चुनाव का माहौल है। हमारे पीछे बिहार सरकार पड़ी हुई है, किसी षडयंत्र के तहत हमें फिर गिरफ्तार किया जाएगा, हम फिर साजिश का शिकार होंगे। हमारी सरुक्षा की जिम्मेदारी आपकी है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे साथ जो अपमानजनक घटना हुई है, पुलिस ने ज्यादती की है, खाने-पीने को कुछ नहीं दिया, दस दिन तक हम अनसन पर रहे और उसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, अनशन की हालत में ही मेरी बेल हुई है और यहां पार्लियामेंट में मैं बिहार प्युपिल्स पार्टी की एकमात्र मेम्बर हूं। इसलिए दूसरे दलों के लोगों ने यह सवाल नहीं उठाया कि यह एक औरत का, एक भारतीय नारी का, सांसद का सवाल है। इसलिए मेरे मन में दुःख है, तकलीफ है। अध्यक्ष जी, इससे बेहतर तो यह है कि अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो मैं संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दूं।...**(व्यवधान)** अगर सी.बी.आई. से जांच नहीं होगी तो हम अनशन पर बैठेंगे। अगर हम हत्यारे हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिये, उस सजा को सहन करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने सदन में खास तौर से बिहार सरकार के बारे में जो कुछ कहा, वहां के मुख्य मंत्री पर नाम लेकर जो आरोप लगाये, वे न केवल बेबुनियाद हैं, बल्कि सौ प्रतिशत निराधार हैं, बिल्कुल गलत हैं, असत्य हैं। गोपालगंज के डी.एम. श्री जी. कृष्णैया एक दलित परिवार

से संबंधित थे जो एक गरीब परिवार में पैदा हुये थे और शिक्षा प्राप्त करके आंध्र प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. बने...(व्यवधान)...जब माननीय सदस्या बोल रही रही थीं तो मैं चुप था, अब मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है।

मैं कह रहा था कि श्री जी. कृष्णैया एक दलित परिवार में पैदा हुए और कुली का काम करते हुए पढ़-लिखकर आई.ए.एस. बने। गोपालगंज में उनकी नियुक्ति के दौरान जिस तरह नृशंस हत्या की गयी, ब्रूटल मर्डर किया गया, मैं समझता हूं कि वह अपने आप में, लोकतंत्र के इतिहास में एक मिसाल है। जिस जमात के द्वारा, एक जुलूस के जरिया, मौब बनाकर, वायोलैट मौब के जरिये उनकी हत्या की गयी, उसके लिए चाहे कोई कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, इस संसद का सदस्य ही क्यों न हो, लेकिन बिहार में कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने वाली शक्ति के खिलाफ, हिंसा भड़काने वाली ताकत के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिये बिहार सरकार कृतसंकल्प है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस मामले में उच्च-स्तरीय इन्वैस्टीगेशन की जा रही है इसलिए ऐसे किसी मामले को इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। ऐसे किसी मामले में यहां सफाई देकर सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। सांच को आंच नहीं आ सकती। भारत सरकार इस मामले में जो कदम उठाना चाहती है, वह उठाये लेकिन सच्चाई को ढका नहीं जा सकता। बिहार में जिस तरह से एक दलित परिवार के डी.एम. की नृशंस हत्या हुई है, आज वहां कानून और व्यवस्था को कुछ लोग हाथ में लेने की, संविधान को हाथ में लेने की सरे-आम कोशिश कर रहे हैं। प्यूपिल्स पार्टी की गतिविधियों के कारण आज वहां आम लोगों का जीवन असुरक्षित हो रहा है, जिसे बिहार सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और उसी की गुहार यहां वही लोग कर रहे हैं।

आज बिहार में जिस तरह से दबे कुचले दलित और पीड़ित लोगों का जीवन जोखिम में पड़ गया है, हिंसात्मक वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है, ए.के.-47 के जरिये कोई भी व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। लोकतंत्र में नेता बनने के लिए डैमोक्रेसी का तरीका अपनाना होगा, लोकतंत्रीय तरीका अपना होगा। हिंसात्मक वातावरण फैलाकर तो एक कुख्यात अपराधी ही बना जा सकता है... (व्यवधान)...

आज यहां एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें की जा रही हैं जिस पर हत्या का मुकदमा है, जो कुख्यात अपराधी रहा है और हिस्ट्री शीटर रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया खड़े मत होइये। मैं आप दोनों को एक ही समय बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जिस तरह आप जांच कराना चाहें करायें लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिये। बिहार सरकार वहां के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को वहां किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जायेगा। संविधान को हाथ में लेने वालों के साथ बिहार सरकार सख्ती से पेश आयेगी और इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं होगी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं एक-एक करके कुछ दूसरे महत्वपूर्ण सवालों पर बोलने के लिए आपको टाइम देने वाला हूं। अगर आप सब लोग एक दफा ही बोलने लगें तो मुश्किल हो जाती है। आपने देखा है कि माननीय सदस्या ने यहां जो कुछ कहा, हमने उसे बड़ी शांति से सुना, एक दफा नहीं तीन दफा सुना, भले ही रिकार्ड में एक दफा गया है। उन्होंने जो कुछ कहा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदया की भावनाओं का सभी लोग आदर करेंगे। उन्होंने जो यहां पर कहा उसको एकदम ब्रुश असाइड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ सही बात क्या है यह हम लोगों को भी मालूम नहीं है। इसलिए किसी निर्णय पर एकदम आना भी जरूरी नहीं है। अतः मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि उनका जो बयान है उसको पढ़कर जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल है, उसके संबंध में क्या असलियत है वह मैं जानना चाहूंगा। वह रिपोर्ट किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, और यह भी आना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : वह पर्सनल मामला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं अध्यक्ष महोदय, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, यह भी उस रिपोर्ट में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह भी आना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप उसको लंबा मत कीजिए। मैं तो उसे खत्म करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि एक रूलिंग यह भी दे दी जाए कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट यदि मर्डर करे तो पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जब चेयर पर बैठें, तो ऐसी रूलिंग दे दें।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आपने कैसे तय कर लिया कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने मर्डर किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके ऊपर-कोई कार्रवाई हो गई तो मैं पूछू नहीं ? आप बैठ जाइए। उसके लिए कोर्ट को जो कुछ करना है वह कर लेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, एक आई.ए.एस. अधिकारी की हत्या कर दी गई है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस मामले के एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो मामला हमसे संबंधित है यदि वह सच है तो यह वास्तव में दुखद बात है। इससे एक आइ.ए.एस. अधिकारी की दिन-दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा एक संवैधानिक सेवा है और इसे भारत के राष्ट्रपति का सरंक्षण प्राप्त है। अतः मैं समझता हूं कि मुख्य बात यह है कि एक आई.ए.एस. अधिकारी की हत्या की जांच राज्य सरकार की सहमति से एक केन्द्रीय एजेंसी द्वारा करायी जानी चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने जो कहा है वह यह है कि महिला सदस्य ने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है और मैंने कहा "कृपया उनके वक्तव्य की सावधानीपूर्वक जांच की जाए।"

जहां तक उनके वक्तव्य के उस भाग का संबंध है, मैं उसके बारे में जानकारी चाहूंगा। न्यायालय यह निर्णय करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

जहां तक आपके वक्तव्य का संबंध है, यदि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से यह कह रही है कि जांच कार्य के लिए कुछ सहायता की जानी चाहिए तो उन्हें केन्द्र सरकार के पास आने दीजिए। वे इस पर ध्यान देंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार से आता है।

(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू : महोदय, मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपने कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के बारे में एक महिला सदस्य की बात की ओर ध्यान दिया है। किन्तु मेरे क्षेत्र के डी.एम. के बारे में आपका क्या विचार है जिनकी बिहार में निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी? मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस ओर कुछ ध्यान दिया जाए तभी उनके परिवार की सदस्यों को न्याय मिल सके। वह एक गरीब अनुसूचित जाति परिवार के थे। यह आई.ए.एस. अधिकारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है और संसद ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। उनके परिवार में कोई नहीं जो इस मामले को उठाए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले 37 मिनट से हम वास्तव में जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारे क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है। यह मेरा विनम्र सुझाव है। श्री वाजपेयी ने इस देश के एक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के खराब होने अथवा संवैधानिक संकट पैदा होने का मामला उठाया है। संविधान इस बात का निर्धारण नहीं करता है अथवा इस प्रकार का प्रावधान नहीं करता है कि क्या संसद इस प्रकार से इस प्रश्न पर निर्णय दे सकती है अथवा नहीं। संसद इस संबंध में तभी निर्णय दे सकती है जब वहां राष्ट्रपति शासन हो और जब राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन देने का प्रश्न हो, यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस बात का निर्णय किया जाए। यह कार्यपालिका का निर्णय है। निःसंदेह, उच्चतम न्यायालय ने कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए हैं जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार को चलना होता है परन्तु हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं। यहां तक कि हम सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी नहीं कर सकते हैं। यह सदन वस्तुतः एक सुपर राज्य विधान मंडल बन जाएगा। यदि यह ऐसा निर्णय ले कि राज्य विधान मंडल को क्या चर्चा करनी है और यदि हम यह निर्णय लेते हैं और यहां पर जो राज्य सरकार है उनके बारे में निर्णय देते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अनेक मामलों को दलगत भावना से निपटाया जाता है। जैसाकि हमने अभी देखा है। अतः यदि यह सदन इस बात का निर्णय स्वयं ही करता है तो यह एक गंभीर बात होगी। इसके अतिरिक्त मेरा विश्वास है कि श्री वाजपेयी की पार्टी किसी राज्य में सरकार को समर्थन देने के प्रश्न पर सहमत हुई थी जो कि राज्य विधान मंडल में उसके सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगा। सदन को को इसका निर्णय सभा के पटल पर किया जाना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : यदि सदस्यों की संख्या का ही प्रश्न हो तो?

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।

मैं विन्रमतापूर्वक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मूलतः प्रश्न पर निर्णय सदन में ही होना चाहिए। यदि बहुमत की वही परीक्षा थी और कागज पर यह अल्पमत की सरकार थी तब इस सरकार को यहां नहीं होना चाहिए था अथवा पहले दिन ही सत्तारूढ़ नहीं होती। यहां किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। श्री नरसिम्हाराव बहुमत प्राप्त दल के नेता नहीं थे। अतः कोई सरकार नहीं होती। हम संसदीय लोकतंत्र

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को भूल जाएं। कानूनी निर्हरता, अपनी वफादारी किसी अन्य के प्रति दिखाना, जो भी कारण हो, सरकार से इसके कार्यकरण का आदर्श स्वरूप नहीं रहेगा। कुछ विशेषज्ञ सतारूढ़ में हैं और कुछ विशेषज्ञ विरोधी दल में हैं। मैं नहीं जानता कि यह कैसे होता है। अतः महोदय, इस देश में दल-बदल विरोधी कानून एक मजाक है। हम इस प्रश्न का निर्णय कैसे कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि सदन में चर्चा करने के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु सदन के बाहर राजनैतिक दल के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमें अपनी राजनैतिक प्रणाली को स्वस्थ बनाना चाहिए। इसे दूषित न करना चाहिए क्योंकि लोग दल बदल रहे हैं। श्री वाजपेयी जी कुछ दुखी हैं क्योंकि अचानक उनकी पार्टी टूटनी शुरू हुई है, जिसे एक अखंडित दल माना जाता है। अतः उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उससे वह आज दुखी हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस सदन में हमारे सम्मुख कई महत्वपूर्ण काम हैं। इन बातों से हम अपनी कठिनाइयां और चिंताए न बढ़ाएं। यदि इस देश में संघीय प्रणाली कायम रखनी है तो हमें राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह जनमत द्वारा चुनी गई है। लोकप्रिय प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन हुआ है। फिर प्रत्येक राज्य विधानमण्डल की शक्ति छीनी जा रही है। मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत गंभीर बात होगी।

महोदय, मुझे एक और बात कहनी है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि हम संसद में है, इसलिए हम राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की तुलना में अनावश्यक रूप से अधिक देशभक्त हैं, कि हम राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों से अधिक बुद्धिमान हैं। हमें उस तरह की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता अथवा श्रेष्ठ देशभक्ति का अंहकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान द्वारा हमारे पृथक-पृथक क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। यहां तक कि हम अपने स्वयं के कार्य को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। हमें बजट पारित करने में भी 'गिलोटीन' का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए, हमें इस तरह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : रक्षा बजट भी पारित किया जाता है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है,... रक्षा बजट भी पारित किया जाता है। इस बारे में उनका कहना बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक वर्ष वह इसका उल्लेख भी करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : .... चर्चा किए बिना।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, यह चर्चा किए बिना पारित किया जाता है। इसलिए, हमें इस पर टकराव का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजनैतिक उद्देश्यों के लिए, हमें उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो हमारा नहीं है। यह मेरा सादर निवेदन है। धन्यवाद।

श्री वी.एम.सी. बालयोगी (अमलापुरम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टाल हाल ही में लगी आग के संबंध में है जिसका आंध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की के.जी. परियोजना द्वारा शमन किया जा रहा है।

मैं उस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों से बहुत प्रसन्न हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोना सीमा का अमलापुरम क्षेत्र तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ड्रिलिंग कार्यों का मुख्य केन्द्र है। कृष्णा-गोदावरी परियोजना के राया ढांचे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक अपतटीय तथा तटीय ड्रिलिंग कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश किया है। अब तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अच्छे परिणाम मिले हैं तथा उन्होंने 8वीं पंचवर्षीय योजना में उसी क्षेत्र में और 3000 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय किया है।

यद्यपि इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों से बहुत प्रसन्न हैं, फिर भी वे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित उदासीन रवैये से बहुत अप्रसन्न हैं।

महोदय, इस क्षेत्र में हाल ही की आग लगने की घटना 8 जनवरी, 1995 को सायं 6.55 बजे हुई जो इस क्षेत्र में हुई आग लगने की तीसरी घटना है। 1979 में भी आंध्र प्रदेश में लिंगाम बोइना चार्ला में आग लगने की एक घटना हुई थी। 1993 में भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में कोमाराडा गांव में आग लगने की घटना हुई थी।

हाल ही की यह आग दुर्घटना बहुत गंभीर है। विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ श्री नील अडम्स, ने भी यह वक्तव्य दिया है कि यह तो विश्व की तेल कुएं में आग लगने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। अब तक, इस तरह की आग की घटनाएं इस देश में अथवा विश्व में कहीं भी कभी नहीं हुई। आग लगने के दिन लगभग 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया था। 10 किलोमीटर की परिधि में समस्त धान, नारियल तथा अन्य वाणिज्यिक फसलें पहले ही क्षतिग्रस्त हुई हैं। आग की इस घटना के परिणामस्वरूप काफी वायु प्रदूषण हुआ है। कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 10 वर्षों में धान, नारियल तथा अन्य वाणिज्यिक फसलें हाल ही की आग की घटना से हुए प्रदूषण के कारण क्षतिग्रस्त होंगी। इस आग को नियंत्रित करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कई सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन फिर भी वे आग लगने के 35 वें दिन भी आग बुझाने के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। इस क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। छः हजार लोग कालेज तथा उच्च विद्यालय भवनों में आश्रय ले रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उन्हें कुछ खाने के लिए दे रहा है। अब तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने लोगों को बसाने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं किए हैं। उन्हें अपनी मजदूरी की हानि हो रही है। उनके बच्चे गांवों को नहीं जा रहे हैं। पहले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वचन दिया था कि वे एक अर्ध-स्थायी मकान बना रहे हैं और वे प्रभावित लोगों के लिए 500 पक्के मकान बना रहे हैं लेकिन अब तक उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को मद्रास से राजामुन्द्री में स्थानान्तरित

करने का भी कई बार अनुरोध किया है जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की काफी गतिविधियां हो रही हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इस उदासीन रवैये में अन्य कमी यह है कि वे वहां स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि राजस्व विभाग के लोग तथा पुलिस भी प्राकृतिक गैस आयोग के रवैये से प्रसन्न नहीं है क्योंकि उनका बजट लेखापरीक्षा रहित बजट है, वे अपने उद्देश्य के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय क्षेत्र तथा वहां के लोगों के विकास के लिए नहीं। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की कोना सीमा क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास के बारे में रुचि नहीं है। वर्ष 1987 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कोना सीमा क्षेत्र में सड़कों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 23 करोड़ रुपये और उससे अधिक देने के लिए सहमत हो गया था तथा यह धनराशि वर्ष 1990 में बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तैयार हो गया लेकिन अब तक इस उद्देश्य के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक भी रुपया नहीं दिया है। उन्होंने चार पुलों अर्थात वशिष्ट, यनम-येदुरुलंका, कोटिपली-मुक्तेस्वरम तथा बोडासाकुरू के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने के लिए भी वचन दिया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी स्वीकृत नहीं किया है।

अंतिम आग की घटना में, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जो कोमाराडा आग की दूसरी घटना के लिए उत्तरदायी हैं।

वे सदैव इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और अब तक उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध, जो इस आग की घटना के लिए उत्तरदायी हैं, कोई कार्यवाही नहीं की है। 1987 से राज्य सरकार भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए अंशदान करने के लिए कहती आ रही है। लेकिन उन्होंने स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए भी कोई निधियां नहीं दी हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उस क्षेत्र में सड़कों तथा पुलों का उपयोग कर रहा है लेकिन यह क्षेत्र विकास के लिए किसी तरह की सहायता नहीं दे रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंत्री महोदय से इस महत्वपूर्ण मामले के संबंध में वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री से कहूंगा! कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : कृपया उन लोगों, जिनकी फसलें, मकान तथा सब कुछ चला गया है, को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में मंत्री महोदय को वक्तव्य के लिए निर्देश दें। महोदय, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस विषय में वक्तव्य दें तथा फसलों को हुई क्षति के लिए उदार क्षतिपूर्ति तथा क्षेत्र विकास के लिए निधियां तथा उन लोगों के क्षतिग्रस्त मकानों तथा उन किसानों, जिनका आग में सब कुछ चला गया, का क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : कृपया मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दें। आप केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दे रहे हैं जो उस ओर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा, कृपया थोड़ा इंतजार करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या आप मुझे भी बोलने की अनुमति देंगे? मैंने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान नीतीशजी, आप अपने स्थान से ही बोल सकते हैं। बस माइक के बटन को दबा दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान, जहां बिहार विधान सभा का चुनाव होने वाला है, वहां की जो परिस्थिति है, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर गिरती चली जा रही है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसके मुताबिक बिहार सरकार के पास जो उपलब्ध पुलिस बल है, उसका डिप्लायमेंट चुनाव के दौरान होना है। इसके अलावा मात्र 450 कंपनियां सैण्ट्रल पुलिस फोर्स की जा रही हैं, यानि कुल मिलाकर 32,000 पुलिस केन्द्र सरकार की तरफ से और 50,000 की संख्या का पुलिस बल बिहार सरकार की तरफ से है। वहां बूथों की संख्या कुल 82,000 है। जितने सैंसिटिव और हाइपर सैंसिटिव बूथ हैं, कम से कम उन पर फोर्स का डिप्लायमेंट होना चाहिए, लेकिन जितनी पुलिस फोर्स की उपलब्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए मुश्किल से 10 प्रतिशत बूथ पर स्टेटिक पुलिस फोर्स का डिप्लायमेंट हो पाएगा। मतलब 90 प्रतिशत बूथ बिल्कुल खाली रहेंगे, अनमैण्ड रहेंगे, उनपर किसी प्रकार का प्रोटैक्शन का इंतजाम नहीं होगा। नतीजा होगा कि बिहार में वर्स्ट एवर इलैक्शन सिनैरियो है। जिसकी जो मर्जी आयेगी, वह करेगा। बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, जो कुछ हो सकता है, वह होगा। नतीजा होगा कि सबसे अधिक हिंसा की भी संभावना है।

इसलिए आपके माध्यम से हम सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो, चुनाव आयोग ने जितनी पुलिस फोर्स की मांग की है, वह पूरी होनी चाहिए। वहां के विभिन्न विपक्षी दलों की यह मान्यता है कि जब तक कम से कम 1,500 कंपनियां सीआरपीएफ की नहीं जाती हैं, सैण्ट्रल फोर्स की नहीं जाती हैं, तब तक वहां निष्पक्ष चुनाव की कोई संभावना नहीं है, वहां फेयर इलैक्शन नहीं हो सकता है, वायलैंस फ्री इलैक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह आग्रह करेंगे कि लगातार जो ह्रास होता जा रहा है, जो दूसरी बात हो रही है, वहां जिनके पास लाइसैंस्ड हथियार हैं, उनके हथियार जमा कराये जा रहे हैं और जो अनलाइसैंस्ड आर्म्स का जखीरा पड़ा

हुआ है, उसको पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी की मदद कर सकते हैं, वैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है और दूसरे लोगों को टैरेराइज किया जा रहा है, इस प्रकार का वहां सीन है।

ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैण्ड करना चाहिए और उनकी तरफ से जो भी सैण्ट्रल फोर्स की मांग होती है, सैण्ट्रल फोर्स का डिप्लायमेंट होना चाहिए, हम आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहते हैं।

12.50 म.प.

'टाडा' का दुरुप्रयोग तथा उसे निरस्त करने की मांग के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपकी आभारी हूं। मैं अपना मुद्दा नहीं उठा रही हूं। मैं, जनता से विशेषकर अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित एक मामला उठा रही हूं।

महोदय, मैं 'टाडा' का मामला उठाना चाहती हूं। समाज के सभी लोग यह बात जान चुके हैं कि 'टाडा' के अंतर्गत 64,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई स्थानों पर इसका इतना अत्यधिक दुरुपयोग किया गया कि महिलाएं तथा बच्चों को भी बक्शा नहीं गया।

महोदय, सदन में गृह राज्य मंत्री उपस्थित हैं और मैं इसी प्रयोजन से यहां आई हूं। मैं, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि जिन क्षेत्रों में आतंकवाद की समस्या है उन्हीं विशेष क्षेत्रों में 'टाडा' को अधिसूचित किया जाना चाहिए तथा प्रशासन को इसका प्रयोग आम तथा बेकसूर लोगों को तंग करने के लिए नहीं करना चाहिए। जब महिलाओं तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो मुझे पता नहीं अन्य लोगों के मामले में क्या हो रहा होगा। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को उन विशेष क्षेत्रों में जहां पर देश की अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दाव पर है, 'टाडा' को अधिसूचित करना चाहिए। इसका उपयोग व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण अथवा बदले की भावना से नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा यह विचार है कि सरकार को 'टाडा' में संशोधन करना चाहिए तथा इसे लागू करने के लिए विशेष क्षेत्रों को अधिसूचित करना चाहिए तथा बेकसूर लोगों को तत्काल रिहा करना चाहिए।

महोदय, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने 'टाडा' के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। परन्तु बंबई, राजस्थान, विशेषकर गुजरात में कई लोगों को 'टाडा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। वहां पर 64,000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अतः मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा इसे गंभीरता से लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान
(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हमारा एक नेता, आसाम में 'टाडा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। टाडा को समाप्त किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमारे एक नेता को जो कि राज्य सचिवालय के सदस्य हैं 'टाडा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री पासवान जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जो बात ममता बनर्जी जी ने कही, मैं उसका पूरा समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। टाडा का जिस तरीके से दुरुपयोग देश में हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे कानून की इस प्रकार से खुल्लम-खुल्ला अवहेलना की गई हो। संसद के पिछले सत्र का अगर आप क्वश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 68 हजार लोग टाडा में बंद थे। इसमें से 19 हजार लोग गुजरात में बंद थे। जबकि गुजरात टैरारिस्ट स्टेट नहीं है। इसके बाद नम्बर आंध्र प्रदेश का आता है और फिर महाराष्ट्र का आता है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां-जहां जनता दल की और सी. पी.एम. की सरकार है, वहां इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां भयंकर तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ है... **(व्यवधान)**...जब हम सच्ची बात कहते हैं तो आपको बहुत शर्म आती है। जब वोट का डंडा लगता है तो माइनॉरिटीज की याद आ जाती है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : हम तो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। अच्छी बात करते-करते पॉलिटिक्स बीच में ले आये।

श्री राम विलास पासवान : आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने चुनाव प्रचार के दरम्यान कहा कि या तो टाडा जायेगा या मैं जाऊंगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि टाडा को जाना चाहिये। टाडा को एरियावाइज नहीं रखना चाहिए। जब संसद में टाडा संबंधी कानून आया था तो उस समय भी हमने डिबेट में भाग लेते समय यह कहा था यदि इसको एरियावाइज रखेंगे तो इसका दुरुपयोग होगा। जो काम नॉर्मल तरीके या कानून से नहीं हो सकता है, वह विशेष कानून से कभी नहीं हो सकता है। आज अगर चुनाव अच्छे ढंग से हो रहे हैं तो विशेष कानून से नहीं हो रहे हैं बल्कि प्रीवियस कानून से अच्छे हो रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार टाडा कानून को खत्म कर दे। अगर वह इस कानून को आगे बढ़ायेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। सरकार की दोगली नीति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कु. ममता बनर्जी ने जो कहा है। हम उससे सहमत हैं, यह बात मैंने पहले ही बता दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा था, वह संभवतः कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हुआ है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, 'टाडा' का जो दुरुपयोग हुआ है, वह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमारे दल के नेता को भी आसाम में 'टाडा' के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम है—कॉमरेड डेका। इस प्रकार सारे देश में 'टाडा' को चलाया जा रहा है। अतः यह मांग कि 'टाडा' को समाप्त किया जाय, इस बारे में हम सभी एक मत हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि कु. ममता बनर्जी ने बड़ा ही वैध प्रश्न उठाया है और हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : वे हमेशा संगत प्रश्न ही उठाती हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, क्या आप मुझे एक अन्य मामला उठाने के लिए एक मिनट का समय देंगे?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 'टाडा' एक कठोर कानून है जिसका काफी लंबे समय से दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसेकि इस सदन में बताया गया है कि इस कानून के अन्तर्गत 60,000 लोगों से भी अधिक लोगों को जेलों में डाला गया है। दुर्भाग्यवश, इनमें से 80% मुसलमान हैं। अतः इससे मैं अत्यधिक चिंतित हूं तथा इन बेकसूर लोगों को, जिनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं हैं गिरफ्तार किए जाने के लिए बड़ा व्यथित हूं। वे कई वर्षों से जेल में हैं तथा जेल में उन्हें गंभीर यातनायें दी जा रही हैं। इन लोगों को उस त्रुटि के लिए, जोकि इन्होंने नहीं की हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। हर कोई यही कहता है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट भी यही कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया है। जब स्वयं सरकार यही कह रही है कि इसका दुरुपयोग किया गया है तो मुझे यह पता नहीं कि सरकार इस पूरे कानून को समाप्त करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है। इस कार्य को यथासंभव शीघ्र किया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति बिगड़ जायेगी। मुझे आशा है कि सरकार इस विशेष मामले पर यथोचित ध्यान देगी क्योंकि यह कार्य तत्काल कराना है और 'टाडा' को यथा संभव शीघ्र समाप्त कराना है। चुनाव में वादा करना निरर्थक है। चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इस कार्य को तत्काल शुरू करना चाहिए तथा 'टाडा' को हमेशा के लिए यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदन में माननीय गृह मंत्री जी का एक वक्तव्य था कि 'टाडा' का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा दुरुपयोग संबंधी मामलों की सरकार को जानकारी है। मेरे विचार से इस बात को बार-बार दोहराने से कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं हैं। सरकार के लिए यह उचित है कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे अथवा आश्वासन दे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस बात से सहमत है कि इसका दुरुप्रयोग किया जा रहा है, वह या तो इस अधिनियम को निरस्त करके कार्यवाही करे अथवा इसे कतिपय सीमित क्षेत्रों में लागू किया जाये। मैं, इस विचार का कि 'टाडा' को कतिपय सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाये, समर्थन नहीं करता हूं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस संबंध में कोई संशोधन लायेगी अथवा इस अधिनियम को निरस्त करेगी। हर कोई जानता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम लोग इस संबंध में बार-बार रहते हैं ओर हमें ऐसा करना ही चाहिए। चुनाव परिणाम आ रहे हैं कुछ और आने वाले हैं। हमें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहां तक अल्प समुदाय का संबंध है, सत्तापक्ष को यह समझ होनी चाहिए कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध इस अधिनियम को बड़े ही निर्दयी ढंग से जानबूझकर दुरुपयोग करके अल्पसंख्यक समुदाय को अपने से विलग करके, अपने हित को क्षति पहुंचाई है। मुझे यह पता नहीं है कि उनका क्या आशय है। इस सदन को कम से कम सरकार को 'टाडा' निरस्त करने के लिए मजबूर करना चाहिए। यह एक अनिष्टकारी काननू है जिसके कारण हमें विश्व में नीचा देखना पड़ता है। हम लोग मानवाधिकार आदि की चर्चा करते हैं। विश्व में सभी लोग यह जानते हैं कि इस देश में इस प्रकार के कानून का उपयोग किया जाता है, जिसका कि सरकार स्वयं बचाव नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि टाडा समाप्त कर देना चाहिए। जाफर शरीफ साहब की बात रिकार्ड पर है। इस कानून में काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं और अन्याय हुआ है। अभी टाइटलर साहब ने भी कहा, हम सब लोग इस बारे में अपनी आवाज एक साथ उठा रहे हैं। प्रधान मंत्री जो सार्वजनिक रूप से कहा है कि इसका दुरुपयोग हुआ है और इसमें संशोधन की जरूरत है। उन्होंने खुद कहा है कि इसमें संशोधन की जरूरत है और संशोधन होना चाहिए। बावजूद इस बात के हजारों लोग आज टाडा में गिरफ्तार हुए हैं और जेल में हैं। इसमें एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। मैं अभी लखनऊ गया हुआ था। वहां मुझे एक मौहल्ले के लोगों ने बुलाया था। वहां पर मुझे बताया गया कि कवि, शायर और लेखक पर टाडा लगाया गया है।

1.00 म. प.

उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों को छोड़ा है उनको छोड़ नहीं सकी। उनका केस अब जयपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है और वह जयपुर में हो रहा है। उनका बेटा और उनके परिवार के लोग मिले, उन्होंने कहा कि बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति हैं। इस तरह के हजारों केस हैं। इसलिए अब संभव है, यह खाली बयान देने से नहीं होगा। इसके खिलाफ लोग बहुत गुस्से में है। यह एक मानवधिकार का बहुत बड़ा हनन है, जिसमें हमारी मर्यादा भी गिरती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी एक बड़ा भारी हमला है। इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। हम अपने बीजेपी के मित्रों से कहते हैं...**(व्यवधान)**...नहीं, इसमें 80 फीसदी लोग नहीं हैं। इसमें माइनोरिटी के लोग हैं, बहुमत से वही है। लोगों में बहुत गुस्सा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एक्ट को फौरन समाप्त किया जाना चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए यह आया था, कोई देशद्रोही है, कोई दूसरा है आप इसका प्रभावकारी तरीका दूसरा निकालिए, पर इसका दुरुपयोग सिद्ध है इसलिए इसको समाप्त करने की मैं मांग करता हूं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा ऐसी चर्चा में हस्तक्षेप करने का बिलकुल नहीं था जो 'टाडा' के संबंध में एक लघु चर्चा बनती जा रही है। महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इस अधिनियम को पहली बार संसद में प्रस्तुत किया गया था तब हम ऐसे किसी भी अधिनियम का विरोध करने में सबसे आगे थे क्योंकि किसी देश की सांविधिक पुस्तिका ने इस प्रकार का अधिनियम होना सरकार के अत्यधिक अनिवार्य पहलुओं की पूर्ण विफलता को बुलावा देना है। हमने उस समय भी अपनी पार्टी की ओर से इसे स्पष्ट किया था कि ऐसा अधिनियम भारत के नाम पर एक धब्बा है और आपके दल के 40 वर्षों के कुशासन की प्रत्यक्ष निंदा है...**(व्यवधान)**...इस अधिनियम को लागू करने वाले सत्तारूढ़ की अविश्सनीय आडम्बर को देखकर मैं चकित हूं। इसके पश्चात् निरंतर चेतावनियों के बावजूद कि इसका दुरुपयोग राजनैतिक शत्रुता के लिए होगा—हमने बार-बार कहा पर कि गुजरात और कई जगह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है—वे अपराधी थे, उन्होंने इस अधिनियम को बनाया और इसका दुरुपयोग किया।

महोदय, मुझे इस बात को जानकार आश्चर्य हो रहा है कि इस समय अचानक इस अधिनियम को रद्द करने की मांग हो रही है। अधिनियम का मूल उद्देश्य राज्य को आंतकवाद के विरुद्ध प्रभावी रूप से कार्य करने में समर्थ बनाना है। क्या उनके कुशासन के कारण आंतकवाद समाप्त हो गया है? क्या आंतकवाद खत्म हो गया है? क्या और बम विस्फोट नहीं हुए हैं? महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि यह 'टाडा' के बारे में चर्चा नहीं है।

महोदय, मुझे इस सरकार की अविश्वसनीय कायरता पर भी आश्चर्य हो रहा है। एक विदेशी प्रधान मंत्री आपको बता रहा है कि हमारे संबंध में तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि हम 'टाडा' वापस नहीं लेंगे। मुझे अचानक 'टाडा' को रद्द करने में स्पष्ट निर्वाचन हित से पूर्ण मांग तथा अविश्वसनीय आडम्बर पर आश्चर्य हो रहा है। एक सभ्य राज्य स्थापित करने तथा इस देश में हम मानव अधिकारों का दावा करने के हमारे अभियान में किसी से पीछे नहीं हैं, परंतु हम सत्तारूढ़ दल की ओर से किसी भी तरह के आडंबर को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधान मंत्री एक बात कहते हैं, गृह मंत्री दूसरी बात कहते हैं और राज्य मंत्री अन्य बात कहते हैं। मैंने सत्तारूढ़ दल से केवल यह करने को कहा है कि यदि सरकार ने अपना इरादा बदल दिया है और यदि इस अधिनियम को रद्द करना चाहती है तो वह तथ्य और आंकड़े सामने लाए और एक ही आवाज में बोले। प्रधान मंत्री को इस सभा में आने दो और वे यह कहें कि इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात संसद में किसी भी अधिनियम का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ था जितना कि 'टाडा' का दुरुपयोग हुआ था। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने मानव अधिकार आयोग के समक्ष यह वचनबद्धता दी थी कि यह अधिनियम मानव अधिकारी की रक्षा हेतु लाया गया है और दुर्भाग्यवश, इस अधिनियम ने ऐसा कोई प्रयोजन पूरा नहीं किया जिसके लिए इसे लागू किया गया था। जो कुछ मेरे मित्रों, श्री जशवंत सिंह और श्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूं।

श्री एस.बी. चव्हाण ने अनेक बार इस सभा में, बम्बई में तथा भारत के अन्य स्थानों में कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम का बार-बार दुरुपयोग किया गया है। श्री राजेश पायलट ने जब बम्बई तथा अनेक अन्य शहरों का दौरा किया था-चाहे चुनाव के दौरान अथवा चुनावों से पहले—उन्होंने कहा था कि : "जब आपको अच्छी तरह यह पता है कि राज्य इस अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ऐसे अधिनियम को जारी रखने का क्या उद्देश्य है?"

मैं, इस मुद्दे को उठाने के लिए कुमारी ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और मैं सरकार से सविनय निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में पुनर्विचार करे। इस विधेयक को लागू करते समय सरकार द्वारा इस सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया था। अतः यह सही समय है कि सरकार इस 'टाडा' को वापस ले ले।

1.10 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचना, आदि

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 1994, जो 7 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 574 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7014/95]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराये की वापसी) तीसरा संशोधन नियम, 1994 जो 15 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 864(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 878(अ) जो 23 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 4 अक्तूबर,

1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट।

(तीन) सा.का.नि. 879(अ) जो 23 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 29 अगस्त, 1991 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551(अ) का शुद्धि पत्र अंतर्विष्ट।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7015/95]

हिन्दुस्तान प्रिफेब लि., नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा वार्षिक रिपोर्ट की पुनरीक्षा

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7016/95]

खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री अजित कुमार पांजा की ओर से निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

"अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 27(ङ), जो 13 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गए हैं। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7017/95]

वर्ष 1993-94 के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7018/95]

वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7019/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995, जो 6 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7020/95]

वर्ष 1993-94 के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्रीमती कृष्णा साही की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के

अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7021/95]

वर्ष 1993-94 के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग बम्बई के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षित लेखे की पुनरीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एम. अरुणाचलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7022/95]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 574(अ), जो 13 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में दर्शायी गई 51 अधिसूचनाओं का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 575(अ) से सा.का.नि. 584(अ), जो 13 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयात शुल्क की उन रियायती दरों तथा पूरी छूटों, तो पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में अलग-अलग दी गई थी, को समेकित करना और जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 604(अ), जो 4 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना संख्या 252/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 845(अ) और सा.का.नि. 846(अ), जो 6 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और झंडेवालान आभूषण काम्पलेक्स, दिल्ली की निर्यात इकाईयों द्वारा निर्मित रत्न और आभूषण का यात्री सामान के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 668(अ), जो 2 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पशु भ्रूण, जब उनका भारत में आयात किया जाये, को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 680(अ), जो 7 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र और गुजरात में भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान के रूप में भारत में आयात किये जाने वाले सभी सामान को उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि 685(अ), जो 9 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय हॉट ब्लास्ट कपोला में पिघलाने के उपयोग हेतु आयात किये जाने वाले स्टील मैलटिंग स्क्रेप पर आयात शुल्क को मूल्यानुसार 50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 24(अ), जो 12 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि 25 जुलाई, 1991 से 12 सितम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान विद्यमान सामान्य प्रथा के कारण, बर्मा से आयात की गई लकड़ी की विनिर्दिष्ट किस्मों पर, जो सहायक सीमा-शुल्क नहीं लगाया गया था, उसके भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7023/95]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1994, जो 2 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनाओं संख्या सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 666(अ), जो 2 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम स्थित विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को "मुक्त व्यापार क्षेत्र" के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 667(अ), जो 2 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामान को, जब उसकी आपूर्ति विनिर्दिष्ट सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को की जानी हो, उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 679(अ), जो 7 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भूकम्प से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास हेतु दान स्वरूप दिये गये सभी सामान अथवा नकद दान में से खरीदे गये सामान को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 764(अ), जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 अगस्त, 1994 की अधिसूचना संख्या 121/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 765(अ), जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा क्रमशः 25 मार्च और 2 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के.उ.शु. तथा 217/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1994, जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 767(अ), जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 768(अ) जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या 24/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 769(अ),जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये तथा जिनका आशय 20 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 351/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. संख्या 7024/95]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995, जो 1 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क टैरिफ (राजसहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिशुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण एवं क्षति का अवधारण) नियम, 1995 जो 1 जनवरी 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ख की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 3(अ), जो 1 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे जिनके द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ (राजसहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिशुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण एवं क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 4(अ), जो 1 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव को

अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7025/95]

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत जीवन बीमा निगम का 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार चौबीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7027/85]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विवरण संख्या 35 — तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7028/95]
(2) विवरण संख्या 33 — दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7029/95]
(3) विवरण संख्या 29 — तीसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7030/95]

आठवीं लोक सभा

नौवीं लोक सभा

(4) विवरण संख्या 25 — छठा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7031/95]
(5) विवरण संख्या 26 — पहला सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7032/95]
(6) विवरण संख्या 22 — दूसरा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7033/95]
(7) विवरण संख्या 21 — तीसरा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7034/95]
(8) विवरण संख्या 19 — चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7035/95]
(9) विवरण संख्या 16 — पांचवां सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7036/95]
(10) विवरण संख्या 15 — छठा सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7037/95]
(11) विवरण संख्या 11 — सातवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7038/95]
(12) विवरण संख्या 10 — आठवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7039/95]
(13) विवरण संख्या 8 — नौवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7040/95]
(14) विवरण संख्या 5 — दसवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7041/95]
(15) विवरण संख्या 3 — ग्यारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7042/95]
(16) विवरण संख्या 1 — बारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7043/95]

दसवीं लोक सभा

भारतीय राज्य फार्म निगम लि., नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7044/95]

(3) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों को लेखा वर्ष की

समाप्ति के नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7045/95]

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवदेन और उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेंन्द्रम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7046/95]

1.12 म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महादय, मैं दि. 8 दिसम्बर, 1994 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

1. भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 1994
2. विनियोग (सं. 6) विधेयक, 1994
3. विनियोग (रेलवे) (सं. 6) विधेयक, 1994

1.13 म.प.

कृषि संबंधी समिति

तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

1. तेरहवां प्रतिवदेन—खेसरी दाल पर एक रिपोर्ट।

2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवदेन।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवदेन (1992-93) पर समिति के छठे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

4. जल संसाधन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) पर समिति के छठे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

1.13 ½ म.प.

वित्त संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के कार्यकरण पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.14 म.प.

सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2 में दिनांक 14.2.1995 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

1.14½ म.प.

सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं सभा पटल पर सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7047/95]

1.15 म.प.

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) चंडीगढ़ में एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : चंडीगढ़ से यूरोप तथा मध्य पूर्व देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन हेतु चंडीगढ़ में एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का होना अत्यावश्यक है।

पंजाब के काफी लोग जो कि विश्व के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं तथा भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में अत्यधिक योगदान करते हैं, को आगे की यात्रा करने हेतु दिल्ली आना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ से, विभिन्न देशों को वायु मार्ग द्वारा फूल तथा सब्जियां भेजने की काफी गुंजाइश है।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा विभिन्न अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की उड़ानें चंडीगढ़ से परिचालित करना उपयोगी रहेगा।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर तत्काल विचार करें।

(दो) चुनाव सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अब निर्वाचन संबंधी सुधार करना विलम्बित तथा अपरिहार्य है। बाहु तथा पैसे के बल को खत्म करना होगा। यह भी अनुभव किया गया है कि चुनावों में काफी संख्या में उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तथा इस प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं मिलने पर उनके द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने संबंधी मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अतः उम्मीदवारों की संख्या को भी कम करने की आवश्यकता है। इसीलिए चुनावों को स्वतंत्र तथा उचित ढंग से कराने हेतु निर्वाचन संबंधी सुधार करना आज के समय की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सभी संबंधितों से यथोचित परामर्श तथा विचार करने के पश्चात् संगत निर्वाचन संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधन करें।

(तीन) मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : मद्रास पत्तन को भारत का पूर्वीद्वार के रूप में चित्रित किया गया है। इसे यातायात के मामले में भारत का दूसरा बड़ा पत्तन बताया गया है। इसका व्यापक विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्रास पत्तन के विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए 578 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

परन्तु मद्रास में नाविकों के लिए कोई रोजगार कार्यालय नहीं है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के खण्ड 12(1) तथा मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 30.4.92 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार ने 23.4.93 को नाविकों के लिए एक रोजगार कार्यालय खोला था। परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय के अपीलीय शाखा के निर्णय, जिसमें न्यायालय के एक न्यायाधीश की बैंच द्वारा दिए गए पहले के निर्णय को बदला गया था, के अनुसरण में नाविकों के रोजगार कार्यालय को अगस्त, 1994 में बन्द कर दिया गया था। तत्पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय के डिविजनल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया कि याचक-दी नेशनल यूनियन ऑफ सीफियरर्स, मद्रास में नाविकों के रोजगार कार्यालय को जारी रखने के लिए भारत सरकार को एक अभ्यावेदन दे। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को यह निदेश दिया कि वे अभ्यावेदन की मांगों पर दो माह के भीतर ही निर्णय दें। नाविकों के रोजगार कार्यालय को जारी रखने के लिए याचकों ने भारत सरकार को 25.10.94 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

नौवहन कम्पनियों, नेशनल यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य लोगों की मद्रास में नाविकों के लिए रोजगार कार्यालय खोलने की सतत् मांग रही है तथा उनकी मांग जायज है।

अतः, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे मद्रास में नाविकों के लिए तत्काल रोजगार कार्यालय खोले।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(चार) **एच.आई.वी. बीमारी के खतरे को रोकने हेतु आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता**

श्री के.जी. शिवप्पा (शिमोगा) : माननीय सभा को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि वर्ष 1994 के दौरान देश में प्लेग के कारण कई लोग मारे गये। देश के कई भागों में पीलिया, मलेरिया, डायरिया तथा कई अन्य रोगों का पता चला था।

इस वर्ष के दौरान देश में एच.आई.वी. रोगों के प्रसार के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। इन रोगों का उपचार करने हेतु सभी जानकारी वाली पद्धतियां विफल हो गई हैं। अतः इनके उपचार हेतु चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों जैसे आयुर्वेद योगा तथा तिब्बती प्रणालियों को आजमाने की तत्काल आवश्यकता है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे देश में आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग द्वारा एच.आई.वी. रोगों के खतरों पर नियंत्रण हेतु तत्काल उपाय करे।

[हिन्दी]

(पांच) **उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, इंडो-केनेडियन कृषि विस्तार योजना उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में सन् 1988 में सीमित स्तर पर लागू की गयी थी। इसके अंतर्गत कुछ चयनित किसानों को कृषि क्षेत्र में उचित फार्म प्रबंध तकनीक तथा खेती के लिये वैज्ञानिक तौर-तरीकों के बारे में जानकारी दी गयी, जिसके फलस्वरूप प्रथम वर्ष में ही कृषि उत्पादन दो गुना हो गया है। परियोजना के किसान सहायता केन्द्रों से उपलब्ध उन्नत कृषि यंत्रों को भी किसानों ने प्रयोग किया तथा सिंचाई प्रशिक्षण केन्द्रों से दक्षता प्राप्त कर बहुत सी ग्रामीण महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गांव में चयनित प्रशिक्षित स्थानीय महिलायें ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रही है। इन कार्यक्रमों से ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है।

वैज्ञानिक तौर तरीकों से कृषि कार्य व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद आदि जिले काफी पिछड़े हुये हैं। उचित प्रबंध व वैज्ञानिक तरीकों के अभाव में प्रचुर कृषि संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से एकदम अलग-थलग है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की करीम नगर परियोजना तथा इंडो-केनेडियन कृषि विस्तार योजना को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के उपरोक्त हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव आदि जिलों में कृषि, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जाये।

(छः) **उत्तरांचल/उत्तराखंड का एक अलग राज्य गठित करने की आवश्यकता**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास पिछले साढ़े तीन साल से लम्बित पड़ा हुआ है। 12 अगस्त, 1991 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था कि इन आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक प्रदेश 'उत्तरांचल' बनाया जाये। उसके पश्चात अनेकों स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश से मांगे गये थे, जिन सबको दे दिया गया था। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया और ना ही दृष्टिकोण स्पष्ट किया है।

1994 में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने भी फिर इस प्रकार का एक प्रस्ताव अगस्त, 1994 को केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में पृथक प्रदेश उत्तरांचल/उत्तराखंड बनाने के विषय में तुरन्त कदम उठाये और पृथक प्रदेश बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाये।

[अनुवाद]

(सात) **न्यू जलपाईगुड़ी और सियालदाह के बीच एक और मेल रेलगाड़ी प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता**

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : मैं, सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिलिगुड़ी नगर निगम दिन-ब-दिन एक महानगर बनता जा रहा है। यह पश्चिमी बंगाल का दूसरा बड़ा शहर है। विशेष कर सिलिगुड़ी को देश के पूर्वोत्तर भाग के द्वार के रूप में माना जाए। उत्तरी बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हजारों विदेशी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जोकि सिलिगुड़ी से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, के जरिये दार्जिलिंग का दौरा करते हैं, दार्जिलिंग शहर अच्छे किस्म की चाय के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। परन्तु जहां तक इस शहर के लिए रेल सम्पर्क का संबंध है, इसकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है। न्यू जलपाईगुड़ी तथा सियालदाह के मध्य केवल एक मेल ट्रेन नामतः दार्जिलिंग मेल चलती है जोकि अधिकांशतः देर से चलती है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता के हित के लिए न्यू जलपाईगुड़ी तथा सियालदाह के मध्य एक और मेल ट्रेन की सेवा शुरू करे।

[हिन्दी]

(आठ) **बिहार के रोहतास जिले में डिहरी-आन-सोन में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता**

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में रोहतास जिला लगभग बीस लाख आबादी का जिला है जिसमें अधिकतर गरीब किसान, मजदूर, दलित, व्यवसायी और अल्पसंख्यक

हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वे अपने मेधावी बच्चों को किसी दूसरी जगह स्कूलों में भेजकर शिक्षा अर्जित कर सकें। दुर्भाग्य से इस जिले में कोई अच्छा स्कूल नहीं है और केन्द्र सरकार के द्वारा एक भी केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना सरकारी प्रावधान के बावजूद आज तक नहीं की गयी है। इस कारण इस जिले के हजारों मेधावी बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तथा उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में नहीं हो पाता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि बिहार राज्य के रोहतास जिला के दिहरी आन सोन में एक नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना इस वित्तीय वर्ष में करने की कृपा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.20 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.27 म.प.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2.27 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस.बी.चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा जम्मू और कश्मीर के संबंध में राष्ट्रहित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 2 मार्च, 1995 से 17 जुलाई, 1995 तक की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि यह सम्मानीय सभा अवगत है, जम्मू और कश्मीर में उस समय विद्यमान स्थिति को देखते हुए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी की गई थी। चूंकि राज्य के कतिपय भागों में हिंसा तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के निरन्तर कारनामों से राज्य में कानून तथा व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है, अतः दिनांक 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए समय-समय पर संसद के दोनों सदनों की सहमति ली गई। राज्य में वर्तमान राष्ट्रपति शासन 2 मार्च, 1995 तक लागू रहेगा।

जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने उल्लेख किया है कि सुरक्षा बलों की निरन्तर कार्यवाहियों से आतंकवादी काफी दबाव में आये हैं, और राज्य में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा दृढ़ कार्यवाही को देखते हुए आतंकवादियों के कुछ तबकों ने हिंसा की निष्फलता महसूस की है।

विगत वर्ष के दौरान कई घटनाओं, उदाहरण के लिए हजरत बल गतिरोध का शान्तिपूर्ण समाधान तथा कतिपय आंतकवादी गुटों द्वारा अमरनाथ यात्रा में विध्न डालने के गम्भीर प्रयासों के बावजूद इसका शान्तिपूर्ण होना, से आतंकवादियों को धक्का लगा है तथा स्थिति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अपनी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में राजनैतिक दलों के प्रयास भी देखे गये हैं। यद्यपि उन्हें अभी वांछित गति प्राप्त नहीं हुई। आशा है कि इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा उनकी गति आगे बढ़ेगी।

राज्य में निर्वाचन-प्रक्रिया के संबंध में कतिपय प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में रही कुछ समस्याओं तथा अड़चनों का कमोवेश रूप से समाधान कर दिया गया है। ये निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा मतदाता सूचियों के संशोधन से संबंधित कार्य हैं जो निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में प्रारम्भ किए गये हैं।

सरकार द्वारा राज्य के प्रति अपनायी गई खुलेपन तथा सुस्पष्टता की नीति, जिसके अन्तर्गत देश के अन्दर से तथा बाहर से सामान्य दर्शक, बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि मंडल, पदाधिकारी तथा पत्रकार आदि नियमित रूप से राज्य का दौरा कर रहे हैं, से स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में तथा पाकिस्तान का निरन्तर अत्यधिक प्रचार तथा गलत जानकारी के अभियान तथा राज्य को पाकिस्तान में मिलाने की उसकी योजना का पर्दाफाश करने में सहायता मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे संबंधित घटनाओं से स्थिति पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आतंकवादियों के मनोबल पर सुरक्षा कार्यवाहियों के प्रभाव से उनमें तथा पाकिस्तान में हताशा के चिन्ह हैं। राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों सहित विदेशी आंतकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों में उत्तरोत्तर वृद्धि, हथियारों के गुप्त भण्डार बनाने, हथियारों में सुधार तथा हिंसा बढ़ाने, जम्मू क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर प्रहार करके यह दिखाने का प्रयत्न करना कि आतंकवाद बड़े पैमाने पर है, साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने तथा सामान्यतया आतंक की भावना फैलाने का प्रयास करने के समाचार हैं। इसका नवीनतम उदाहरण 26 जनवरी को मौलाना आजाद स्टेडियम में बम धमाकों की श्रृंखला थी जिसमें आठ व्यक्ति मारे गये थे तथा पचास से अधिक घायल हुए थे। राजनैतिक नेताओं को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य राजनैतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा राज्य में प्रजातांत्रिक संस्थाओं को पुनः बहाल करने को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रगति में रुकावट डालने के इस [illegible]

के प्रयास जारी रखेगा। विशेषकर लोगों में आतंक तथा डर का वातावरण बनाये रखने का प्रयास करके।"

इस पृष्ठभूमि में, राज्यपाल ने बताया है कि, पद्धति सुरक्षा की स्थिति तथा समग्र वातावरण में काफी सुधार हो गया है, फिर भी अभी राज्य में एक निर्वाचित सरकार स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही तथा उपाय करना अभी समझदारी पूर्ण नहीं है। उसके अनुसार निरन्तर कार्यवाही द्वारा तोप के डर को और कम करना तथा वास्तविक तथा संभावित हिंसा को रोकना आवश्यक होगा। इसको देखते हुए, उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार कुछ और समय के लिए संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती तथा यह सिफारिश की है कि राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा, उद्घोषणा की अवधि के अन्त तक, जो 17 जुलाई, 1995 को समाप्त होती है, लागू रह सकती है।

राज्यपाल की रिपोर्ट तथा सिफारिश पर विचार किया गया है, तथा सरकार के मतानुसार, राज्यपाल की रिपोर्ट में बताये गये पहलुओं के अतिरिक्त, कई अन्य घटनाएं भी हुई हैं जो लोगों की मनोदशा तथा समग्र स्थिति में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

विगत वर्ष के दौरान सुरक्षा बलों तथा नागरिक प्रशासन तथा पुलिस के बीच अधिक समन्वय लाने, तथा स्थानीय प्रशासन को पुनर्जीवित करने, अधिक उत्तरदायी बनाने तथा इसमें लोगों की पहुंच तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गम्भीर प्रयास किए गये हैं। राज्य में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए भी निरन्तर उपाय किए गये हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को काफी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार स्तर पर प्रगति पर निगरानी करने के लिए प्रगति की नियमित पुनरीक्षा की गई है, तथा वरिष्ठ अधिकारी निरन्तर राज्य का दौरा कर रहे हैं तथा राज्य तथा स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। राज्य तथा जिला स्तर पर भी कारगर निगरानी तथा पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

इन सभी प्रयासों से स्थानीय प्रशासन की सामान्य गतिविधियां कुछ अंशों तक पुनर्जीवित तथा बहाल हुई हैं तथा उनसे आतंकवादियों को अलग करके और लोगों की मनोदशा तथा आंकाक्षाओं के संदर्भ में समग्र स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

अन्य उपाय भी किए गए हैं जैसे कुछ प्रमुख अलगाववादी नेताओं सहित काफी संख्या में बंदियों की रिहाई, जिससे हिंसा की प्रवृत्ति को समाप्त करने तथा राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने में भी सहायता मिली है। ये स्वागत योग्य चिन्ह हैं कि संयम तथा शान्ति रखने के लिए लोगों से अधिकाधिक तथा सकारात्मक उत्तर मिला है। राज्य में एक व्यापक सार्वजनिक बहस चल रही है, जो व्यापक अर्थों में एक राजनैतिक प्रक्रिया की शुरूआत कही जा सकती है।

उपरोक्त स्थिति में, सरकार इस बात से आश्वस्त है कि आगामी महीनों में विकसित हो रही इस स्थिति का परिणाम राज्य में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का प्रारम्भ होगा, यद्यपि उच्च स्तर पर हिंसा को चलाते रहने तथा शान्ति की प्रत्येक संभावना को विफल करने के लिए सीमा पार से किए जाने वाले संभावित प्रयासों से हम पूर्णतया अवगत हैं।

इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, सरकार राज्यपाल की इन सिफारिशों से सहमत है कि अभी यह आवश्यक तथा वांछित होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को 17 जुलाई, 1995 तक बढ़ाया जाये। सरकार स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा करेगी तथा व्यवहार्य और अनावश्यक उपाय करेगी, जो स्थिति से उत्पन्न होने वाली आवश्यक सुरक्षा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना यथाशीघ्र राज्य में प्रजातांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने की इसकी इच्छा के अनुरूप हो।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए, मैं जम्मू और कश्मीर राज्य में 2 मार्च, 1995 से आगे 17 जुलाई, 1995 तक की और अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए इस सम्माननीय सभा की स्वीकृति का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि यह सभा जम्मू और कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 2 मार्च, 1995 से 17 जुलाई, 1995 तक की और अधिक अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि मैं जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए फिर और अवधि हेतु राष्ट्रपति शासन जारी रखने के सरकारी प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में पुनः भाग ले रहा हूं।

यदि मुझे ठीक से याद है, मैंने न केवल 1990 से प्रत्येक छः माह की अवधि बढ़ाए जाने पर होने वाली प्रत्येक चर्चा में बल्कि पूर्व में भी वहां पर राज्यपाल शासन लागू किये जाने वाली चर्चा में भाग लिया है। इस विषय पर बोलना अत्यन्त दुखदायी कार्य है। इस चर्चा के आरम्भ होने से पूर्व मैंने अपने वरिष्ठ और आदरणीय मित्र कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता से भी पूछा कि इस विषय पर मुझे क्या कहना चाहिए तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से कहा कि इस पर बोलने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इस पर तो हम पिछले पांच वर्षों में सब कुछ बोल चुके हैं। अतः अब इस पर बोलने के लिए कुछ भी नयी बात नहीं है। इस सरकार की सक्षमता अथवा अन्यथा के बारे में हमें जो कुछ भी कहना था वह हमने पिछले पांच वर्षों में कह दिया है। लेकिन मुझे अपने कर्त्तव्य का पालन करना है और मैं माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी वह सब बांटना चाहूंगा जो संघ के इस अशान्त राज्य में हम सबको लगातार परेशान कर रहा है।

आज एक समाचार पत्र की मुख्य पंक्ति को पढ़कर मैं हैरान रह गया—मैं समझता हूं कि यह किसी सरकारी सूत्र से पता चला होगा—जिसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति सामान्य तो है लेकिन अभी वहां पर संवैधानिक स्थिति पुनर्स्थापित की जानी है। मैं समझता हूं कि हम इसी द्विअर्थी वक्तव्य की व्याख्या पर उलझे रहते हैं जब कभी भी हम इस अशान्त घाटी राज्य के बारे में बोलते हैं। मैं जानता हूं कि इस चर्चा हेतु आबंटित समय बहुत कम

है और इस चर्चा में भाग लेने वाले और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराने वाले कई अन्य वक्ता हैं, इसलिए इस पर अधिक न बोलते हुए मैं अत्यन्त संक्षिप्त ही कहूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी के साथ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करूंगा अथवा उस अशान्त घाटी में होने वाले हाल ही की घटनाओं के बारे में कहना चाहूंगा जो कहे जाने चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व और हम सब के सन्मुख मुख्य काम सरकार को सलाह देना है और उसे इस मार्ग पर ले जाना है जिसमें सर्वप्रथम वह घाटी में होने वाले बाह्य सहायता प्राप्त विद्रोहों को रोक सके और उनका मुकाबला कर सके। यह समस्या का मूल प्रश्न है और यह तब तक बनी रहेगी जब तक सरकार उस कार्य के लिए स्वयं को उचित प्रकार से और सकारात्मक रूप से तैयार नहीं कर लेती।

माननीय गृह मंत्री जी को उस कार्य को स्मरण कराते हुए मैं उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प के बारे में भी स्मरण कराना चाहूंगा जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में हमारी संसद की स्थिति का वर्णन किया गया था। महोदय यह साधारणतया एक प्रसाधन कार्यवाही नहीं है कि जिसमें संसद लगी रहती है और यदि सरकार और विपक्ष दोनों सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों में कोई संकल्प पारित करते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी को स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि उस संकल्प का और कुछ महत्व है और वह संकल्प कागज का टुकड़ा नहीं होगा जिसपर हमारी संसद के अभिलेख में और धूल जमा हो।

महोदय, दूसरा और इस सरकार के सन्मुख में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य, जो केवल सरकार ही कर सकती है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जिसका निर्वहन करने में यह सरकार पूर्णतः असफल रही है वह है भारत सरकार की सत्ता को पुनर्स्थापित करना जिससे कि जम्मू-कश्मीर राज्य में सत्ता की स्थापना हो सकेगी। हम वहां पर सामान्यकरण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह घाटी में ग्राम स्तर पर सरकार की प्रभाविता के बारे में हमें भी अपने विचारों से अवगत कराए। महोदय वही मापने की छड़ी है जब तक आपकी सरकार ग्राम स्तर पर राज्य की सत्ता को स्थापित करने में सफल नहीं होती, जब तक गांव का पटवारी अथवा ग्राम अधिकारी राज्य की सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता, हम अविलम्ब कार्य, जो राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व का कर्तव्य है, उसे करने में असमर्थ होंगे।

तीसरा मुद्दा जिसकी मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहूंगा वह है मैं अपने माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि घाटी की भलाई के लिए कृपया जम्मू और कश्मीर राज्य के 2/3 भौगोलिक हितों को अनदेखा न करें। वर्तमान स्थिति में, जो वहां विद्यमान है ऐसा प्रतीत होता है कि वहां की विकास गतिविधियों पर रोक लग गई है चाहे वह लद्दाख हो या जम्मू या जम्मू-कश्मीर का अन्य कोई जिला हो। यह अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है।

महोदय, अभी कुछ समय पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के, जिसमें लद्दाख का प्रतिनिधित्व भी था, कुछ प्रमुख नागरिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल से हमारी भेंट हुई। इस प्रतिनिधि मण्डल में माननीय श्री नामगयाल जो भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री थे और जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के उपाध्यक्ष हैं, श्री वन खानपो रिमपोच, लद्दाख की गोम्पा संघ के अध्यक्ष, श्री अकबर लद्दाखी, लद्दाख मुस्लिम संघ के अध्यक्ष, श्री सोनम नूरबो सत्तादल जिला कांग्रेस के महान और अन्य कई व्यक्ति हैं।

महोदय, मेरा हमेशा यह मत रहा है और मैं पुरजोर उस मत को दोहराता हूं कि जैसाकि अनुभव किया जा रहा है घाटी की खातिर आप शेष राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं न होने दें जिससे कि यह प्रतीत हो कि घाटी में क्या हो रहा है।

इसलिए कृपया आप लद्दाख अथवा जम्मू की तीन-चार सामान्य मांगों की विशेष रूप से जांच करें और हम सब लाभान्वित होंगे यदि आप इस सम्बन्ध में सरकार के विचारों से हमें अवगत कराएं। सर्वप्रथम यह लद्दाख हेतु स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना के बारे में है। यह काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग है और इस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। यदि मुझे गलती नहीं लग रही तो सरकार ने इसे पहले ही सैद्धांतिक रूप से ऐसी परिषद् का गठन किये जाने को स्वीकार भी किया था। अब वह इसे पूरा क्यों नहीं कर रही है?

दूसरा यह काफी लम्बे समय से लद्दाख के नागरिकों की मांग भी रही है और मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसके लिए कारण है कि—लद्दाख में आयकर नहीं लगाया गया था और वहां पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। लद्दाख की विशेषता है कि लद्दाख के नागरिकों के कार्य लद्दाख आदि से जो कुल राजस्व एकत्रित किया जाना है उसपर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर एकत्रित करने की लागत उसकी वास्तविक प्राप्ति से अधिक होगी।

तीसरा मुद्दा जिसका मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि ना तो जम्मू का अथवा न ही लद्दाख का संसद में प्रतिनिधि क्यों नहीं है क्योंकि हम वहां पर तेजी से और जिस तरीके से सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते थे वह हम करने में असमर्थ हैं। कृपया इस संसद में लद्दाख के प्रतिनिधि की सम्भावनाओं की जांच की जाए जो इस संसद में उस राज्य का नागरिक होने के नाते अपने विचारों को हमारे साथ बांट सके। कश्मीर पर अपने विचारों को व्यक्त करे और उस राज्य के लिए क्या किया जा सकता है उसका वर्णन करे। इसी प्रकार जम्मू से भी एक प्रतिनिधि चुनकर आना चाहिए जो संसद में जम्मू का प्रतिनिधित्व करे।

इन तीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक मुख्य बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्यमान संविधान के अन्तर्गत है उससे बाहर नहीं है अतः जो केन्द्र सरकार के लिए करना अपेक्षित है वह है कि सरकार पहल करे और इस विषय पर अपने विचार हमें भी बताए।

जब भी घाटी से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा होती है तो मैं एक बात बार-बार कहना चाहता हूं। मेरा मत है कि घाटी के लिए विकास किये जाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आर्थिक सामान्य स्थिति की पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। मेरा मत है कि घाटी के आम

नागरिक इस अन्तहीन समस्या से चिन्तित हैं जो उनसे सम्बन्धित है। मुझे यह भी पता है कि घाटी हेतु आवश्यक विकासात्मक कार्य आवश्यक हैं लेकिन इनमें से कोई भी कार्य तब तक सम्भव नहीं है जब तक अपने लोगों की भागीदारी प्राप्त न हो और इसलिए अपने इन पूर्व प्रश्नों में से एक पर आना पड़ेगा जो मैंने राज्य की प्रमुखता के पुनर्स्थापन के बारे में और पूरी घाटी में ग्राम स्तर भागेदारी को स्थापित किये जाने के बारे में कहे हैं।

मैं अत्यन्त संक्षेप में आज के कश्मीर की रूपरेखा पर सरकार के सन्मुख अपने विचार चाहता हूं और संक्षेप में उनपर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछे गए कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार दुखी होकर देश निकाले गए नागरिकों के बारे में क्या करने जा रही है जो अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में बसे हुए हैं और जिनकी संख्या 3,00,000 से भी अधिक की है। काश्मीरी पंडित जो देश निकाले गए नागरिकों की तरह घूम रहे हैं वे पिछले कई वर्षों से अत्यन्त दयनीय जीवन बिता रहे हैं।

इन शरणार्थियों, जो अपनी ओर से बिना किसी दोष के शरणार्थी बन गए हैं का सामान्य जीवन फिर से बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले नए प्रयास कौन से हैं? ऐसी स्थिति में सरकार चुनावों के बारे में क्या सोच रही है, जबकि लगभग 3,00,000 लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं? इन चुनावों में वे लोग किस प्रकार हिस्सा लेंगे?

दूसरी बात जिसका मैं स्पष्टीकरण सरकार से चाहता हूं वह यह है कि सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच रही हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी इससे मुझे संकेत मिला कि घाटी में विद्रोही ग्रुपों में विद्रोह होने से गृह युद्ध की स्थिति सी बन गई है। इसके विशेषकर दो घटनाओं के कई महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। किन्तु मैं इनकी विस्तृत चर्चा तब तक नहीं कर सकता जब तक माननीय गृह मंत्री हमारे साथ इनकी चर्चा नहीं करते। पहली घटना दरगाह हजरत बल के निकट हुई हत्या है। इसका ब्यौरा क्या है? यह हत्या किस प्रकार हुई? क्या यह हत्या परस्पर विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष के कारण हुई? क्या हमें समाचार पत्रों में दिये गये विवरण से मानना चाहिए? मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट करें कि यह घटना कैसे घटित हुई?

वास्तव में इससे क्या पता चलता है? घाटी के भीतर की स्थिति किस प्रकार है और इससे घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या संकेत मिलता है?

महोदय, दूसरी घटना, जो विद्रोहात्मक गृह युद्ध का भाग है, वह चरारे-शरीफ के बारे में समाचारों में प्रकाशित हुई है। चरारे-शरीफ के बारे में कुछ समाचार अत्यन्त चिन्ताजनक हैं। मैं इन समाचार पत्रों की रिपोर्टों का वर्णन नहीं करूंगा। उन्हें सदन में नहीं दोहराऊंगा लेकिन मैं माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि बडगांव के निकट चरारे शरीफ में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सरकार को तथ्यगत सही ब्यौरा पेश करना चाहिए। यह कैसे संभव है कि समाचार पत्रों में हर रोज इस संबंध में खबरें प्रकाशित हो रही हैं। यदि ये समाचार सही नहीं हैं तो सरकार तथ्यपूर्ण और सही जानकारी लेकर आगे क्यों नहीं आती। चरारे-शरीफ की घटना की जानकारी से हम सभी लाभान्वित होंगे।

दूसरा पहलू यह है कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमें अपने विचारों से अवगत कराए।

मेरा विश्वास है कि सरकार गलती से स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे रही है। रेडक्रास और एमनेस्टी के घाटी के दौरे के बारे में कुछ समाचार आए थे। इस सबका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल और रेडक्रास घाटी का दौरा करने जा रही है? यह किस प्रकार का दौरा है? क्या ये स्वतन्त्र रूप से वहां जा रहे हैं अथवा स्वतन्त्र रूप से नहीं? हम इसमें ब्यौरे के बारे में जानना चाहते हैं। मैं सरकार द्वारा इस्लामिक देशों के संगठन के सम्मेलन में भारतीय नागरिकों के जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु अनुमति दिये जाने के औचित्य के बारे में चिन्तित हूं। उस सम्मेलन में हुर्रियत के भारतीय प्रतिनिधि क्या कर रहे थे और सरकार को यह पहल करने के लिए किन विचारों, सोचने की प्रक्रिया और औचित्य ने प्रेरित किया? सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए।

महोदय मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के निष्क्रिय रहने के कारण हमने अपनी विदेश नीति को वर्तमान परिस्थितियों का बन्धक बना दिया है। देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है, और हर प्रकार से अनावश्यक पहल करके हमारा समय नष्ट हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाने पर दृढ़ संकल्प है और हम उसका विरोध करने के लिए बाध्य है। इससे न केवल भारत की विदेश नीति के प्रयासों को धक्का पहुंचा है बल्कि इससे हमारी नीति एक मामले तक सीमित हो गई है तथा इससे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर भी भारी ठेस पहुंची है। संभवतः माननीय गृह मंत्री जी इस पर अपने विचार व्यक्त करें।

महोदय, हम जम्मू में हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा जानना चाहेंगे। जाहिर है कि यह महामहिम, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के जीवन पर एक हमला था। यह एक गम्भीर घटना थी। चूंकि यह घटना घटित हुई है, यह पहला अवसर है और सरकार के लिए भी इस घटना के बारे में ब्यौरा देने का अच्छा अवसर है। मैं वहां होने वाले हिमधाव के बारे में भी पूछना चाहता हूं क्योंकि यह भी भयानक रूप का पाया गया है। अभी तक मेरे पास हाल ही में हुए हिमधाव की जानकारी नहीं है जो काजीकुंड और बनिहाल के बीच हुआ था। कितने व्यक्ति वास्तव में इसमें मारे गए? मैं समझता हूं कि इसकी जांच कराने के लिए आदेश दिये गए हैं। मैं जांच के कार्य में दखल नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि गृह मंत्री जी हमें बताए कि जांच के विलम्ब के लिए कौन दोषी है अथवा कौन दोषी नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितने लोग मारे गए हैं। अलग-अलग खबरें हैं और कुछ समाचार पत्रों ने बताया है कि 600 के लगभग गाड़ियां है जो फंसी हुई हैं और कुछ अन्य समाचार पत्रों में बताया गया है कि 200 गाड़ियां है जो वहां पर फंसी हुई हैं।

हम बनिहाल में हुई इस भयानक घटना के तथ्यात्मक ब्यौरे के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चय ही कहीं न कहीं कोई विफलता हुई है। यह विफलता जांच किये जाने पर ही सामने आएगी जिसके लिए पहले ही आदेश दे दिये गए हैं। मैं जांच का पूर्व अनुमान भी लगाना चाहता हूं लेकिन मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं।

महोदय, मैं दो तीन वाक्यों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जम्मू और कश्मीर राज्य में और विशेषकर घाटी में जिस चुनौती का सामना हमें करना पड़ रहा है वह भारतीय शासन के लिए एक चुनौती है। यह इस सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के लिए साधारण चुनौती नहीं है। यह भारत सरकार के लिए एक चुनौती है जो अत्यन्त निर्ममता, बाह्य सहायता प्राप्त और विद्रोह को उकसाने वाली है। भारत ने अपने कुशल प्रशासन के माध्यम से इस दुखदाई समस्या का किस प्रकार से सौम्य, मानवोचित तथा लोकतांत्रिक समाधान ढूंढा है। इसमें सन्देह नहीं कि समस्या का केन्द्र घाटी है, लेकिन यह हम सबके लिए भी एक समस्या है, एक चुनौती है। यह भारत की एकता को एक चुनौती है और यदि यह बाह्य सहायता प्राप्त विद्रोह है तो वह बाह्य एजेन्सी, अर्थात् पाकिस्तान तो यह इस सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के लिए ही चुनौती नहीं है बल्कि यह भारत की शक्ति के लिए चुनौती है। इस समस्या का सौम्य, मानवोचित और लोकतांत्रिक समाधान किस प्रकार ढूंढा जाना चाहिए?

यह मैं गृह मन्त्री जी पर छोड़ता हूं जो कि काफी अनुभवी और विद्वान भी हैं। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमारे सशस्त्र सेनाओं तथा अर्द्धसैनिक बलों को विषम जिम्मेदारी उनके कामों में गलती निकालना बहुत आसान है। दिन-रात हमारे अर्द्ध सैन्यबल के जवान कड़ाके की सर्दी में, अकेले में, और सभी प्रकार की कठिनाइयों और खतरों का सामना करते हुए, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं उन सैनिकों का सम्मान करता हूं। उनके कन्धों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा उत्तरदायित्व है। अपने सैनिकों और अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के साथ हम जो करते हैं उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना चाहिए। उनके सम्मुख प्रतिदिन के खतरों को हम जिस हल्केपन से लेते हैं, छिछोरापन अथवा प्रसन्नचित्तता से वह ठीक नहीं है और उसे सरकार से पर्याप्त और निरन्तर समर्थन मिलना चाहिए।

हमें पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ इस मसले को उठाना चाहिए। कश्मीर के पाक-अधिकृत भाग के बारे में वहां भारी असंतोष है। मैं माननीय गृह मंत्री से इस बारे में विवरण की अपेक्षा रखता हूं।

महोदय, सरकार लगातार इस पर चर्चा कर रही है। यह मेरा अन्तिम वाक्य और अन्तिम सुझाव है। मैं किसी भी हालात में माननीय गृह मंत्री की अवमानना नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सरकार को सामूहिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में नई शुरूआत के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए। इस सरकार ने जितना हो सकता था, किया है। एक महत्वपूर्ण नई शुरूआत जिसे यह सरकार कर सकती है वह पद से इस्तीफा देना है जिस पर बने रहने के लिए अब उनका कोई अधिकार नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार का समापन नयी सरकार से आना चाहिए जो इसके स्थान पर पदग्रहण करेगी। यह नई शुरूआत अब नई सरकार के द्वारा होने दीजिए।

3.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब बाद में बोलने वाले वक्ताओं को दस दस मिनट का समय मिलेगा। आठ मिनट पूरे होते ही घंटी बजेगी और उसके बाद दो मिनट का समय और दिया जा सकेगा। इस प्रकार प्रत्येक वक्ता को दस मिनट का समय मिलेगा।

अब श्री नवल किशोर राय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं माननीय गृह मंत्री जी के उस प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात को रखना चाहता हूं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 17 जुलाई, 1995 तक जम्मू एवं कश्मीर में पुनः सदन से समय बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना है। जम्मू-कश्मीर में बार-बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की कार्यवाही होती है और हर बार सभी पक्षों के राय, सुझाव और विचार आते हैं कि वहां लोकतांत्रिक पद्धति को बहाल किया जाना चाहिए और वह विचार पूर्व की भांति लम्बित के लम्बित रह जाते हैं। सरकार कोई ठोस लोकतांत्रिक पैकेज पर नहीं आ पाती है और जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीयता बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं और सरकार पर यह आरोप करना चाहता हूं कि कब तक जम्मू एवं कश्मीर में इस प्रकार से अनुच्छेद 356 के सहारे राज्य चलाया जाएगा? जब तक कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्षेत्रवाद तभी उठता है जब भावा, क्षेत्र और कई प्रकार का भेदभाव होता है कश्मीर में कई कारण हैं, आज वहां पर जिस प्रकार से अनुच्छेद 356 के सहारे हम बार-बार समय बढ़ाकर चला रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक वहां पॉलिटिकल पैकेज, राजनैतिक पैकेज तैयार करके कोई एक नीचे नहीं बनाया जाएगा और पैकेज गांव लेवल से, पंचायत लेवल से राज्य सरकार तक चुनाव के जरिए राजनैतिक पैकेज के आधार पर समय-सीमा के भीतर लोकतांत्रिक पद्धति नहीं अपनाई जाती है तब तक वहां कोई निदान होने वाला नहीं है, परन्तु सरकार बार-बार कहती है कि हम लोकतांत्रिक पद्धति अपनाने जा रहे हैं लेकिन आप बार-बार समय बढ़ा करके अनुच्छेद 356 का सहारा लेते हैं और वह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी मतदाता सूची में संशोधन से लेकर कई प्रकार की चर्चा आई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। इस प्रकार से पिछले कई बार से समय बढ़ाया जाता है, लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने का काम नहीं होता है। हम आपके जरिए गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बार जो

आप समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। इसके साथ ही आपको लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने का राजनैतिक पैकेज का और समय-सीमा के भीतर वहां नीचे से ऊपर चुनाव करा कर राजनैतिक पैकेज को पूरा करके एकमुश्त इसका निदान ढूंढने के प्रयास को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जो कश्मीर से क्षेत्रवाद उभर रहा है, वहां पर बार-बार अनुच्छेद 356 का सहारा लिया जा रहा है उसका असर देश के कई कोनों में भी पड़ता है और यह मामला खामखाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाया जा रहा है इसलिए अब और विलम्ब करने की जरूरत नहीं है।

3.02.म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कब तक इस राजनैतिक पैकेज की घोषणा आप करना चाहेंगे और वहां पर नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाकर चुनाव कराकर और उस समस्या को राजनैतिक ढंग से हल करने का आप कब तक प्रयास करेंगे, यह बताने की कृपा करें। दूसरी बात वहां पर जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी अमरनाथ यात्रा से लेकर कई और बातों का उदाहरण देते हुए सुधार का दावा करते हैं, माननीय जसवंत सिंह जी ने भी वहां के विस्थापितों की समस्याओं को छूने का काम किया है। जो लोग वहां से चले आए हैं और शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं उनकी समस्याओं पर निश्चित रूप से हमें गौर करना चाहिए। लेकिन जो वहां मजबूरी में फंसे हैं और जिनका घरबार लूटा गया है, जो वहां उग्रवादियों से लड़ रहे हैं ऐसे देशभक्त मुस्लिम गुर्जरों के विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके रहने-सहने की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या व्यवस्थाएं की हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। यदि नहीं की हैं तो उसके क्या कारण हैं? एक तरफ तो किसी शरणार्थी के लिए देश में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं तो वहां के मुस्लिम गुर्जरों के बारे में नहीं सोचने का क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं कि उनके बारे में क्या ठोस उपाय और घोषणाएं करने का काम आप करेंगे।

मैं विशेष समय नहीं लूंगा, और भी कई सदस्यों को बोलना है। सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से पुरजोर मांग करते हुए चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि बार-बार 356 का सहारा न लिया जाए और कश्मीर में क्षेत्रवाद को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। भेदभाव को समाप्त करते हुए नीचे से ऊपर तक चुनाव कराकर, राजनैतिक पैकेज की घोषणा करके लोकतंत्र को बहाल किया जाए। यदि भारत सरकार लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार है तो इतनी देर तक 356 का सहारा लेना कहां तक ठीक है? इसलिए मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि देश में जिस प्रकार से माननीय गृहमंत्री जी के राज में विदर्भ का सवाल, तेलंगाना का सवाल, उत्तराखंड से लेकर झारखंड का सवाल है, यह सब भेदभाव के कारण बढ़ रहा है। यदि पुलिस के डंडे से राज चलाया जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जाएगा, राजनैतिक पैकेज के जरिये लोकतंत्र बहाल करके एकमुश्त कश्मीर के सवाल को हल नहीं किया जाएगा तो क्षेत्रीयता बढ़ेगी और कश्मीर से लेकर विदर्भ जैसे सवाल बरकरार रहेंगे। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करते हुए गृहमंत्री जी आज ही कोई ऐसी योजना का ऐलान करें जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और क्षेत्रवाद कमजोर हो। कश्मीर की समस्या को लोकतंत्र के जरिये से, राजनैतिक पैकेज से समाप्त करने की कोशिश करें, अन्यथा गंभीर परिणाम होने की आशंका है।

इन्हीं बातों के साथ मैं वहां पर राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली और राजनैतिक पैकेज की मांग करते हुए, मुस्लिम गुर्जरों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त (राजपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति शासन को जुलाई तक बढ़ाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं और यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि उस समय तक बढ़ाई जाए जब तक कि जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल न हो जाए क्योंकि कानून के शासन के बिना चलाया गया लोकतंत्र बिलकुल भी लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता।

हमें यह मानना चाहिए कि कश्मीर में हमें सामान्य स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहां पर स्थिति काफी असामान्य है। हम सबने यह स्वीकार कर किया है कि कश्मीर में विद्रोह की स्थिति है। जहां तक देशद्रोह की स्थिति का संबंध है। इसकी अपनी समयावधि होती है जिसके भीतर सरकार द्वारा सामान्य स्थिति बहाल करना अपेक्षित होता है। समस्त विश्व में हमने इस देशद्रोह की स्थिति का अनुभव किया है। भारत में भी, नागालैंड और मिजोरम में जब देशद्रोह की स्थिति पैदा हुई थी तब वहां भी सामान्य स्थिति बहाल करने में लगभग 15 से 20 वर्ष का समय लग गया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। देशद्रोह की मशीनरी बताती है कि देशद्रोह की स्थिति प्रारम्भ होने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और तब यह घटनी शुरू होती है तथा तत्पश्चात एक स्थिति ऐसी आएगी जब स्थिति सामान्य होने लगती है। यह बिलकुल वही है जो हम देख रहे हैं। 1991 से 1993 की अवधि में देशद्रोह की स्थिति वास्तव में ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।

उसके बाद हम एक अलग स्थिति के साक्षी रहे हैं। कश्मीर में स्थिति में जो सुधार हुआ है वह श्री जसवंत सिंह के अभी के कथन से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि 1991 में उनके भाषण का लहजा ही भिन्न था। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि मैं भी 1991 से कश्मीर के बारे में प्रत्येक वाद-विवाद में व्यावहारिक रूप से भाग लेता रहा हूं। उनके भाषण के लहजे से यह स्पष्ट होता है, जैसा कि सरकार ने भी स्वीकार किया है, कि कश्मीर में स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हुई है। 1991 में मैंने जो कुछ कहा था 1995 में जो कुछ मैं कह रहा हूं वह निश्चित रूप से भिन्न है।

हमने यह देखा है कि जम्मू और कश्मीर तथा कश्मीर घाटी में रहने वाली आबादी ने कम से कम अपने को पाकिस्तान समर्थकों से

अलग-थलग कर लिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका श्रेय सरकार को जाता है। मैंने कश्मीर में पांच वर्ष सेवा की है और मैं वहां की समस्याओं की जटिलताओं से वाकिफ हूं। 1987 से स्थिति लगातार बिगड़नी शुरू हो गई थी। यह अलग से नहीं हो रहा था अपितु जो कि उस समय कहीं भी भारत में हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया में हो रहा था जब साम्प्रदायिक उन्माद, जिसके लिए इस देश में ही कतिपय ताकत जिम्मेवार थी, पूरे ज्वार पर था और मस्जिद ढहाने से चोटी तक पहुंच गया। पाकिस्तान और उसके मित्र देशों ने कश्मीर में स्थिति को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। लेकिन अब हमें इसका पता चल गया है।

अब यह महसूस किया गया है कि कश्मीरी संस्कृति की सहज प्रवृत्ति धर्म निरपेक्षता की ओर रही है। इसका प्रमाण हाल ही में कुछ अलगाववादी नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों से चलता है जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग शरणार्थी बनकर कश्मीर से चले गए हैं उनको वापस आ जाना चाहिए। ये वक्तव्य वास्तव में उत्साहवर्धक हैं। पिछले तीन वर्षों में, हमने स्थिति में धीरे-धीरे इस सीमा तक सुधार होता पाया है कि राजनैतिक प्रक्रिया के लिए शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है। यदि आप छः माह पहले की मीडिया रिपोर्टें देखें तो पाएंगे कि वे रिपोर्टें आतंकवादी कार्यकलापों से संबंधित थी यानी इतने लोग मरे, इतनों का अपहरण किया गया आदि। लेकिन हाल के समय में आपने इसमें परिवर्तन देखा है तथा जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया के लिए कुछ मांग भी मीडिया में स्पष्ट है।

अतः खाड़कुओं के बारे में अब बातें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने इस हद तक पहल की है कि 1991 में जहां जम्मू और कश्मीर तथा कश्मीर घाटी के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा बल अन्दर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, वहां आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सुरक्षा बल प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

खाड़कुओं ने निश्चित रूप से भागना शुरू कर दिया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्थानीय खाड़कुओं की संख्या में कमी हुई है जबकि भाड़े के टट्टुओं में काफी वृद्धि हुई है। यह अपने में एक प्रमाण है कि पाकिस्तान हतोत्साहित हो रहा है। कश्मीर घाटी की समूची जनसंख्या को अपने पक्ष में करने के प्रयास के बाद और यह देखते हुए कि वे अपने प्रयासों में असफल हो गए हैं, अब पाकिस्तान दो कारकों पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं एक है भाड़े के सैनिकों और दूसरा पाकिस्तान समर्थक व्यक्तियों के जमावड़े। पिछले छः माह के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई हैं। वे सब इन्हीं व्यक्ति समूहों का परिणाम है। जसवंत सिंह ने विद्रोही समूहों के बीच विरोध के बारे में कहा क्योंकि निश्चित तौर पर खाड़कुओं में कौन सा मार्ग अपनाया जाए, को लेकर आपस में फूट पड़ गई है और यह सरकार द्वारा अपनाई गई स्पष्ट नीति का स्वयं में एक प्रमाण है।

सबसे पहले हमें उस मुख्य समस्या पर गौर करना है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। हम सबको यह पता है कि चाहे दूसरे कोई भी कारण रहे हों-ऐतिहासिक, राजनैतिक अथवा अन्य, मुख्य कारण घाटी में प्रशासन की पूर्णरूप से असफलता और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है जिसके लोग शिकार हुए।

महोदय, 1987 में जब मैं घाटी में था, मुझे लोगों को पहाड़ी की चोटियों से अपने घरों तक घंटों अपनी कमर पर पैट्रोल के डिब्बों को उठाकर ले जाते हुए देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पर न तो कोई सड़कें थीं और न ही कोई बिजली थी। यह 1987 की बात है जो बहुत पुरानी नहीं है। इस प्रकार कश्मीर में रहने वाले लोगों को विशेषरूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इन बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया गया है और जिनके बारे में आज विचार करने की आवश्यकता है। हम इस समस्या को किस प्रकार से हल करने जा रहे हैं इसके बारे में सरकार को बताना है।

जहां तक राजनैतिक प्रक्रिया का सम्बन्ध है इसलिए जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब प्रश्न यह है कि हम कौन सी योजना को अपनाएंगे। मैंने एक सुझाव दिया है। हमें इस बात का पता लगना चाहिए क्या पंचायती राज बिल जिसे संसद द्वारा पारित किया जा चुका है, को जम्मू और कश्मीर में लागू किया जा सकता है और क्या हम वहां पर पंचायती चुनाव करा सकते हैं। मैं जसवंत सिंह द्वारा ध्यान में लाए गए उस दूसरे कारक से पूर्णरूप से सहमत हूं, जिसमें यह मांग की गई है कि जिसमें हमें कश्मीर घाटी के लिए जम्मू और कश्मीर के दो तिहाई लोगों को उनकी न्यायोचित मांगों से वंचित नहीं कर सकते हैं। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, मैंने 1991 में यह मांग की थी कि वहां एक पहाड़ी परिषद स्थापित की जाए और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मामले पर विचार करे और लद्दाख के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएं ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह पता लगाएं कि क्या जम्मू और कश्मीर घाटी में ऐसी पहाड़ी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं क्योंकि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से प्रर्णरूप से भिन्न हैं। इनमें आपस में कोई समानता नहीं है और यही स्पष्ट कारण है कि इन तीनों क्षेत्रों में एक भिन्न प्रकार के प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है। अतः, यह एक कारक है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है और जो लोगों को लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा।

दूसरा कारक जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वह नागरिकों और सैनिकों का सम्बन्ध है। सरकार द्वारा इस बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उस संबंध में मैंने जो महसूस किया है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

1987 से सुरक्षा बलों के बीच समन्वय की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें समाकलन की गुंजाइश है। मैंने यह सिफारिश की थी कि अर्ध-सैनिक बलों और स्वतंत्र अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने के वास्ते जिला स्तरीय समन्वय प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में त्वरित कार्यवाही करने वाले दल होने चाहिए, जिनकी सहायता के लिए उपयुक्त आसूचना तन्त्र तैनात किए जाएं। ऐसा कुछ हद तक किया गया है। इसका यही कारण है कि खाड़कुओं को बेहतर ढंग से निशाना बनाया जा रहा है और इन भिड़न्तों से आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि अधिकाधिक समन्वय स्थापित किया जाए।

दूसरा कारक यह भी है कि सेना काफी लम्बे समय से कश्मीर घाटी में कार्य कर रही है। सेना और नागरिकों के बीच सम्बन्ध बहुत ही मधुर हैं और आपको शायद ही सेना के खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिले। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसाकि मिजोरम में किया गया था और जैसाकि नागालैंड में किया गया-सेना को नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए क्योंकि जैसाकि हम सब जानते हैं बुनियादी तौर पर इस समय जो प्रशासनिक तंत्र वहां काम कर रहा है वह केवल नाममात्र के लिए है। अतः जो काम करने की आवश्यकता है वह यही है। हमें लोगों की तत्काल स्वरूप की बुनियादी आवश्यकताओं को देखना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सेना को नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों को हाल में लेने के वास्ते पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

मानव अधिकारों के बारे में मैं दो मुद्दे सामने रखना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उन्होंने यह तर्क दिया कि यथा समय पूरा देश सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सुधीर सावंत : दुनियाभर में विद्रोह की स्थिति ने यह सिद्ध किया है कि जब कभी सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के विरूद्ध आक्रामक कार्यवाही करने के लिए नियोजित किया जाता है, वहां उन्हें दूसरे कामों में भी लगाया जाना चाहिये ताकि कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाए। करूणा के रूप में प्रयोग में लाई गई शक्ति गुणकारी होती है।

मानवीय अधिकारों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसाकि हम सबको यह पता है कि पश्चिमी देश अपने मानवीय अधिकारों के मूल्यों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार वे विकसित देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं । मैंने मानव अधिकार आयोग विधेयक बिल का उस समय विरोध किया था क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर वे सभी संस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता है। चाहे वे संस्थाएं काम कर रही हैं अथवा नहीं, यह एक अलग बात है। इसलिए आप जब टाडा के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि टाडा को खत्म किया जाना चाहिए। मैंने यह बात सुबह भी सुनी है। लेकिन बुनियादी स्तर पर क्या हो रहा है? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस देश में कानून का शासन वास्तव में ही विद्यमान है अथवा हम आम आदमी को उसकी किस्मत के सहारे छोड़ रहे हैं।

अतः मैं मानव अधिकारों के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। वह बात यह है कि अमरीकनों ने एक मुद्दे पर गृह युद्ध लड़ा था अर्थात् एक राज्य के अधिकारों के लिए। उस युद्ध में लाखों लोगों की जानें गई और उस समय राज्य द्वारा हिंसा को देश के एकीकरण के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया गया था। जहां तक जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है—क्या जम्मू और कश्मीर में कोई समस्या है अथवा नहीं—प्रश्न यह है कि यह भारत का एक अंग है अथवा नहीं। यही कारण है कि इस सरकार को और इस देश को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी हथकण्डे इस्तेमाल में लाने चाहिए कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक भाग है ताकि यदि अमरीकन यह कहते हैं कि वे हमारे ऊपर अपने मानव अधिकारों के मूल्यों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें न मानेंगे क्योंकि वे स्वयं इस बुनियादी मुद्दे पर एक गृह युद्ध लड़ चुके हैं।

मानवीय अधिकारों के बारे में दूसरा कारक उन सशस्त्र बलों के बारे में है, जो काम कर रहे हैं और जिनका श्री जसवंत सिंह ने अभी-अभी जिक्र किया है। जब एक नवयुवक सिपाही राजद्रोह परिस्थितियों में कार्य करता है, तो वह अज्ञात के भय से ग्रस्त होता है, यह एक सर्वाधिक मुश्किल कार्य है जिसे एक सिपाही को हाथ में लेना पड़ता है। अतः, हमें उन कार्यरत सैनिकों के मानव अधिकारों के बारे में स्वयं भी सोचना चाहिए। अतः अब तक बहुत से सिपाही मर गए हैं और उनके परिवारों के बारे में क्या किया गया है? मैं यह नहीं समझता कि इस देश के सशस्त्र बलों द्वारा आतंक के लिए आतंक को कभी एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया गया हो। वास्तव में कार्य के दौरान, कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं जो अपरिहार्य होती हैं क्योंकि उग्रवादी मनुष्यों को एक ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं। यह उनके कार्य करने का तरीका है। उस मामले में, कुछ ज्यादतियां भी हुई अथवा घटनाएं घटित हुई, जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि यह आम लोगों के मानव अधिकारों का प्रश्न है। अतः प्रश्न यह है कि क्या हम सुरक्षा बलों के कार्यों पर रोक लगाकर उग्रवादियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अतः कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार को स्वयं निर्णय लेना है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार एक मजबूत कार्य योजना को तैयार करने जा रही है जो लचीली है। जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की स्थिति को रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने का काम शुरू हो चुका है और यथा समय सरकार राजनैतिक प्रक्रिया को सही रूप से शुरू करके पूर्ण सामान्य स्थिति लाने में सफल होगी।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति जी, हम संविधान के आर्टिकल 356 के खिलाफ तो नही हैं लेकिन हालात ने हमें इस रिजौल्यूशन का समर्थन करने के लिये मजबूर कर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण कल दिया है, उसके पैराग्राफ 5 को आप देखिये। उससे ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार अब पूरी काम्पलेसैंसी में है। यह समझती है कि उसके कदम बहुत आगे बढ़ गये हैं। अमरनाथ यात्रा तो आपने सही तरीके से सम्पन्न करा दी, उसके लिये भले ही आप अपनी पीठ थपथपाते रहें लेकिन 26 जनवरी को वहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौलाना आजाद स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उसके बारे में कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं आया है। इसका मतलब है कि अब भी एन्काउन्टर हो रहे हैं। वहां कुछ मिलिटैंट्स गोलियों से मरे हैं, यह बात सही है लेकिन 26 जनवरी की घटना के लिये जहां मिलिटैंट्स जिम्मेदार हैं उसके

साथ-साथ उस मैदान की सुरक्षा के लिये जो अधिकारी लगाये गये थे, वे भी जिम्मेदार हैं। घटना के वक्त वे कहां थे और उनके होते हुये बम-ब्लास्ट कैसे हो गया। इसके बावजूद भी आप वहां काम्पलीसेंसी की बातें कर रहे हैं।

हजरत बल मस्जिद के सामने जो घटना घटी, उसका जिक्र भी आपने अभिभाषण में नहीं किया। मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से उठाना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण का पांचवीं पैराग्राफ कश्मीर के बारे में है, छठा पैरा नौर्थ ईस्ट रीजन और मिजोरम के संबंध में है, सातवां पैराग्राफ झारखण्ड के बारे में है और आठवां पैराग्राफ उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के बारे में है। इन चारों पैराग्राफ्स को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाये तो उससे यह साबित होता है कि जम्मू-कश्मीर से लेकर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश कहीं भी ट्राईबल लोग आपसे संतुष्ट नहीं हैं। उनके संबंध में आप कहां गलती कर रहे हैं, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। कहीं भी आप देख लीजिये, सभी जगह एक जैसी हालत है।

कश्मीर का मुद्दा कुछ दूसरा है, यह सबको मालूम है। कश्मीर के साथ एक दूसरा मुद्दा जुड़ा है क्योंकि उसकी सीमाओं के साथ पाकिस्तान लगा हुआ है और पाकिस्तान के लोग वहां मिलिटैंट्स की मदद कर रहे हैं जिसके कारण कश्मीर की हालत बहुत ज्यादा भड़क उठी है लेकिन देश के दूसरे एरियाज के ट्राईबल लोगों की जो समस्याएं हैं, यदि आपने पूरे हिली एरियाज को उस नजरिये से नहीं देखा, उनके डैवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा तो स्थिति ठीक नहीं हा सकती । आपने सिर्फ एक सिम्पल सौल्यूशन सोच रखा है कि जहां कहीं ऐसी स्थिति हो, वहां एक अलग स्टेट दे दो। इसी क्रम में, आसाम को तोड़कर आपने सात टुकड़ों में बांट दिया लेकिन उसकी समस्या आज तक हल नहीं हुई। प्राईम मिनिस्टर के अंडर आपन कश्मीर के संबंध में एक नया सैल बनाया, उसके बाद इकोनोमिक पैकेज भी दिया लेकिन क्या फिर आपने ध्यान दिया कि वहां क्या काम हो रहा है। आज स्थिति यह है कि वहां गवर्नर से मिलना बहुत मुश्किल है, चीफ सैक्रेटरी तीन महीने से लगातार दिल्ली में बैठे हुये थे, अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर किससे मिलने जायें, किससे अपनी समस्याओं का जिक्र करें। वहां के डैवलपमेंट के लिये आपने जो पैसा दिया, यदि जम्मू-कश्मीर में आज कोई राज्य सरकार होती तो आप इस समय कहते कि वहां की राज्य सरकार उसे खा गयी, लेकिन आज वहां कोई सरकार नहीं है, अब कौन उस पैसे को खा रहा है। वहां जितने भी कान्ट्रैक्टर्स हैं, वे सब मिलिटैंट्स के लोग हैं। और कोई भी काम नहीं हो रहा है। इससे वहां के लोग परेशान हैं। वहां की पहले जो इकोनोमिक कंडीशन थी उससे आज और बदतर हो गई है। पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन मानीटरिंग क्या हो रही है?

मिलिटेंट के बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है। मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रखने की कोशिश करूंगा। मिलिटेंट के साथ जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनमें मिलिटेंट मर रहे हैं। उनकी संख्या घट रही है। यह ठीक है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कश्मीर से पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने के लिए जाते समय और ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीर वापस आते समय, बार्डर पर कितने मिलिटेंट का एनकाउंटर हुआ और उसमें कितने मिलिटेंट मारे गए है? यह सवाल पूछना जरूरी हो गया है क्योंकि वहां जो नैशनलिस्ट्स हैं, प्रो-पाकिस्तानी को छोड़िए, कश्मीर में आज भी नैशनलिस्ट्स की तादाद ज्यादा है। नैशनलिस्ट्स के अनुसार मिलिटेंट और मिलिट्री में कोई फर्क नहीं हो, तो यह देश के हित में नहीं होगा। देश-हित के लिए बहुत बुरी बात होगी। इसलिए अन्तर अवश्य होना चाहिए, लेकिन जब वे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं, तो बार्डर पर कितने परसेंट एनकाउंटर हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए? इस सवाल को जरा ध्यान से देखना होगा।

पोलिटिकल प्रोग्राम के बारे में आप सोच रहे हैं। पोलिटिकल प्रौसैस के सम्बन्ध में आपका ध्यान सिर्फ एक यही बात की तरफ है कि इलैक्शन हों। इलैक्शन तो होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वहां जो हालत है वह ठीक नहीं है। इस हालत में इलैक्शन होगा, तो मजाक बनकर रह जाएगा। इस इलैक्शन में या तो मिलीटेंट ग्रुप के लोग खड़े हो जाएंगे या फिर वे अपनी पसन्द के आदमी को वोट देने के लिए वहां के लोगों को बन्दूक की नोंक पर मजबूर करेंगे और आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां जो हकीकत में नैशनलिस्ट्स हैं जिनके साथ अभी तक आपका सम्पर्क नहीं हो रहा है या आप नहीं कर रहे हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। उनके सम्बन्ध में आप अपने गवर्नर से रिपोर्ट लीजिए या किसी दूसरी एजेंसी से छानबीन कराने की कोशिश कीजिए कि आज उनका क्या हाल है। उनको देखने की कोशिश कीजिए। समर शाह जैसे लोगों को कोई रिकग्नीशन नहीं मिल रही है।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी को एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा। आपने मकबूल शेरवानी का नाम तो जरूर सुना होगा। मैं मकबूल बट्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मकबूल शेरवानी ने जब 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान का हमला हुआ था, तो उसमें कश्मीर के सबसे पहले शहीद होने वालों म मकबूल शेरवानी था। उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि देश के बंटवारे से पहले जब जिन्नाह साहब ने कश्मीर में कहा था कि सब मुसलमान मेरे पीछे आ जाओ, तो मकबूल शेरवानी ने कहा था कि कश्मीर का हिन्दू और मुसलमान सब एक है और आपके पीछे नहीं है। उसके बाद बारामूला में उनको जिस बेरहमी से और बेदर्दी से मारा गया, वह इतिहास गृह मंत्री को याद होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि मकबूल शेरवानी के नाम से बारामूला में आज तक एक भी स्मारक नहीं बनाया गया है।

आज भी जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, मिलिटैन्टस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको मदद देने के लिए, उत्साहित करने के लिए आपकी तरफ से आज भी कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। बारामूला में इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। आप उनकी मदद करें जिससे उनके दिल में यह भावना पैदा हो कि आपने उनके स्टेट को पहले मान्यता दी।

लद्दाख कश्मीर के साथ है लेकिन वह 8 महीने कश्मीर से अलग रहता है। सर्दी के मौसम में लद्दाख तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आप लद्दाख के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ दिन पहले हम वहां गये थे। वहां हर चीज की कीमत तीन या चार गुणा है।

हालांकि लद्दाख अभी तक पीसफुल है, वहां किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। आपने लद्दाख के डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा? कश्मीर के बारे में आप सोचते हैं लेकिन लद्दाख के बारे में आप क्यों नहीं सोचते? क्या आप उस समय सोचेंगे जब लद्दाख बिगड़ जायेगा?

1989 में जब फारूख साहब की सरकार थी तब लद्दाख के साथ जो हिल कौंसिल ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट हुआ था, उसको आज तक इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या आप लद्दाख के लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं।

लद्दाख में हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, बुद्धिस्ट हैं। हिन्दू और बुद्धिस्ट को आपने ट्राइबल्स का स्टेटस दे दिया है लेकिन वहां के मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों हुआ? आप लक्षद्वीप के मुसलमानों को ट्राइबल्स का स्टेटस दे सकते हैं क्योंकि पी.एम. सैयद साहब मुस्लिम हैं। लद्दाख के मुसलमानों ने क्या कसूर किया है? यह किसको कहें। छोटी-छोटी बात आप ध्यान में नहीं ला रहे हैं।

डोगरी भाषा के बारे में आपने एक या दो बार बल्कि बार-बार आश्वासन दिया लेकिन फिर भी डोगरी भाषा को रिकगनीशन क्यों नहीं दिया? पैरा फाइव में तब भी आप पीठ थपथपाते रहे। यह आपकी लापरवाही है, आपकी आत्मसंतुष्टि हालत को सुधारने की बजाय बिगाड़ेगी। वक्त जा रहा है, इसे संभालने के लिए कोशिश करें और मैं समझता हूं कि अगर आप सही कदम उठायेंगे तो कोई भी पार्टी आपके खिलाफ नहीं होगी। आर्टिकल 356 के खिलाफ होते हुए भी हम आपको बार-बार समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ठोस कदम उठायें, इस समस्या को हल करने की कोशिश करें तो हम सब आपके साथ हैं। आप इस पर सही नीयत से कदम उठायेंगे, इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, एक बार फिर मजबूर होकर हमें इस आवधिक अभ्यास से गुजरना पड़ेगा। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। एक छोटी-सी बात ने मेरे अन्दर जिज्ञासा उत्पन की है। मैंने देखा है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया इस संकल्प का आशय इस उद्घोषणा को केवल चार महीने में थोड़ा अधिक समय के लिए बढ़ाना है, न कि छः महीने के लिए। 2 मार्च 1995 से 17 जुलाई 1995 तक की और अवधि है। विगत में साधारणतया हम राष्ट्रपति शासन की इन उद्घोषणाओं को एक समय में छः माह के लिए बढ़ाते रहे हैं। इस बार, मैं नहीं जानता कि कहीं पर कोई मुद्रण की त्रुटि है। लेकिन यह केवल 15 जुलाई तक के लिए ही है जिसमें छः माह की अवधि पूरी नहीं होती है। क्या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण बात है? मैं चव्हाण जी से इसके बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह सही है कि सरकार ने उस समय तक ऐसी परिस्थिति बनाने की योजना पहले ही बना ली है जिससे वह कश्मीर में चुनाव कराने की स्थिति में हो जाएगी? मैं नहीं जानता। लेकिन हमें बताया जाना चाहिए अन्यथा, जुलाई में हमें संसद में पुनः यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम नहीं समझते कि इस समय अर्थात घाटी की विद्यमान स्थिति में—चुनाव कराना संभव नहीं है। कोई भी चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते जब तक लोग इन चुनावों में सहयोग नहीं करते। लोगों के सहयोग के बिना कोई भी चुनाव सफलतापूर्वक नहीं कराया जा सकता है। इस समय घाटी के लोगों और भारत सरकार के मध्य विद्यमान सम्बन्धों में कोई सुधार होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

मैं इससे सहमत हूं कि किसी अन्य दिशा में एक या दो हल्के से आशा से भरे आसार नजर आए हैं। एक आसार यह है कि हमें प्राप्त हो रही सभी रिपोर्टों से पता चलता है कि अब अधिक से अधिक संख्या में लोग पाकिस्तान के मोहपाश से मुक्त हो रहे हैं यह एक तथ्य है। इन सब तथ्यों का विश्लेषण करने का समय मेरे पास नहीं है। परन्तु यह सत्य है। इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ अधिक की अपेक्षा की थी, जो पूरी नहीं हुई। यह एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मामले में राजनीतिक मात होने और इस तथ्य से अवगत होने कि पाकिस्तानी सेना निःसन्देह किसी को बचाने के लिए घाटी में नहीं आ रही है, लोगों का पाकिस्तान से मोह भंग हुआ है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे यह भी बताया गया है कि उन आतंकवादियों अथवा विद्रोहियों अथवा जिस नाम से भी आज उन्हें बुलाना चाहें, के खिलाफ कुछ सीमा तक घृणा की भावना पैदा हुई है क्योंकि उन्होंने साधारण नागरिकों पर ज्यादतियां करनी शुरू कर दी हैं। हमें पंजाब में इसी प्रकार का अनुभव हुआ था और मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री को इसका स्मरण होगा। कुछ समय के पश्चात् पीड़ा और डर की लम्बी अवधि के पश्चात, वे लोग इनके विरोधी होने लग गए जो शुरू में इन्हें अपना हितैषी समझते थे। लेकिन बाद में डराने, आतंकित करने, लूट-पाट आदि कार्मों में लिप्त हो गए थे। कश्मीर में भी जैसाकि पहले बताया जा चुका है कुछ हद तक ऐसा ही हो रहा है। वहां के लोगों में ऐसे लोग आकर मिल गए हैं जो कश्मीरी बिल्कुल नहीं हैं। वे लोग जो अफगानिस्तान, सऊदी अरब और अन्य स्थानों के हैं जिन्हें पाकिस्तान में भर्ती करके यहां भेजा है और मुझे विश्वास है कि वे इस क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं।

अतः, कुछ सकारात्मक आसार हैं जो बाद में और अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु महोदय, मेरा कहना यह है कि वहां पर स्थिति में तब तक गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक सरकार यह सोचना नहीं छोड़ दे कि यह पूर्णतः कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। इसे राजनीति समस्या समझकर हल करना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार द्वारा हल्की-सी पहल भी नहीं की जा रही है। इस आतंक की जड़ें कश्मीर के बाहर नहीं हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इस सबकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने हस्ताक्षेप किया है, वह हस्ताक्षेप कर रहा है और वह हमारे देश पर अघोषित युद्ध थोपने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की शरारत को कम करके आंकने का प्रश्न नहीं है। परन्तु विद्रोह की जड़ें स्वयं घाटी में विद्यमान हैं और उससे वहीं निपटना होगा। जो लोग कश्मीर को

भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए शेख अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे थे; जिन लोगों ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ दिया था, वही लोग अब क्यों हमसे पूर्णतः विमुख हो गए? अब कौन इस सारे इतिहास का ब्यौरा देगा? और अब इतना समय भी नहीं है। लेकिन क्या हमारी सरकार को उस बारे में गम्भीरता से अन्तर्दर्शी विचार नहीं करना चाहिए जो वर्षों से होता रहा है और हम अब इस पूर्वसूचक स्थिति से क्यों निपट रहे हैं?

यह हम सबके लिए एक नासूर बन गया है। यह एक ऐसा घाव है जिसमें से रक्त बह रहा है, बन्द नहीं हो रहा है। हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुझे मरने वालों की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं है। अतः, अब समय आ गया है कि हमें, हमसे मेरा आशय सरकार से है, कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, मुझे विश्वास है कि समूचा देश, सारा सदन उनके साथ होगा। सरकार अपना रवैया बिलकुल भी नहीं बदल रही है।

महोदय, लेकिन एक बात जिसके बारे में कहना बहुत ही बुरा लगता है वह व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी करना है जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन तथ्य यह है कि जिस प्रकार से राज्यपाल के साथ हम कश्मीर में शासन कार्य चला रहे हैं – मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, मैं उनके विरूद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वे एक उत्कृष्ट व्यक्ति हो सकते हैं, वे अपने समय के एक बहुत अच्छे सैनिक रहे होंगे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है– लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान हालात में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए, मेरा विनम्र सुझाव है कि वे इस पद के लिए एक सर्वाधिक योग्य व्यक्ति नहीं है। उनका लोगों पर पारस्परिक राजनैतिक प्रभाव नहीं है। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों से खुले में मिल सके, उनके साथ बातचीत कर सके, उनकी बात सुन सके, अन्यथा आप देखेंगे कि कोई भी राज्यपाल वर्तमान स्थिति में कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाएगा।

28 अक्तूबर के "कश्मीर टाइम्स" नामक समाचार पत्र में इस बारे में आंकड़े दिए गए हैं कि राज्यपाल ने अपने 593 दिनों के कार्यकाल में केवल 85 नागरिकों को मुलाकात करने की अनुमति दी जो प्रति सप्ताह औसतन एक व्यक्ति बैठती है। इस प्रकार के राज्यपाल से काम चलने वाला नहीं है। आप कह सकते हैं कि उनके पास सलाहकार हैं जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह पता है कि उनके पास जनरल जकी जैसे कुछ अच्छे सलाहकार हैं। लेकिन राज्यपाल का अपना स्वंय का एक दर्जा होता है। वह नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में, जहां तक कश्मीर में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध है, वह भारत के प्रतीक हैं। अतः, हमने इस मामले का उल्लेख अनेकों बार किया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय से भी स्वयं बातचीत की लेकिन कुछ कारणवश जिसकी जांच–पड़ताल करने का मुझे अधिकार नहीं है, भारत सरकार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री महोदय का वर्तमान राज्यपाल में असीम विश्वास बना हुआ है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे विचार से इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मुझे खुशी है कि 26 जनवरी को उनके जीवन को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किया गया, वे उससे बच गए। इसके साथ–साथ जिस मंच पर राज्यपाल खड़े हुए थे, उसके ठीक नीचे रखे तीन बमों के फटने की घटना से यह विश्वास करना मुश्किल है कि आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया है, उनके कार्यकलाप घटते जा रहे हैं और सुरक्षा बलों की वहां पकड़ मजबूत बनती जा रही है। हमारे पास किस प्रकार का आसूचना तन्त्र है? जहां राज्यपाल को भाषण देना हो वहां कुछ मिनट के बाद और उस मंच के नीचे जहां वह खड़े हों तीन बम रखे जाते हैं जो फट जाते हैं और उन बमों के फटने से जितना नुकसान हुआ उससे और कहीं अधिक मौतें आसानी से हो सकती थीं।

तब आप यह कह सकते हैं कि जिसका सोचना भी बहुत खराब बात वह यह कि इसमें मिलीभगत थी कि जिन लोगों ने इन बमों को रखा था, उनकी आतंकवादियों के साथ मिलीभगत थी। कुछ भी हो, इससे यह पता चलता है कि आतंकवादियों की क्षमता निश्चित रूप से कम नहीं हो रही है। अतः, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्यपाल के मामले में कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। दूसरे हमारे सुरक्षा बलों के बारे में बातचीत करना बहुत ही संवेदनशील मामला है। जैसा कि मुझे पता है इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका गलत ढंग से उपयोग किया जा सकता है और भी सब कुछ किया जा सकता है। तथापि इस मामले पर चुप रहना मेरे विचार में आज की परिस्थिति को देखते हुए ठीक नहीं है। कई प्रकार के सुरक्षा बल हैं। केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्ध–सैन्य बल हैं, नियमित सेना है और दूसरे बल हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं जिनका प्रकाशन विदेशी एजेन्सियों द्वारा नहीं बल्कि हमारे अपने पत्रकारों द्वारा लिखी गई हैं। जिनमें से कुछ को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और जिनके मंसूबों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, जो कश्मीर में होकर आए हैं और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने जहां तक सीमा सुरक्षा बल का संबंध है उसके कार्यकरण के ऊपर जो रिपोर्टें लिखी हैं वे बहुत ही परेशान करने वाली हैं। नियमित सेना के संबंध में मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जो लोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न पर भारत पर हमला करना चाहते हैं, उनके द्वारा अनावश्यक रूप से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सेना आमतौर पर बहुत ही अनुशासित होती है। यह एक बेहतर प्रशिक्षित और अधिक अनुशासित बल है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल के बारे में बहुत सी रिपोर्टें हैं। मैं यह नहीं जानता हूं कि सरकार अथवा सीमा सुरक्षा बल की उच्च कमांड इन रिपोर्टों के संबंध में, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्या कर रही है।

केवल एक दिन में, हालांकि मैं उस जगह का नाम भूल चुका हूं, पांच लोग जो कि दुकानदार थे और अपनी–अपनी दुकानों के अन्दर बैठे हुए थे, को उनकी दुकानों से बाहर घसीट कर लाया गया और गलियों के अन्दर ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस प्रकार की हत्या करने की घटना जो पहले कुपवाड़ा में हुई थी मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को वे सब याद होंगी– ब्रिज बेड़ा की घटना ने लोगों

के दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी है। सभी प्रकार की अपमानजनक घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या *सीमा सुरक्षा बल के ये अधिकारी और अन्य अर्ध सैन्य बल वहां पर* किसी व्यक्ति पर विश्वास भी करते हैं कि नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वहां पर रहने वाले कश्मीरी लोगों के प्रति कुछ गलत धारणा है शायद इसलिए कि वे मुस्लिम हैं। एक डाक्टर को उसकी कार में से घसीटकर बाहर निकालना, उसे दो थप्पड़ मारना और गाली देना और फिर उत्पीड़न के अनेकों मामलों, बलात्कार के अनेको मामलों के संदर्भ में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आतंकवादी भी इन सभी हरकतों को कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे लिए कोई सुखद बात नहीं है। आतंकतवादी हमारे लोग नहीं हैं। इन हरकतों को किसी भी प्रकार से रोका जाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार इन हरकतों को रोकने के वास्ते इच्छाशक्ति अथवा क्षमता रखती है अथवा नहीं। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि वर्दीधारी बल जिसने वर्दी पहनी हुई है, को बेहतर ढंग से अनुशासित करने की कार्यवाही की जा सकती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वे कितने आतंकवादियों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं। यदि वे आंदोलनकर्त्ताओं से भिड़ते हैं तो उन्हें भिड़ने दें और इस कार्य में वे एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दें। लेकिन जब उनका सामना नागरिकों, पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों से हो तो उन्हें सैंकड़ो बार अधिक एहतिहात और सावधानी बरतनी पड़ेगी। अन्यथा वे पेशेवर मात्र की सेना मानी जाएगी जो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी।

निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारित करने के बारे में बातचीत चल रही है। श्री चव्हाण ने अभी-अभी यह कहा है कि इस संबंध में कार्य हाथ में लिया जा चुका है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या उस स्थिति में सीमा निर्धारित की जा सकती है जबकि जनगणना संबंधी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। पिछली जनगणना 1981 में की गई थी। जनगणना संबंधी अद्यतन आंकड़ों के बिना निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है? अतः, यह तो वही बात हुई कि मैं अपनी हथेली पर चुटकी भर नमक रख लूं और यह कहूं कि यह कार्य किया जा रहा है।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि आप इस राज्यपाल के साथ शासन चलाना चाहते हैं तो आपका इसके लिए स्वागत है, कृपया करके केवल उन पुराने नेताओं और पुराने दलों तक ही सीमित न रहें जिन्होंने घाटी में एक समय काम किया है। डॉ. फारूक अब्दुल्ला मेरे परम मित्र हैं और मुझे आशा है कि वे इस बात को गलत नहीं समझेंगे कि यदि मैं यह कहूं कि उनके तथा उनकी नेशनल कांफ्रेंस के अलावा जिसके एक समय घाटी के प्रत्येक गांव में काम किया, कुछ और भी नए तथा नवयुवक नेता हैं। डॉ. अब्दुल्ला घाटी से इतनी लम्बी अवधि तक दूर रहे हैं कि उनके संवर्ग असुरक्षित पड़े रहे हैं। उस संगठन का कोई अर्थ नहीं रह गया है जो उसका पहले था। लेकिन नए नेता उभर कर सामने आए हैं। क्या आप उन्हें मानते पहचानते हैं? ये नए नेता वे लोग हैं जो एक समय आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए थे और अब उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली है, जिन्हें अब बन्दूक पर विश्वास नहीं रहा है। अपितु वे मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको शबीर शाह और यासिन मलिक के नामों की जानकारी है। आप उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया है? एक और शक्ति जिसे पाकिस्तान से सीधे धन और हथियार मिल रहे हैं वह आई एस आई और हिजबुल मुजाहिद्दीन हैं, वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और वे जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेताओं को अलग-अलग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता बंदूक से नहीं अपितु बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहते हैं।

महोदय, पिछले वर्ष आपको याद होग जब हजरत बल में संकट पैदा हुआ था, तब हमने मस्जिद से आतंकवादियों को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का प्रयास किया था, उस समय जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक नेता ईदरीज ने आतंकवादियों को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निस्संदेह हमारी ओर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आतंकवादियों को बाहर लाने में सहायता की थी। तब उसे हिलबुल मुजाहिद्दीन द्वारा मार दिया गया था। अतः आपको यह याद रखना चाहिए कि लड़ने के भी अलग-अलग तरीके हैं। लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं और बेकार में भारत सरकार का मुंह ताक रहे हैं कि वह समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठाने के वास्ते सामने आएगी।

मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान 'डिक्सन प्लॉन' नामक अमरीकी योजना पर भरोसा कर रहा है। शबीर शाह ने एक कथन में कहा है कि कश्मीर के तीन भागों को एक वस्त्र के रूप में सीने के लिए सूई और धागे का इस्तेमाल करना पंसद करेंगे। लेकिन 'डिक्सन प्लॉन' नामक एक योजना है जिसके जरिए अमरीकन कश्मीर को दो या तीन भागों में विभाजित करना चाहते हैं और पाकिस्तान शायद उन पर भरोसा कर रहा है। जब हम बातचीत करने के लिए आमने-सामने बैठते हैं तो उन सभी पूर्व शर्तों को सामने रखकर उन पर चर्चा की जानी चाहिए। या तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा समझौता कर लेना चाहिए अथवा अस्वीकार कर देना चाहिए।

4.00 म.प.

लेकिन यह कहते हुए बात शुरू मत कीजिए कि यहां इस-इस तरह की पूर्व-शर्तें होनी चाहिए अन्यथा हम किसी से भी बात नहीं करेंगे और इस समस्या का कभी भी समाधान नहीं होगा।

अतः, महोदय, ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि चार या पांच माह के पश्चात हम दोबारा यहां होंगे और अन्य संकल्प पर चर्चा कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि यह संकल्प श्री चव्हाण नहीं लाएंगे। इस बीच, श्री सुधीर सावंत द्वारा कुछ पूर्व किया गया प्रस्ताव कि "कम से कम स्थानीय स्तर पर पंचायती चुनाव कराने के प्रश्न पर क्या आप विचार कर सकते?" मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यहां भी निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची तथा आने वाली सभी बातों का प्रश्न है और आपके पास जनगणना के आंकड़े और जनसंख्या के आंकड़े नहीं हैं

और आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी, यह संकट को कम करने का विचारणीय तरीका है। अतः, कृपया इस पर विचार करें और कृपया इस बारे में नहीं सोचें कि आप इस समस्या को बंदूक की ताकत से समाधान कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तथापि, कई बार बंदूक की आवश्यकता होती है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। परंतु यह मुख्यतः राजनैतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनैतिक रूप से किया जाना चाहिए। महोदय, मुझे इतना ही कहना है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, हम एक बार फिर औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा दिया है और इसको ज्यादा लंबा दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन यह बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक औपचारिकता हम कर रहे हैं कि हर 6 महीने के बाद हम यहां इकट्ठे हो जाते हैं और हर 6 महीने के बाद यहां बड़े-बड़े भाषण हो जाते हैं और उन भाषणों का सरकार के ऊपर कोई असर पड़ता है ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि इस तरफ जितने भी सुझाव देते हैं उनके ऊपर कभी-कभी शायद गौर किया गया हो, ऐसा नहीं लगता है और दुखदायी इसलिए है कि यह जो लंबी अंधेरी सुरंग है इसके आगे कुछ रोशनी भी नहीं दिखाई देती है और वह रोशनी इसलिए नहीं दिखाई देती है कि इस सरकार के पास न तो कोई नीति है और न कोई प्लांस हैं। इस प्रकार के मामले में तो कोई लौंग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए थी, यहां पर लौंग रेंज तो क्या शार्ट रेंज भी नहीं है। कल क्या होने वाला है यह पता नहीं है। अक्सर हम लोग यहां पर कहते रहते हैं, बार-बार दोहराते हैं, यह पता नहीं है कि मंत्रालयों में कौन क्या कर रहा है। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है यानी कि कल-परसों की क्या नीति है उसके बारे में भी पता नहीं है तो इस सरकार से लंबी नीति के बारे में क्या आशा कर सकते हैं। इसलिए दुखदायी यह बात हो जाती है कि अगर भविष्य में कोई रोशनी नजर आए तो ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में हमको कुछ दिखाई नहीं देता कि हम जा किस तरफ रहे हैं, कर क्या रहे हैं तो कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा यह मालूम नहीं है।

महोदय, अब पिछले दौरान प्रधान मंत्री जी ने यह विभाग अपने हाथ में लिया, प्रधान मंत्री जी के अपने हाथ में लेने के बाद इसमें क्या हो गया यह समझ में नहीं आता है। यहां पर आज प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित नहीं है, अगर प्रधान मंत्री जी इस विभाग को देख रहे हैं तो कम से कम उनको यहां पर उपस्थित होना चाहिए था। माननीय मंत्री जी जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी भी चल रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं लगता है कि किसी दृष्टिकोण में या किसी तरीके से कोई फर्क आ रहा हो हम कहें कि चलिए अभी कुछ न कुछ तो किया। पहला कदम तो एक लंबे सफर में, सही दिशा में हमने शुरू कर दिया है और हम उस मंजिल तक कभी न कभी पहुंच जाएंगे। पर लगता है जो कंफ्यूजन पहले था, जो बिल्कुल गलत किस्म की बातें की जा रही थीं उन्हीं को हम दोहराते जा रहे हैं और इसलिए शायद इस समय जब यहां पर दोबारा, तिबारा, चौबारा इसी बात को कहने के लिए खड़े हो रहे हैं तो यह गुस्से के बदले दुःखदायी, चिंताजनक और पीड़ा की बात बन गई है। हम बार-बार यह कहते हैं कि कैसे समस्या सुलझाएंगे। सरकार कुछ करे ऐसी आशा नहीं लगती है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता, तरीका भी नहीं है, हम सरकार को क्या कहें। हमको मजबूरन इसका समर्थन करना पड़ेगा, मजबूरन शायद पांच साल भी हो जाएंगे। जब तक जुलाई में यह पूरा होगा और उसके बाद क्या होगा, मालूम नहीं। इससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो थोड़ी-बहुत इच्छाशक्ति इस सरकार में है या नहीं, लेकिन अगर थोड़ी-बहुत है भी, तो उसका भी यह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह अपनी तुष्टिकरण की नीति में और वोट बैंक की राजनीति के दल-दल में इतना फंस गए हैं इनको देश की बिल्कुल चिंता नहीं है।

उसका उदाहरण भी मैं एक-दो मिनट के अंदर दूंगा। सभापति महोदय, इसी सदन के अंदर बहुत गर्व के साथ, बहुत आशा और बहुत उत्साह के साथ एक रेजोलूशन जम्मू और कश्मीर के बारे में पास हुआ था। स्पीकर महोदय ने यहां पर खड़े होकर उस प्रस्ताव को पढ़ा था। हमको आशा थी कि उसके बाद तो सरकार के पास इतनी शक्ति दोनों सदनों ने दे दी है कि कुछ-न-कुछ करके वह दिखाएगी। लेकिन कितने शर्म की बात है कि इस प्रकार का प्रस्ताव भी कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। उस प्रस्ताव का क्या हुआ मालूम नहीं। उस प्रस्ताव के अंदर जो ऑकूपाइड कश्मीर है उसकी बात हम कर रहे थे। आज जो हमारे पास टैरेटरी है उसका हिसाब हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है। यहां पर अभी श्री इंद्रजीत गुप्त जी ने कहा कि गांव में चुनाव हों। लेकिन गांव में कंट्रोल किसका है? क्या वहां पर भारत सरकार को आदेश चल रहा है, क्या उसके आदेशों का पालन हो रहा है? चरारे शरीफ की बात है, हमें नहीं मालूम कि—वास्तविकता क्या है? लेकिन अखबारों से पता चलता है कि पांच किलोमीटर के पैरामीटर के अंदर वहां हमारी सेना भी नहीं घुस पा रही है। अखबार कहते हैं कि तीन-चार-पांच किलोमीटर बाहर ही आतंकवादियों का पहरा लगा है। उसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं। पहले सिर्फ घाटी में से यह काम हो रहा था, उसके बाद डोडा में यह हुआ और आज खुलेआम जम्मू में यह काम हो रहा है। गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि स्थिति सुधर रही है और जो उग्रवादी हैं उनका मनोबल गिर रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि गृह मंत्री के पास वह सूचनाएं नहीं हैं जो हम लोगों को मिल जाती हैं। उनके पास तो हमसे ज्यादा सूचनाएं होनी चाहिए और अगर नहीं हैं तो बहुत ही खतरनाक बात है। उन्हें मजबूरन यहां खड़े होकर इस प्रकार का वक्तव्य देना पड़ता है जिससे लगे की स्थिति सुधर रही है और अगली दफा हम देख लेंगे। यह तो वो ही मशहूर किस्सा हुआ कि अगली बार चपत मारेगा तो मैं देख लूंगा। वे अगली बारी कभी आती नहीं है। इसलिए मुझे तो विश्वास नहीं होता कि स्थिति सुधर रही है। आप भी जानते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन औपचारिकतावश आपको भी यहां पर भाषण पढ़ना पड़ता है और इस प्रकार की बातें कहनी पड़ती हैं। कब तक चलती रहेंगी इस प्रकार की बातें? कहीं तो कोई दिशा-परिवर्तन हो, कहीं तो हम अपने राष्ट्र

के हित में कोई काम करके दिखाएं, ताकि आज नहीं तो पांच साल के बाद, दस साल के बाद हम सही मंजिल पर पहुंचें। आज तो यहां *रास्ते का ही पता नहीं है।*

26 जनवरी को जम्मू में हमारे राज्यपाल साहब ने जहां भाषण देना था जब वह जगह ही सुरक्षित नहीं थी तो हम कैसे मान लें कि स्थिति सुधर रही है। जम्मू-नगरोटा बाई-पास के बारे में अखबारों से पता चला है कि वहां पर बम का धमाका हुआ और पांच बच्चे मारे गये। जब पुलिस ने पता लगाया तो वहां से 900 डैटोनेटर बरामद हुए हैं। हमारी सेना का कोर हैडक्वाटर नगरोटा में है जहां बहुत बड़ी फौज है हमारी। वहां खुलेआम बारूद आ जा रहा है लेकिन हम केवल तभी पकड़ पाते हैं जब कोई दुर्घटना होती है। उनकी गलतियों से हम उनको पकड़ रहे हैं अपनी काबलियत से हम उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है।

चरारे शरीफ का जो मामला हमारे उप-नेता जसवंत सिंह जी ने निवेदन किया और मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि कृपया सरकार बताएं कि सही स्थिति क्या है? क्या वही स्थिति है जो अखबार कह रहे हैं और क्या आप इसको दूसरा हजरतबल बनाना चाहते हैं? पहले वहां इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाए कि बहुत बड़ा तमाशा बन जाए और उसके बाद ख्याति प्राप्त करने के लिए आप कहें क इसको हमने सुलझा दिया है।

[अनुवाद]

आप श्रेय लेने के लिए स्थिति पैदा करते हैं। मुझे आशा है कि स्थिति ऐसी नहीं है। क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे?

[हिन्दी]

स्थिति सुधरने के बारे में हमारी सूचना यह है कि सिर्फ जनवरी के महीने में ही हमारी फोर्सिज के ऊपर 150 बार हमले हुए हैं। आप कृपया बताएं कि जब हमारी फोर्सिज के ऊपर हमले बंद रहे हैं तो स्थिति कैसे सुधर रही है?

इस प्रकार सिविलयन के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। मेरे पास किश्तवार के आंकड़े हैं, जिनकी देखने से मालूम होता है कि अकेले जनवरी के महीने में वहां आठ हमले हुए हैं। अब तो दिन में भी खुलेआम अपहरण हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आप वहां चुनाव की बात रहे हैं। जबकि वहां सरकार जान-माल की हिफाजत नहीं कर पा रही है।

आप विकास की बात करते हैं। यह भी कहते हैं कि करोड़ों रुपया वहां जाता है। लेकिन वह सारा पैसा आतंकवादियों के हाथों में जा रहा है। डोडा में दुलहस्ती प्रोजेक्ट के बारे में मैं पिछले दो साल से कह रहा हूं, लेकिन हम अभी तक उस पर काम शुरू नहीं कर पाये हैं। क्योंकि आतंकवादी इसकी इजाजत नहीं देते। वहां सड़क नहीं बन पा रही है। इसलिए कि बोर्डर रोड संगठन काम शुरू नहीं सकता आतंकवादियों की वजह से, हम कह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है। इन सबके लिए हम पाकिस्तान को दोष देते रहे हैं। मैं मानता हूं कि वह सफलता से प्रॉक्सी वार कर रहा है। न उसके आदमी मर रहे हैं और न उस पर कोई दबाव पड़ रहा है, वह अपना काम सफलता से किये जा रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कहना चाहता हूं कि *जब तक आप पाकिस्तान को यह संदेश नहीं पहुंचायेंगे कि अगर आप हमारे देश के अंदर कोई गलत काम करेंगे तो उसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है।* आप चाहें जितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें, पाकिस्तान अपनी नीति नहीं बदलेगा। इस दिशा में भी आपको विचार करना चाहिए। पाकिस्तान अगर छेड़छाड़ करता है तो उसको सबक सिखाने का बंदोबस्त करना होगा।

मैं सुरक्षा बलों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि इंद्रजीत गुप्तजी ने भी उनके बारे में कहा है और यह भी कहा कि वे काफी गड़बड़ी कर रहे हैं। जो आदमी गलती कर रहा है उसको सख्त सजा दें। एक उदाहरण बनाइये। मैं गुप्त जी से क्षमा चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि आज यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि हैड-लाइन लेने के लिए हमारे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें अखबारों के फ्रंट पर छापते हैं। अभी कुछ दिन पहले यह बात एक अखबार की हैड-लाइन थी कि आर्मी ने यह मान लिया है और वह अपने एक बड़े अधिकारी का कोर्ट मार्शल करने वाली है। लेकिन खुशी की बात है कि सरकार ने उसका खंडन किया। अफसोस इस बात का है कि खंडन की खबर अखबारों के कोने में छपी। पैरा-मिलिटरी वहां बहुत मुश्किल में है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आप बचायें।

अंत में मैं निवेदन करता हूं कि इस समस्या को सुलझाने में सरकार कोई ठोस कदम उठाये।

4.14 म. प.

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश के बारे में बताना है :

"मुझे, लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि विशेष सुरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसे 12 दिसम्बर, 1994" को हुई लोक सभा की बैठक में पारित किया गया था, को राज्य सभा की 14 फरवरी, 1995 को हुई बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया गया है :-

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1 की पंक्ति 1 में

"पैंतालीसवें" **के स्थान पर** "छयालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

खण्ड-एक

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1994" **के स्थान पर** "1995" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

खण्ड-(3)

कि पृष्ठ 1 की पंक्ति 9 और 10 में

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात :-

1995 का अध्यादेश

"3 (1) विशेष सुरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।" (3) निरसन और व्यावृत्ति

अतः, मैं इसके साथ राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि उपरोक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति के बारे में इस सभा को सूचित किया जाए।

4.15 म.प.

विशेष सुरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित

महासचिव : महोदय, मैं विशेष सुरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1994 को सभा पटल पर रखता हूं जिसे संशोधनों के साथ राज्य सभा में वापस किया गया है।

4.16 म.प.

जम्मू-कश्मीर के संबंध में लागू उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-(जारी)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं श्री जगमोहन जिनसे कश्मीर की स्थिति के मामले में मैं सामान्यतया असहमत रहता हूं, द्वारा दिए गए उद्धरण को उद्धृत करते हुए अपना भाषण आरम्भ करता हूं। उन्होंने इमाइल जोला का उद्धरण देते हुए कहा है :-

> "जब सच्चाई को दबाया जाता है तो और फैलती है और एक ऐसी विस्फोटक शक्ति पैदा हो जाती है कि एक दिन वह फूट पड़ती है और अपने सभी आवरण उड़ा देती है।"

सभापति महोदय, हाल ही में 26 जनवरी, 1995 को हुआ धमाका एक ऐसा धमाका था जिससे हमें वास्तविकता और सत्य के प्रति सजग होना चाहिए और सच्चाई का सामना करने के लिए हममें ताकत, भावना और सुदृढ़ निश्चय पैदा होना चाहिए। कश्मीर का सत्य क्या है? कश्मीर के संदर्भ में एक सच्चाई तो यह है कि वहां सीमापार की मदद से अघोषित युद्ध चल रहा है हम इससे निपटने में असमर्थ हैं। हम पाकिस्तान को राजनैतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी मात्र नहीं दे पा रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने के खेल में पाकिस्तान को रोक पाने में भी हम असमर्थ रहे हैं।

एक अन्य सच्चाई यह है कि कश्मीर के लोग पूरी तरह विमुख हैं। मैं आतंकवाद को माफ करने वाले लोगों में से नहीं हूं। किसी भी सभ्य समाज द्वारा आतंकवाद को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम कश्मीर के लोगों की पूर्ण विमुखता को दूर कर सकते हैं?

हमारे सार्वजनिक जीवन के नामी व्यक्ति प्रो. हिरेन मुखर्जी ने अभी हाल ही में 25 फरवरी 1994 को कहा था :-

> "आज तक शायद हममें में से कोई भी व्यक्ति कश्मीरी लोगों की विमुखता की गहराई को समझ नहीं पाया है तथा इस विमुखता को दूर करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है।"

यह एक कुचक्र है। विमुखता, दमन और अधिक विमुखता और अधिक दमन और इस प्रकार यह चलता जा रहा है और कश्मीर की जनता दो पाटों के बीच में पीसती जा रही है अर्थात एक तरफ आतंकवादी हैं और दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल हैं। और उनके पास इस स्थिति से बचने का कोई उपाय नहीं है। वहां की स्थिति निराशाजनक है। सभी हताशा हैं। वह कहते हैं कि हमें गुफा के अंत में प्रकाश दिखाई नहीं देता। मैं नही जानता कि कश्मीर के लोगों को गुफा के अतं मे क्या दिखाई देता है।

जब हमें संदेह है कि वहां के सभी लोग आतंकवादियों से मिल हुए हैं, जब हम अपने लोगों पर गोलयां बरसाते हैं, जब हम अपने लोगों के विरुद्ध अपने सशस्त्र बलों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में मुझे समझ नहीं आता कि हम किस प्रकार इस पहेली को सुलझा सकते हैं।

महोदय, वहां पर हजारों की तादाद में लोग मारे गए? मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस और एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा कही गई बात को पूर्ण सत्य नहीं मानता। परन्तु, एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा लगाए आरोपों का अभी तक बिन्दु-वार और मामले-वार खंडन नहीं किया गया है परन्तु चलो हम उसे भूल जाएं। मंत्री महोदय, हमें अपने जख्मों को गिनने की जरूरत नहीं है। वहां हजारों लोग मरे हैं, वहां सैकड़ों तादाद में हिरासत में लोगों की मौत हुई है। हजारों लोग हिरासत में हैं और बड़ी संख्या में लोग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। मकान जलाए गए हैं। बस्तियां जला डाली गईं। श्रीनगर शहर में पूरे मुहल्ले के मुहल्ले में आग लगा दी गई और काले कानून अभी भी जारी हैं। वहां न केवल टाडा लागू है बल्कि सशस्त्र बलविशेष शक्तियां अधिनियम, कश्मीर का जन सुरक्षा अधिनियम भी लागू है। और अब हमें दिखावे के लिए भी दुःख नहीं होता जब हम अपने ही लोगों को मारते हैं तो हमें शर्म तक महसूस नहीं होती। पहले हम कहा करते थे "हम आतंकवादियों से लोगों को बचा रहे हैं। हम वहां लोगों की सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं।" फिर हमने सोचा कि ऐसा कहने से बात नहीं बनी। अतः हमने कहना आरंभ किया "हम केवल आतंकवादियों को ही कुचल रहे हैं। और अब हम उस हद तक पहुंच गए कि कश्मीर की जनता का ही दमन करना आरंभ कर दिया।

यह सम्प्रभुता कहां है? सम्प्रभुता का संबंध केवल किसी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। सम्प्रभुता तो जनता में वास करती है। यदि कश्मीर की सारी जनता हमारे खिलाफ है और यदि हम उनके साथ

दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस समस्या का कोई समाधान हो पायेगा।

सभापति महोदय मैं नहीं समझता कि हम अपनी पीठ ठोंककर कह सकते हैं कि अंतिम कश्मीरी तक कश्मीर के लिए लड़ना हमारे लिए देशभक्ति पूर्ण और राष्ट्रवादी है। पाकिस्तान ऐसा कह सकता है। पाकिस्तान अंतिम कश्मीरी तक कश्मीर के लिए लड़ने के लिए तैयार है। परन्तु क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम इसे अपनी नीति के आधार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं?

ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कुछ साम्राज्यवादी तौर तरीके अपना लिए हैं। हम साम्राज्यवादी शक्तियों की तुलना में बहुत कम कार्यकुशल हैं और साम्राज्यवादी शक्तियां यह खेल खेला करती थीं। ये शक्तियां पहले या तो ताकत का प्रयोग करती थीं अथवा लोगों में फूट डालती थीं अथवा अंत में कुछ सत्ता के दलालों को लो और गद्दी पर बिठा दो। वे कुछ समय तक चलेंगे। फिर आप उनके स्थान पर किसी और को बैठा दो। इस प्रकार एक के स्थान पर दूसरा बैठाते रहें। क्या हम कश्मीर में साम्राज्यवादी खेल, खेल रहे हैं? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

कश्मीर में न्यायपालिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि वह स्थिति से नहीं निपट सकती है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है :

"हम चाहे कितने भी आदेश जारी करें परन्तु कार्यपालिका उन्हें लागू ही नहीं करती है। कार्यपालिका इन आदेशों की कोई परवाह नहीं करती है।" हजारों बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेशों की अवहेलना की जा रही है और उच्च न्यायालय के आदेशों का महत्व एक कागज के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। श्रीनगर ने पुलिस अधीक्षक द्वारा एक आदेश दिया गया था जो रिकार्ड में है और जिसमें कहा गया था "यदि कोई तुम्हारे पास शिकायत दर्ज कराने आता है तो आप उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे।" अतः नागरिक किससे शिकायत करें? वह राज्यपाल के पास नहीं जा सकता। राज्यपाल तक उसकी पहुंच नहीं है। वह गृह मंत्री के पास नहीं आ सकता। देश के राजनीतिक दलों तक उसकी पहुंच नहीं है। तो हमारे कश्मीरी भाई कहां जाएं? अतः स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है।

अब हम लीपापोती कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी की है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का दृष्टिकोण जैसाकि उनके कुछ सार्वजनिक वक्तव्यों से पता चलता है, एक बयान में उन्होंने उत्पीड़न को उचित ठहराया है। उनका कहना है कि आप इसके बिना सच तक नहीं पहुंच सकते हैं और कभी-कभी आपको ऐसा करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी ही ऐसा कह सकता है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं और फिर वह आतंकवादियों और सरकारी बलों द्वारा किए गए अत्याचारों की तुलना करता है जैसे कि यह कोई खेल हो, उन दोनों के बीच कोई टेनिस मैच नहीं हो रहा हो। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसे केवल मानव अधिकारों के बारे में बोलना चाहिए कि न उसका हनन करने वालों के बारे में। उसे केवल अत्याचार के उद्देश्यों के बारे में बोलना होता है न कि इस विषय के बारे में। क्या इनसे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है अथवा नहीं? मानव अधिकार आयोग के समक्ष यही प्रश्न होता है लेकिन स्थिति वैसी नहीं है और इसीलिए मानव अधिकार आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और मैं नही समझता कि इस सुविधा से हमें कोई और लाभ होने जा रहा है।

4.22 म. प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

हमारे सामने कश्मीर के मीर वायज़ फारूख का मामला है जिनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दक्षिण कश्मीर के मीर वायज़ और प्रो. मुशीरुल हक तथा डा. गुरु के मामले हैं। मुझे बताया गया कि उग्रवादियों द्वारा उन सबकी हत्या कर दी गई थी और हमने हत्यारों को पकड़ लिया है। हमने मामले हल कर लिए हैं। मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने उन्हें और राज्यपाल को एक पत्र लिखा कि "आप उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं?" मैं यह सवाल आज फिर पूछता हूं। अगर आपने अपराधियों को पकड़ लिया है और यदि आप हत्यारों को पहचानते हैं तो कम से कम भगवान के लिए सारा सच लोगों के सामने लाइए। आप किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं?

इसके बाद, हमने एक आर्थिक योजना और एक विकास योजना जारी की। कभीकभार हम प्रशासन में 'म्युजिकल चेयर' का खेल खेलने लगते हैं। आप राज्यपाल बदलने की बात करते हैं। वह परिवर्तन भी किया जा चुका है। जनरल कृष्ण राव को वहां बड़ी उम्मीद के साथ भेजा गया था। लेकिन जब तक हमारे पास कोई नीति न हो, कश्मीर के लोगों के लिए कोई राजनीतिक योजना न हो तब तक क्या राज्यपाल बदल देने से स्थिति बदली जा सकती है? जब तक आपके पास समस्या का समाधान नहीं है और जब तक आप इससे किसी नीति से नहीं निपटते हैं तब तक वित्तीय योजना, विकास योजना, आर्थिक योजना काम नहीं करेगी तथा प्रशासनिक पुनर्गठन और दिल्ली में राजनैति फेरबदल कारगर नहीं होगी।

आप चुनाव की बात करते हैं। वह चुनाव एक हास्यास्पद चुनाव होगा। आप तो मतदाता सूची भी नहीं संशोधित कर सकते हैं। आप चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं कर सकते हैं। अगर आप चुनाव कराते हैं तो आपको पीठासीन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी नहीं मिलेंगे। आपको केवल बन्दूक की नोंक पर मत डालने वाले लोग मिलेंगे और विश्व आपकी बात में विश्वास नहीं करेगा। इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इससे हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक ही होगा। इस सबकी बजाय अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए और राजनैतिक बुद्धि से ही कार्यवाही कीजिए। अगर आप इसे एक राजनैतिक समस्या मानते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका राजनैतिक समाधान हमारी बुद्धिमत्ता से परे नहीं है। मैंने माननीय मंत्री से पूछा कि "आप विचार-विमर्श के लिए राजनैतिक पार्टियों को क्यों नहीं बुलाते हैं?" यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह कोई कांग्रेस पार्टी की समस्या

नहीं है। यह मात्र सरकार की ही समस्या नहीं है। आप एक ऐसा समाधान ढूंढने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत क्यों नहीं शुरू करते हैं जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो, जो हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं और हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा कश्मीर की भावना के अनुरूप हो?

मैं उनसे एक बात और पूछता हूं। इस समय अनेक राजनैतिक नेता कश्मीर में चक्कर लगा रहे हैं। आपने हुर्रियत नेताओं को रिहा किया। आप उन्हें विदेश जाने की अनुमति देते रहे हैं। आप उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं?

मैं इस विसंगत को नहीं समझता हूं। आपके पास इस समय कम से कम आधे दर्जन लोग ऐसे हैं जिनसे साक्षात्कार किये जा रहे हैं, जो बयान जारी कर रहे हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से हथियार त्याग दिए हैं; जो आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या आपने उन्हें आमंत्रित किया है? आप उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित क्यों नहीं करते हैं? आप केवल फारूख अब्दुल्ला से ही क्यों बात करते हैं—वह भी निजी तौर पर! क्या आपने फारूख अब्दुल्ला के साथ ही सही, कोई औपचारिक बातचीत की है? उनकी पार्टी ने अपनी कार्यकारी समिति की पिछली बैठक में जम्मू में कुछ कहते हुए एक संकल्प पारित किया था—हो सकता है कि मैं उससे सहमत होऊं या न होऊं। उसके बाद भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे अभी भी सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। अतएवं मेरा निवेदन है कि आप राजनैतिक समाधान के लिए राजनैतिक योजना कीजिए। उसे एक राजनैतिक समस्या मानिए। एक ओर आप समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए सभी राजनैतिक दलों को बुलाइए। दूसरी ओर कश्मीर के सभी राजनैतिक नेताओं को आमंत्रित कीजिए—मैं कहूंगा कि बिना शर्त बुलाइए। उन्हें अपने सामने बैठाइए और कहिए कि "देखो भाई, संप्रभुता पर बातचीत नहीं हो सकती, आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है; उसे छोड़कर आप अपनी शर्तें बताइए, और आइए इसका एक राजनैतिक समाधान तलाश करें।"

सब लोगों को साथ बिठाइये और उनसे कहिए 'देखो भाइयो, प्रभुसत्ता के मामले में कोई बातचीत नहीं हो सकती, आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है, इसके अतिरिक्त आप सभी समाधान खोजिए।' स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मंत्री जी, और जब तक आप थोड़ी-बहुत स्वायत्तता नहीं देते हैं तथा स्वायत्तता की अवधारणा को कोई मायने नहीं देते हैं तब तक कश्मीर को नहीं बचाया जा सकता और हम कश्मीर को खो देंगे। आपकी सेना कश्मीर को नहीं बचा पायेगी, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से कश्मीर नहीं बचेगा, राज्यपाल बदलने से कश्मीर नहीं बचाया जा सकता। कोई भी आर्थिक सहायता, जिसे आप कश्मीर भेजते हैं, कश्मीर को नहीं बचाएगी। कश्मीर को केवल कश्मीरी लोगों के दिलोदिमाग को जीतकर ही बचाया जा सकता है। और यह कार्य आपकी गोलियों से नहीं होगा यदि, इसे बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है। हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए। हमें स्वायत्तता की बात मान लेनी चाहिए और स्वायत्तता की सीमा तय करनी चाहिए। हमें ईमानदारी पूर्ण और सार्थक बातचीत करनी चाहिए। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद, शहाबुद्दीनजी। हमारे पास छः वक्ता हैं और शेष समय केवल सात मिनट का है। अतः कृपया हमारे साथ सहयोग कीजिए।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, हम यहां दो बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा नाम भी है।

सभापति महोदय : अन्ना जोशी जी, आपके दल के दो लोग पहले ही कह चुके हैं। हमें अन्य दलों को भी बोलने का अवसर देना है।

श्री अन्ना जोशी : जी हां, जरूर।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। अब मैं श्री वी.एस. राव का नाम पुकारता हूं। श्री राव कृपया अपनी बात दो मिनट के अंदर समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री महोदय ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, हम उसका बोझिल मन से समर्थन करते हैं क्योंकि इसका और कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले भी, जब इसी प्रकार के संकल्प प्रस्तुत किये गये थे, उस समय भी हमने उनका समर्थन किया था। परंतु साथ ही साथ सरकार हमें आशा बंधा रही थी और सदस्य भी आशावादी थे कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जायेगी, तथा वहां पर चुनाव होंगे और प्रजातंत्र पुनः कायम हो जायेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जब माननीय प्रधान मंत्री ने लालकिले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि सरकार वहां पर चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है तो जनता की आशाएं बढ़ी थीं। परन्तु मेरे विचार से प्रधान मंत्री महोदय को जनता को ऐसी गलत अवधारणा नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि कश्मीर घाटी में जो वास्तविकताएं हैं वे बिल्कुल ही अलग हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने क्या कहा था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। अभी भी कश्मीर में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। मात्र 6-1/2 महीनों की अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा के कारण 526 आम लोग मारे गए तथा 986 लोग घायल हुए। अब तक आतंकवादियों ने हमारे सुरक्षा बलों पर 1275 बार हमला किया और प्रत्येक घटना में एक अथवा दो सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई है। जब ऐसी स्थिति वहां पर है, तो वहां चुनाव कराना ठीक नहीं है। परन्तु, साथ ही साथ, अब प्रधान मंत्री महोदय का कार्यालय, जम्मू और कश्मीर से संबंधी मामलों को सीधा ही, जैसे कि पहले करता था, निपट रहा है। हमें आशा है तथा यह सुझाव देते हैं कि सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाये, जिसके कारण वहां की स्थिति में इतना सुधार आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां का प्रशासन, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वह एकदम पंगु सा गया है तथा वहां काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वहां ईमानदार तथा समर्पित अधिकारी तैनात किये जायें ताकि जो संसाधन केन्द्र सरकार राज्य में झोंक रही है। उनका लाभ वहां की गरीब जनता को मिले और यह महसूस नहीं करें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर काफी बेरोजगारी है। हालांकि मेरे मित्र श्री शहाबुद्दीन ने बताया था कि सभी कदम कारगर सिद्ध न हों। फिर भी

हमें आशा है। ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार ने इससे पूर्व राज्य के लिए धन नहीं भेजा हो। उन्हें काफी धनराशि दी गई थी, परन्तु वह धनराशि कुछ प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं अथवा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के जेबों में चली गई, जिसने एक गलत अवधारणा व्यक्त की तथा राज्य के युवकों को गुमराह किया। सरकार को अब इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार को मेरा यह सुझाव है कि वे इस बारे में चर्चा शरू करें तथा इस बारे में उन सभी लोगों के साथ, जिनका इस मामले पर एक अलग मत है, बातचीत करें तथा यह पता लगाये कि किसी हालात में देश की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्राय प्रभुसत्ता के बारे में किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना सरकार दिए गए सुझाव पर किस हद तक सहमत हो सकती है। हम लोग देश की प्रभुसत्ता के संबंध में कोई भी समझौता नहीं कर सकते।

हाल ही में अमरीका जैसा बड़ा राष्ट्र इस बारे में एक अलग ही लहजे में बोल रहा है तथा राज्य के सहायक सचिव ने कई अवसरों पर यह कहा है कि अमरीका जम्मू और कश्मीर के हमारे देश के साथ विलय को मान्यता नहीं देता और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले पर किसी भी प्रकार का समझौता किये बिना हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम लोग कश्मीरवासियों को कैसे महसूस करा सकें कि वे अपने राज्य के भविष्य तथा उसकी सम्पन्नता को अपने ढंग से बना सकेंगे। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं, श्री इंद्र जीत से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री इंद्र जीत जी आपका समय दो ही मिनट तक सीमित है।

श्री इंद्र जीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, आपने मुझे जो दो शब्द कहने के लिए अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु, वास्तव में मुझे यह पता नहीं है कि मैं दो मिनट में क्या कहूं।

तथापि, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं। मेरी नाम राशि के श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा बाद में श्री शहाबुद्दीन जी ने जो कुछ कहा था, मैंने उसे बड़ी ही रुचि से नोट किया। अब यह बड़े मजे की बात है कि सरकार राज्य में 17 जुलाई तक ही राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग कर रही है, न कि पूरे छः महीनों की अवधि के लिए। मेरे विचार से इसमें कतिपय संवैधानिक अड़चनें हैं तथा जम्मू और कश्मीर के संविधान द्वारा हम पर कतिपय प्रतिबंध लगाये गये हैं। मुझे आशा है कि जब गृह मंत्री महोदय इस वाद-विवाद का जवाब देंगे, तब वे सभी बातों को स्पष्ट करेंगे क्योंकि मुझे सीमित समय में बोलना है।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री शहाबुद्दीन दोनों ने ही इस समस्या के लिए एक राजनैतिक हल निकालने की पुरजोर मांग की है। परन्तु मेरे विचार से ऐसी मांग करके वे लोग एक मूलभूत तथ्य की अवज्ञा करते हैं कि हम लोग कश्मीर में एक प्रति युद्ध (प्रॉक्सी) युद्ध का सामना कर रहे हैं। युद्ध का समाधान राजनैतिक पद्धति से न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। युद्ध तो हथियारों के द्वारा ही जीतना पड़ेगा। सर्वप्रथम पाकिस्तान जो कि सीमा पार अप्रत्यक्ष युद्ध करा रहा है हमें उसे विफल करना होगा। अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकार पाकिस्तान के गुप्त, घृणित तथा निन्दनीय प्रयास को विफल करने के लिए यथा शक्ति जो प्रयास कर सकती है, करे। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान ने स्थिति को अस्थिर बनाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा दिया है। यह तथ्य, जम्मू में गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ है, उससे परिलक्षित होता है। मेरे विचार से धातु संसूचक तथा खोजी कुत्ते पहचान नहीं कर सके क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान अत्याधुनिक हथियार, जो कि समयानुसार नहीं अपितु रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित होते हैं, प्राप्त करने में सफल रहा है।

इसी कारण पाकिस्तान बहुत कुछ कर पा रहा है तथा वह इस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर शांति बरकरार न होने तथा वहां चुनाव न हो सकें, इन दो बातों के लिए दृढ़संकल्प हो गया है। महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजनैतिक प्रक्रिया का संबंध है, इसके लिए सर्वप्रथम हमें आतंकवादियों को तथा पाकिस्तान इतनी संख्या में भाड़े के सिफाहियों को भेजने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उन्हें विफल करना होगा और इसके पश्चात ही, वास्तव में पश्चात में नहीं अपितु साथ-साथ ही उस हद तक हम सभी से बातचीत कर सकते हैं, राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री इंद्र जीत गुप्त जी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं। मेरे विचार से हमें कोई पूर्व शर्तें नहीं रखनी चाहिए। हमें वार्ता करने के लिये तैयार रहना चाहिए। और यह बात, मैं अपने अनुभव से जो कुछ दार्जिलिंग में हुआ था, उसके आधार पर कह रहा हूं। एक समय गोरखा आन्दोलन के नेता को देशद्रोही कहा गया था। परन्तु हम लोग वार्ता करने के लिए राजी हो गये थे। सरदार बूटा सिंह, जो कि तत्कालिक मंत्री थे वे आज भी सदन में उपस्थिति हैं। हमें उन लोगों से, वार्ता करने के लिए इच्छुक रहना चाहिए जिनसे हम वार्ता करना चाहते हैं।

कश्मीर में चुनाव कराना इतना सहज नहीं है। वहां पर आतंकवादियों का अत्यधिक खतरा है। पाकिस्तान वहां पर चुनाव नहीं कराने देगा। मेरे विचार से ऐसी परिस्थिति में हमें वहां पर एक वैकल्पिक राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। गृह मंत्री महोदय से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि हमें विधान सभा को वास्तव में पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मैं यह बात विधितः नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात सामान्यतः कह रहा हूं कि पहले वहां पर एक विधान सभा थी। वह विधान-सभा भंग है। जब तक कश्मीर में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं तब तक हमें भूतपूर्व विधायकों से लाभ उठाना चाहिए तथा उन्हें लेकर एक परामर्शदात्री निकाय का गठन करना चाहिए जो कि वास्तव में राज्यपाल को राज्य स्तर तथा जिला स्तर दोनों पर परामर्श दे सके।

सभापति महोदय, आपने पहले ही मुझे दो मिनट से भी अधिक बोलने का समय दे दिया है परन्तु लद्दाख के संबंध में, मैं आधा मिनट बोलना चाहूंगा। मेरे विचार से हम लोग लद्दाख के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मुझे इस वर्ष लद्दाख की यात्रा करने का अवसर मिला था। यह हमारे देश का एक बहुत ही सुन्दर भाग है परन्तु वहां के लोग बड़े दुःखी हैं क्योंकि उनके साथ जो वायदे किये गये थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

मेरे विचार से हमें लद्दाख की जनता को स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषाद देने के बारे में किए गए वायदे को पूरा करना चाहिए। यदि मुझे सही प्रकार से याद है तो इस वायदे को मेरे अभिन्न मित्र सरदार बूटा सिंह ने उस समय किया था जब वे गृह मंत्री थे। इस कार्य को किया जाना चाहिए।

आखिरी बात आय-कर के प्रश्न के संबंध में है। 1962 से लद्दाख के लोगों को आयकर की अदायगी से छूट मिली हुई थी। लेकिन कुछ अज्ञात कारण से, 1988-89 से उन्हें आयकर से छूट देने संबंधी मूल कारण की पूर्णरूप से अनदेखी कर दी गई और उन पर एक बार फिर आय-कर थोप दिया गया है। मैं सरकार से जोर देकर कहना चाहूंगा कि पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिश की जाए और लद्दाख के लोगों को उनका न्यायोचित हक दिया जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत दुःख की बात है कि हम भारत के लोगों को अपने देश में कश्मीर के प्रतिनिधियों के बिना बैठना पड़ता है जबकि हम कश्मीर के बारे में हमेशा विचार-विमर्श करते रहते हैं। अब यह बहुत प्रयास की बात है जिसे भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि क्या किया जाना चाहिए था, कश्मीर में सब कुछ किया गया है। परन्तु सत्य है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। हमें पहला कार्य कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने का करना चाहिए। इसके लिए हम राजनैतिक दलों को एकमत करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हम उन राजनैतिक दलों के बार में सोच भी नहीं सकते हैं जो वहां पर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मेरे विचार से भारत सरकार, विशेषकर कश्मीर विभाग जिसे इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से गठित किया गया है। इस दिशा में असाधारण प्रयास कर रहे हैं।

मैं कुछ ऐसे सम्मेलनों के बारे में सुझाव दे सकता हूं जिनके बारे में भारत सरकार संसद जैसे विभिन्न अन्य निकायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आयोजित कर सकती है। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि कश्मीर के कुछ लोगों को राज्य सभा का सदस्य बनाया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को श्रेष्ठता का मान देते हुए, यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि वहां कोई विधान सभा नहीं है, इसलिए हमें राज्य सभा में कश्मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं लाना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा मामला भी है जिस पर कश्मीर के किसी प्रतिनिधि को राज्य सभा का सदस्य बनाकर विचार किया जा सकता है। मेरे विचार में यह एक ऐसा कार्य है जिसे हम कर सकते हैं और यह एक बहुत ही उचित प्रयास होगा।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों से कुछ सदस्यों को संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाए। अन्य सुझावों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत अथवा ग्रामीण निकायों का चुनाव कराना आदि है। मेरे विचार से तो अभी भी वहां इन निकायों के चुनाव कराने लायक भी स्थिति नहीं है। परन्तु यदि विधान सभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते तो कम से कम पंचायत जैसे ग्रामीण निकायों के चुनाव कराने के लिए तो ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.सी. थामस : मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया है।

अब, राज्यपाल पर हुए हमले के बारे में मुझे विश्वास है कि विद्रोहात्मक गतिविधियों से निपटने और पाकिस्तान के इरादों को विफल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान जैसी बाहरी एजेन्सियों के इन प्रयासों को रोकने के लिए अथक प्रयास करना होगा। यह सही है कि पाकिस्तान में हमेशा चुनाव का मुद्दा रहा है। वे इस मुद्दे को हमेशा खुला रखना चाहते हैं। सभी दल इस मुद्दे को सदैव खुला रखते हैं। अतः, मेरे विचार में हमें इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ाना चाहिए। यह ठीक है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु हमें विशेषरूप से शिमला समझौते को आधार बनाकर अन्य देशों से वार्ता आरंभ करके इस दिशा में आगे बढ़ना है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय मुझे यह पता है कि मुझे दो मिनट तक बोलने की अनुमति है।

महोदय, सदन के विचारार्थ लाए गए प्रयासों का आगे की जानी वाली टिप्पणियों के अध्यधीन समर्थन करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, कश्मीर की समस्या बुनियादी तौर पर एक बहुपक्षीय समस्या है जो मेरे विचार में इस्लामी कट्टरवाद और पाकिस्तान के राजनैतिक दुःसाहसों तथा प्रभुसत्ता संपन्न देशों में हस्तक्षेप करने की अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय नीति का घातक मिश्रण है। अतः बुनियादी तौर पर तीन पक्ष हैं। हमें इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ लड़ना होगा, हमें पाकिस्तान के राजनैतिक दुःसाहसों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ हमें अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की नीति के खिलाफ लड़ना होगा।

महोदय मेरी इस सरकार के खिलाफ यह शिकायत है कि वह इन पक्षों को व्यापक परिपेक्ष्य में नहीं देख रही है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिनसे सरकार की पोल खुल सकती है लेकिन समय की कमी के कारण में इसका प्रयास नहीं कर रहा हूं।

महोदय, राजनैतिक प्रक्रिया पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक विवाद उत्पन्न होता है। राजनैतिक प्रक्रिया से वास्तव

में हमारा क्या अभिप्राय है? क्या राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का आशय चुनाव कराने से है अथवा इसका आशय कुछ और भी है? राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का आशय केवल चुनाव कराना नहीं है। चुनाव तो इस प्रक्रिया का केवल अंतिम परिणाम है। दुर्भाग्यवश देश में हमारे कुछ नेता यह सोचते हैं कि चुनाव तो राजनैतिमक प्रक्रिया की शुरूआत है। महोदय, मैं पूर्ण विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मेरा मन उनसे भिन्न है। जम्मू व कश्मीर की स्थिति के संदर्भ में राजनैतिक प्रक्रिया का तात्पर्य वहां की जनता के कष्टों को समझना है। इस समस्या को हल करने का दृष्टिकोण पूर्णतः अराजनैतिक है और उसका आशय धर्म-निरपेक्षता। देश की एकता और अखंडता और भातीय धर्मनिरपेक्ष के प्रतीक की रक्षा करना है। अतः, महोदय यह दिलों को जीतने का प्रश्न है। यह राजनीतिक हित नहीं है कि हमारे देश के किसी विशेष भू-भाग पर कब्जा किया जाए। अतः, इस समस्या को हल करने के लिए दूसरे दृष्टिकोण से देखना होगा। राजनैतिक प्रक्रिया पुनजीर्वित करने के लिए यह सही समय है, इसमें कोई संदेह नहीं और मैं माननीय गृह मंत्री से सहमत हूं। परन्तु इस असामान्य स्थिति में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। यदि जबरदस्ती चुनाव कराए जाते हैं तो ऐसे चुनाव षडयंत्रकारी होंगे और उनसे सीमापार हमारे शत्रुओं को लाभ पहुंचेगा। जहां तक इस राजनैतिक प्रक्रिया का संबंध है, यह व्यापक होनी चाहिए।

इसे वर्तमान कड़े अथवा संकीर्ण दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। हमें उनसे विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें वास्तविकता को समझना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि कश्मीर के लोग हमसे विमुख होते जा रहे हैं। अतः हमें कतिपय दलों अथवा कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों तक ही बातचीत सीमित नहीं रखनी है। दूसरे दलों, दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों और उन व्यक्तियों ने भी, जो पहले आतंकवादियों के कैम्प में शामिल थे, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर की परिस्थितियों में परिवर्तन होने की वजह से अपने विचार बदल लिए हैं, उनसे भी विचार-विमर्श करना चाहिए। उनके विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में हम कइयों का उल्लेख कर सकते हैं उदाहरणार्थ जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। उन्होंने अपने पहले वाले दृष्टिकोण को बदल लिया है। जहां तक जम्मू व कश्मीर लीग जैसे अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति छोड़ दी है अर्थात् अति आतंकवादी दृष्टिकोण को बदल लिया है। उनसे बात करने में क्या नुकसान है? हमारी सरकार की नीति यह रही है कि वह वार्ता तो करेगी परन्तु कतिपय शर्तों के अध्यधीन करेगी। एकमात्र शर्त देश की एकता होनी चाहिए। शर्त यह होनी चाहिए कि जो लोग समस्या को हल करने के हमारे प्रयासों में रूकावट डालते हैं ऐसे शत्रुओं का मुकाबला किया जाए। अतः खुलकर बातचीत की जानी चाहिए और सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाएं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कश्मीरी भी हमारी तरह देशभक्त हैं। इस मामले में, समम्या को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होना चाहिए कि धर्मनिरेपक्षता की रक्षा, संरक्षण और अनुरक्षण किया जाए ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी वर्तमान नीति को बरकरार रख सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी *(पुणे) : सभापति जी, मैं खाली इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में नहीं जाते हुए जो उपाय यह प्रश्न सुलझाने के लिए देने हैं, उनके बारे में बोलना चाहता हूं।*

हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में थोड़ी चिन्ता कश्मीर के प्रश्न के बारे में व्यक्त की गई है। 12 फरवरी को जो महाराष्ट्र में इलैक्शन हुए, उसका उल्लेख उस अभिभाषण में है, लेकिन 26 जनवरी को मौलाना आजाद मैदान पर वहां के गवर्नर साहब को क्षति पहुंचाने के लिए जो धमाके हुए थे, उसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं था तो पी.एम. का आफिस किस रैस्पोंसिबिलिटी से इस प्रश्न की तरफ देख रहा है, इसका यह एक नमूना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस बारे में बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। इस समय हम एक अन्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अन्ना जोशी : राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख है और इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आपको कोई सुझाव देना है?

श्री अन्ना जोशी : मेरे पास एक त्रिआयामी सुझाव है। चूंकि यह एक त्रिआयामी समस्या है इसलिए इसका हल भी बहुआयामी है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को यह समझाना चाहिए कि वह हमारी इण्टरनल प्राब्लम के बारे में अगर दखल दे तो उनके बारे में हमको भी कड़ी उपायोजना करनी पड़ेगी, जो ट्रेनिंग कैम्प्स के बारे में हमेशा हम बोलना चाहते हैं कि एलोंगे दि इण्डो पाक बोर्डर मिलिटैण्ट्स को पैसा देने वाले, मिलिटैण्ट्स को शिक्षा देने वाले, मिलिटैण्ट्स को मदद देने वाले, मिलिटैण्ट्स को आश्रय देने वाले जो कैम्प्स चल रहे हैं। उन कैम्प्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

या तो इन शिविरों को नष्ट कर दिया जाए या विश्व-निकाय को इन शिविरों के बारे में सूचना दी जाए और उनसे यह अनुरोध किया जाए कि वे इन शिविरों को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को निर्देश दें।

[हिन्दी]

कश्मीर में लोगों को अपने साथ लाने के लिए यहां हम ऐसा बोलते हैं कि आर्थिक विकास की दृष्टि से हमें वहां प्रयत्न करना चाहिए। हम एक बाजू में धारा 370 रख रहे हैं, जिससे कोई भी आर्थिक प्रश्न के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए वहां नहीं जा सकता है, वहां कुछ नहीं

कर सकता है और दूसरे बाजू में हम बोल रहे हैं कि वहां आर्थिक विकास करना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि यह जो इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को, फारेन हो, गवर्नमेंट का हो या इण्डियन प्राइवेट का हो, वहां अगर जाना चाहे तो उसके लिए आज हम धारा 370 अगर एबोलिश नहीं कर सकते हैं तो दूसरा उपाय ढूंढें जिससे बाकी लोग और बुद्धिजीवी भी वहां जा सकें। वहां नई इंडस्ट्रीज खोली जायें। आप उनको इनफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करायें जिससे उन्हें यह मालूम हो कि हम भारत के साथ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनके मन को जीतने का प्रयत्न किया जाये जिससे उनका देश से प्रेम हो और वह अपनापन महसूस करें। इस तरफ आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

आप वहां इलैक्शन कराने की तैयारियां कर रहे हैं। वहां के निर्वाचन क्षेत्रों का डीलिमिटेशन करने के लिये कमेटी भी बनायी है। वहां के तीन लाख कश्मीरी पंडित बाहर रहते हैं। इसी प्रकार से कई लद्दाखी और मुसलमान गुर्जर भी कश्मीर से बाहर हैं। आप पहले उनका रिहैबिलटेशन करें। उनके बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। फिर इलैक्शन कराया जाये। उनके मन में विश्वास पैदा करना भी आवश्यक है। जब लाखों लोग कश्मीर छोड़कर जा चुके हों, ऐसे समय में सूची करने का कोई मायने नहीं रह जाता है। ऐसे समय में आप किसकी सूची तैयार करेंगे? सूची तैयार करने का यह तरीका गलत है।

फारूख अब्दुल्ला और कर्ण सिंह समय-समय पर स्टेटमैंट देते रहते हैं। ऐसे में हमें जनता के सम्मुख एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमारे गवर्नर साहब भी स्टेटमैंट देते रहते हैं। कश्मीर के बुनियादी सवाल पर हम सबको एकमत होना चाहिये। अभी शहाबुद्दीन जी ने कहा कि सबको एक साथ बुलाकर बात करनी चाहिये। हमारे भी कश्मीर के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव होते हैं। हमारा भी कश्मीरियों से लगाव है। कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति तैयार करते समय सब को साथ में लेना चाहिये। पालिसी कैसे अमल में लानी है, इसके लिये कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। पाकिस्तान की हरकतों को दुनिया के देशों के सामने रखना चाहिये। पाकिस्तान में जो मुहाजिर मारे जा रहे हैं, वे सब यहां से ही गये हैं। कश्मीर के बारे म पाकिस्तान की जो भूमिका है, वह दुनिया के देशों को बताने के लिये कोई योजना बनानी चाहिये।

अभी अटल जी यू.एन.ओ. गये थे। ऑफैंसिव तरीके से उन्होंने यू.एन.ओ. में अपनी भूमिका रखी। यदि नहीं रखते तो डार्क में रह जाते । पाकिस्तान के साथ इस मामले में कैसे डील किया जाये और वर्ल्ड लैवल पर इसे किस प्रकार से उठाया जाये, इसके बारे में आप सोच-विचार करें। ऐसे में पाकिस्तान फिर से इंटरनैशनल लैवल पर कश्मीर का सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना ही कहते हुए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, हमारे पूर्ववक्ता कश्मीर के बारे में सभी विषयों पर बोल चुके हैं। इन्द्रजीत गुप्त जी और शहाबुद्दीन जी इस पर बोले। मैं इनकी भावनाओं का समर्थन करता हूं।

कश्मीर में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। आपने रिजर्वेशन की व्यवस्था की हुई है। सरकारी दफ्तरों में आपने अभी तक कितनों को रिजर्वेशन दिया? दिल्ली में बहुत से कश्मीरी सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। आप कहते रहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप केवल कहते ही हो, लेकिन काम कुछ नहीं करते। कश्मीर के सम्बन्ध में जो बहुत-सी समस्यायें हैं, उनका बातचीत से हल निकाला जाये। हर लैवल के लोगों और संस्थाओं से बातचीत की जाये। भारत सरकार के पास अगर जम्मू जाकर उनसे बातचीत करने का समय नहीं है तो उन्हें दिल्ली बुलाकर बातचीत करे। आप चाहें तो सब पार्टियों का डैलीगेशन लेकर वहां के आदमियों से बात करें कि उनकी मंशा क्या है। यह सब कदम पहले उठाना चाहिए। पाकिस्तान इस समस्या को इन्टरनेशनलाइज बनाना चाह रहा है और इस क्षेत्र को हिन्दू-मुसलमान के बीच में काम्युनल भावना फैलाकर दुरूपयोग कर रहा है। यही वजह है कि मुसलमान अपनी देशभक्ति दिखाने से डरते हैं और हम लोगों पर सन्देह होता है कि हम देशद्रोह हो सकते हैं और हम दूसरा पाकिस्तान मांगेंगे तथा कश्मीर को अलहदा करेंगे। इस तरह से हमारे समाज के ऊपर सन्देह हो रहा है और मुसलमान सन्देह की दृष्टि से देखे जाते हैं। यह समस्या कोई जाति-धर्म की नहीं है, हिन्दुस्तान सबका है और हिन्दुस्तान का भाई-चारा जग-जाहिर है।

पाकिस्तान ने हम से दो-तीन बार लड़ाई की है, जिनमें वह हारा है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की, तो उसका पूरा-पूरा जवाब देना पड़ेगा। उस हरकत को विफल करने के लिए यदि हमको सख्ती से व्यवहार करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम खाली मार खाते जायें, मरते जायें, यह नहीं होना चाहिए। यदि कोई बन्दूक दिखाता है, तो उसको बन्दूक दिखाकर सफाया करना चाहिए। इस दिशा में सरकार को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की अपनी नीति है, भाई-चारे की नीति है। यह कोई भाषा की नीति नहीं है, धर्म की नीति नहीं है। हिन्दुस्तान सब लोगों का है। वहां की स्थिति को देखते हुए, जो अवधि बढ़ाई जा रही है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए।

4.57 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं गृह मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि सभी दलों के लोगों को लेकर वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करें। यह प्रक्रिया पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसको बन्द कर दिया गया। हम लोग कश्मीर जायें, उनसे बात करें, उनसे मिलें और उनकी समस्याओं को सुनें, तब हम लोगों को नजदीक ला सकते हैं।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कभी हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं। आप याद रखिए कि आर.एस.पी. भी कोई पार्टी है और इसको भी बोलना का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों तथा साथियों ने इस वाद-विवाद में मुख्यतः जम्मू

और कश्मीर राज्य के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया है। मैं आपसे विशेषरूप से लद्दाख से संबंधित प्रश्न पर आपका ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, हमें विशेषरूप से कश्मीर तथा जम्मू की भी समस्याओं की जानकारी है। परंतु लद्दाख के साथ पहले ही किए गए समझौतों को क्रियान्वित करने में हमारी ओर से विलंबन के कारण लद्दाख में बढते हुए असंतोष के बारे में शायद उतने सजग नहीं है जितना कि हमें होना चाहिए। सभा को याद होगा कि पांच वर्ष पूर्व 27 अक्तूबर, 1989 को, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बौद्ध संघ के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया था जिसके तहत लद्दाख क्षेत्र में स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद की स्थापना की जानी थी जिसके बदले में लद्दाख बौद्ध संघ जो जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करने और इसे संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उसे वापस लिया गया। इस स्थिति पर पहुंचने पर परिणाम यह निकला कि जो सरकार दिसम्बर, 1989 में हमारे बाद बनी, ने 27 अक्तूबर, 1989 के समझौते का अनुसरण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप जब तक कांग्रेस जून, 1991 में सत्ता में नहीं आ गई तब तक लद्दाखियों को दिया गया आश्वासन पूरा करने का मामला एक बार फिर यहीं उठाया गया।

हमारे गृह मंत्री महोदय श्री एस.बी. चव्हाण के मार्गनिर्देशन के अंतर्गत 9 तथा 10 अक्तूबर, 1993 को दिल्ली में हुई वार्ता में एक समझौता हुआ था कि लद्दाख के लिए एक स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद स्थापित की जाएगी।

5.00 म.प.

उस समझौते की तिथि के बाद एक वर्ष और चार माह से अधिक समय हो गया है। परंतु लद्दाखी जब जुलाई अक्तूबर, 1989 के दौरान इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे उस अवधि की तुलना में लद्दाख के लोग स्वायत्तशासी पहाड़ी परिषद के आज उतने निकट नहीं है। मेरे विचार से सभा के सभी दल इस बात से सहमत होंगे कि यह लद्दाखियों के साथ उचित नहीं हुआ है। लद्दाख के लोगों ने जम्मू और कश्मीर की धर्म निरपेक्षता को बनाए रखने में और पूर्वी तथा दक्षिणी मोर्चे दोनों पर भारत के दुश्मनों का सामना करने में आपवादिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन कठिन वर्षों में वे भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और मेरे विचार से यह उचित है कि उन्हें न केवल अपनी मांगों के अनुसार ही अपने कार्य करने का अवसर दिया जाए वरन् कांग्रेस पार्टी के साथ दो बार अक्तूबर, 1989 तथा पुनः अक्तूबर, 1993 में हुए समझौते के अनुसार भी कार्य करने का अवसर दिया जाए।

हमन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में देखा है कि पश्चिम बंगाल के मैदानी लोगों की तुलना में दार्जिलिंग के गोरखा लोगों को दर्जा देने की इस विकट समस्या का दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लोगों के लिए पर्वतीय परिषद की इस प्रणाली के आविष्कार से समाधान किया गया था। मुझे यह देखकर खुशी है कि इसके परिणामस्वरूप दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के बीच बढ़िया संबंध हैं।

वैसे ही हमने मिजोरम में देखा है कि जब मिजोरम सरकार के विरूद्ध मिजो लोगों का विद्रोह जारी था, उस समय सेहा क्षेत्र के आसपास मिजोरम के दक्षिणी भाग में रहने वाली अल्पसंख्यक जनजाति महसूस करती थी कि वे अपने लिए स्वायत्तशाही जिला परिषद बनाकर मिजोरम का भाग बने रहे सकते हैं।

स्वायत्तशासी जिला परिषद की यह तकनीक भारत के संविधान का एक अनिवार्य अंग है और इसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र के भीतर बहुसंख्यकों के बीच उपस्थानीय आक्रोश को कम करने हेतु देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक सफलतापूर्वक किया गया है। उस समझदारी को देखते हुए हमने अक्तूबर, 1989 में लद्दाखियों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद के महत्व तथा सार्थकता को इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि यह स्पष्ट रूप से वे विषय हैं जो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को सौंपे गए थे। समझौते के तहत पंचायती राज और नगर पालिका संस्थान के कृत्यों, कर्त्तव्यों और दायित्वों से संबंधित अनेक प्रविष्टियां की गई है, जिन्हें आप संविधान की अनुसूची-बारह में देख सकते हैं।

इस बात को देखते हुए मुझे दो निवेदन करने हैं और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक अपील श्री बूटा सिंह के माध्यम से आपसे की गई थी जो उस समय गृह मंत्री थे और वह शानदार ढंग से केन्द्रीय सरकार में पुनः शामिल हुए हैं। उनके नेतृत्व में यह त्रिपक्षीय समझौता किया गया था और इसलिए भारत सरकार का एक सदस्य होने के कारण उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अक्तूबर 1989 में किए गए वायदे कम से कम फरवरी 1995 में पूरे किए जाएं। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से, वर्तमान गृह मंत्री महोदय से जिन्होंने अक्तूबर, 1989 के समझौते के दायित्वों को स्वीकार किया है, यह अपील करूंगा कि वे अक्तूबर, 1993 के समझौते को एक ठोस आकार दें परंतु फिर भी लद्दाखियों को स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद दें और यही अपने उत्तर के दौरान कृपया एक वक्तव्य दें कि पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से सिद्धांत रूप में दिए गए विशेषाधिकारों को लद्दाखी वास्तव में कब तक पाने की अपेक्षा कर सकते हैं।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान जम्मू-कश्मीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं तहेदिल से इस मुद्दे का समर्थन करता हूं। हम आजाद भारत में रह रहे हैं। हम लोकतंत्र का अनुकरण कर रहे हैं। अपितु, हम लोकतंत्र के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम कभी-कभी इसे बदनाम करने की छूट दे देते हैं। मुझे इससे अत्यंत दुख है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं और अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें अपने धर्म निरपेक्षराष्ट्र के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं।

वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग 85 करोड़ है। परन्तु हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं और न ही हम उनको भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं। यह गरीब लोग हैं और वास्तव में ये संसद में विश्वास करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि हम उनको अच्छा प्रशासन नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन क्या है? लोकतंत्र में प्रशासन का मतलब है बिना डर और पक्षपात के सरकार की आलोचना करना ।

मैं यहां यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमको लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए प्रतिबद्ध बनाना चाहिये। हम एक आजाद लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमको लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिये। इस सभा को हमको परम पावन बनाए रखना चाहिये।

आपने कई बार हमको इस सभा में बोलने से वंचित रखा है। आप हमकों अपनी बात कहने से क्यों वंचित रखते हैं?

इस समय पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और आपने हमको यहां पर बुला लिया है। आपने हमको सभा में आने और यहां बैठने के लिए आमंत्रण भेजा है। हम यहां पर कैसे बैठे रह सकते हैं? हमें लोगों से भी मिलना है। जब तक हम लोगों के पास जाएंगे नहीं तब तक वे मतदान कैसे कर सकते हैं? वह अपने मताधिकार का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्या मै सही हूं या नहीं ? हम यहां पर मूर्खों की भांति बैठे हुए हैं।

हम गरीब लोगों के साथ रह रहे हैं। मैं एक आदिवासी हूं। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इच्छा से संकल्प का समर्थन किया है या उन्होंने अनिच्छा से संकल्प का समर्थन किया है। हममें से प्रत्येक के मन में एक प्रत्युत्तर की चिंता है कि यहां एक समस्या है जो निस्सन्देह उन सभी प्रयासों को, जो सरकार और हम सब मिलकर उठा रहे हैं, विरल कर रही है।

मुझे उस सुझाव के प्रति कोई आपत्ति नहीं है जो एक माननीय सदस्य श्री शहाबुद्दीन द्वारा दिया गया है और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उसका समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए और उनसे विचार-विमर्श किया जाए। सरकार अपने तक ही कुछ बातें रखने का प्रयास क्यों कर रही है और सभा को पूरे तथ्यों से अवगत क्यों नहीं करा रही है? मैं सरकार की चिंता भली-भांति समझ सकता हूं लेकिन माननीय सदस्यों को सरकार की कठिनाइयां भी समझनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ समय के लिए धीरज रखें। उसके बाद, हो सकता है हम सभी राजनैतिक दलों के मुख्य नेताओं की एक बैठक बुलाएं और अनौपचारिकता के वातावरण में इस पर विस्तार से चर्चा कर पाएं और इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान ढूंढने का प्रयास करें।

हमारे राजतंत्र के मूल स्वरूप के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता है। भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता के बारे में कोई समझौता नहीं करता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यह बात हमें स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए।

वास्तव में, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार किसी के साथ भी बातचीत करने को तैयार है, जो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। यद्यपि, पहले मेरा दृष्टिकोण यह था कि यदि हम इस स्तर पर कुछ भी मान लेते हैं तो हो सकता है कि इस मामले पर आगे बातचीत के लिए वह एक अच्छी शुरूआत बने। यदि हम आधे से भी अधिक बातें, जिन्हें हम सम्भवतः मान लें तो हो सकता है कि चुनावों के पश्चात वह पूरी तरह हताश हो जाएं और कहें कि आधे से ज्यादा दिया है, परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं दिया है। मेरे दिमाग में इस प्रकार का डर है। लेकिन यहां माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना को देखने के पश्चात उनके दिलों को टटोलने में कोई हानि नहीं है। और यह देखने का प्रयास किया जा सकता है कि क्या हो रहा है और समाधान ढूंढने में हम कहां तक सफल हो सकते हैं। हमें ऐसा करते खुशी महसूस होगी। एक माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वे एक त्रिकोणात्मक पहलू का सुझाव दे रहे हैं। और कुछ अन्य माननीय सदस्य अधिकतर अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि के कारण-ऐसा नहीं हो—मजबूर हैं कि हमें उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिसे पाकिस्तान समझ सकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी ऐसा करना चाहता हूं लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। यह नेतृत्व पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला नहीं है। ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान इस समाधान से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इसका लाभ कोई तीसरा ही उठाएगा जो निस्सन्देह स्थिति को उलझाने का प्रयास करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। निकटता का लाभ उठाकर वे यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और यदि वे इसे अपने अनुकूल नहीं पाते तो वे समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और समस्या का समाधान असम्भव बनाते हैं। क्या हम उनके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हैं?

मैं सभा को विश्वास में लेता हूं। मेरे दिमाग में इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि कुछ इच्छुक दलों को तभी सन्तुष्ट किया जा सकता है जब जम्मू व कश्मीर को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाए। यदि स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती है तो वे यह जानते हुए भी सभी संभव समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान हर प्रकार की चाल चल रहा है। मेरे पास ऐसा दस्तावेज अथवा ऐसा अनुमान पत्र है जो अमेरिकन्स रिपब्लिकनों द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिसमें कहा गया है कि वे पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य घोषित करने वाले हैं। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स भारत में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ सीमा तक वे पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान-जैसाकि सभी जानते हैं—उन्हें शस्त्रों की आपूर्ति कर रहा है, शिविर लगा रहा है। सब प्रकार के हथियार देने का प्रबन्ध कर रहा है और उन्हें तार्किक समर्थन प्रदान कर रहा है। सम्बद्ध लोगों को ये बातें मालूम हैं। ऐसा मत समझिए कि यह बहुत सरल है कि यदि हम उन्हें किसी प्रकार की धमकी देंगे तो पाकिस्तान चुप बैठा

रहेगा। पाकिस्तान बदला नहीं लेगा। बदला किसी और रूप में सामने आएगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमें चिन्ता इस बात की है कि कुछ दल इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं जो निस्सन्देह इस समस्या के समाधान में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, हमें इसकी चिन्ता है। हम इस बारे में चिन्तित बिल्कुल भी नहीं हैं कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। हमने पाकिस्तान को कई बार हराया है और हम उसे पुनः कई बार हराने में समर्थ हैं। भले ही उसके पास एफ-16 विमान और अन्य शस्त्र हों। इस बारे में कम से कम मुझे तो कोई सन्देह नहीं है। हमारे सुरक्षा बल स्थिति से निपटने के लिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में काफी समर्थ हैं।

लेकिन इस बात को जानते हुए भी मुझे अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण रखना है और यह समझने का प्रयास करना है कि हम किस प्रकार इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान ढूंढ सकते हैं। पहली बात यह है कि हम लोगों के बारे में जान। मेरे विचार से इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम लोगों का विश्वास जीत लें और यदि लोग यह महसूस करें कि यह सरकार हमारे साथ है तो वे पाकिस्तान की परवाह नहीं करेंगे और सदैव हमारा साथ देंगे। इसके बारे में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। अब यह स्थिति आ चुकी है जब हम कहते हैं कि वहां के लोगों के घृणित क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आया है। लोग समझ रहे थे कि यह जेहाद था और जेहाद की खातिर जो भी युद्ध करेगा उन्हें उनका साथ देना होगा। लेकिन अब लोगों ने महसूस किया है कि यही वे लोग हैं जो जघन्य अपराध करते हैं। वे अपराध कर रहे हैं, लोगों से धन खसोट रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और सभी प्रकार के गलत काम कर रहे हैं जिससे लोगों ने अब महसूस किया कि यह जेहाद नहीं है, यह कार्मिक युद्ध नहीं है और अब जब वे जेहाद की बात करते हैं तो क्या वे यह नहीं जानते कि कश्मीर में तो केवल 30 लाख मुसलमान रहते हैं जबकि भारत में लगभग 14 करोड़ मुसलमान रहते हैं? हम भारतीयों में भेदभाव नहीं करते। चाहे भले ही हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, इसाई हैं अन्यथा पारसी हैं। हमारे यहां सभी एक समान हैं जिस दिन हम लोगों के बीच भेदभाव करेंगे, मैं समझता हूं देश उसी दिन टूट जाएगा और कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं हैं। अतः धर्मनिरपेक्षता हमारी नींव का पत्थर है। हम धर्मनिरपेक्षता किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान केवल उसी छत के नीचे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमारा बंटवारा कराना चाहता है लेकिन हमने उनका यह दो-राष्ट्र सिद्धांत कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को दो राष्ट्र सिद्धांत मानने के लिए लगभग मजबूर कर रहे हैं। चूंकि वे मुसलमान हैं इसलिए वे दावा करते हैं कि उन्हें उनका साथ देना चाहिए और जो उनके स्वर में स्वर नहीं मिलाता उसे वे अपना दुश्मन मानते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वे इसके बारे में पूरे तथ्य जानना चाहते हैं। हालांकि यह सही है कि पूर्व जानकारी देना मेरे लिए कठिन है। परन्तु प्रथमदृष्टया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आतंकवादी गुटों में भी ज्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि अमरनाथ यात्रा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो, उसमें व्यवधान नहीं डाला जाए और उन्होंने कश्मीर छोड़ कर गए सभी लोगों को वापिस आने के लिए कहा। लेकिन उनमें से कुछ कट्टर आतंकवादियों को यह मत पसन्द नहीं आया और उन्होंने उस मत का पूर्व विरोध किया। वे इस मामले में किसी भी प्रकार समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। जब मैं कहता हूं "हम सफल हुए हैं" तो इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं सफल हुए हैं न कि हम। उन्होंने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें हुर्रियत के भी कुछ लोगों ने हिन्दुओं को वापस घाटी में नहीं बुलाने के मत का पूरी तरह से विरोध किया। अब तो वापस जाने के बारे में केवल अपने स्थानीय लोगों को प्रेरित करने का प्रश्न है। वास्तव में कुछ माननीय सदस्यों की चिंता का विषय यही है।

अंततोगत्वा, विस्थापितों को मताधिकार दिये जाने के मामले का क्या होने जा रहा है? हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह आदेश जारी किये हैं कि विस्थापित चाहे जम्मू अथवा मुम्बई अथवा दिल्ली या कहीं भी हों उनका नाम मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया जायेगा तथा उन्हें मताधिकार दिया जायेगा। इस बारे में, हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं है। बात केवल यही है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों ने वापिस अपने राज्य में जाने की इच्छा व्यक्त की है। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने उन्हें कश्मीर घाटी में अपने भाइयों के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है। इस संबंध में उन्हें स्वयं निर्णय लेना है। वास्तव में, हम ऐसे व्यक्तियों को वापिस उनके राज्य में जाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल होने का संकेत मिल सके। अतः हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी में जाने के लिए सही तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे स्वयं स्थिति का जायजा ले सकें तथा अपने मित्रों से मिल सकें और यदि वे स्वयं संतुष्ट हैं कि वहां खतरे वाली कोई बात नहीं है, तो वे वापिस जा सकते हैं। इस बात का फैसला उन्हें ही करना है। हम उन्हें सरकार की ओर से वांछित सहायता देने के लिए हमेशा तैयार हैं, ताकि उनके बीच दरार उत्पन्न करने एवं भाईचारे की भावना—जोकि वहां वास्तव में विद्यमान थी और अभी भी विद्यमान है—को निरुत्साहित करने का कुछ व्यक्तियों का इरादा सफल न हो। इसी प्रयोजन से हम चाहते हैं कि वे अपने राज्य में वापिस चले जायें।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सामान्य परम्परा अर्थात् छह महीने की अवधि की बजाय वहां साढ़े चार महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग करने के लिए क्यों सोचा। वास्तव में, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि साढ़े चार महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर ही, जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है, वहां के लोगों के दिलों में भी कोई परिवर्तन हो सकता है तथा ऐसा हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में चुनाव करवाये जाने के पक्ष में सोचने लगें। यदि इसमें सफलता मिल जाती है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हैं। इसके साथ ही इस बारे में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, हम स्वयं भी ग्रामीण-स्तर और निचले स्तर अथवा पंचायत-स्तर पर

चुनाव करवाने को तैयार नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर में पंचायत स्तर पर चुनाव करवाना संसद अथवा विधानसभा चुनाव करवाने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन, यह तो एक कारण है। इसका दूसरा कारण यह है कि साढ़े चार महीने की अवधि समाप्त होने के बाद पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जायेगी। यदि यह अवधि पांच वर्ष से अधिक हो जाती है, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से यह एक अलग प्रक्रिया है तथा यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो मुझे इसमें कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता कि वहां ऐसा सम्भव क्यों नहीं होना चाहिये। परमात्मा करे इस प्रकार की कोई बात न हो। ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से हर तरीके से इस सभा के समक्ष जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए पुनः अनुरोध करना पड़ेगा क्योंकि अंततोगत्वा, जनता और प्रशासन तंत्र को दूर न रखते हुए सही दिशा में हमें इस क्षेत्र में चुनाव करवाने ही चाहिये। माननीय सदस्य श्री शहाबुद्दीन ने, मुझे विदित नहीं है किस इरादे से यह कहा है कि वहां 'चुनाव कराने के लिए आपको मशीनरी नहीं मिलेगी', लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन्होंने ऐसा किसी अच्छे इरादे से ही कहा होगा। कम-से-कम, मुझे तो इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

पंजाब के बारे में भी इसी प्रकार के खतरे के बारे में कहा गया था, लेकिन हमें पंजाब में चुनाव कराने के लिए आवश्यक पूरी मशीनरी उपलब्ध हो गई थी। अतः यह बात मानने का कोई कारण नहीं कि इसी प्रकार की स्थिति जम्मू-कश्मीर में भी विद्यमान नहीं है। वहां केवल बन्दूक का भय है। वहां लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। लेकिन बन्दूक का भय वहां अभी भी विद्यमान है, इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। एक बार यह भय दूर कर दिया जाता है, तो कम-से-कम मुझे तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि वहां चुनाव कराने के लिए अमला उपलब्ध नहीं होगा अथवा एजेन्ट्स उपलब्ध नहीं होंगे अथवा ऐसे लोग-जोकि वास्तव में स्थानीय जनता को अपेक्षित हर किस्म की सुरक्षा प्रदान करेंगे-उपलब्ध नहीं होंगे।

यहां जो एक अत्यंत खतरनाक सुझाव यह दिया गया था-मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों का कहने का यह अर्थ नहीं था, जब उन्होंने यह कहा था कि दो-तिहाई क्षेत्र में हम चुनाव करा सकते हैं तथा कश्मीर घाटी के शेष भाग में चुनाव कराने के बारे में हम केवल चुप्पी साध सकते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है तथा यदि हमने यह रास्ता अपना लिया, तो निस्संदेह इस समस्या का हल निकालना असम्भव होगा। मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस स्थिति को खींचना भी चाहें—यदि ऐसा करना नितान्त जरूरी हो जाता है—तो हम इस प्रकार की स्थिति को जारी रख पायेंगे, बल्कि हमें किसी एक क्षेत्र में चुनाव कराने तथा शेष क्षेत्रों के लिए सहमत नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा करना खतरनाक होगा। निस्संदेह, ऐसा हो सकता है कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये थे, वे वास्तव में इस प्रकार की कार्यनीति अपनाने के बारे में उतने गम्भीर नहीं हैं।

माननीय सदस्य, श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है कि ग्रामीण-स्तर पर कोई मान्यता-प्राप्त सरकार नहीं है। हां, यह सच है। यह कोई नई बात नहीं है। यदि ऐसा विदित है तथा स्वीकृत है, तो समाधान पहले से ही विद्यमान है। आप और क्या चाहते हैं? स्थानीय-स्तर पर स्थानीय व्यक्ति अभी भी हमारे साथ हैं। लेकिन यदि बात उसी पर छोड़ दी जाती है, तो वह स्वयं अपने घर से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसे बन्दूक का भय है। यदि वे वास्तव में ही इतने सचेत हैं तथा यदि उन्हें इतना विश्वास है कि धार्मिक भावनाओं के कारण एवं बिना किसी और बात के, जम्मू-कश्मीर की जनता निश्चित रूप से उनके साथ इस प्रयोजन हेतु सामने आयेगी तथा उन्हें हटायें नहीं। उन्हें बाहर आने दीजिये तथा मुझे विश्वास है कि हर कोई व्यक्ति सामने आयेगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें यह महसूस हो कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अतः यह दूसरी बात है।

इस संदर्भ में वास्तव में मेरा यह स्वीकार न करना अत्यंत अनुचित होगा कि मैंने लद्दाख की जनता के साथ विचार-विमर्श किया है। जब मैंने यह चर्चा शुरू की थी, तो लेह तथा कारगिल दोनों ही क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे तथा मेरे दिमाग में यह बात थी कि आपको उनका सामाजिक बहिष्कार समाप्त करना है। आपको कारगिल क्षेत्र में बौद्धमतानुयायों के लिऐ पैगोड़ा स्थापित करने के लिए जमीन देनी है तथा उन्हें सामाजिक बहिष्कार समाप्त करना है। दोनों बातों पर सहमति हो गई थी तथा दोनों ही दलों ने इस प्रकार का प्रतिबन्ध हटा दिया था। इसी वजह से हमें यह दृढ़ विश्वास है कि आपको लेह क्षेत्र के लिए हिल काउंसिल की मंजूरी देनी पड़ेगी तथा कारगिल क्षेत्र के लिए एक प्रावधान रखना होगा क्योंकि वे खतरे के दौर से गुजर रहे हैं-कुछ लोग उन्हें यह कहकर डरा रहे हैं कि 'यदि आप इसे मान लेंगे, तो आपको इसके बाद किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।' उस धमकी की वजह से, सम्भवतः, कारगिल क्षेत्र के लोगों को अभी भी ज्यादा विश्वास नहीं है बल्कि हमने यह प्रावधान किया है कि जब भी कारगिल क्षेत्र के लोग चाहें, यही पैटर्न कारगिल के मामले में भी लागू होगा। अतः, लेह तथा कारगिल क्षेत्रों का इलाका पिछड़ा क्षेत्र हैं, इसके बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। अतः, यदि हिल काउंसिल की अवधारणा एक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तथा इसके पश्चात् दूसरे क्षेत्र में भी इसे लागू कर दिया जाता है, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम ऐसा ही क्योंकर नहीं कर पायेंगे। अब यह मामला विचार किये जाने के अन्तिम चरण पर है तथा मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हमारे लिए यह सम्भव हो जाएगा कि हम लद्दाख की इस समस्या का समाधान ढूंढ़ सकें।

एक सवाल उन्हें अभी तक मिल रही आयकर रियायतों के बारे में उठाया गया था। किन्हीं कारणों से, यह रियायतें, उस क्षेत्र से वापिस ले ली गई हैं। आयकर से जो कुल रकम एकत्रित की जा रही है, वास्तव में, वह भी कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने साथी-वित्त मंत्री महोदय को इस बात के बारे में राजी कर लूंगा। लेकिन, अंततोगत्वा, जैसा कि आप जानते ही हैं, वित्त मंत्री जी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा वह हर क्षेत्र से राजस्व की वसूली करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी हो, मैं कोशिश करके देखता हूं तथा मैं अपनी तरफ से निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें अभी तक जो रियायत मिल रही थी,

उसे वापिस न लिया जाये, विशेष तौर पर एक ऐसी घड़ी में जबकि हम उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें इस समय-घटक की बजह से हताशा महसूस होगी ही। निश्चित रूप से काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा वे ज्यादा हताशा महसूस कर रहे हैं। अतः, यह अत्यंत जरूरी हो जाता है कि हम इस पहलू पर यथाशीघ्र विचार करें।

जहां तक विकास संबंधी पहलू तथा अन्य सभी सम्बद्ध बातों का प्रश्न है, वास्तव में, यह एक ऐसा पहलू है, जिससे कि वहां के लोगों के मनों को जीता जा सकता है। वास्तव में, एक सुविचारित प्रयास किया गया है तथा संबंधित लोगों को सही लेखा-जोखा रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें जम्मू कश्मीर में खर्च की जा रही हर पाई का हिसाब देना होगा। वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया जा चुका है। यदि इन दोनों चीजों की समुचित देखभाल एवं निगरानी की जाती है, तो कम-से-कम मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी आशंका नहीं है कि वे योजनाएं एवं गैर-योजनागत व्यय दोनों ही का सुस्पष्ट लेखा-जोखा नहीं दे पायेंगे। हम अब तक जिस नीति का पालन करते आ रहे हैं, उससे विमुख हो गये थे तथ नीति में इस प्रकार के परिवर्तन से, मेरे विचार से कश्मीर की जनता को काफी लाभ पहुंचेगा।

श्री जसवन्त सिंह जी ने कुछ अन्य सवाल भी उठाये थे। उन्होंने यह पूछा था कि कुछ व्यक्तियों को ओ.टी.सी. की बैठक में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई थी।

वास्तव में, यह जानकारी देने के लिए मुझे कुछ समय और चाहिये क्योंकि मुझे सारे ब्यौरे प्राप्त करने हैं, जोकि इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मुझे यह पता लगाना है कि वास्तव में इसके क्या कारण हैं।

दूसरा प्रश्न जम्मू बम विस्फोट के समय सुरक्षा संबंधी विफलता के बारे में उठाया गया है। निस्संदेह सुरक्षा से सम्बद्ध विषयों के बारे में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। जहां किसी अति विशिष्ट व्यक्ति को कोई बैठक सम्बोधित करनी हो उस क्षेत्र में जो कोई भी सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मेदार हैं, उन्हें सभी आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस सारे क्षेत्र की बारीकी से गहन जांच हो और सुरक्षा प्रबंध सही तरीके से किये गये हों। उन्हें विशेष तौर पर उस क्षेत्र में जहां आप किसी प्रकार की गड़बड़ होने की उम्मीद कर सकते हैं—ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सी.बी.आई इस मामले की जांच कर रही है तथा इसके बाद ही हमारे लिए यह पता लगाना सम्भव होगा कि वास्तव में इसके क्या कारण थे तथा कौन से व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। मैं इस सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले में हम जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, कर सकेंगे, जो कि सी.बी.आई. से हमें प्राप्त होने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

हिमपात से पीड़ितों के बारे में मेरे पास यहां जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वह सही नहीं हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, इसमें लगभग 50 से 60 व्यक्ति मारे गये थे तथा इस हिमपात में कुछ अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गये थे।

श्री राय किसी प्रकार का कोई राजनैतिक पैकेज चाहते थे। मैंने अपनी स्थिति बता दी है।

जहां तक प्रशासन का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी स्थिति ज्यादा बदतर है। लेकिन सम्भवतः हम उस क्षेत्र में प्रशासन को बिल्कुल समाप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते। हमें यह देखना है कि समुचित सुधारात्मक उपाय लागू किये जाएं ताकि उग्रवादियों द्वारा प्रशासन का उपयोग न कर सकें। इन पहलुओं की ओर ध्यान देने के बाद, मेरे विचार से आशंका करने का कोई ऐसा कारण नहीं है कि प्रशासन ने जिस प्रकार का व्यवहार करने का वायदा किया हुआ है, वह कर सकेगा अथवा नहीं।

महोदय, जहां तक सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों द्वारा मानव अधिकारों के हनन का प्रश्न है मेरे विचार से हम उनकी अनदेखी कर सकते हैं। मेरे माननीय साथी, मेजर सावन्त ने यह सुझाव दिया था, लेकिन मानव अधिकार आयोग एवं विश्वभर में अन्य मानवाधिकार संगठनों के होते, हम अर्द्धसैनिक तथा सशस्त्र बलों द्वारा वहां की जनता पर की जाने वाली ज्यादतियों की अनदेखी नहीं कर सकते।

महोदय, माननीय सदस्यों ने यही प्रमुख प्रश्न रखे थे। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने की कोशिश करेंगे तथा उनके सहयोग से कोई व्यावहारिक समाधान निकालना सम्भव हो सकेगा। यदि हमें कोई संकोच है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बैठक में, हमारे लिए यह सम्भव हो पायेगा कि हम उन्हें विश्वास में ले लें तथा उन्हें अपनी कठिनाइयां बता दें।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की जनता का प्रश्न है, वास्तव में हमें पूर्ण आशा है कि हम यथाशीघ्र इस स्थिति में कोई परिवर्तन ला पायेंगे ताकि वे राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सकें तथा वे राष्ट्र के हित में अपना योगदान देने में सक्षम हो सकें। वास्तव में, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। वे अभी तक अलग-थलग रहे हैं। अतः, उन्हें संसद में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने तथा अपनी विधानसभा बनाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं नही समझता कि पुरानी विधानसभा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव एक व्यावहारिक प्रस्ताव होगा। कम से कम मैं उस विचार को बिल्कुल नहीं मानता आपको हमसे ऐसा जबरदस्ती मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वास्तव में, उस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उस विधानसभा को पुनः पुनर्जीवित करने की बात वहां की स्थानीय जनता को भी स्वीकार्य नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि ऐसा कार्य कर सकते हैं।

महोदय, यही कुछ मुद्दे उठाये गये हैं तथा मैंने आज तक की जो स्थिति है, उसे स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है तथा इसके बाद में इस माननीय सभा को केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि शीघ्र ही हम सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की कोशिश करेंगे तथा इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करके इस समस्या का कोई समुचित हल निकालने का सर्वोत्तम तरीका ढूंढ सकते हैं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा केवल एक सजेशन है। मंत्री जी ने जुलाई के महीने में लद्दाख के हिल कौंसिल के संबंध में एश्योरेंस दिया था और केटेगोरीकली कहा था कि वह एक्टिव कंसीडरेशन के लिए उनके पास है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लद्दाख एक पीसफुल इलाका है और वह पीस चाहता है लेकिन लद्दाख के हिल कौंसिल का बार-बार आपके द्वारा ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात अन्य सदस्यों ने पहले ही रख दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने जवाब भी दिया है लेकिन उन्होंने कहा है कि यह विचाराधीन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जल्दी से फाइनल स्टेज पास करके इस पर डिसीजन ले लीजिए। आपने 6 महीने पहले भी कंसीडरेशन कहा था और अब भी यह कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 2 मार्च, 1995 से 17 जुलाई, 1995 तक की और अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

05.37 म.प.

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय ने मुझे पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि इस विधेयक में मामूली सा संशोधन होना है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी इस बात से सहमत हैं।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : महोदय, यदि सदस्यगण मुझे अनुग्रहीत करते हैं, तो राज्य सभा ने इस विधेयक में तीन संशोधन पारित किये हैं। एक संशोधन प्रस्ताव विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम में 1994 में किये गये संशोधन से संबंधित है। अब यह पांचवां वर्ष है तथा यही कारण है कि इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रावधान करना अनिवार्य है और दूसरा संशोधन प्रस्ताव—हमने जो अध्यादेश जारी किया था—उसके निरसन करने से संबंधित है। यही दो प्रमुख बातें हैं। मैं प्रस्ताव करता* हूं :

"कि विशेष संरक्षा (संशोधन) अधिनिमय, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये"

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"पैंतालीसवें" **के स्थान पर** "छियालीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये** (1)

खंड-1 संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1994" **के स्थान पर** "1995" **प्रतिस्थापित किया जाये** (2)

खंड-3 - निरसन और व्यावृत्ति

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

1995 का अध्यादेश ।

"3(1) विशेष सरंक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है"(3)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।"

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"पैतालीसवें" **के स्थान पर** "छियालीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये**। (1)

खंड-1 संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1994" **के स्थान पर** "1995" **प्रतिस्थापित किया जाये** (2)

खंड 3 - निरसन और व्यावृत्ति

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

1995 का अध्यादेश ।

"3(1) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। "(3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"पैतालीसवें" **के स्थान पर** "छियालीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये।"** (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 — संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1994" **के स्थान पर** "1995" **प्रतिस्थापित किया जाये** (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-3 — निरसन और व्यावृत्ति

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

1995 का अध्यादेश 1

"3(1) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।" (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमत हों।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमत हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य आग लगने के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं। मंत्री महोदय इस विषय में वक्तव्य देना चाहते हैं।

5.40 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आंध्र प्रदेश में पसार्लापुड़ी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कुएं में आग लगना

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, कल शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य श्री बालयोगी ने आन्ध्र प्रदेश में ओ.एन.जी.सी. के पसार्लापुड़ी कूप में आग लगने का मामला उठाया था। मैं इस संबंध में वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूं।

ओ.एन.जी.सी. के दक्षिणी क्षेत्र की के.जी. परियोजना, जिला पूर्वी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) में अमलापुरम मण्डल के गांव देवरलंका के पास स्थिति कूप पसार्लापुड़ी 19 में 08.01.95 को सायं लगभग 6-50 बजे गम्भीर आग भड़क उठी। उच्च दबाव के साथ प्राकृतिक गैस अचानक अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी और बहुत कम समय में ही कुएं में आग लग गयी। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश वेधन रिग नष्ट हो गई और कुछ अन्य वेधन उपस्कर को भी नुकसान पहुंचा। इस आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और शीघ्र ही एक रिपोर्ट मिलने की आशा है। इस कूप में भड़की आग के कारण कोई जन हानि नहीं हुई। जिला प्राधिकारियों को सचेत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और जिला प्राधिकारियों ने बसें चलाकर (सुरक्षा सावधानी के रूप में तत्काल) उन परिवारों को, जो बाहर जाना चाहते थे, 5 कि.मी. की परिधि से बाहर अर्थात् बोडासाकुरू, पेरूरू, गोपायालंका, देवारलंका, मामीदीतोटा, कोडूरूपडु और वेंटरीकोना में तत्परता से पहुंचा दिया। जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रात में उक्त स्थल का दौरा किया और ओ.एन.जी.सी. अधिकारियों के साथ विकास संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। चिकित्सा शिविर, राहत शिविर आयोजित किए गए और राहत शिविरों में खाद्य सामग्री भी बांटी गई। ये सभी उपाय जिला प्राधिकारियों के गहन समन्वय से किए गए और उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया।

10.02.95 तक ओ.एन.जी.सी. द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य के लिए जिला प्राधिकारियों को कुल 48 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। इस राशि में से 33 लाख रुपये राहत उपायों पर खर्च किए जाने हैं और शेष 15 लाख रुपये अस्थायी शरणार्थी शिविरों के निर्माण के लिए हैं।

साथ ही अग्निकांड स्थल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित शीघ्र उत्पादन प्रणाली और 100 मीटर की दूरी पर स्थिर तातीपाका-काकीनाडा गैस ट्रंक पाइपलाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओ.एन.जी.सी. के अग्निशमन उपस्करों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पसार्लापुडी कूप संख्या 8 के कूप-शीर्ष पर जल छिड़काव कार्य पर लगाया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास से वरिष्ठ अधिकारियों और आपदा प्रबंधन दल से विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन दल, नरसापुर और बड़ौदा से उपस्करों और अग्नि नियंत्रण के लिए पानी के गड्ढे तैयार करने के लिए उत्खननकों को भी मंगाया गया।

मैसर्स नील एडम्स फायर फाइटिंग इंक हाउस्टन को कार्य के लिए बुलाया गया और उनके विशेषज्ञ ओ.एन.जी.सी. के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को अग्नि नियंत्रण और अग्निशमन में सहायता देने के लिए 12 जनवरी, 1995 को घटना स्थल पर पहुंचे।

08 जनवरी, 1995 को करीब 1500 परिवारों को इन गांवों से सहायता शिविरों में ले जाया गया और तब से अब तक बड़ी संख्या में ये परिवार इन गांवों में लौट आए हैं एवं फिलहाल करीब 245 परिवार सहायता शिविरों में रह रहे हैं। इन परिवारों को आग के पूर्णतः

नियंत्रित होने और कूप को बंद किये जाने तक अल्लावरम तथा पेरूरू के नजदीक अस्थायी सहायता शिविरों में ले जाया जा रहा है।

आग पर काबू पाने तथा कूप को बन्द करने के लिए ओ.एन.जी.सी. के कार्य चालन की प्रगति की समीक्षा के लिए मैंने तथा सचिव सहित पैट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया है। मेरे निर्देशानुसार ओ.एन.जी.सी. जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य जांच तथा सहायता की जा रही है। इस संबंध में मेरे आन्ध्र प्रदेश के दौरे के अन्त में 29.01.95 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गयी थी। संसद सदस्यों तथा अन्य विधायकों के साथ आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने भी उक्त स्थल का दौरा किया है।

यह उल्लेखनीय है कि तेल अन्वेषण उद्योग में आग लगने की घटनाएं असामान्य नहीं है। पूरे विश्व में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के इतिहास में वेधन के दौरान अनेक भीषण अग्निकांड हुए हैं।

मैसर्स नील एडम्स फायर फाइटिंग इंक के सहयोग से ओ.एन.जी.सी. के आपदा प्रबंधन दल द्वारा तैयार की गयी विस्तृत योजना के अनुसार आग को बुझाने के लिए विस्तृत कार्य योजना चल रही है। आग पर काबू पाने तथा कूप को बंद करने के संबंध में सभी प्रयास किये जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा में उठाने की अनुमति नहीं है।

5.47 म.प.

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प

तथा

केबल दूरदर्शन नेटर्वक (विनियमन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 21 और 22 एक साथ लेंगे। क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा 17 जनवरी, 1995 को प्रख्यापित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि देश में केबल दूरदर्शन नेटवर्क के प्रचालन का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

पहला केबल ओपरेटरों का पंजीकरण, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कार्यक्रम और विज्ञापन नियमों के अनुसार होंगे। महोदय तीसरा दायित्व मत है कि केबल ओपरेटरों की पसन्द के कम से कम दो दूरदर्शन चैनलों पर पुनः प्रसारण करना, चौथा केबल दूरदर्शन नेटवर्क के लिए केवल उन्हीं उपस्करों का प्रयोग करना जो ब्यूरो आफ इंडियन स्टैन्डर्स की विशिष्टियों के अनुरूप हों। पांचवां नियमों का उल्लंघन करने पर शस्ति छठा सक्षम प्राधिकारी का मनोनयन करना, जिसे केबल ओपरेटरों को जनहित में किसी विशिष्ट कार्यक्रम को दिखाने की स्वीकृति प्रदान करना, उन पर मुकदमा चलाने तथा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने की शक्ति प्राप्त होगी। सातवां, अन्य और महत्वपूर्ण है। प्रावधान का प्रावधान।

महोदय, यह विधेयक संचार सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। संचार सम्बन्धी स्थायी समिति ने 27 अगस्त 1993 को अपना प्रतिवेधन प्रस्तुत किया था।

स्थायी समिति की सिफारिशों तथा केबल आपरेटरों के सुझावों के आधार पर विधेयक में कतिपय संशोधन अनिवार्य माने गये। महोदय, इस बीच में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई अर्थात यह रिपोर्ट मिली है कि कतिपय बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे केबल ऑपरेटरों को खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि एक बड़े क्षेत्र पर केवल उनका ही आधिपत्य हो। अतः यह निर्णय लिया गया था कि एक अध्यादेश प्रख्यापित करके तुरन्त केबल कानून लागू किया जाये ताकि छोटे केबल ऑपरेटरों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके, विभिन्न संहिताओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके, तथा उपयुक्त प्राधिकारियों को अवांछनीय कार्यक्रमों अथवा चैनलों का प्रबन्ध निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा सके। तदनुसार, राष्ट्रपति ने 29 सितम्बर, 1994 को केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित किया।

अध्यादेश तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में केबल ऑपरेटरों द्वारा मुख्य डाक घर में 50 रुपये का नाममात्र शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण करवाने, नियमों में अलग-अलग रूप से दर्शाये गये अनुसार निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता। कोडों का अनुपालन, दूरदर्शन के किन्ही दो चैनलों का अनिवार्य प्रबन्ध, केबल नेटवर्क द्वारा प्रयुक्त वर्तमान उपकरणों को बदलने और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को केबल नेटवर्क की स्थापना एवं उसके प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अध्यादेश में विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा कार्यक्रम एवं चैनल संहिताओं का अनुपालन न करने पर जुर्माना और कारावास सहित दण्ड का प्रावधान भी है।

सरकार ने केबल ऑपरेटरों की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि विशिष्ट गैजट डीकोडर के उपयोग न करने पर भी उपलब्ध

विदेशी सैटेल लाईट चैनलों के कार्यक्रमों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने जिस क्षेत्र में वह आवश्यक समझती है, वहां जनहित में तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाय रखने के लिए कैबल नेटवर्क के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार अपने पास रखा है।

अतः मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि हम एक ऐसे व्यापक विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया में हैं जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक मीडिया को काम करना होगा। यह राज्य सभा के सभापति के आदेशानुसार है। केबल दूरदर्शन भी इसका भाग होगा। अतः इसमें माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों को दर्शाया जाएगा। व्यापक विधेयक तैयार हो जाने के बाद मैं इसे सभा में लाऊंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा के अनुमोदनार्थ कैबल दूरदर्शन नेटवर्क विधेयक 1994 की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा 17 जनवरी, 1995 को प्रख्यापित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"
>
> "देश में केबल दूरदर्शन नेटवर्क के प्रचालन का और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने वाला विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा केबल दूरदर्शन सहित सम्पूर्ण इलैक्ट्रोनिक मीडिया क्षेत्र को लेते हुए बनाये जा रहे प्रस्तावित व्यापक विधेयक के बारे में की गई अन्तिम टिप्पणी से अपनी बात शुरू करता हूं।

महोदय, एक लम्बे समय से यह मांग की जा रही थी कि इस देश में एक व्यापक राष्ट्रीय मीडिया नीति की आवश्यकता है क्योंकि उपग्रह प्रौद्योगिकी के कारण मौलिक रूप से बदलाव आये। परिस्थितियों में हमारे देश और उसकी गरिमा मूल्यों पर विदेशी संस्कृति का वर्चस्व होता जा रहा है। अब केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रसारित विदेशी उपग्रह चैनलों से न केवल हमारी संस्कृति को खतरा हो गया है बल्कि यह खतरा और भी बढ़ गया है और तो और देश में फिल्मों और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों के प्रचालान के लिए इस उभरते हुए नये केबल बाजार में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों तथा बड़े व्यापारियों के प्रवेश से भी परेशानी बढ़ गयी है।

इस संबंध में मैं बम्बई में आयोजित गत फिल्मोत्सव में दक्षिण अमरीकी के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक द्वारा जारा एक महत्वपूर्ण बयान/वक्तव्य की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्री एम. लिट्टीन, जो कि कारावास में बंद थे और जिन्हें दो दशकों से भी अधिक समय तक देश से निकाल दिया गया था, ने हाल ही में कहा था कि दक्षिण अमरीकी देशों में, जिनको अपनी फिल्मों पर बहुत गर्व था, वहां यह देखा गया है कि वहां कम से कम फिल्मों का निर्माण किया गया है और सम्पूर्ण बाजार पर 'अमेरीकन मोशन पिक्चर्स' का कब्जा बना हुआ है। उन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया ऐसे देश, जिनको अपने फिल्म निर्माण के बारे में गर्व हो सकता है, आज नये उपग्रह चैनलों के प्रवेश से घबरा रहे हैं। यहां तक कि गैट पर चर्चा के दौरान हमने देखा है कि फ्रांस ने उनकी संस्कृति, उनकी फिल्मों और अन्य क्षेत्रों में अन्यों के संभावित आक्रमण पर आपत्ति व्यक्त की थी। वहां और अन्य यूरोपीय देशों में भी हम देखते हैं कि आज दूसरों का कब्जा हो गया है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियां विशेषकर यू. एस. फिल्मी लॉबियां इन देशों के बाजार पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। यही खतरा हमारे देश में भी है। सवाल यह है कि हमारी संस्कृति को हमारे देश को इस विदेशी संस्कृति के आक्रमण से कैसे बचाया जाये। यह मुट्ठी भर केबल ऑपरेटर द्वारा उत्पन्न की जा रही समस्या है।

मैं नहीं समझता कि इस अध्यादेश को अथवा किसी विधेयक को प्रख्यापित कर हम इसे रोक सकेंगे। हमें एशियाई देशों से, तथा चीन से जिसने हांगकांग से प्रसारित कार्यक्रमों के विषय में जो कुछ किया उससे सबक सीखकर नये उपाय खोजने होंगे। मलेशिया जैसे छोटे देशों ने केवल केबल व्यापार के विषय में ही नहीं बल्कि उपग्रह चैनल के विषय में भी ऐसा किया है। इन देशों से सबक लेने के बदले हम उसके ठीक विपरीत दिशा में जा रहे हैं।

हमे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है, दुःख हो रहा है, कि हमारा अपना इलैक्ट्रोनिक मीडिया, जिसपर आज तक सरकार का एकाधिकार था, और जिसने इस सभा द्वारा 1990 में सर्वसम्मति से पारित प्रसार भारती अधिनियम, को लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया था, आज एम टी वी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इस आशय के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ...

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल जी, आप बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभा मंगलवार, 14 मार्च, 1995 के 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 मार्च, 1995/23 फाल्गुन 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।